त्रयोदश माला, खंड 25, अंक 32

FOR REFERNCE ONLY.

मंगलवार, 7 मई, 2002
17 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 53
Date 13/6/2003

(खण्ड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड 25, नौवां सत्र, 2002/1924 (शक)

अंक 32, मंगलवार, 7 मई, 2002/17 वैशाख, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
मंगोलिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 581 और 582	1-26
प्रश्नों के लिखित उत्तर	26-299
तारांकित प्रश्न संख्या 583 से 600	26-63
अतारांकित प्रश्न संख्या 6096 से 6217	63-299
सभा पटल पर रखे गए पत्र	299-307
राज्य सभा से संदेश	307-308
याचिका समिति	
सोलहवां प्रतिवेदन	308
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	
पचासवां, इक्यावनवां और बावनवां प्रतिवेदन	308
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
101वां और 102वां प्रतिवेदन	309
नियम 377 के अधीन मामले	334-339
(एक) मुम्बई में एच आई वी और क्षय रोग के कारण युवाओं की मृत्यु दर में वृद्धि की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
श्री किरीट सोमैया	334-335
(दो) झारखंड के रांची जिले में हाथियों के आतंक को रोकने की आवश्यकता	
श्री राम टहल चौधरी	335
(तीन) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अखिल भारत मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण का भूमि संसाधन विभाग में विलय किए जाने की आवश्यकता	
श्री बसुदेव आचार्य	335-336

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(चार)	आन्ध्र प्रदेश के तेनाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केला उत्पादकों के लिए बीमा योजना पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	336
(पांच)	विद्युत उत्पादन के लिए गुजरात को पर्याप्त गैस की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	336-337
(छह)	उत्तर प्रदेश में सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रघुराज सिंह शाक्य	337
(सात)	तमिलनाडु के तिरूवन्नामलाई में मेलाचेंगम में सेंट्रल स्टेट फार्म को बंद करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री डी. वेणुगोपाल	337-338
(आठ)	भारतीय कपास निगम द्वारा उड़ीसा के कालाहांडी और नुआपड़ा जिलों के किसानों से कपास की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री त्रिलोचन कानूनगो	338
(नौ)	महाराष्ट्र के धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामदास रूपला गावीत	338-339
संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक - पुरः स्थापित		339
सरकारी विधेयक - पारित		340
(एक)	**परिसीमन विधेयक**	340-421
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	
	श्री अरूण जेटली	340, 342-343, 347-350, 408-414
	श्री सुशील कुमार शिंदे	350-358
	श्री लाल बिहारी तिवारी	358-359
	श्री सोमनाथ चटर्जी	359-364
	श्री आदि शंकर	364-366
	श्री धर्मराज सिंह पटेल	366-368
	श्री के. येरननायडू	368-370
	श्री के. ए. सांगतम	371-373

विषय	कॉलम
श्री रघुनाथ झा	373-374
श्री पी. एच. पांडियन	374-378
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	378-382
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	382-386
श्री सुरेश रामराव जाधव	386-387
श्री एम.ओ.एच. फारूक	387-388
डा. साहिब सिंह वर्मा	388-389
श्री मोइनुल हसन	389-391
श्री अनादि साहू	391-393
श्री पी. सी. थामस	393-394
श्री विजय हान्दिक	395-396
श्री के. मलयसामी	396-398
श्री एन.टी.षणमुगम	398-399
श्री जी. एम. बनातवाला	399-403
श्री सईदुज्जमा	403-404
श्री मुलायम सिंह यादव	405-406
खंड 2 से 12 और 1 पारित करने के लिए प्रस्ताव	415-419
(दो) उपराष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2002	420-421
विचार करने के लिए प्रस्ताव	420
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	420
खंड 2, 3 और 1	420-421
पारित करने के लिए प्रस्ताव	421
(तीन) संसद अधिकारी तथा संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2002	421-422
विचार करने के लिए प्रस्ताव	421
श्री प्रमोद महाजन	421
खंड 2, 3 और 1	422
पारित करने के लिए प्रस्ताव	422

लोक सभा

मंगलवार, 7 मई, 2002/17 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

मंगोलिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है। मुझे अपनी ओर से और सभा के माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्माननीय अतिथि मंगोलिया की स्टेट ग्रेट हुरल (संसद) के डिप्टी चेयरमैन महामहिम श्री जे. ब्यामबाडोर्ज और मंगोलियाई संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है।

शिष्टमंडल आज प्रातः भारत पहुंचा। इस समय वे विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हुए हैं। हम अपने देश में उनके सुखद और आनन्ददायक प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मंगोलिया के राष्ट्रपति, संसद और वहां के स्नेही लोगों का अभिनन्दन करते हैं और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आदर्श जेल नियमावली

***581. श्री रघुराज सिंह शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेल प्रशासन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो से एक आदर्श जेल नियमावली तैयार करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या जेल नियमावली तैयार करने से पूर्व केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में राज्यों का दृष्टिकोण क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्र सरकार ने एक ऐसी आदर्श जेल नियमावली तैयार करने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में एक समिति का गठन किया है जिसे सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपनाया जा सकता है। समिति ने विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के जेल विभाग के काडर के अधिकारियों को लेकर छः कार्यकारी दल गठित किए हैं, जो आदर्श नियमावली के विभिन्न पहलुओं/अध्यायों पर सिफारिशें करेंगे।

(ग) और (घ) विभिन्न पहलुओं/अध्यायों पर सिफारिशें करने के लिए गठित किए गए कार्यकारी दलों में प्रायः केवल राज्यों के जेल विभागों के ही अधिकारी होते हैं। मसौदा नियमावली तैयार कर लिए जाने के बाद इसे राज्यों में परिचालित किया जाएगा तथा नियमावली को अंतिम रूप देने से पूर्व उनकी राय/टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रकार, भागीदारी की प्रक्रिया के रुप में राज्यों के सहयोग से आदर्श नियमावली का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आदर्श जेल नियमावली तैयार की जा रही हैं, उसमें काफी विलंब हो रहा है और जेलों की कैपेसिटी से ज्यादा कैदी उनमें रह रहे हैं। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नियमावली में जो विलंब हो रहा है, क्या उसे जल्दी तैयार करके लागू करने का विचार है? प्रदेशों की बहुत सी जेलों में कैदियों की संख्या भी ज्यादा है और जो बजट का प्रावधान किया जा रहा है, वह बहुत कम है। क्या केन्द्र सरकार उनके लिए उससे अधिक बजट देने का कोई प्रावधान करेगी?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक

इस बात का ताल्लुक है कि विलंब हो रहा है, दरअसल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमैंट दिया था लेकिन उससे पहले भी जस्टिस मुल्ला कमेटी, जस्टिस कृष्णा अय्यर कमेटी, कपूर ग्रुप – तीन ग्रुप और दो कमेटीज बैठ चुकी हैं। सन् 2000 में एक नई ऑल इंडिया कमेटी बनाई गई थी, जिसने अलग–अलग सब्जैक्ट्स पर छः सबसीडियरी ग्रुप बनाए हुए हैं। क्योंकि यह मैनुअल बहुत पुराना है और हर स्टेट का अलग–अलग है, इसलिए हमने सोचा कि कोई यूनीफार्मिटी आ जाए और एक मॉडल मैनुअल बन जाए। इस मॉडल जेल मैनुअल के लिए हमें स्टेट्स की ऐप्रूवल चाहिए। उसमें समय लगेगा, लेकिन जहां तक कमेटी की प्रोसीडिंग्स और ग्रुप्स की वर्किंग का ताल्लुक है, वह जून के आखिर तक तैयार हो जाएगी, ग्रुप की रिपोर्ट आ जाएगी और उस वक्त तक यह काम मुकम्मल होने की पूरी आशा है।

जहां तक फाइनैंसेज के बारे में कहा गया है, इलैवन्थ फाइनैंस कमीशन ने 111 करोड़ रुपये दिए हैं, टैन्थ फाइनैंस कमीशन ने भी दिये थे और समय–समय पर प्रिज़न्स बनाने के लिए, उन्हें रिनोवेट करने या ऐडीशन करने के लिए, अंडर ट्रायल या कन्विक्ट्स जो ज्यादा कैदी रह रहे हैं, उनको सुविधा देने के लिए केन्द्र के पैसे जाते रहते हैं। लेकिन जब तक पूरी तरह कोई नया मैनुअल न बन जाए जिसमें डिसिप्लन, लॉ एंड आर्डर, फैसीलिटीज़ इन सबका जिक्र होना है, हमारी स्कीम ऑफ कौन्सटीटयूशन ऐसी है कि जब तक राज्य ऐग्री न करें, हम सैंटर में कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते।

[अनुवाद]

नियमावली भी विधि के समान प्रभावी है।

[हिन्दी]

हमने सब राज्यों को लिखा। अगर दो या दो से ज्यादा राज्य अंडर आर्टीकल 252 लिख कर दे दें कि हम तैयार हैं तो कम से कम एक लॉ तथा मैनुअल हम उन दो स्टेट्स से लागू कर सकते थे। चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ऑल इंडिया कमेटी बनी और वह कमेटी इस प्रोसेस को जून तक खत्म कर देगी।

श्री रघुराज सिंह शाक्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह जेलों से कैदी फरार हो रहे हैं, ऐसी शिकायतें सभी प्रदेशों से मिल रही हैं, और जो निचमावली तैयार नहीं हो रही है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तब तक क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सुरक्षा बलों की वहां व्यवस्था की जायेगी या नहीं, जिससे कोई अव्यवस्था न हो और इस तरह की जो शिकायतें मिल रही हैं, उनसे छवि खराब हो रही है, यह छवि खराब न हो सके?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि छवि खराब होने की तो बात नहीं है, कहीं–कहीं इक्का–दुक्का केस जरूर हुए हैं, लेकिन यह मामला स्टेट्स का है, सब्जैक्ट स्टेट्स का है, इसलिए स्टेट्स ने इसकी व्यवस्था करनी है। अगर स्टेट फोर्स हमसे किसी सिलसिले में भी मांगे तो सैण्टर फोर्स तो दे सकता है, लेकिन हम अपने आप वहां पैरी मिलिट्री फोर्सेज, सी.आर.पी.एफ. या बी.एस.एफ. या कोई और पुलिस नहीं लगा सकते। वहां पर फोर्स की कमी नहीं है। जहां–जहां वाल्य का या सिक्योरिटी का इन्तजाम ठीक नहीं है, वह सिक्योरिटी का प्रबन्ध करने के लिए भी मैनुअल में प्रावधान करने की बात हो रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय मंत्री जी ने सही जवाब दिया है कि छवि से कोई मतलब नहीं है। छवि और बी. जे.पी.? आपने नहीं कहा है क्या कि छवि से कोई मतलब नहीं है? छवि तो होती रहती है। यह गलती कर रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं। छवि से बी.जे.पी. को क्या मतलब है?...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा एकरूपता लाने के उद्देश्य से आदर्श जेल नियमावली तैयार करने की बात कही गई है। मेरा निवेदन यह है कि एकरूपता लाने के पहले और कई बिन्दुओं पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अलग–अलग प्रदेशों में बन्दी एवं जेल अधिनियम, प्रिजनर्स एक्ट अलग–अलग बने हुए हैं। जब तक हम प्रिजनर्स एक्ट के बारे में, जो स्टेट्स में बने हुए हैं, उनके बारे में विचार नहीं करेंगे तो सीधे–सीधे हम मैनुअल में चेंज करने की जो बात है, वह कहां तक सही होगी। दूसरे मेरा यह कहना है कि हर स्टेट में माननीय मंत्री जी, प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट अलग है, वहां के कर्मचारियों की सर्विस कंडीशंस सब की अपनी–अपनी अलग–अलग हैं, टाइप, स्केल सब की अपनी–अपनी अलग हैं, रिमीशन सिस्टम अलग है, ट्रायल के संबंध में भी सब के सिस्टम थोड़े–थोड़े फर्क हैं। उनके अपने स्टेट जेल मैनुअल के हिसाब से उन्होंने अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलप किया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना है कि इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद क्या केवल जेल मैनुअल को

बदलने से एकरूपता आ पायेगी? दूसरे, इसी प्रश्न में मेरा निवेदन है कि जैसा अभी मुख्य प्रश्न में पूछा गया है कि सभी जेलों....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, आपको केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछना है न कि दो।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी : यह बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, हमें बार–बार बोलने का मौका नहीं मिलता है। हम लोगों को ही ये अन्दर भेजेंगे, इसलिए सवाल पूछने दिया जाये। यह जो ओवरक्राउडेड जेल के बारे में जो बात आई है तो मेरा यह कहना है कि यह अमानवीय कृत्य हो रहा है। एक तरफ तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक जेलों, में, जहां 100 आदमी होने चाहिए, वहां 3–3 सौ आदमी घुसे हैं। इसके संबंध में भी आप कोई विचार कर रहे हैं? विकासशील देशों में सुधारवादी जेलों की बात की गई है, इस दिशा में आपका विचार क्या है, माननीय मंत्री जी?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए। आप अपना अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : ऑनरेबिल मैम्बर ने जिस बात का जिक्र किया है, 1996 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी यही बात थी। जहां तक एक रूपता का ताल्लुक है, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि यह स्टेट सबजैक्ट है, हमारा फैडरल सैट–अप है, स्कीम ऑफ कांस्टीटयूशन इस किस्म की है कि हर स्टेट इंडीपेंडेंटली अपना लॉ बनाना चाहती है। जहां तक इनका यह ख्याल है कि पहला जो एक्ट है, उसमें एकरूपता हो तो सैण्ट्रल एक्ट था, प्री इंडीपेंडेंस, आजादी के पहले का एक्ट था। 1894 का एक्ट था, उस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए हमने एक मॉडल एक्ट तब बनाया, जब दो से ज्यादा स्टेट्स से आर्टीकल 252 के तहत हमारे पास सर्कुलेट करने के बावजूद कोई इत्तला नहीं आई, किसी ने कन्सेंट नहीं दी तो हमने उस मॉडल एक्ट को स्टेट को भेज दिया।

इस तरह से जहां तक एक्ट का ताल्लुक है, हमने माडल प्रिजनर्स मैनेजमेंट बिल बनाकर राज्यों को सर्कुलेट किया है। सर्कुलेट करने के बाद, आखिरकार एक्ट उन्हीं को बनाना है, मेनुअल उन्हीं को बनाना है, हम यह मदद कर सकते हैं कि कमेटी बिठाकर जो अच्छे–अच्छे सुझाव आएं, चाहे ह्यूमन राइट्स की बात हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट की भी बात हो, कंवेंशन एग्रीमेंट आफ यू.एन.ओ. की बात हो, उन सबको इसमें सम्मिलित करके एक माडल बिल बनाकर, एक माडल मैनुअल बनाकर राज्यों को भेजें। अब राज्यों को यह काम करना है कि वे इसे कब तक पूरा करते हैं।

श्रीमती रेनु कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 50 वर्षों के बाद भी आदर्श जेल नियमावली का गठन न होना दुर्भाग्य की बात है। इतने दिनों के बाद भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है। इसके परिणामस्वरूप बिहार जैसे राज्य में हाल ही में कई जेलों में विद्रोह की स्थिति पैदा हुई, जिसमें छपरा, नवादा और जुमई प्रमुख हैं। वहां की जेलों के कैदियों ने जेल के अधिकारियों पर कब्जा कर लिया। यही नहीं हमारे नवगाछिया इलाके की जेल में जो कैदी बंद थे, वहां अपराधी घुस आए। उन्होंने वहां गोली चलाकर कैदियों को मारने का प्रयास किया, लेकिन वे बच गए। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि इन 50 वर्षों में क्या जेलों के लिए अंग्रेजों का काला कानून ही रह गया है? बिहार में जेल के आई. जी. ने नियमावली बनाई, लेकिन वहां की सरकार ने उसको लागू नहीं किया। आज बिहार की जेलों की स्थिति बदतर हो चुकी है और आए दिन विद्रोह होते रहते हैं। सरकार उसे रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है? वहां की जेलों में कैदियों को भेड़–बकरियों की तरह ठूंसा जाता है, वे लोग आखिर विद्रोह क्यों करते हैं, क्या इस ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता। जेलों में विद्रोह न हो, कैदियों के मुकदमों का शीघ्र निपटारा हो, इसके लिए केन्द्र सरकार क्या करने जा रही है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : उपाध्यक्ष जी, जो केन्द्र सरकार कर सकती थी, वह उसने कर दिया है। अखिल भारतीय स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है, और उसके छः ग्रुप बने हैं। उनमें अलग–अलग विषय लेकर जून तक कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद का काम राज्यों का है। बिहार का जैसा हाल है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। हर राज्य को अपने तौर पर इसे करना है।

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि देर आए, दुरुस्त आए, सरकार आदर्श नियमावली कारागारों के लिए शीघ्र बनाने जा रही है और विभिन्न आयोगों की

रिपोर्ट्स के माध्यम से राज्य सरकारों से विचार–विमर्श करके प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : बधाई देने के बजाए आप सवाल करें।

प्रो. रासा सिंह रावत : जो खतरनाक आतंकवादी जीवित पकड़े जाते हैं, उनको जिन जेलों में रखा जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या सम्बन्धित राज्य सरकार ने कभी केन्द्र सरकार से विशेष अनुरोध किया है कि उन्हें इसके लिए अर्धसैनिक बल मुहैया कराए जाएं?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : अभी हमारे पास इस तरह की कोई रिक्वेस्ट किसी राज्य से नहीं आई है कि उन्होंने कोई अलग से फोर्स मांगी हो। जहां तक अलग बंदोबस्त की बात है, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात है, वह काम राज्यों को ही करना है।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : क्या यह सही है कि अपराधी अपने अपराधिक कार्यकलापों को चलाने के लिए जेल परिसरों में मोबाइल फोन का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं? जब सरकार के ध्यान में ऐसी घटनाएं लायी गई तो क्या सरकार ने प्रशासन के विरुद्ध कोई कदम उठाए हैं और ऐसे अपराधों के लिए प्रशासन को दोषी पाया है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : जब कभी भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य सरकारों अथवा संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मामले की जांच की जाती है और लापरवाही के लिए दोषी पाए गए प्राधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाती है...*(व्यवधान)* अन्यथा, आमतौर पर हम कुछ नहीं कह सकते... *(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या किसी चूककर्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो प्राधिकारियों जो जेलों पर नियंत्रण रखते हैं, द्वारा कार्यवाही की जाएगी अर्थात् राज्य सरकारों द्वारा न कि केन्द्र सरकार द्वारा।

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, देश की जेलों की हालत से यह पता चलता है कि वह समाज कितना सुसंस्कृत और अत्याधुनिक है। परन्तु सभी लोग जानते हैं कि हमारी जेलों की दशा बहुत दयनीय है। एक सख्त पुलिस अधिकारी, जो तिहाड़ जेल की प्रभारी थी, ने पूरे देश को यह बता दिया कि जेलों और कैदियों में सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है। महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह उदाहरण पूरे देश में लागू किया जाएगा। क्या सरकार इसके लिए कोई कार्यवाही करेगी?

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तर भी संक्षेप में दिया जाना चाहिए।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, जहां तक सुधारात्मक उपायों का संबंध है सरकार ने पहले ही कार्यवाही की है। 26 जनवरी, 2000 से हमने ऐसे मामलों में विशेष रूचि लेने वाले अधिकारियों के लिए मेडल और पुरस्कार शुरू किए हैं।

श्री सुरेश कुरुप : क्या इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : देश के सभी अच्छे उदाहरणों, चाहें वे कहीं के भी हों, अपनाने चाहिए। सभी राज्य सरकारों को ऐसे उदाहरण अपनाने होंगे और हम भी उन्हें अपनाएंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : एक आदत सी बन गई है, लम्बा–चौड़ा सवाल और उससे भी बड़ा जवाब देना।

[अनुवाद]

प्रश्न बनाने में भी अनुशासन बरता जाए।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में सीबीआई के हवाले से समाचार छपा है कि जो आतंकवादी कैदी हैं या जो इमरजैंसी गिरोह से जुड़े हुए कैदी हैं, उनको परिवहन करना कठिन है और उनके लिए जेल में अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इसमें सीधे हस्तक्षेप करे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे विषय को राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ा जा सकता है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, मैंने बार–बार कहा है कि यह राज्यों का विषय है। ...*(व्यवधान)* ऐसी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है....*(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : सी.बी. आई की रिपोर्ट है, मंत्री जी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रहलाद सिंह यदि आप ऐसा प्रश्न पूछेंगे जो राज्य से संबंधित हो तो है वह कैसे उत्तर दे पाएंगे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश कृपया अब शोर मत करिए।

[हिन्दी]

श्री जे. एस. बराड़ : महोदय, समय–समय पर सरकारें राजनैतिक कैदियों और खासकर अकलियतों के खिलाफ नाजायज केसेज बनाती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस नियमावली में कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी, जिसके तहत जेलों में राजनीतिक और एजुकेटेड लोगों के लिए स्पेशल प्रोवीजन किया जा सके? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि देश के महान नेता, जैसे पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमति इंदिरा गांधी, श्री जयप्रकाश नारायण आदि नेता जेलों में कैद रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या जेल मैन्युअल में कोई ऐसा प्रोवीजन किया गया है ताकि उन नेताओं के जीवन से कैदियों को प्रेरणा मिल सके और वे अपने जीवन में कोई सुधार ला सकें?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, माडल जेल मैन्युअल और माडल जेल प्रीजन मैनेजमैंट बिल सर्क्युलेट किया गया है। जहां तक मैन्युअल का ताल्लुक है, उसके लिए कमेटी बैठी है। उसके छः ग्रुप्स हैं और छः अलग–अलग चीजें उन्होंने ली हैं, जिनको वे कंसीडर करेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, पोलिटिकल प्रीज़नर के लिए अभी भी जेल में अलग से व्यवस्था की जाती है। ऐजीटेशन के मामलों में की जाती है और वैसे भी की जाती है। लेकिन इसमें वैसी व्यवस्था होगी या नहीं, जब रिपोर्ट आएगी, तब पता लगेगा।

[अनुवाद]

श्री जे. एस. बराड़ : क्या हम आपको कुछ सुझाव दे सकते हैं?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : आपका स्वागत है।

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट) : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या मंत्रालय अखिल भारतीय कारावास पुलिस संवर्ग की स्थापना पर विचार कर रहा है ताकि पूरे भारत की कारावास पुलिस एक केन्द्रीय प्राधिकरण के अधीन आ सके। इससे कारावास पुलिस की सेवाशर्तों में भी सुधार हो जाएगा जो कि इस समय बहुत खराब हैं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। परन्तु इस समय हमारे समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

डा. गिरिजा व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान महिला जेलों की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। जेल में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। इससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति उनकी तब होती है, जब इमोशनल कारणों से वे जेल में आ जाती है, लेकिन जेल से छूटने के बाद, उनको जेल से लेने के लिए कोई नहीं आता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा सिफारिश की गई थी कि उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए ताकि वे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सकें। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस प्रकार की शिक्षा प्रारम्भ हो चुकी है, ताकि जेल से छूटने के बाद वे इंडिपेंडेंट रूप से अपना जीवन–यापन कर सकें?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, इस कार्य के लिए समय–समय पर राज्यों को एडवाइज़ दी गई है और 8-10 राज्यों ने अलग से विमैन जेल बनाई है, जिनमें इन्तजाम किया है कि उस पीरियड में इस किस्म का काम सिखाया जाए जो जेल से छूटने के बाद उनके काम आ सके और वे अपना जीवन अच्छी तरह से चला सकें, अगर उनके पेरेन्ट्स या घर वाले एक्सैप्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा ट्रांनसेनडेंटल मैडिटेशन, योगा आदि चीजें भी जेल में इन्ट्रोडयुस करने के लिए कहा गया है और बहुत सारी स्टेट्स की जेल इन्ट्रोडयुस भी हुई हैं। जहां सैप्रेट विमैन जेल नहीं है, वहां सैप्रेट सैल बनाने की बात कही गई है और सैप्रेट सैल तकरीबन राज्यों ने बनाए हैं।

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी : महोदय, मैं व्यापक स्तर पर माडल जेल मेनुअल बनाने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं, यह विचार बहुत अच्छा है, परन्तु इसकी कार्यवाही बहुत गलत है। इसका मैं यह कारण प्रस्तुत करता हूं। कि आपराधिक न्याय प्रणाली में तीन विभाग शामिल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछिए। ऐसे स्पष्टीकरण मत दीजिए।

श्री के. मलयसामी : महोदय मैं मुश्किल से एक मिनट ही लूंगा। जैसाकि मैंने कहा है कि इसमें तीन विभाग अर्थात् – पुलिस, न्यायापालिका और कारागार विभाग शामिल है। गठित समिति में केवल कारागार विभाग के अधिकारी ही शामिल हैं। कई कारागारों और प्रमुख कारागार विभागों में पुलिस कर्मचारी तैनात हैं। मेरा यह सुझाव है कि ऐसी समिति में केवल कारागार अधिकारी ही न हों बल्कि इसमें पुलिस, न्यायपालिका

के एक प्रतिनिधि और संभव हो तो प्रयोक्ता नामतः एक बंदी अथवा एक आरोपी को भी शामिल किया जाये ताकि यह रिपोर्ट व्यापक और संक्षिप्त हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपका इनको शामिल करने का कोई विचार है अथवा नहीं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : अखिल भारतीय समिति पहले ही गठित की जा चुकी है और हमने इसमें कारागार के अधिक अधिकारियों को शामिल किया है क्योंकि उनको कारागारों का अनुभव होगा और वे कारागार प्रशासन में अंतर, त्रुटियों और खामियों के बारे में भली–भांति जानते हैं। इसलिए यह विचार किया गया और कारागार के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी अर्थात् कारागार महानिदेशक ओर अन्य कारागार कर्मचारियों को समिति में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर 20 मिनट से अधिक हो गए हैं और सभी पक्षों ने चिंता जाहिर की है कि जेलों की स्थिति बहुत खराब है, ओवर–क्राउडिंग है, डायट ठीक से नहीं मिलती है तथा प्रीज़नर जेल अथारिटी पर कब्जा कर लेते हैं या भाग जाते हैं। हर सवाल के जवाब में मंत्री जी कह रहे हैं कि यह स्टेट सब्जैक्ट है और इसके लिए राज्य जवाबदेह हैं – फिर मंत्री जी यहां किस लिए उपस्थित हैं। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि इस तरह सदन का समय बर्बाद करने का क्या औचित्य है? जब मंत्री जी सायलैंट स्पैक्टेटर की तरह बैठे हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्यों जवाब दे रहे हैं। मंत्री जी को कहना चाहिए कि यह राज्य का मामला है और वे इसमें कुछ नहीं कर सकते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, क्या मैं इसका उत्तर दूं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका सवाल क्या है?

श्री रघुनाथ झा : महोदय, चौबीस घन्टे हमारे यहां छपरा जेल में कैदियों ने पुलिस को गिरफ्तार करके रखा। कई जगह पुलिस से मिलकर कैदी निकल जाते हैं। वैट्रन क्रिमिनल्स दो–चार लाख रुपए देकर फरार हो जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस पर भी मंत्री जी कह रहे हैं कि यह राज्य का सवाल है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, यह माननीय सदस्य की टिप्पणी है और उन्हें अपने विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता है। वे बुद्धिमान भी हो सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। परन्तु, जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को वित्त प्रदान करने और सलाह देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अच्छे कार्यनिष्पादन के लिए राज्यों को प्रोत्साहन

+

***582. श्री अधीर चौधरी** :

श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन के क्षेत्र में अच्छे कार्यनिष्पादन हेतु राज्यों के लिए प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सही है कि कुछ राज्यों, जिन्होंने विगत कुछ वर्षों की अवधि के दौरान उक्त क्षेत्र में अच्छा कार्यनिष्पादन दर्शाया है, को आबंटन में कटौती का सामना करना पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

हालांकि बेहतर कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों (कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के रूप में) के लिए कोई प्रोत्साहन योजना शुरू नहीं की गई है तथापि विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के

अंतर्गत ऐसे राज्यों के लिए अतिरिक्त निधियां (अगर उपलब्ध हों) देने पर (वित्तीय वर्ष के अंत में) विचार किया जाता है बशर्ते कि:

(i) संबंधित राज्य को कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों की दूसरी किस्म प्राप्त हुई हो तथा उपलब्ध निधियों के 80 प्रतिशत का उपयोग किया हो।

(ii) इस प्रकार जारी की गई अतिरिक्त निधियों को, आबंटन में "कटौती" निर्धारित करने के प्रयोजन से ग्राद के वर्षों के लिए अथशेष निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा।

अगर दूसरी किस्त के प्रस्ताव दिसम्बर माह के बाद प्राप्त होते हैं तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करते समय कटौतियां की जाती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास निर्धारित सीमा से अधिक अथशेष होने पर कटौतियां की जाएंगी, उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में भी अनुपातिक वित्तीय कटौतियां की जाती हैं, जिन्होंने निधियों के अपने पूरे हिस्से को जारी नहीं किया है।

श्री अधीर चौधरी : महोदय सभापटल पर रखे गए विवरण को सही ढंग से प्रोत्साहन का छलावा माना जा सकता है। यह प्रोत्साहन एक निश्चित मानदंड तक स्वीकृत किया गया है। जहां तक ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन का संबंध है, पंचायत राज प्रणाली की प्रमुख भूमिका है।

महोदय, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन, जिसे स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना कहा जा सकता है के कारण विकेन्द्रीकृत स्थानीय स्तर पर भागीदारी के साथ विकास का व्यापक अवसर मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी आप अपना प्रश्न पूछिए। बहुत लम्बे समय तक मत बोलिए।

श्री अधीर चौधरी : जी हां। योजना आयोग ने भी यह देखा है कि निर्धारण कारक, व्यवहार्य योजनाओं को बनाने में वित्त पोषक मंत्रालय की क्षमता और निधियों के उपयोग और वहनीय अधिकतम ग्रामीण विकास का लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि सभी खण्डों में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों) सूची में प्रकाशन को अनिवार्य बनाया जा सकता है? जहां तक मेरे राज्य पश्चिम बंगाल का संबंध है, मेरे राज्य के किसी भी खण्ड में बीपीएल की सूची के प्रकाशन की कोई प्रणाली नहीं है। महोदय, इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा पंचायत उत्सव आयोजित किया जा रहा है। चंदा के नाम पर प्रत्येक पंचायत की निधियों से, जो ग्रामीण विकास के लिए हैं, भारी राशि निकाली गयी है।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : महोदय, माननीय सदस्य ने ग्रामीण विकास के बारे में कई विचार प्रकट किए हैं। तथापि, उन्होंने अपना विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा क्योकि वह यह परिभाषित कर रहे थे कि किस आधार पर सांविधिक दायित्व के रूप में बीपीएल के स्तर को बनाए रखा जा सकता है। परन्तु मेरे विचार से इसका ग्रामीण विकास विभाग से कोई वास्ता नही है। बल्कि इसका योजना आयोग से वास्ता है क्योंकि योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद के साथ समन्वय करके गरीबी उन्मूलन के आंकड़े निर्धारित करता है और उसके आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि राज्य सांविधिक आंकड़ों के अनुसार राज्य को कितना हिस्सा आबंटित किया जाना चाहिए।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, राज्यों के बीच समानता लम्बे समय से वाद –विवाद का विषय रहा है। यह पाया गया है कि अलग अलग कार्य निष्पादन में वृद्धि प्रतीत होती है। भारत में अधिक आय वाले राज्यों को कम आबंटन किया जा रहा है। अर्थात् दसवें वित्त आयोग के 13.8 प्रतिशत को कम करके ग्यारहवें वित्त आयोग में 9.75 प्रतिशत कर दिया गया है। महोदय, बेहतर निस्पादन वाले राज्यों का प्रायः यह आरोप होता है कि उन्हें खराब निस्पादन वाले राज्यों की कमियों की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। अतः, वे अक्सर, इस मुद्दे पर शोर शराबा करते रहते हैं। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या किसी राज्य द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई है? एच डी आई के अनुसार अब भारत विश्व के 170 देशों में से 124 वें स्थान पर है। क्या किसी राज्य ने अब तक कोई मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है?

दूसरी बात यह है कि मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु ऐसी किसी योजना पर विचार कर रहे हैं। जिसे स्वर्गीय राजीव गांधी ने तैयार किया था अर्थात् जिसमें मुख्य मंत्री को छोड़कर प्रधान मंत्री से सीधे जिलाधीश, उनके मंत्रालय का बिना किसी बीच के अधिकारी के सीधा पंचायत से सम्पर्क हो।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : जहां तक राज्यों को समान आबंटन का प्रश्न है, यह गरीबी उन्मूलन अनुपात पर आधारित है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यदि आप इस प्रकार से शोर मचाएंगे तो आपको बोलने का मौका नहीं मिल पाएगा।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : तथ्य यह है कि आप राज्यों के बीच समान आबंटन पर विचार नहीं कर सकते हैं। हालांकि बेहतर कार्य निष्पादन वाले राज्यों को निम्न दो शर्तों पर अतिरिक्त राशि जारी की जा सकती है--पहली शर्त है, यदि राज्य ने समय पर अपनी दूसरी किस्त का उपयोग कर लिया हो; और दूसरी शर्त है, उसने उपलब्ध निधियों की 80 प्रतिशत राशि का उपयोग कर लिया हो। ऐसा होने पर वह राज्य अतिरिक्त धनराशि प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

श्री अधीर चौधरी : यह तो प्रोत्साहन के समान है। मेरे प्रश्न का जो कि 'फ्राम पी एम टू डी एम' था उसका उत्तर नहीं दिया गया। मंत्री महोदय, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : सभापटल पर रखे गए वक्तव्य में यह स्पष्टतया कहा गया है कि प्रोत्साहन योजना शुरु की गई है। तथापि हाल ही में उनके मंत्रालय के केबिनेट मंत्री जिन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ हैदराबाद का दौरा किया था और सम्भवतः हमारे आंध्र प्रदेश को देखते हुए, प्रेस वक्तव्य में उन्होंने यह कहा "कि कुछ राज्य जिन्होंने बेहतर कार्य किया है उनमें कुछ ईर्ष्या की भावना है। इस मुद्दे पर चर्चा की गई और प्रोत्साहन के मुद्दे पर विचार किया गया है। इस पर मंत्रिमंडल में चर्चा की जानी है और इस पर योजना आयोग की भी स्वीकृति प्राप्त की जानी है। उन्होंने कहा, "यह अभी भी विचाराधीन है", जबकि मंत्री जी यहां कहते हैं कि प्रोत्साहन योजना शुरु कर दी गई है। यह सत्य है कि वित्तीय वितरण तदर्थ आधारों पर किया जाता है और न कि निर्धारित नीति के आधार पर। वक्तव्य में ही उन्होंने कहा, "अतिरिक्त निधियां (यदि उपलब्ध होंगी) प्रदान की जाएंगी।" यदि निधियां उपलब्ध हें और यदि आप निधियां वितरित कराने जा रहे हैं तो यह नीति कैसे बन सकती है? मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में कोई नीति निर्धारित की गई है?

कटौती की गई है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने स्वयं कहा है कि आंध्र प्रदेश ने विश्व बैंक से ऋण जुटाने के बारे में उत्कृष्ट कार्य किया है।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। जहां तक कटौती का संबंध है, कटौती केवल उन्हीं राज्यों पर लागू है जिन्होंने निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया है। इन मार्गनिर्देशों में यह बताया गया है कि यदि किसी राज्य ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट अथवा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तो उन्हें दूसरी किश्त नहीं मिल पाएंगी। इन निधियों को प्राप्त न करने के कई कारण हैं। विवरण प्रस्तुत करने का केवल एक ही कारण नहीं है। बल्कि राज्य द्वारा अपेक्षित स्तर तक भाग न लेना जैसे अन्य कारण भी हैं।

आंध्र प्रदेश के मामले में मेरे समक्ष विस्तृत विवरण हैं। जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा भली भांति तैयार की गई है और उसे कार्यान्वित किया गया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है और मैं विशेष रुप से 'काम के लिए अनाज कार्यक्रम' का संदर्भ दे सकता हूं। 'काम के लिए अनाज कार्यक्रम' के बारे में यह कह सकता हूं कि आंध्र प्रदेश राज्य ने रोजगार सृजन के लिए देश में उपलब्ध कुल खाद्यान्नों में से लगभग 40 प्रतिशत खाद्यान्नों का उपयोग किया है। अतः, इसे ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं कहा जा सकता है कि राज्य ने बेहतर कार्य नहीं किया है। उसने कुछ कार्यक्रमों के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य किया है और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत अपेक्षित स्तर तक कार्य नहीं किया है। केवल उसी आधार पर हमारे केबिनेट मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने यह कहा है कि जब कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो अतिरिक्त धनराशि जारी करने पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

आंध्र प्रदेश राज्य को अतिरिक्त निधियां आबंटित करने का प्रश्न केन्द्र सरकार के समक्ष है और मेरे विचार से इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैंने आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में नहीं पूछा है। मैंने माननीय मंत्री से विशेष तौर पर यह बताने का अनुरोध किया था कि क्या इस संबंध में कोई निर्धारित नीति है अथवा नहीं और क्या इस नीति को सरकार और योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है अथवा नहीं। मैंने यह प्रश्न पूछा था। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। वे केवल श्री चन्द्रबाबू नायडू की प्रशंसा कर रहे थे। मैं यह सुनना नहीं चाहता था।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : महोदय यह विशिष्ट प्रश्न प्रोत्साहनों और कटौती के बारे में है और यह देश के विशिष्ट राज्य के लिए कटौती के बारे में है।...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, मैं यह प्रश्न नहीं पूछ

रहा हूं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस संबंध में कोई निर्धारित नीति है अथवा नहीं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि वे उन राज्यों को प्रोत्साहन देने पर विचार करेंगे जिन्होंने बेहतर कार्य किया है। उन्होंने यही कहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, यदि हमें यहां उत्तर हीं नहीं मिलेगा तो हम प्रश्न किसलिए पूछ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने यह पहले ही कह दिया है कि यदि निधियां उपलब्ध हों तो बेहतर कार्य निष्पादन वाले राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : उन्होंने कहा कि यदि निधियां उपलब्ध होंगी तो प्रोत्साहन दिए जाएंगे। परन्तु यदि सभी राज्यों का कार्य निष्पादन बेहतर होगा तो निधियां कहां से आएंगी?... *(व्यवधान)* इसके लिए नीति कहां है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने यह कहा है कि जिन राज्यों में ग्रामीण विकास मंत्रालय है वहां कार्य निष्पादन बेहतर रहा है, निधियों की उपलब्धता के आधार पर उन राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने यह कहा है कि जिन राज्यों में ग्रामीण विकास मंत्रालय है वहां कार्य निष्पादन बेहतर रहा है, निधियों की उपलब्धता के आधार पर उन राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय यह कैसे हो सकता है। यह पूछा गया है कि निधियां उपलब्ध होने पर प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसका यह अर्थ हुआ कि अन्य राज्यों के आबंटन में कटौती की जाएगी। जब तक कि कोई नीति निर्धारित की जाए, यदि अन्य राज्यों का कार्य निष्पादन बेहतर होगा तो सरकार के पास निधियां कहां से आएंगी?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने अपना उत्तर दोहरा दिया है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : जी, नहीं। उन्होंने इसे दोहराया नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस उत्तर को पहले ही दोहरा दिया है। आप कृपया उनकी बात दोबारा सुनिए।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : महोदय, नीति यह है कि राज्य द्वारा बेहतर कार्य निस्पादन की स्थिति में उस विशिष्ट राज्य को अतिरिक्त राशि जारी की जा सकती है। बशर्ते कि उस विशिष्ट राज्य ने दूसरी किस्त समय पर प्राप्त कर ली हो और उपलब्ध निधियों की 80 प्रतिशत राशि का उपयोग कर लिया हो।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, इसे प्रोत्साहन नहीं कहा जा सकता है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री आदित्यनाथ बोलेंगे।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन के लिये...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय यदि सभी राज्यों का निष्पादन बेहतर होगा तो मंत्री जी निधियां कहां से लाएंगे? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : केन्द्र सरकार जो फंड्स राज्य सरकारों को आबंटित करती है, उनके यूटिलाइजेशन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा सर्टिफिकेट देने के बाद ही केन्द्रीय सरकार अपनी अगली किश्त अवमुक्त करती है। क्या उसकी निगरानी के लिये केन्द्र सरकार ने कोई कार्य दल का गठन किया है?

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : उपाध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने सवाल पूछा है कि राज्य शासन द्वारा दिये गये सर्टिफिकेट या कम्पलाइंस सर्टिफिकेट आने के बाद डिपार्टमेंट क्या मौनिटरिंग करता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस कार्य के लिये जो अलग–अलग एजेंसीज सर्टिफिकेट देने के लिए रखी हैं–

[अनुवाद]

राज्य सरकार को उपयोगिता और मांग का सत्यापन देना होगा।

[हिन्दी]

डिमांड आने पर जब तक उसका कम्पलाइंस सर्टिफिकेट

या ऑडिट रिपोर्ट नहीं आती, तब तक केन्द्र सरकार द्वारा पैसे का आबंटन नहीं होता है।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पूरी सभा से यह अनुरोध करता हूं कि वह श्री एन. जनार्दन रेड्डी द्वारा उठाए गए इस विशिष्ट मुद्दे पर चर्चा करे। यह समय की मांग है। इसमें दो मुद्दे अंतर्ग्रस्त है। मंत्री जी ने यह कहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य का कार्य निष्पादन बेहतर हैं, वह राज्य अधिक निधियों का उपयोग कर रहा है और इसलिए दिसम्बर के बाद से अन्य राज्यों की कटौती उसे जारी कर दी जायेगी। यह नियमित परम्परा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना के बाद से यह नियमित परम्परा रही है। परम्परा यह रही है कि जब कोई विशिष्ट राज्य वर्ष के दौरान आबंटित निधियों का उपयोग नहीं कर पाता है तो दिसम्बर माह के पश्चात केन्द्र सरकार उस राज्य के आबंटन में कटौती करके इस प्रकार प्राप्त कुल राशि में से बेहतर कार्य निष्पादन वाले राज्यों को अधिक निधियों आबंटित कर देती है।

किसी भी सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है। चाहें प्रधानमंत्री कोई भी हो, अथवा सरकार में कोई भी हों प्रत्येक का अंतिम उद्देश्य यही है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश को ले लीजिए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार पूरे देश में गरीबी का स्तर केवल 13 से 16 प्रतिशत है। बेहतर कार्य निष्पादन वाले राज्यों को दण्डित किया जा रहा है।

अतः, हम यह मांग करते हैं कि भारत सरकार अधिक प्रोत्साहन दे और योजना आयोग ऐसे राज्यों, जो गरीबी के स्तर को तेजी से कम कर रहे हैं, को पृथक अनुदान निर्धारित करे। तभी हम अपने देश में गरीबी का उन्मूलन कर पाएंगे। यह मुद्दा प्रधानमंत्री जी के विचाराधीन है। ग्रामीण विकास मंत्री श्री एम. वेंकय्या नायडू ने एक बार एक बैठक बुलायी थी जिसमें मैंने भी कुछ सुझाव दिए थे। वर्ष के अंत में कुछ निधियां अप्रयुक्त पड़ी रहती है। वे ऐसे राज्यों को निधियां जारी कर रहे हैं जिनका कार्य निष्पादन बेहतर है। यह तो ठीक है। आंध्र प्रदेश बेहतर कार्य कर रहा है और ग्रामीण विकास मंत्रालय उस राज्य को अधिक राशि जारी कर रहे हैं। परन्तु सरकार देश में उन राज्यों को क्या प्रोत्साहन दे रही है जिनका गरीबी के स्तर को तेजी से कम करने में निष्पादन अच्छा नहीं रहा है?

ग्यारहवें वित्त आयोग के द्वारा बेहतर कार्य निष्पादन वाले राज्यों को भी दण्डित किया जा रहा है। ऐसे राज्य जिनका निष्पादन अच्छा नहीं है, और जिन राज्यों का गरीबी का स्तर बढ़ता जा रहा है, को ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर अधिक धनराशि मिल रही है। ऐसी स्थिति में कोई भी राज्य बेहतर कार्य नहीं करेगा।

हम यह जानना चाहते हैं कि इस संबंध में सरकार की क्या नीति है। सामान्य कटौती और राज्यों को राहत ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्तमान नीति का एक हिस्सा हैं। लेकिन सरकार की उन राज्यों के बारे में क्या नीति है जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या सरकार उन राज्यों को अधिक धनराशि देने की योजना बना रही है जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं?

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : श्री जनार्दन रेड्डी ने सही कहा है। प्रदर्शन को नीति के साथ जोड़ा जाना चाहिए।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपके नेता ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा है। मंत्री महोदय को इसका उत्तर देने दें।

श्री अन्नासाहेब एम. के पाटील : महोदय, मैं कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रदर्शन–वार राज्यों की श्रेणियों के बारे में पढ़कर सुनाता हूं। गोवा, जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु ने आबंटित धनराशि का 80 प्रतिशत भाग उपयोग कर लिया...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, यह सब क्यों? मैं कर चुका हूं और श्री येरननायडू भी कह चुके हैं कि बचत की राशि में से कुछ राशि उन राज्यों को दी जाती है जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* यहां तक कि श्री येरननायडू ने कुछ राशि आंध्र–प्रदेश को अंतरित की है...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : सामान्यतः, ये वर्ष के अंत में यदि बचत की कुछ राशि बचती है तो वह राशि जारी की जाती है।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि गोवा, जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु बहुत अच्छा प्रदशर्न कर रहे हैं। जिन राज्यों में इन अनुदानों का औसत उपयोग किया वे हैं आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान।. ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : माननीय मंत्री जी सही कह रहे हैं। जो राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें अधिक राशि नहीं दी जा रही है....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वह आंकड़े प्रस्तुत करें... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, कृपया पहले उन्हें उत्तर देने दें। उत्तर पूरा होने दें। उसके बाद यदि कुछ बचेगा तो मैं आपको अनुमति दूंगा।

....(व्यवधान)

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : महोदय, जिन राज्यों ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है वे हैं असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड़। इन्होंने इस कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित की गई धनराशि के 30 प्रतिशत हिस्से का भी उपयोग नहीं किया है। अतः ये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।

जबकि अन्य राज्य जिनका मैंने अभी उल्लेख किया प्रदान की गई राशि में 50 से 60 प्रतिशत हिस्से का उपयोग कर रहे हैं।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी और श्री के. येरननायडू नीति के बारे में पूछ रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : हां, बिल्कुल।

उपाध्यक्ष महोदय : वे यही जानना चाहते हैं।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : महोदय, योजना आयोग और ग्रामीण विकास विभाग ने यह कार्य एक विशेषज्ञ समिति को सौंपा है, जो कि प्रक्रियाधीन है। अतः जैसे ही इस विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होगा इस नीति पर विचार शुरू कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको एक सप्लीमेंटरी पूछने का मौका दे दिया था। आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्री वी. वेत्रिसेलवन : महोदय, मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देने हेतु धन्यवाद।

ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से एक योजना आरंभ की थी। इस योजना के अनुसार उन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाई जानी हैं। जहां सड़कें नहीं हैं। माननीय मंत्री जी ने सही कहा है...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वी. वेत्रिसेलवन कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें। कोई वक्तव्य न दें।

श्री वी. वेत्रिसेलवन : महोदय, मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि डा. कलियग्नर करूणानिधि के कार्यकाल के दौरान उस समय की तमिलनाडु राज्य सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया था... *(व्यवधान)* वर्ष 1996–2000 के दौरान डॉ. कलियग्नर करूणानिधि ने बहुत अच्छा कार्य किया। उन्होंने बहुत सी योजनाऐं क्रियान्वित की थी।

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, माननीय मंत्री जी को तमिलनाडु की वर्तमान सरकार द्वारा गत एक वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि के आंकड़े भी देने दें।

श्री वी. वेत्रिसेलवन : महोदय, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वी. वेत्रिसेलवन आप अपना अनुपूरक प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं?

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी. एच. पांडियन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि डॉ. जे. जयललिता के नेतृत्व में तमिलनाडु राज्य की वर्तमान सरकार का गत एक वर्ष के दौरान कैसा प्रदर्शन रहा है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वी. वेत्रिसेलवन क्या आप अपना अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहते ?

...(व्यवधान)

श्री वी. वेत्रिसेलवन : महोदय, इस ग्रामीण सड़क योजना के आरंभ होने से पहले ही तमिलनाडु में अधिकांश गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया था। अधिकांश सड़कों को पुनः बनाया जाना है। लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों को पुनः बनाने की अनुमति नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री वी. वेत्रिसेलवन : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार ऐसी वर्तमान ग्रामीण सड़कों को पुनः बनाये जाने की अनुमति देगी जिन पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : महोदय, माननीय संसद सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है स्वतंत्रता के 54 वर्षों के पश्चात भी यह देश गांवों को आपस में जोड़ने में पिछड़ा हुआ है। यहां तक कि लगभग 40 प्रतिशत गांव नहीं जोड़े गए हैं। इसलिए, भारत सरकार ने एक क्रान्तिकारी और नया कार्यक्रम शुरू किया है। विशेषकर प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया है कि जब तक हम गांवों को नहीं जोड़ते तब तक कोई प्रगति हासिल नहीं की जा सकती। इसलिए यह पता लगाने हेतु कि वर्ष 2007 तक गांवों को कितने किलोमीटर सड़कों को आपस में जोड़ा जा सकता है, पूरे देश का राज्य–वार सर्वेक्षण किया गया था। क्योकि देश के प्रत्येक गांव को इस अवधि के अंदर – अदर सड़कों से जोड़ा जाना है। इस कार्य हेतु 60000 करोड़ रुपये के आबंटन की आवश्यकता है।

माननीय सदस्य ने तमिलनाडु के बारे में एक प्रश्न पूछा है। रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में केवल 533 किलोमीटर लेन नहीं जोड़ी गई है। अन्य राज्यों की तुलना में हम इसे एक बेहतर स्थिति कह सकते हैं। वस्तुतः लागत पर भी विचार किया गया था और अन्य राज्यों में विभिन्न ग्रामीण सड़कों की लम्बाई की तुलना में तमिलनाडु को धनराशि उपलब्ध कराई गई धनराशि भी पर्याप्त है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया और विभिन्न प्रदेशों की प्रगति के बारे में कुछ आंकड़े दिये, उससे मेरे मन में एक सवाल उठता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो स्टेट्स आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देती है। उसी पर विश्वास करके आप आंकड़े दे रहे हैं। या आपकी ओर से कोई फिज़िकल वैरिफिकेशन भी की जाती है। कि जो धनराशि यहां से जाती है। उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं?

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय खुराना जी ने जो सवाल पूछा है वह बहुत महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई प्रावधान है या नहीं, यह पूछा है।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना के तहत जो राशि दी जाती है, उसकी बिल्कुल जांच होती है। पांच स्तरों पर उसका कोआर्डिनेशन किया जाता है – नेशनल लैवल पर नेशनल कोआर्डिनेशन बॉडी है, स्टेट्स में स्टेट कोआर्डिनेशन बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट्स कोआर्डिनेशन बॉडी है और इतना ही नहीं, ब्लॉक्स में भी कोआर्डिनेशन बॉडी है और हर बॉडी के स्तर पर उसका इंस्पैक्शन होता है, मॉनीटरिंग होती है। इतना ही नहीं, हमारे विभाग में एक विजिलेन्स सैल भी है जिसके माध्यम से हर रिपोर्ट की जांच की जाती है कि कौन सा काम ठीक हुआ है या नहीं हुआ। फिर भी ऐसी कोई और शिकायत होगी तो हम उसकी जांच करेंगे।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : उपाध्यक्ष महोदय, श्री येरननायडू संयुक्त मोर्चा सरकार में मंत्री थे और मैं यह सभापति था। इनका कार्यनिष्पादन बहुत अच्छा था। मैं यह जानना चाहता हूं । अपने उत्तर में आपने कहा कि यह प्रोत्साहनकारी योजना थी; अर्थात यह सरकार के कार्यनिष्पादन पर निर्भर करती है, या कार्यनिष्पादन के अनुसार धनराशि दी जाती है। मेरे राज्य का कार्यनिष्पादन खराब रहा है और उसमें पांच साल से चुनाव नहीं हुए हैं।

इस बार, जब हम सत्ता में आए तो हमने चुनाव करवाये। सरकार हमें दंडित कैसे कर सकती है? हमने चुनाव करवाये और वहां चुने हुए प्रतिनिधि हैं लेकिन सरकार हमें धनराशि जारी नहीं कर रही है। यह सही नहीं है। जब एक बार चुनाव हो गए और प्रतिनिधि चुनकर आ गए तो धनराशि जारी कर दी जानी चाहिए। इस प्रोत्साहनकारी योजना का एक मानदण्ड यह भी है कि चुनाव अपने समय पर आयोजित होने चाहिए। ए.जी. पी. ने चुनाव नहीं करवाये लेकिन हमने चुनाव करवाये और अब वहां चुने हुए प्रतिनिधि हैं। सरकार धनराशि जारी क्यों नहीं कर रही है? क्या सरकार इस मामले की समीक्षा करेगी?

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : महोदय, मैंने असम के बारे में जो पढ़ा है वह माननीय सदस्य के कथन से थोड़ा भिन्न है, विशेषकर इसके खराब निष्पादन वाले राज्य की श्रेणी में आने की बात। यह सत्य है। महोदय, केन्द्र सरकार ने राज्य

सरकार से जो चुनाव कराने को कहा था, वह समय पर नहीं कराये गये। वस्तुतः असम राज्य में पंचायत चुनाव आयोजित कराने में असाधारण विलम्ब हुआ। केवल इतना ही नहीं, आबंटित धनराशि के वितरण हेतु जिले या राज्य से भी कोई आवेदन नहीं मिला। इसलिए उनके कारण देरी हुई और इसके परिणाम स्वरूप यह राज्य खराब कार्य निष्पादन वाले राज्य की श्रेणी में आ गया। माननीय सदस्य ने कहा कि यह एक प्रोत्साहनकारी योजना है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। कोई प्रोत्साहनकारी योजना नहीं है। यद्यपि यह प्रक्रिया है जिसके अनुसार राज्यों को धनराशि विशेषकर दूसरी किश्त देते समय, तभी उपलब्ध कराई जाती है। जब उन्होंने 80 प्रतिशत राशि का उपयोग कर लिया है। यह प्रोत्साहनकारी योजना भविष्य में लाई जा सकती है। वर्तमान में राज्य के पूर्व कार्यनिष्पादन के आधार पर इसका निर्णय होता है।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने पूरे देश के राज्यों का वर्गीकरण करके बताया कि किस राज्य को कितनी राशि दी गई है। मंत्री महोदय ने बताया कि राजस्थान को इस मद में पूरे देश के हिसाब से जितना भाग दिया जाना चाहिए, उतना दिया गया है, यानी अच्छा खासा धन आबंटित किया गया है। जबकि राज्य सरकार हमेशा केन्द्र पर आरोप लगाती रही है कि केन्द्र सरकार राजस्थान को धन आबंटित नहीं कर रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जितना पैसा केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार को आबंटित किया है, उसमें से कितने धन का उसने उपयोग किया है। मंत्री जी न केवल राजस्थान के बारे में बल्कि संपूर्ण देश के बारे में बताएं। कि ऐसे कितने राज्य है। जिन्होंने केन्द्र द्वारा आबंटित धन का उपयोग नहीं किया है। ....*(व्यवधान)*

डॉ. गिरिजा व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राजस्थान पर गलत आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने जितना भी धन केन्द्र सरकार ने आबंटित किया है उसका न केवल सदुपयोग किया है। बल्कि उपयोगित प्रमाणपत्र भी भेजा है। ऐसी स्थिति माननीय सदस्य राजस्थान के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। मेरा निवेदन तो यह है कि माननीय सदस्य ने प्रारंभ से प्रश्न ही गलत पूछा है। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने पूरे उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक केन्द्र सरकार को नहीं भेजे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि पूरे देश में ऐसे कितने राज्य हैं जिन्होंने केन्द्र द्वारा आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया है?

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : महोदय, जहां तक राजस्थान के कार्य निष्पादन का संबंध है, वर्ष 2000–01 के लिए केन्द्रीय आबंटन 562.12 करोड़ रुपये था। केन्द्र ने राज्य को 50.8.59 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। लेकिन 375.86 करोड़ रुपये ही उपयोग में लाए गए हैं। इसी प्रकार वर्ष 2001–02 में राजस्थान ने बेहतर प्रदर्शन किया।

श्री पी. एच. पांडियन : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। तमिलनाडु में लगभग 374 पंचायत संघ है। 20 वर्ष पूर्व मेरे स्वर्गीय नेता डा. पुरातच्ची थालियावर एम.जी.आर. ने 374 पंचायत संघों में, एक करोड़ रुपये प्रत्येक की लागत से, सड़कें बनाने हेतु एक आत्म–निर्भर योजना बनाई थी।

मध्याह्न 12.00 बजे

उस समय, सड़कें बनाई गईं, सभी गांवों को जोड़ा गया और उन सड़कों का रखरखाव भी किया गया। अब, महोदय, मैंने मंत्री जी से सुना है कि पी.एम.जी.एस.वाई. कोष से 100 करोड़ रुपये की राशि वितरित होने के बाद भी केवल 538 सम्पर्क सड़कें ही बनाई गई हैं।

महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या तमिलनाडु में 20 से 30 वर्ष पहले सड़कें बनाने के लिए भी सरकार को दंडित किया जा रहा है। अब, नई सड़क योजना के अंतर्गत नई सड़कें बनाई जानी हैं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इन सड़कों का रख–रखाव करने के लिए सहायता हेतु तमिलनाडु पर भी ध्यान देंगे? चूंकि सारे गांवों को जोड़ दिया गया है। तो इन सड़कों का रखरखाव भी होना है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्य सरकार को पुनः सड़कें और उनका रखरखाव करने में मदद करेगी। सड़कें मूसलाधार वर्षा से क्षतिग्रस्त हो गई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बालिका समृद्धि योजना

***583. श्री राजो सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'बालिका समृद्धि योजना' कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा, विशेषकर असम के संदर्भ में, क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 'बालिका समृद्धि योजना' के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आबंटित की गई धनराशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को, विशेषकर बिहार राज्य सरकार को, क्या मार्ग–निर्देश जारी किये गये हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) बालिका समृद्धि योजना देश में 1997 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बालिका के समग्र दर्जे में सुधार करना और उसके प्रति परिवार तथा समुदाय के रवैये में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। इस स्कीम में बालिका के जन्म पर 500 रुपए का अनुदान देने तथा 6 वर्ष की आयु से लेकर माध्यमिक स्कूल में शिक्षा की समाप्ति तक छात्रवृत्ति का प्रावधान है। वर्ष 2002–2003 से, इस स्कीम को राज्य सरकारों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है, ताकि वर्ष 2003 से शुरू होने वाले छात्रवृत्ति के घटक के कार्यान्वयन हेतु स्कीम में राज्य–विशिष्ट लचीलापन लाया जा सके।

(ख) और (ग) स्कीम के प्रारंभ से लेकर वर्ष 2001–2002 तक, राज्य सरकारों को 17670.56 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। इस राशि में से, 31 मार्च, 2002 तक 8800.632 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। राशि का राज्य–वार आबंटन और उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है। इन वर्षों के दौरान, असम राज्य सरकार को निर्मुक्त राशि 594.015 लाख रुपये है।

(घ) भारत सरकार राशि का शीघ्र उपयोग करने तथा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए बिहार सरकार सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से बार–बार अनुरोध करती रही है।

विवरण

बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत 1997–98 से लेकर 2001–2002 तक राज्य–वार आबंटित राशि तथा 31 मार्च, 2002 तक उपयोग की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त कुल राशि	प्रयुक्त राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	905.325	440.431
2.	अरुणाचल प्रदेश	24.850	10.049
3.	असम	594.015	231.095
4.	बिहार	2623.900	507.090
5.	छत्तीसगढ़	200.000	99.320
6.	गोवा	16.410	11.740
7.	गुजरात	582.314	324.154
8.	हरियाणा	228.445	135.565
9.	हिमाचल प्रदेश	115.917	73.565
10.	जम्मू और कश्मीर	229.990	145.560
11.	झारखण्ड	100.000	00.000

1	2	3	4
12.	कर्नाटक	927.370	564.850
13.	केरल	275.474	152.370
14.	मध्य प्रदेश	1988.430	1548.240
15.	महाराष्ट्र	1146.400	533.253
16.	मणिपुर	41.410	21.800
17.	मेघालय	38.826	26.285
18.	मिजोरम	18.720	13.220
19.	नागालैण्ड	13.220	5.51
20.	उड़ीसा	1473.640	850.370
21.	पंजाब	196.425	113.945
22.	राजस्थान	837.635	404.755
23.	सिक्किम	11.930	3.655
24.	तमिलनाडु	575.970	338.195
25.	त्रिपुरा	84.200	58.200
26.	उत्तर प्रदेश	3311.761	1560.820
27.	उत्तरांचल	100.000	00.000
28.	प. बंगाल	924.450	589.160
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	4.145	0.565
30.	चण्डीगढ़	5.495	2.060
31.	दादर और नागर हवेली	3.93	1.540
32.	दमन व दीप	1.865	0.500
33.	दिल्ली	50.170	22.130
34.	लक्षद्वीप	1.965	0.580
35.	पाण्डिचेरी	15.910	10.060
	कुल	17670.560	8800.632

24 घंटे शिक्षा चैनल

***584. श्री रामपाल सिंह :**

श्री पदमसेन चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करने के उद्देश्य से, 24 घंटे का एक शिक्षा चैनल आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस चैनल को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) 24 घंटे चलने वाले ज्ञानदर्शन नामक अनन्य सैटेलाइट आधारित टी.वी. शिक्षा चैनल पहले ही शुरू किया जा चुका है और इसका प्रसारण 26.1.2001 से हो रहा है। तथा इसे शुरू करने का एक उद्देश्य पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना है। ये चैनल देश भर में केवल आपरेटरों के माध्यम से उपलब्ध है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों; राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय; राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जैसी बड़ी शैक्षिक संस्थाओं के साथ–साथ कुछ सरकारी तथा अर्द्धसरकारी संगठनों द्वारा इस ज्ञान दर्शन चैनल में कार्यक्रम दिए जाते हैं। इस चैनल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रासंगिकता और मूल्यपरकता पर आधारित होने के साथ–साथ रोचक और सम्वादपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम मात्र पाठ्यचर्या पर आधारित नहीं होते अपितु ये दर्शकों के लाभ के लिए समृद्ध कार्यक्रम भी हैं जिनमें सम्वादपूर्ण टेलीकाफ्रेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है।

[अनुवाद]

बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

***585. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :**

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सुविधाएं बढ़ाने हेतु वर्ष 2002–2003 के बजट में आरंभिक शिक्षा विभाग के लिए और अधिक बजट– आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धनराशि का उपयोग करने के संबंध में सरकार ने कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां। प्रारंभिक शिक्षा के लिए वर्ष 2002–2003 का बजटीय आबंटन 4667 करोड़ रु. है जबकि 2001–2002 के दौरान यह 3800 करोड़ रु. ही था।

(ख) और (ग) सरकार ने 2010 तक 6–14 आयु–वर्ग के सभी बच्चों को संतोषप्रद स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए नवम्बर, 2000 में मिशन रूप में सर्व शिक्षा अभियान की योजना शुरू की है।

मंत्रालय ने दिनांक 2.1.2001 के संकल्प के जरिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मिशन का गठन किया है। इसी तरह संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों/शिक्षा मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य सर्व शिक्षा अभियान मिशन भी गठित किए गए हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन का ढांचा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किया गया तथा परियोजना–पूर्व क्रियाक्रलापों के लिए राज्यों को निधियाँ संस्वीकृत की गई ताकि जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं तैयार करने का कार्य सुकर हो सके।

इस कार्यक्रम में राज्यों द्वारा जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं तैयार किए जाने की परिकल्पना है जिनमें समुदाय आधारित बस्ती तथा ग्राम स्तरीय आयोजना प्रतिबिंबित हो। इन योजनाओं का मूल्यांकन इस प्रयोजनार्थ गठित दल द्वारा किया जाता है जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं। मूल्यांकन दल की सिफारिश जिस पर राज्य अधिकारियों के साथ भी चर्चा की जाती है, के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों के अनुरूप निधियाँ जारी की जाती हैं। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2001–2002 के लिए 1106.26 करोड़ रु. के परिव्यय से 512 जिलों की जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं को संस्वीकृत किया है।

इस वर्ष के लिए जिला योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

भेषज-क्षेत्र में ब्राजील के साथ समझौता

***586. श्री अशोक ना. मोहोल :**

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भेषज क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से ब्राजील के विकास उद्योग और विदेश व्यापार मंत्री की हाल की यात्रा के दौरान ब्राजील के साथ किसी समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार ने कोई विशेषज्ञ–समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भेषज–क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ङ) ब्राजील के विकास, उद्योग एवं व्यापार मंत्री की हाल ही में यात्रा के दौरान भेषज क्षेत्र में सहयोग या व्यापार के लिए ब्राजील के साथ भारत सरकार द्वारा किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

सी.बी.एस.ई. से संबद्ध सभी विद्यालयों में सूचना-प्रौद्योगिकी विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करना

***587. श्री राम मोहन गाड्डे :**

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से संबद्ध देश के सभी विद्यालयों में सूचना–प्रौद्योगिकी विषय को छठी कक्षा से पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है जैसाकि 10 अप्रैल, 2002 के 'द पायनियर' समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों में इस हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन विद्यालयों को ये आवश्यक सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो एक स्वायत्त संगठन है, ने सूचित किया है कि देश में स्थित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों में कक्षा–VI से सूचना प्रौद्योगिकी विषय को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सूचना प्रौद्योगिकी को 'कार्य अनुभव' के तहत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों में कक्षा VI से VIII में एक विकल्प के रूप में शुरू किया गया है। माध्यमिक स्तर पर, बोर्ड ने परिचयात्मक सूचना प्रौद्योगिकी को एक ऐच्छिक विषय के रुप में शुरू किया है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बोर्ड छात्रों को निम्नलिखित इलेक्टिव विषयों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है:

(क) कम्प्यूटर विज्ञान

(ख) सूचना विज्ञान पद्धतियां

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग

चूंकि इस विषय पर अध्ययन ऐच्छिक है इसलिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं वाले विद्यालय इस पाठ्यक्रम को अपना सकते हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध बहुत से स्वतंत्र विद्यालयों के पास आवश्यक बुनियादी सुविधाएं हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों को भी इसी प्रकार का प्रावधान करने के लिए कहा गया है।

पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास

***588. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :**

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के आर्थिक एवं चहुंमुखी विकास की स्थिति बहुत खराब हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के लिए कौन–कौन से कारक जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या इन राज्यों में उग्रवाद बढ़ा है और इसको निरूद्ध करने के लिए तथा चहुंमुखी विकास के उद्देश्य से सरकार द्वारा दी गई सहायता अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के विकास–कार्यों के संबंध में सरकार द्वारा कोई वास्तविक जांच की गई है;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) विगत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ज) राज्यों की संवृद्धि निष्पादन पर योजना आयोग द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 1993–94 से 1999–2000 तक की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों की मिली–जुली वार्षिक संवृद्धि दर (प्रतिशत में) निम्न प्रकार थी:

राज्य	मिली जुली वार्षिक संवृद्धि दर
अरुणाचल प्रदेश	4.10%
असम	2.49%
मणिपुर	6.01%
मेघालय	6.00%
मिजोरम	3.79%
नागालैंड	4.55%
सिक्किम	7.54%
त्रिपुरा	7.25%
अखिल भारत	6.68%

आंकड़े दर्शाते हैं कि सिक्किम और त्रिपुरा की संवृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी जबकि मणिपुर और मेघालय की संवृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से केवल थोड़ी सी कम थी। दूसरी तरफ इसी अवधि के दौरान असम, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड की संवृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम थी। पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक और समग्र विकास उनकी क्षमता के अनुसार नहीं हुआ है। मूलभूत आधार संरचना और मानव संसाधनों की कमी के साथ–साथ उग्रवाद, जातीय संघर्ष और कुछ हिस्सों में डर का माहौल कुछ ऐसे कारक हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकासात्मक क्षमता के उपयोग में बाधक हैं। इससे आगे इस क्षेत्र में निजी निवेश का प्रवाह और व्यापार प्रभावित हुआ है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार उग्रवाद/आतंकवादी गतिविधियों में वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2001 में कमी दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। जिनमें, राज्य में अर्द्ध सैनिक बलों और सेना की तैनाती, विद्रोही अभियानों को दबाने के लिए सेना, अर्द्ध सैनिक बलों और राज्य पुलिस द्वारा समन्वित कार्रवाई, पूर्वोत्तर के लिए अभी तक 20 भारतीय रिजर्व बटालियनों की स्वीकृति, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन मुख्य विद्रोही ग्रुपों को विधिविरूद्ध संगठन घोषित करना, राशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अधीन विद्रोही प्रभावित राज्य/क्षेत्रों को "विक्षुब्ध" घोषित करना, राज्य सरकारों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करना, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन, शांति वार्ताएं, सीमा पर बाड़ लगाना, आत्म समर्पण और पुर्नवास नीति तैयार करना तथा पडोसी देशों के साथ राजनयिक पहलें शुरू करना है। इस बारे में राजनीतिक दलों के नेताओं से प्राप्त अभ्यावेदन, जहां उचित समझा गया, आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पूर्वोत्तर राज्य सरकारों को भेज दिए गए है।

उग्रवाद से निपटने और पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न स्रोतों से पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाता है। संबंधित राज्यों द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों के अलावा सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभाग (उनके अतिरिक्त जिन्हें विशेष रूप से छूट प्राप्त है) अपने बजट का कम से कम 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के लिए उद्दिष्ट करते हैं। उद्दिष्ट धनराशि की अप्रयुक्त बकाया राशि इस क्षेत्र में परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए गैर व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल में अंतरित कर दी जाती है। 1998–99 में गैर व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल के अन्तर्गत 1346.72 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई हैं पूर्वोत्तर परिषद भी विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत संरचना परियोजनाएं शुरू करती हैं। भारत सरकार ने इन राज्यों की विशेष श्रेणी का दर्जा दिया हुआ है जिसके

कारण उन्हें योजना सहायता का 90% अंशदान और केवल 10% ऋण के रूप में प्राप्त होता है। 1997–2001 की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद द्वारा 1474 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि केन्द्रीय निधियों की सहायता से शुरू की गई विकास परियोजनाओं का नियमित प्रबोधन सुनिश्चित किया जाए। उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्राप्त होने के बाद ही परियोजना निधियों की दूसरी और उससे आगे की किस्ते जारी की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन के माध्यम से भी नियमित प्रबोधन किया जाता है।

इस विभाग के अधिकारियों ने चालू परियोजनाओं का फील्ड निरीक्षण शुरू किया है। पिछले कुछ महीनों के दौरान जिन कुछ परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया, वे इस प्रकार हैं:–

(क) रंगानदी हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना, अरूणाचल प्रदेश

(ख) रामकृष्ण मिशन अस्पताल, ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश

(ग) ईटानगर जल आपूर्ति योजना, अरूणाचल प्रदेश

(घ) दोयांग हाइड्रो विद्युत परियोजना, नागालैंड

(ङ) नागा अस्पताल, कोहिमा, नागालैंड

(च) बारामुरा गैस पावर परियोजना, त्रिपुरा

(छ) नई राजधानी परिसर का निर्माण, त्रिपुरा

(ज) त्रिपुरा विश्वविद्यालय का विकास, त्रिपुरा

(झ) गैस आधारित पावर परियोजना, रोखिया, त्रिपुरा

(ञ) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मणिपुर

(ट) लीमाखोंग पावर परियोजना, मणिपुर

इस विभाग के अनुरोध पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कुछ परियोजनाओं के चालू रहते उनकी समवर्ती लेखा परीक्षा करने पर सहमत हो गए हैं। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित पांच परियोजनाओं की पहचान की गई हैं:–

(1) रंगानदी हाइड्रो विद्युत परियोजना, अरूणाचल प्रदेश

(2) जमौंग–हरिपेन–दुरलावेबेरा सड़क, मिजोरम और असम

(3) ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी (25 संख्या) असम के विभिन्न स्थानों पर बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

(4) लीमाखोंग एच एफ ओ आधारित पावर परियोजना, मणिपुर

(5) ग्रेट शिलांग जल आपूर्ति योजना, मेघालय

[हिन्दी]

रासायनिक उर्वरक इकाइयों का बन्द किया जाना

***589. श्री रामजी लाल सुमन :**

श्री नरेश पुगलिया :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रि–समूह ने अनेक अव्यवहार्य रासायनिक उर्वरक–उत्पादन इकाइयों को बन्द करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन इकाइयों के नाम क्या हैं और उनमें केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ग) उनमें कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने सरकारी क्षेत्र की सभी उर्वरक–इकाइयों की व्यवहार्यता का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश की उर्वरक–इकाइयों के पुनरूद्धार के संबंध में मंत्रि–समूह के दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (च) एकक–वार प्रौद्यो–आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एच एफ सी) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफ

सी आई), प्रोजक्ट्स एण्ड डवलपमेन्ट इंडिया लिमिटेड (पी डी आई एल) एवं पाइराइट्स फॉस्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (पी पी सी एल) सार्वजनिक क्षेत्र के चार रूग्ण उर्वरक उपक्रमों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के व्यापक पुनः स्थापना/पुनर्गठन प्रस्तावों की जांच के लिए जून, 2001 में मंत्रियों के एक दल (जी ओ एम) का गठन किया गया है। मंत्री दल की अनुशंसायें सरकार में सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत की जानी है।

इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सरकार द्वारा धारित साम्य, नियोजित कार्य बल एवं 31.3.2002 तक हुई संचित हानियाँ नीचे दी गई हैं:–

(रु. करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	सरकार द्वारा धारित साम्य	नियोजित कार्य बल	संचित हानियाँ (अनन्तिम)
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.	891.44	6950	6725.88
फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	746.74	6029	7921.00
प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवेलपमेंट इंडिया लि.	54.02	1929	166.84
पाइराइट्स फोस्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि.	95.40	1322	444.98

वर्ष 2000–2001 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों/सहकारी समितियों द्वारा अर्जित लाभ (+)/उठाई गई हानियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:–

(रु. करोड़)

1.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.	(–) 767.72
2.	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(–) 951.36
3.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इंडिया लि.	(–) 32.66
4.	पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि.	(–) 108.30
5.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	(–) 29.76
6.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.	(–) 152.00
7.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	(+) 64.97
8.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	(+) 27.31
9.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि.	(+) 247.16
10.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि.	(+) 382.70

[अनुवाद]

एफ. बी. आई. द्वारा प्रशिक्षण

***590. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राज्य पुलिस और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के 28 अधिकारियों को 'फेडेरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन' (एफ.बी.आई.) द्वारा प्रशिक्षित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो एफ. बी. आई. की भारतीय जांच एजेंसियों के लिए एक सप्ताह का ऐसा ही प्रशिक्षण–कार्यक्रम पुनः आयोजित करने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(घ) क्या विभिन्न देशों की जांच–एजेंसियों का एफ. बी.आई. के साथ इस प्रकार का सहयोग और बढ़ा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमरीकी और भारतीय जांच–अधिकारी अपनी विशेषज्ञता, कौशल और आसूचना में और अधिक भागीदारी करने लगे हैं;

(च) यदि हां, तो कई राज्यों की जांच–प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु उन्हें सहायता उपलब्ध करने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई ठोस कार्ययोजना तैयार की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) इस समय, एफ. बी. आई. द्वारा भारतीय जांच एजेन्सियों के लिए कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, उन्होंने "आपदा प्रबंधन" पर एक पाठयक्रम आयोजित करने की पेशकश की है। जिसकी तारीखें अभी निश्चित नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जो विशेषज्ञता का आदान–प्रदान करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है, के अलावा एफ. बी. आई. के साथ, आवश्यकता आधार पर बातचीत की जाती है।

(च) और (छ) केन्द्र सरकार, राज्य पुलिस–बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देती रही है जिसमें, उनकी प्रशिक्षण और जांच–पड़ताल अवसंरचना में सुधार करने के लिए धनराशि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्य पुलिस कार्मिकों को केन्द्रीय संस्थानों में प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं। और उन्हें आधुनिक प्रणाली विज्ञान और जांच–पडताल तकनीकों की जानकारी हासिल करने के लिए विदेश भी भेजा जाता है। उनके पाठयक्रम और प्रशिक्षण मोडयूलों का सतत पुनरीक्षण/अद्यतन भी किया जाता है।

बजटेतर संसाधनों से पंचायतों को धनराशि

*591. **श्रीमती श्यामा सिंह** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतों के लिए आबंटित धनराशि निर्धारित लक्ष्यावधि में उन तक नहीं पहुंच रही है चूंकि राज्य सरकारें इस राशि का समुचित ढंग से उपयोग नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार से आग्रह किया गया है कि वह पंचायतो को बजटेतर संसाधनों से धनराशि उपलब्ध कराने के लिए नए उपाय करें; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) तथा 11वें वित्त आयोग (ई एफ सी) अनुदानों के अंतर्गत भी पंचायतों को निधियां प्रदान करती हैं। एस जी आर वाई के अंतर्गत निधियां जिला पंचायतों या जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी आर डी ए) के जरिए पंचायतों को रिलीज की जाती है। जबकि ई. एफ. सी. अनुदान राज्य सरकारों के जरिए पंचायतों को रिलीज की जाती है। निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर ही इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां रिलीज की जा रही हैं।

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों ने पंचायतों को अलग–अलग अनुपातों में शक्तियां सौंपी हैं। ताकि करों, शुल्कों तथा पथकरों के जरिए स्थानीय संसाधन जुटाए जा सकें। पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों तथा कार्यों की सुपुर्दगी के संबंध में एक कार्यदल (जुलाई, 2001 में गठित) ने अन्य बातों के साथ–साथ सिफारिश की थी कि राज्य सरकारों को स्थानीय संसाधन जुटाने के लिए पंचायतों को आवश्यक शक्तियों प्रदान करनी चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वित्तीय संस्थाओं को बढ़ाने के लिए, मौजूदा राज्य कानूनों में संशोधन करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को उचित करों, शुल्कों, पथकरों तथा उपभोक्ता प्रभारों को लगाने और वसूल करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सरकारी आवास का आबंटन

*592. **श्री रामदास आठवले** : क्या **शहरी विकास गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सरकारी आवास आबंटित करने के मामले में, सितम्बर, 2001 में सम्बद्ध मंत्रिमण्डलीय समिति की खिंचाई की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली उच्च न्यायालय का यह मानना था कि इन व्यक्तियों को सरकारी आवास का आबंटन बिना किसी नियम और मार्गनिर्देश के किया जा रहा था;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से सरकारी आवासों के आबंटन के संबंध में नीति तथा मार्गनिर्देशों का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई/प्रस्तुत की जाने वाली नीति/मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.5.2000 को सरकार को विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों/संगठनों को सरकारी आवास के आबंटन को शासित करने वाले दिशानिर्देश दाखिल करने का निर्देश दिया था। तदनुसार दिशानिर्देशों की प्रतियां एक शपथ–पत्र के द्वारा दिनांक 13.7.2000 को दाखिल की गयीं। राजनीतिक दलों को आवास के आबंटन बावत उत्तरवर्ती संशोधित दिशानिर्देश भी दिनांक 5.1.2001 को दाखिल किये गये।

सुसंगता एवं उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना

***593. श्रीमती कान्ति सिंह :**

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं आकलन परिषद ने देश के विभिन्न भागों में सुसंगणता एवं उत्कृष्टता केन्द्र (कोर) स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी गतिविधियों के क्षेत्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में विशेषकर बिहार में ऐसे और अधिक केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (घ) प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं आकलन परिषद (टाइफैक) ने देश में अनेक स्थानों पर अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अनेक सुसंगता एवं उत्कृष्टता केन्द्र (सैंटर ऑफ रेलिवेंस एण्ड एक्सिलेंस (कोर) स्थापित किए हैं। इन केन्द्रों की स्थापना शिक्षा और उद्योग को एक साथ लाने तथा सीखने के इच्छुक विद्यार्थियों एवं अन्य सभी को संगत पाठयक्रम मुहैया कराने और उपयोगकर्त्ताओं/उद्योग को केन्द्रित विशिष्ट क्षेत्र में संगत प्रौद्योगिकी विकास के लिए अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से विस्तृत मूल्यांकन के पश्चात की गई है। यह दृष्टिकोण उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी जनशक्ति लाने में भी सहायक है। प्रस्ताव तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए बिहार के संस्थानों से भी संपर्क किया गया है। अब तक स्थापित तेरह केन्द्रों का ब्यौरा, उनकी अवस्थिति और उनका विषय क्षेत्र प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है:–

1.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़, असम	खण्डीय पेट्रोलियम तेलाशय यांत्रिकी
2.	एम.एस. विश्वविद्यालय, वडोदरा, गुजरात	नई औषध वितरण प्रणालियां
3.	कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सुरथकल, कर्नाटक	औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी
4.	नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई, महाराष्ट्र	नूकम विज्ञान और मानव तत्व अभियांत्रिकी
5.	जबलपुर इंजीनियरिंग कालेज, जबलपुर, मध्यप्रदेश	उच्च वाल्टेज और ऊर्जा प्रणाली अभियांत्रिकी
6.	थापर इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, पटियाला, पंजाब	कृषि एवं औद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी
7.	मानवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, राजस्थान	रि–इंजीनियरिंग
8.	षणमुघा कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, तिरूमलाईसमुद्रम, तमिलनाडु	उन्नत संगठना और सूचना प्रक्रियण
9.	पी.एस.जी. कालेज ऑफ इंजीनियरिंग कायेम्बतूर, तमिलनाडु	उत्पाद अभिकल्पना और इष्टतमीकरण तथा सहयोगी उत्पाद वाणिज्य

10. जे.एस.एस. कालेज ऑफ फार्मेसी, ऊटाकामंडू, तमिलनाडु	हर्बल औषधियां
11. मैपको श्लैंक कालेज, सिवाकासी, तमिलनाडु	औद्योगिकी सुरक्षा
12. अरूलमिगु कलशलिंगम कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, कृष्णनकोइल, विरधुनगर, तमिलनाडु	नेटवर्क इंजीनियरिंग
13. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की, उत्तरांचल	आपदा शमन

[हिन्दी]

गरीबी-उपशमन के लिए विशेष कार्यक्रम

***594. श्री राम प्रसाद सिंह :**

श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का गरीबी–उपशमन के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। योजना आयोग ने अपने नवीनतम अनुमानों (1999–2000) में 1993–94 की तुलना में देश में कुल गरीबी अनुपात में वस्तुतः कमी का उल्लेख किया है।

(ग) से (ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय पहले से ही राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के जरिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक एक केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम 1.12.1997 से कार्यान्वित कर रहा है। ताकि शहरी बेरोजगार अथवा अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को (i) नौवीं कक्षा तक पढ़े व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहन के जरिए; तथा (ii) सामाजिक व आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण में उनके श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार के प्रावधान के जरिए उन्हें लाभप्रद रोजगार मुहैया किया जा सके। इस स्कीम के लिए केन्द्र और राज्य द्वारा 75:25 अनुपात में धन दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त लघु उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) नामक एक स्वरोजगार स्कीम 2 अक्तूबर 1993 से कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सभी आर्थिक रूप से उपयोगी कार्यकलापों में 2 लाख रुपये तक की लागत की स्वरोजगार वाली छोटी यूनिटें लगाने में सहायता की जाती है। कुल परियोजना लागत का 80% बैंकों से ऋण के रूप में मिलता और शेष 20% केन्द्र सरकार से सब्सिडी तथा मार्जिन मनी लाभार्थियों से अंशदान के रूप में आता है।

इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, इन क्षेत्रों में स्थाई सामुदायिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिसंपत्तियों व अवस्थापना के सृजन के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार तथा भोजन की गारण्टी भी सुलभ कराने के लिए हाल ही में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) सितम्बर 2001 में शुरू की है। स्कीम 1.4.2002 से पूरी तरह से कार्यात्मक हो गई है। जवाहर ग्राम समृधि योजना (जेजीएसवाई) तथा रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) नामक पहले की मजदूरी रोजगार स्कीमों को एसजीआरवाई में मिला दिया गया है। वर्ष 1999 के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) नामक एक दूसरी स्कीम शुरू की गई और यह इस समय कार्यान्वित किया जा रहा एक मात्र स्वरोजगार कार्यक्रम है। इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की परिवार आय बढ़ाना है।

[अनुवाद]

कश्मीर के लिए सामाजिक-आर्थिक पैकेज

***595. श्री सुशील कुमार शिंदे :**

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने युवाओं को आंतकवादी गतिविधियों की ओर उत्प्रेरित होने से रोकने के लिए एक सामाजिक–आर्थिक पैकेज सहित एक नई कश्मीर नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित सामाजिक–आर्थिक पैकेज का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर राज्य में शान्ति और सामान्य स्थिति बहाल करने और इसके समग्र विकास की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार, जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ मिलकर एक बहुआयामी रणनीति जारी रखे हुए हैं। इस रणनीति के तीन मुख्य आयाम हैं:–

(i) जम्मू और कश्मीर के भीतर सीमा–पार से आतंकवाद को निपटने के लिए प्रतिकारी कार्रवाई करना;

(ii) राज्य के आर्थिक विकास में तेजी लाना; और

(iii) राज्य के भीतर लोगों के किसी भी ऐसे ग्रुप से बातचीत के लिए तैयार रहना जो हिंसा का रास्ता त्याग देते हैं और जिनकी शिकायतें न्यायसंगत हैं।

रणनीति में आवश्यकतानुसार समय–समय पर आवश्यक सुधार किये जाते हैं। सामाजिक–आर्थिक मोर्चे पर विकास योजनाओं सहित विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के बीच समन्वय करके विभिन्न उपाय किए जाते हैं। इस सतत प्रक्रिया में, राज्य का तेजी से औद्योगिकीकरण करने के लिए सरकार ने हाल ही में औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा प्रायोजित 'जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए नई औद्योगिक नीति और अन्य रियायतें'' अनुमोदित की है।

बौद्धिक संपदा अधिकार सुगमीकरण प्रकोष्ठ

***596. श्री एन.टी. षणमुगम :**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं की सहायता के विचार से, प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं आकलन परिषद् तथा राज्य सरकारों के बीच एक बौद्धिक संपदा अधिकार सुगमीकरण प्रकोष्ठ गठित करने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा'') : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं आंकलन परिषद में स्थापित पेटेंट सुगमीकरण केन्द्र द्वारा पहले ही देश के 10 राज्यों में 10 पेटेंट सुगमीकरण केन्द्र को उनके नजदीकी क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा अधिकारों वे विशेषतः पेटेंटों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से स्थापित कर दिया है। ये केन्द्र पेटेंट खोजों को विश्वविद्यालयों, उद्योगों, सरकारी विभागों और आर एण्ड डी संस्थानों के लिए समर्थ बनाने, नियमित आधार पर पेटेंट सूचनाओं का विश्लेषण करने और इन सूचनाओं के आधार पर आर एण्ड डी के लिए नए कार्यक्रम सुझाने और आविष्कारकर्त्ताओं को अपने आविष्कारों को पेटेंट कराने के संबंध में मार्गदर्शन करते हैं। ये केन्द्र आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए हैं।

परिवहन-ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग

***597. श्री विलास मुत्तेमवार :**

डा. एन. वेंकटस्वामी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त विश्व में हाइड्रोजन को एक सुरक्षित स्वच्छ और अप्रदूषणकारी ईंधन के रूप में स्वीकार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो संपीडित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी) की खपत घटाने के लिए केन्द्र सरकार ने इसके प्रयोग की विशेषकर परिवहन के क्षेत्र में संभावना की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी अनुसंधान संगठन कम्पनी ने देश में वैकल्पिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के प्रयोग का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा'') : (क) से (ङ) हाइड्रोजन में एक सुरक्षित, स्वच्छ एवं प्रदूषणरहित ईंधन की संभावना है जिसका परिवहन और अन्य अनुप्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार को परिवहन के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हुए अनुप्रयोगों से संबंधित विकासों की जानकारी है। विशेष सुरक्षा लक्षणों के साथ, हाइड्रोजन का आन्तरिक दहन (इन्टरनल कम्बस्शन) (आई सी) इंजनों पर आधारित वाहनों में सीधे इस्तेमाल के लिए पर्यावरण अनुकूल ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आटोमोबाइल के नोदन के लिए फ्यूल सैलों के संयोजन में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन पद्धतियों का इस्तेमाल करके कुछ देशों में अनेक प्रोटोटाइपों का परीक्षण किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें से कुछ मामलों में तकनीकी व्यवहार्यता स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई है। तथापि, वर्तमान समय में इन प्रोटोटाइपों का इनकी अधिक कीमत के कारण परिवहन में इस्तेमाल आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

देश में कुछ अनुसंधान संगठन, शैक्षिक संस्थाएं और औद्योगिक अनुसंधान और विकास केन्द्र हाइड्रोजन का एक ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हुए विभिन्न अनुप्रयोगों की दिशा में विविध प्रौद्योगिकियों पर कार्य कर रहे हैं, जिनमें हाइड्रोजन शक्तिशाली इंजन और वाहन शामिल हैं। अनुसंधान की ये गतिविधियां प्रयोगशाला और प्रायोगिक स्तर के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और ये भविष्य में आवश्यक क्षमता निर्माण के लिए एक ठोस आधार मुहैया करा सकती है। इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में लगी हुई कुछ संस्थाएं हैं; बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और मद्रास, आर. वी. कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, बंगलौर, स्पिक साइंस फाउंडेशन, चेन्नई, श्री ए. एम. एम मुरूगप्पा रिसर्च सैंटर, चैन्नई और बी एच ई एल अनुसंधान और विकास, हैदराबाद।

राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र

***598. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक योजना तैयार की है जिसके अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय के अध्ययन–केन्द्र 'राष्ट्रीय उच्च शिक्षा उत्कृष्टता केन्द्र' के रूप में मान्यता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मानदंड का उद्देश्य क्या हैं

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे केन्द्रों को किसी विशेष प्रकार का वित्त पोषण उपलब्ध कराता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान में विश्वविद्यालय–वार ऐसे कितने केन्द्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त कर रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग ''उत्कृष्टता की सम्भावना वाले विश्वविद्यालय'' का दर्जा प्रदान करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करता है। इस योजना का उद्देश्य चुनिन्दा विश्वविद्यालयों में निर्धारित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केन्द्र विकसित करना है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लक्ष्यों के अनुरूप है। विश्वविद्यालयों को यह दर्जा देने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अन्तिम निर्णय इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया जाता है। यह विशेषज्ञ समिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विस्तृत प्रश्नावली के संबंध में विश्वविद्यालयों द्वारा दिये गये उत्तरों की जांच करने के और दिश्वविद्यालयों द्वारा समिति के समक्ष दिये गये विस्तृत विवरण के बाद अपनी सिफारिशें तैयार करती हैं।

(ग) से (ङ) अब तक 17 विश्वविद्यालयों को 'उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय'' का दर्जा प्रदान किया गया है। इन 17 विश्वविद्यालयों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 'उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय योजना के अन्तर्गत चयनित विभिन्न विश्वविद्यालयों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विशिष्टता का क्षेत्र	करोड़ रु. में
1.	यादवपुर विश्वविद्यालय	मोबाईल कम्प्यूटिंग एंड कम्यूनिकेशन	10.00
2.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	जैनेटिक्स जेनोमिक्स एंड वायोटेक्नोलॉजी	10.00
3.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	इंटरफेस स्टडीज एंड रिसर्च	10.00
4.	मद्रास विश्वविद्यालय	हर्बल साइंसेज	10.00
5.	पुणे विश्वविद्यालय	बायो इन्फार्मेटिक्स एंड बायो टेक्नोलॉजी	10.00
6.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	बायो मेडिकल साईंसेज	5.00
7.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय	स्पोर्ट साईंसेज	5.00
8.	कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस एंड टेक्नोलॉजी, कोची	लेजर एंड ऑप्टो–इलेक्ट्रोनिक साईसेज	5.00
9.	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय	जेनोमिक साईंसेज	5.00
10.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	हिमाचल स्टडीज	5.00
11.	सरकार पटेल विश्वविद्यालय	अप्लाइड पोलिमर्स	5.00
12.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साईंसेज	5.00
13.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	पालिमर साईंस	5.00
14.	अन्ना विश्वविद्यालय	इनविरोनमेंटल साईंसेज	5.00
15.	अरूणाचल विश्वविद्यालय	बायोडाइवर्सिटी	3.00
16.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	ट्रेडिशनल शास्त्राज	3.00
17.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	ई–मेनेजमेंट स्टडीज	3.00

अंटार्कटिक अभियान को जारी रखना

***599. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :**

क्या **महासागर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अटार्कटिका के लिए वैज्ञानिक अभियान जारी रखने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और आगामी अभियान की निर्धारित तिथि और इसका उद्देश्य क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) जी, हां। अगला भारतीय वैज्ञानिक अभियान, जो अंटार्कटिक जाने वाला 22वां अभियान होगा जनवरी 2003 के प्रथम सप्ताह तक केप टाऊन, दक्षिण अफ्रीका से रवाना किए जाने का प्रस्ताव है। अभियान का ग्रीष्मकालीन दल मार्च, 2003 के अंत तक और शीतकालीन दल मार्च, 2004 के अंत तक भारत लौटेगा। अभियान का प्रयोजन भूविज्ञान और हिमनद विज्ञान, वैश्विक परिवर्तन संबंधी प्रक्रियाओं, मौसम विज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञानों, पर्यावरणीय विज्ञानों, जैव विज्ञान, मानव शरीर क्रिया विज्ञान तथा औषधि और इंजीनियरी एवं संचार विज्ञानों के क्षेत्रों में प्रयोग करना है।

उर्वरकों की मांग और उत्पादन

***600. श्री राम टहल चौधरी :**

श्री बृजलाल खाबरी :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उर्वरकों की मांग और उत्पादन का राज्य–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का उर्वरक आयात किया गया;

(ग) क्या देश में उर्वरकों की मांग कम हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) तीन प्रमुख उर्वरक नामतः यूरिया, डी ए पी और एम ओ पी हैं। जिनमें से केवल यूरिया का सरकारी खाते में आयात किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान आयात की गई प्रमुख उर्वरकों की मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(लाख मी. टन/रु. करोड़ में)

वर्ष	यूरिया		डी ए पी		एम ओ पी	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य*	मात्रा	मूल्य*
1999–00	5.33	197.16	32.68	उपलब्ध नहीं	28.98	उपलब्ध नहीं
2000–01	शून्य	शून्य	8.60	उपलब्ध नहीं	25.68	उपलब्ध नहीं
2001–02	2.20	110.12	9.33	उपलब्ध नहीं	28.17	उपलब्ध नहीं
2002–03 अप्रैल–2002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1.68	उपलब्ध नहीं

*इनका आयात निजी व्यापार खाते में किया गया। अतः इनके ब्यौरे सरकारी स्तर पर नहीं रखे जाते।

(ग) और (घ) जी, हां। मुख्यतः देश के बहुत से हिस्सों में गंभीर सूखे की स्थिति के कारण गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2000–01 के दौरान उर्वरकों (एन+पी+के) की खपत में कमी आई।

विवरण

वर्ष 1999–2000 के दौरान उर्वरक पोषकों की राज्यवार मांग/खपत और उत्पादन

('000 मी. ट. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांग/खपत				उत्पादन 1999–2000		
	एन	पी	के	योग	एन	पी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	1314.6	603.0	201.1	2118.7	815.3	444.6	1259.9
कर्नाटक	681.4	374.4	216.1	1271.9	162.9	81.0	243.9
केरल	87.1	44.0	80.3	211.4	327.5	156.9	484.4
तमिलनाडु	558.4	224.1	269.4	1051.9	788.7	410.0	1198.7
पांडिचेरी	12.5	5.7	5.2	23.4	0.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.3	0.2	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0
लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
गुजरात	632.1	264.7	68.8	965.6	1899.8	1127.3	3027.1
मध्य प्रदेश	691.9	442.6	66.6	1201.1	795.9	111.7	907.6
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र	1143.8	551.9	234.7	1930.4	980.7	255.2	1235.9
राजस्थान	564.1	246.9	6.3	817.3	784.3	46.6	830.9
गोवा	3.6	1.8	1.9	7.3	242.2	77.0	319.2
दमन और दीव	0.2	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0
दादरा और नगर हवेली	0.7	0.4	0.1	1.2	0.0	0.0	0.0
हरियाणा	670.4	226.2	5.2	901.8	245.1	7.3	252.4
पंजाब	1086.3	334.6	26.5	1447.4	447.1	14.9	462.0
उत्तर प्रदेश	2386.6	775.7	113.7	3276.0	2981.8	83.5	3065.3
उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	27.6	5.7	4.0	37.3	0.0	0.0	0.0
जम्मू और कश्मीर	46.3	15.4	1.0	62.7	0.0	0.0	0.0
दिल्ली	15.3	4.0	0.3	19.6	0.0	0.0	0.0
चंडीगढ़	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
बिहार	710.6	211.0	64.0	985.6	149.3	0.8	150.1
झारखंड	–	–	–	–	–	–	–
उड़ीसा	234.0	74.5	51.6	360.1	147.0	350.6	497.6
पश्चिम बंगाल	638.7	355.6	237.4	1231.7	66.2	231.1	297.3
असम	60.1	28.4	21.6	110.1	56.3	0.0	56.3
त्रिपुरा	6.3	1.8	0.8	8.9	0.0	0.0	0.0
मणिपुर	15.0	2.5	1.2	18.7	0.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8
मेघालय	2.6	1.2	0.2	4.0	0.0	0.0	0.0
नागालैण्ड	0.5	0.4	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
अरूणाचल प्रदेश	0.4	0.1	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0
सिक्किम	0.5	0.3	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0
मिजोरम	0.6	0.6	0.3	1.5	0.0	0.0	0.0
योग	11592.5	4798.0	1678.4	18068.9	10890.0	3398..5	14288.5

टिप्पणी : पूर्णांकित किये जाने के कारण संभवतः कुछ मामलों में योग न मिले।

वर्ष 2000–2001 के दौरान उर्वरक पोषकों की राज्यवार मांग/खपत और उत्पादन

('000 मी. ट. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांग/खपत				उत्पादन 2000–2001		
	एन	पी	के	योग	एन	पी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	1361.8	603.5	209.3	2174.6	804.9	487.8	1292.7
कर्नाटक	732.0	383.5	232.9	1348.4	188.9	86.4	275.3
केरल	73.8	37.6	61.8	173.2	344.2	167.6	511.8
तमिलनाडु	547.2	207.9	207.9	963.0	813.0	432.2	1245.2
पांडिचेरी	12.4	5.7	5.5	23.6	0.0	0.0	0.0
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.2	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
गुजरात	499.0	195.6	56.0	750.6	1927.6	1084.8	3012.4
मध्य प्रदेश	517.1	368.6	50.2	935.9	765.5	89.2	854.7
छत्तीसगढ़	15.1	7.6	2.1	24.8	7.2	0.0	7.2
महाराष्ट्र	965.8	448.2	233.1	1647.1	874.8	202.3	1077.1
राजस्थान	495.2	164.2	5.4	664.8	935.0	43.9	978.9
गोवा	2.8	1.4	1.6	5.8	239.6	78.0	317.6

1	2	3	4	5	6	7	8
दमन और दीव	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
दादरा और नगर हवेली	0.5	0.3	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0
हरियाणा	714.3	206.3	9.7	930.3	226.7	5.3	232.0
पंजाब	1008.0	281.9	23.7	1313.6	385.0	3.7	388.7
उत्तर प्रदेश	2245.2	668.8	95.8	3009.8	2883.7	58.3	2942.0
उत्तरांचल	36.4	16.2	5.9	58.5	0.0	0.0	0.0
हिमाचल प्रदेश	24.4	6.5	4.6	35.5	0.0	0.0	0.0
जम्मू और कश्मीर	45.8	18.0	1.2	65.0	0.0	0.0	0.0
दिल्ली	4.7	0.4	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0
चंडीगढ़	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
बिहार	724.7	173.7	60.3	958.7	0.0	0.0	0.0
झारखंड	21.1	7.1	0.3	28.5	117.3	0.0	117.3
उड़ीसा	207.4	71.2	40.6	319.2	261.6	660.1	921.7
पश्चिम बंगाल	561.9	297.0	226.2	1085.1	109.2	343.5	452.7
असम	73.6	36.3	30.7	140.6	76.9	0.0	76.9
त्रिपुरा	6.9	1.8	0.5	9.2	0.0	0.0	0.0
मणिपुर	18.4	2.3	1.3	22.0	0.0	0.0	0.0
मेघालय	2.4	1.3	0.1	3.8	0.0	0.0	0.0
नागालैण्ड	0.2	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
अरूणाचल प्रदेश	0.4	0.1	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0
सिक्किम	0.6	0.4	0.1	1.1	0.0	0.0	0.0
मिजोरम	0.5	0.6	0.3	1.4	0.0	0.0	0.0
योग	10920.2	4214.6	1567.5	16702.3	10961.0	3743.2	14704.3

वर्ष 2001–2002 के दौरान उर्वरक पोषकों की राज्यवार मांग/खपत और उत्पादन

('000 मी. ट. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांग/खपत				उत्पादन 2001–2002		
	एन	पी	के	योग	एन	पी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	1157.6	532.5	305.6	1859.7	815.7	460.0	1275.7
कर्नाटक	643.7	328.5	204.3	1176.5	182.4	68.4	250.8
केरल	86.2	40.2	70.5	196.9	221.9	165.2	387.1
तमिलनाडु	509.1	204.9	228.5	942.5	653.0	315.6	968.6
पांडिचेरी	12.0	5.9	5.7	23.6	0.0	0.0	0.0
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.2	0.2	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0
लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
गुजरात	652.3	242.8	70.5	965.6	2094.7	1316.3	3411.0
मध्य प्रदेश	412.6	313.1	31.9	757.6	785.1	73.2	858.3
छत्तीसगढ़	171.3	73.5	19.4	264.2	5.9	0.0	5.9
महाराष्ट्र	1019.8	486.9	238.0	1744.7	836.2	213.0	1049.2
राजस्थान	584.8	199.7	6.8	791.3	940.7	43.7	984.4
गोवा	2.9	1.5	1.7	6.1	281.6	140.4	422.0
दमन एवं दीव	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
दादरा और नगर हवेली	0.7	0.4	0.1	1.2	0.0	0.0	0.0
हरियाणा	759.5	219.5	7.8	986.8	235.3	8.4	243.7
पंजाब	1081.1	308.4	29.5	1419.0	457.7	7.0	464.7
उत्तर प्रदेश	2443.9	766.0	128.3	338.2	2825.9	67.6	2893.5
उत्तरांचल	93.5	28.5	9.3	131.3	0.0	0.0	0.0
हिमाचल प्रदेश	27.6	7.3	5.5	40.4	0.0	0.0	0.0
जम्मू और कश्मीर	36.5	11.6	0.9	49.0	0.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	6.2	1.2	0.2	7.6	0.0	0.0	0.0
चंडीगढ़	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
बिहार	643.6	95.8	57.1	976.5	0.0	0.0	0.0
झारखंड	85.5	45.7	2.0	133.2	44.4	0.8	0.8
उड़ीसा	257.4	87.8	61.4	406.6	246.7	627.8	874.5
पश्चिम बंगाल	614.7	363.3	279.7	1257.7	111.7	352.8	464.5
असम	81.1	42.4	38.1	161.6	29.6	0.0	29.6
त्रिपुरा	9.1	2.1	1.9	13.1	0.0	0.0	0.0
मणिपुर	18.7	2.6	1.4	22.7	0.0	0.0	0.0
मेघालय	2.8	1.6	0.2	4.6	0.0	0.0	0.0
नागालैण्ड	0.3	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
अरूणाचल प्रदेश	0.4	0.2	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0
सिक्किम	0.6	0.3	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0
मिजोरम	0.8	0.8	0.5	2.1	0.0	0.0	0.0
योग	11416.5	4415.6	1707.1	17539.2	10768.3	3860.2	14628.5

टिप्पणी : पूर्णांकित किये जाने के कारण संभवतः कुछ मामलों में योग न मिले।

रिक्त पद

6096. श्री अमर राय प्रधान : क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/विभाग और अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पड़े पदों की संख्या और नाम क्या है और ये पद श्रेणी–वार किस तिथि से रिक्त पड़े है; और

(ख) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) 1 मई, 2002 की स्थिति के अनुसार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

पद	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त पड़े हैं	टिप्पणी
1	2	3	4
विभाग			
निदेशक/उप सचिव	2	फरवरी, 2002	एक पद के लिए चयन कर लिया गया है और उम्मीदवार के जल्दी कार्यभार सम्भाल लेने की उम्मीद है, दूसरे अधिकारी की भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है।

1	2	3	4
अवर सचिव	1	–तदैव–	अधिकारी का चयन कर लिया गया है और जल्दी ही कार्यभार सम्भाल लिए जाने की उम्मीद है।
सचिव के प्रधान निजी सचिव	1	–तदैव–	अधिकारी का चयन कर लिया गया है और जल्दी ही कार्यभार सम्भाल लिए जाने की उम्मीद है।
हिन्दी अनुवादक	1	अक्तूबर, 2001	गृह मंत्रालय से कर्मचारी देने के लिए कहा गया है और कर्मचारी उपलब्ध होने पर रिक्ति भर ली जाएगी।
सहायक	1	–तदैव–	–तदैव–
निजी सहायक	5	फरवरी, 2002	–तदैव–
स्टाफ कार ड्राईवर	2	–तदैव–	–तदैव–
चपरासी	5	–तदैव–	–तदैव–
पूर्वोत्तर परिषद			
सलाहकार (तकनीकी शिक्षा)	1	1.11.1997	यह पद सलाहकार (स्वास्थ्य) के नए पद के सृजन के बदले में त्याग देने का प्रस्ताव है, क्योंकि तकनीकी शिक्षा के तहत कोई योजना नहीं है।
सलाहकार (पावर)	1	20.11.1996	सलाहकार (पावर) के पद को केन्द्रीय पावर इंजिनियरिंग सेवा संवर्ग में शामिल करने का मामला विद्युत मंत्रालय के साथ उठाया गया है। विद्युत मंत्रालय ने उपयुक्त स्तर के अपने अधिकारियों को पूर्वोत्तर परिषद के पदेन सलाहकार (पावर) के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया है अतः पद को भरा नहीं गया है।
सलाहकार (बागवानी)	1	29.4.1996	पद के लिए तीन बार विज्ञापन दिया गया है और चयन को संघ लोक सेवा आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा है।
सलाहकार (मत्स्य पालन)	1	1.12.2000	सलाहकार (बैंक और उद्योग) के नए पद के सृजन के लिए समान बचत

1	2	3	4
			दिखाने के लिए इस पद को समाप्त करने के लिए कर्मचारी निरीक्षण एकक की सिफारिश के कारण भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई।
पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष के निजी सचिव	1	1.5.1996	कर्मचारी निरीक्षण एकक ने पद को समाप्त करने की सिफारिश की है अतः कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई।
कार्यकारी इंजीनियरिंग सिविल और इंजीनियरिंग आफिस। ई.ओ. (सिविल)	3	1.4.1998 16.4.1998	कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा सांख्य में कमी किए जाने के कारण भर्ती नहीं की जा सकी।
सांख्यिकीविद	1	24.2.2001	पूर्वोत्तर परिषद के कर्मचारी संख्या शक्ति की पुनरीक्षा की जा रही थी। इसलिए पहले भर्ती कार्रवाई नहीं की जा सकी। कर्मचारी निरीक्षण एकक ने इस पद को बनाए रखने की सिफारिश की है और भर्ती प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ कर दी गई है।
अनुसंधान अधिकारी (योजना)	1	15.10.1998	कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा कर्मचारियों की संख्या में कमी किए जाने के कारण भर्ती नहीं की जा सकी।
सहायक इंजीनियर सिविल और सहायक अनुंसधान अधिकारी (ए आर ओ)	3	9.5.1998 और 1.8.1999	–तदैव–
लेखाकार	1	1.2.2001	कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा कर्मचारियों की संख्या में कमी किए जाने के कारण पद भरा नहीं गया।
उच्च श्रेणी लिपिक	2	9.2.1999 और 6.11.2000	कर्मचारी निरीक्षण एकक की सिफारिश पर निर्णय न लेने के कारण पद को रिक्त रखा गया।
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1	1989 (सृजन वर्ष)	–तदैव–
स्टाफ कार ड्राईवर	5	1.4.2000 और 1.1.2001 (सामान्य) 1.7.1999 19.5.2000 (ग्रेड–।) 14.7.2000 (ग्रेड–।।)	–तदैव–
रोनियो आपरेटर	1	1.7.1999	–तदैव–
चपरासी	1	29.5.1998	–तदैव–

[हिन्दी]

अयोध्या प्रकोष्ठ

6097. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्थापित किए गए अयोध्या प्रकोष्ठ की कोई उपयोगिता है;

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रकोष्ठ अयोध्या विवाद का शीघ्र समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसा किस तरह से किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या प्रकोष्ठ ने उक्त विवाद से जुड़े सभी दलों के आवश्यक साक्ष्य लिये हैं और क्या सरकार ने इन साक्ष्यों की अपने स्तर पर जांच की है

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या साक्ष्यों को जनहित में किताब के रूप में लाने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) यह प्रकोष्ठ अयोध्या विवाद से संबंधित मामलों पर केन्द्र सरकार को जानकारी प्रदान करता रहा है।

(ङ) और (च) इस प्रकोष्ठ ने इस विषय पर उपलब्ध दस्तावेजों को मिलान किया है।

(छ) और (ज) इस अवस्था में उपलब्ध सामग्री को पुस्तक रूप में प्रकाशित करने से कोई उद्देश्य हल होने की संभावना नहीं है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में अपराध

6098. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में हाल ही में विभिन्न अपराधों, विशेषकर हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में वृद्धि हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002 के दौरान पंजीकृत ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक गिरफ्तार न किए गए अपराधियों के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन मामलों में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने और पंजीकृत मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में मेरठ रेंज के सात जिलों में से मेरठ और गौतमबुद्ध नगर जिलों में वर्ष 2000 के दौरान सूचित किए गए हत्या के मामलों में वर्ष 1999 के आंकड़ों की तुलना में क्रमशः 11.6 और 7.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। शेष पांच जिलों में कमी आई है। वर्ष 1999 की तुलना में वर्ष 2000 के दौरान गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर जिलों में हत्या के प्रयास के मामलों की संख्या क्रमशः 8.5%, 11.2% और 15.2% तक बढ़ी है। शेष चार जिलों में कमी आई है। मेरठ रेंज के 7 जिलों नामतः बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर को मिला कर बने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में अपराध की सूचित की गई घटनाओं का तुलनात्मक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2001 के जिले–वार आंकड़े अभी उत्तर प्रदेश से प्राप्त होने हैं। 2002 के आंकड़ों का संग्रहण वर्ष के समाप्त होने पर ही शुरू किया जाएगा।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वर्ष 1999 के दौरान उत्तर प्रदेश के मेरठ रेंज में भारतीय दंड संहिता अपराधों की घटनाएं

राज्य, संघ शासित क्षेत्र	हत्या	हत्या का प्रयास करना	हत्या की कोटि में न आने वाला अपराधिक मानव वध	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण			डकैती	डकैती के लिए तैयारी और इकट्ठा होना	लूटपाट	सेंधमारी
					कुल	महिलाओं का	अन्य का				
बागपत	148	137	7	19	40	21	19	9	1	49	51
बुलन्दशहर	279	268	16	48	87	57	30	15	1	117	162
गौतमबुद्ध नगर	67	106	10	19	30	26	4	3	1	36	80
गाजियाबाद	258	344	23	31	118	85	33	12	4	121	293
मेरठ	276	319	12	31	133	89	44	34	8	230	312
मुजफ्फरनगर	329	204	22	34	137	55	82	11	4	118	125
सहारनपुर	148	152	9	24	74	35	39	14	0	60	126
कुल	1505	1530	99	206	619	368	251	98	19	731	1149

वर्ष 1999 के दौरान उत्तर प्रदेश के मेरठ रेंज में भारतीय दंड संहिता अपराधों की घटनाएं (समाप्त)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चोरी	दंगे	अपराधिक न्यास भंग	धोखाधड़ी	जालसाजी	आगजनी	चोट पहुंचाना/ गंभीर चोट पहुंचाना	दहेज संबंधी हत्याएं	छेड़-छाड़	यौन उत्पीड़न	यातना	लड़कियों का आयात	अन्य भारतीय दंड संहिता अपराध	भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुल संज्ञेय अपराध
बागपत	161	72	20	12	0	7	9	20	17	20	49	0	474	1322
बुलन्दशहर	539	121	56	52	1	24	46	47	43	49	106	0	1127	3204
गौतमबुद्ध नगर	669	59	28	101	2	6	28	14	28	29	19	0	649	1984
गाजियाबाद	1394	102	127	173	5	101	88	40	39	96	109	0	1550	5028
मेरठ	1162	205	122	160	4	24	56	36	45	231	228	0	1583	5211
मुजफ्फरनगर	634	134	68	50	6	5	11	30	47	48	166	0	1358	3541
सहारनपुर	413	105	62	95	3	4	88	21	28	52	134	0	1005	2617
कुल	4972	798	483	643	21	171	326	208	247	525	811	0	7746	22907

वर्ष 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश के मेरठ रेंज में भारतीय दंड संहिता अपराधों की घटनाएं

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	हत्या का प्रयास करना	हत्या की कोटि में न आने वाला अपराधिक मानव वध	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण			डकैती	डकैती के लिए तैयारी और इकट्ठा होना	लूटपाट	सेंधमारी
					कुल	महिलाओं का	अन्य का				
बागपत	146	128	7	20	39	21	18	14	0	54	40
बुलन्दशहर	222	234	20	46	97	66	31	28	1	131	159
गौतमबुद्ध नगर	72	115	10	21	33	27	6	9	3	37	69
गाजियाबाद	247	386	17	30	129	73	56	20	1	150	259
मेरठ	308	296	10	47	115	81	34	41	1	220	273
मुजफ्फर नगर	302	235	11	34	133	57	76	24	0	134	143
सहारनपुर	121	113	10	30	65	36	29	12	1	78	140
कुल	1418	1507	85	228	611	361	250	148	7	804	1083

वर्ष 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश के मेरठ रेंज में भारतीय दंड संहिता अपराधों की घटनाएं (समाप्त)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चोरी	दंगे	अपराधिक न्यास भंग	धोखाधड़ी	जालसाजी	आगजनी	चोट पहुंचाना गंभीर चोट पहुंचाना	दहेज संबंधी हत्याएं	छेड़–छाड़	यौन उत्पीड़न	यातना	लड़कियों का आयात	अन्य भारतीय दंड संहिता अपराध	भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुल संज्ञेय अपराध
बागपत	188	82	17	42	3	2	3	15	36	24	52	0	573	1485
बुलन्दशहर	508	182	83	76	1	15	50	49	60	107	195	0	1273	3537
गौतमबुद्ध नगर	629	84	51	91	0	4	26	15	36	49	37	0	761	2152
गाजियाबाद	1337	131	93	165	4	14	89	43	45	147	131	0	1699	5137
मेरठ	1142	196	112	170	5	8	72	25	56	141	272	0	1686	5196
मुजफ्फरनगर	563	163	62	76	6	18	11	35	33	80	180	0	1320	3563
सहारनपुर	418	77	49	73	1	5	57	34	27	79	94	0	957	2441
कुल	4785	915	467	693	20	66	308	216	293	627	961	0	8269	23511

असम में महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा आन्दोलन

6099. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल असम महाविद्यालय शिक्षक मंच ने हाल ही में अपनी लंबित मांगों के लिए दबाव बनाने हेतु आमरण अनशन जैसे विरोध सहित घोर आन्दोलन आरंभ किया था;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय सहायता सहित उनकी संक्षिप्त मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मुद्दों के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में निवेश

6100. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश प्रक्रिया में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में विनिवेश की अनुमति दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) विनिवेश के लिए चिन्हित किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में भागीदारी अर्जित करने के लिए बोलीदाताओं की अहर्ता के लिए तय किए गए मानदण्डों के आधार पर, निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कोई भी कम्पनी, प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया में भाग ले सकती है। तथापि, मामले की विलक्षण विशेषताओं पर निर्भर करते हुए तथा सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए, सरकार जनहित में तथा "गैर–सामरिक" सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निजीकरण के हित में, विशेष मामलों में सदैव तर्कसंगत प्रतिबन्ध लगा सकती है।

संकट हरण बीमा योजना

6101. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में संकट हरण बीमा योजना शुरु की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां योजना शुरु की गई है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में यह योजना नहीं शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आन्ध्र प्रदेश में इस योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको), कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको) एवं इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) ने 1 अक्तूबर, 2001 से "संकट हरण बीमा योजना" नामक एक बीमा योजना प्रारंभ की है। इस योजना का प्रचालन इफको – टोकियों जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (आईटीजी आई) द्वारा किया जा रहा है। यह योजना सम्पूर्ण देश में शुरु की गई है और सहकारी समितियों के माध्यम से इफको/कृभको/आई पी एल की उर्वरक बिक्री पर लागू है। वर्तमान में यह योजना निम्नांकित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू है;

1. उत्तर प्रदेश
2. उत्तरांचल
3. बिहार
4. पश्चिम बंगाल
5. पंजाब
6. हरियाणा
7. जम्मू और कश्मीर
8. हिमाचल प्रदेश
9. राजस्थान
10. गुजरात
11. मध्य प्रदेश

12. छत्तीसगढ़

13. महाराष्ट्र

14. आन्ध्र प्रदेश

15. कर्नाटक

16. तमिलनाडु

17. झारखण्ड

18. उडीसा

19. केरल

20. मेघालय

21. त्रिपुरा

22. मिजोरम

23. गोवा

24. असम

25. दिल्ली

26. चण्डीगढ़

27. पांडिचेरी

(ग) यह योजना आन्ध्र प्रदेश में भी शुरू की गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब विश्वविद्यालय के विनियमों में संशोधन

6102. श्री पवन कुमार बंसल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) की दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना में विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि और उनके वेतनमान में पुनरीक्षा का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मार्च, 1999 में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा अपने विनियमों में किये गये अनुवर्ती संशोधन सरकार के पास लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसे अब तक अधिसूचित न किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 22.7.98 और 6.11.98 द्वारा जारी विश्वविद्यालय एवं कालेज अध्यापकों के वेतनमानों की संशोधन योजना में अन्य बातों के साथ–साथ प्रावधान है कि विश्वविद्यालय एवं कालेज अध्यापकों को सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होगी।

(ग) और (घ) चूंकि पंजाब विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव पर पंजाब सरकार सहमत नहीं है अतः इस मंत्रालय ने प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी थी तथा गृह मंत्रालय को तद्नुसार सूचित कर दिया गया था।

आध्यात्मिक नेताओं की सुरक्षा

6103. श्री सी. के. जाफर शरीफ : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न समुदायों के आध्यात्मिक नेताओं या विभिन्न समुदायों के राजनीतिक नेताओं को सुरक्षा प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वी. एच. पी. और ऐसे अन्य संगठनों के प्रमुख नेताओं और किसी अन्य धार्मिक नेताओं को सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों को वैकल्पिक प्रबंध कर लेने की सूचना दी है जिन्हें सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती;

(च) क्या ऐसे व्यक्तियों जिन्हें सरकार सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, वे अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर सकते हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाई जा रही प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। विश्व हिन्दू परिषद (वी एच पी) जैसे संगठनों सहित विभिन्न समुदायों/धर्मों के ऐसे आध्यात्मिक एवं राजनैतिक नेताओं, जिन्हें उग्रवादी या अतिवादी

संगठनों से खतरा होता है, के संबंध में खतरे की आशंका के आधार पर सुरक्षा प्रदान की जाती है।

(ङ) से (छ) गृह मंत्रालय द्वारा खतरे की आशंका वाले सभी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। बशर्ते कि ऐसा खतरा प्रमुख रूप से उग्रवादियों/आतंकवादियों से हो। ऐसे मामलों पर भी पर्याप्त रूप से विचार किया जाता है जहाँ ऐसा खतरा संगठित अपराधियों, माफिया या गिरोहों से उत्पन्न होता है और संरक्षित व्यक्ति स्वयं उनमें शामिल न हो। यदि खतरा उपर्युक्त स्त्रोतों के अलावा अन्य से उत्पन्न होता है तो इस मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुरोध स्थानीय पुलिस को अग्रेषित कर दिए जाते हैं। जो स्थानीय खतरे की आशंका के अनुसार सुरक्षा प्रबंध करते हैं।

ग्रामीण विकास में निजी/सरकारी भागीदारी को प्रोत्साहन देने हेतु कृतक बल

6104. श्री सुबोध मोहिते : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास में निजी/सरकारी भागीदारी को प्रोत्साहन देने हेतु कृतक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा ग्रामीण विकास परियोजनाएं शुरू करने हेतु प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए सी.आई.आई. और एफ.आई.सी.सी.आई. सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) कार्पोरेट क्षेत्र की सक्रिय सांझेदारी के साथ कारगर सरकारी–निजी भागीदारी स्थापित करने हेतु, मंत्रालय ने एक कृतक बल का गठन किया है। सी. आई. आई. और एफ. आई. सी. सी. आई. के सुझाव साझेदारी को संवर्धित करने से सम्बद्ध है जिसमें ग्रामीण विकास से संबंधित राष्ट्रीय कोष की अभिकल्पना शामिल है। कृतक बल उचित निर्णयों के लिए इन मुद्दों पर चर्चा करेगी।

[हिन्दी]

जूडो/कराटे खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में आरक्षण

6105. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन–कौन से खेल हैं जिनके खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया है;

(ख) क्या जूडो और कराटे खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया है,;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) उन खेलों की एक सूची जिनके लिए खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा आदेशों के अनुसार, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/प्रतिष्ठानों में नियमों में छूट देते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा 5% रिक्त स्थानों को भरा जाता है। जिनमें जूडो और कराटे के खिलाडी भी शामिल हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन खेल–कूदों की सूची जो केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' और समूह 'घ' में नियुक्ति के विचारार्थ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को योग्य बनाते हैं।

1. तीरंदाजी
2. एथलेटिक्स (ट्रैक और प्रतियोगिताओं सहित)
3. आत्या–पात्या
4. बैडमिंटन
5. बाल–बैडमिटन
6. बास्केटबाल
7. बिलियर्ड्स तथा स्नूकर
8. मुक्केबाजी
9. ब्रिज
10. कैरम
11. शतरंज

12. क्रिकेट
13. साइक्लिंग
14. घुड़सवारी खेल
15. फुटबाल
16. गोल्फ
17. जिम्नास्टिक्स (शरीर सौष्ठव सहित)
18. हैंडबाल
19. हाकी
20. जूडो
21. कबड्डी
22. कराटे–डो
23. कायकिंग तथा केनोइंग
24. खो–खो
25. पोलो
26. पावरलिफ्टिंग
27. राइफल शूटिंग
28. रोलर स्केटिंग
29. रोइंग
30. साफ्टबाल
31. स्क्वैश
32. तैराकी
33. टेबल टेनिस
34. ताइक्वांडो
35. टेनी–कोइट
36. टेनिस
37. वालीबाल
38. भारोत्तोलन
39. कुश्ती
40. याटिंग

महिला अधिकार

6106. श्री टी. गोविन्दन :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिला अधिकार पर देश में चयनित 100 जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए राज्य–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है और कितनी धनराशि व्यय की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय जन–सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन) से कहा है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों और हिंसा के संबंध में जागरूकता पैदा करने तथा कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर शिविर आयोजित किये जाएं। इस प्रयोजनार्थ, 100 अपराध–प्रवण जिले चुने गए हैं, जहां इस प्रकार के शिविर आयोजित किये जायेंगे। मार्च, 2002 से आगामी 4–5 महीनों में इन सभी अभिनिर्धारित जिलों में शिविरों के आयोजन के लिए राष्ट्रीय जन–सहयोग एवं बाल विकास संस्थान को 100 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। प्रत्येक राज्य में ऐसे जिलों की संख्या दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य–वार ऐसे जिलों की संख्या, जहां जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाना है

क्र.सं.	राज्य का नाम	कवर किये गये जिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	असम	1
3.	दिल्ली	2
4.	गुजरात	4

1	2	3
5.	हरियाणा	1
6.	कर्नाटक	1
7.	केरल	7
8.	मध्य प्रदेश	15
9.	महाराष्ट्र	17
10.	राजस्थान	16
11.	उड़ीसा	1
12.	तमिलनाडु	13
13.	उत्तर प्रदेश	11
14.	पं. बंगाल	8
	कुल	100

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्तर्गत आने वाले नगरों में मूलभूत सुविधाएं

6107. श्री ए. नरेन्द्र : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आवास के लिए दिल्ली के निवासियों का रूझान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वैशाली, इंदिरापुरम और वसुन्धरा कालोनियों की तरफ हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजधानी में आवास का भार कम करने के लिए इस क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं (विशेषकर बस सुविधाएं) प्रदान करके इस रूझाान को और बढ़ावा देने का है;

(ग) यदि हां, तो निकट भविष्य में इस क्षेत्र को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र को ये सुविधाएं कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?;

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सहभागी राज्यों को उनकी विकास परियोजनाओं के लिए सब्याज ऋण मुहैया कराता है। वैशाली, इन्द्रापुरम तथा वसुन्धरा क्षेत्र जो गाजियाबाद डीएमए कस्बे का हिस्सा है में बेहतर अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बोर्ड ने 448.64 करोड़ रु. की अनुमानित लागत तथा 310.04 करोड़ रु. के ऋण घटक वाली चार परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है। परियोजनाएं तथा उनके पूरे होने की सम्भावित तिथि इस प्रकार है:–

1. टी एच ए की जल आपूर्ति में वृद्धि – अपर गंगा केनाल से 50 क्यूसेक जल मार्च, 2005
2. वसुंधरा नगर रिहायशी अवस्थापना स्कीम, गाजियाबाद– मार्च, 2003
3. मेरठ डिविजन के प्रसारण व वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण – मार्च 2006
4. साहिबाबाद (कोशांबी), गाजियाबाद में आधुनिक बस स्टेशन का निर्माण–मार्च 2004 बोर्ड ने 31 मार्च, 2002 तक 111.90 करोड़ रु. का ऋण जारी किया है।

आंतकवाद से निपटने में अमरीकी सहयोग

6108. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीआईए के डिप्टी चीफ ने अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत में आतंकवादी गतिविधियों से निबटने के लिए सहयोग की पेशकश की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) सी. आई. ए. के डिप्टी चीफ की यात्रा, अन्य बातों के साथ–साथ आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संस्थागत ढांचे का सुदृढ़ करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच चल रहे सहयोग का एक हिस्सा थी।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में शहरों का विकास

6109. श्री बीर सिंह महतो : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के शहरों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए भेजी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त योजनाओं में से प्रत्येक योजना के अंतर्गत विकास हेतु प्रस्तावित शहरों के नाम क्या हैं और इन पर आने वाली अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) लंबित योजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है और इस संबंध में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान (1999–2002) पश्चिम बंगाल सरकार को निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता दी गई है:–

1. छोटे और मझौले कस्बों के समेकित विकास की योजना (आईडीएसएमटी)
2. कम लागत सफाई (एल सीएस)
3. राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एनएसडीपी)
4. त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)
5. वाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे)
6. मैगा शहर योजना (एमसीएस) इसके अलावा, हडको ने भी धनराशि शहरी अवस्थापना के लिए (यूआई) जारी की है।

विभिन्न परियोजनायें जिनके लिए धनराशि जारी की गई है। जारी किए जाने का प्रस्ताव है, का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजे गए लम्बित प्रस्ताव मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपने शहरों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए भेजी गई योजनाओं / 1999–2002 के दौरान शहरों के विकास के लिए प्रस्तावों के विवरण

(रुपयें लाखों में)

क्र.सं.	शामिल कस्बों की सं./ परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	कुल जारी धनराशि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
छोटे व मझौले कस्बों का समेकित विकास (आईडीएसएमटी)				
1.	35 कस्बें शामिल (अनुलग्नक में कस्बे वार ब्यौरा)	–	124684	कोई प्रस्ताव लंबित नहीं
कम लागत सफाई (एलसीएस)				
2.	9 कस्बे शामिल	1142.23	रियायत–125.16 ऋण–135.00	
3.	कलना (अधिसंरचना)	26.78	शून्य	विचाराधीन प्रस्ताव
4.	9 कस्बे चरण–6 (अधिसंरचना)	211.22	शून्य	वही
5.	कलना चरण–7	157.34	शून्य	वही
राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एनएसडीपी)				
6.	122 कस्बे शामिल	चालू परियोजना	11629.00	–

1	2	3	4	5
	त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)			
7.	डेवरा, मदनपुर बेगमपुर यूए, बलरामपुर उत्तर लताबारी	1122.85	528.94	–
8.	खतरा	656.93	–	विचाराधीन प्रस्ताव
9.	उत्तर कामाख्यागुडी	142.03	–	–वही–
	वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे)			
10.	शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आश्रयों का निर्माण/ स्तरोन्नयन		734.00	
	मेगा शहर योजना (एमसीएस)			
11.	कोलकाता (106 परियोजनाएं)		6157.00	चालू परियोजनाएं
	शहरी अवस्थापना (यू आई) (हडको द्वारा जारी धनराशि)			
12.	शकरपुर में हायर और कैनाल फ्रन्ट विकास		450.00	–
13.	बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए ऋण		50193.92	–
14.	9 बाढ़ प्रभावित जिलों में सड़क और पुल/पुलियों की मरम्मत और पुनः निर्माण के लिए ऋण		11944.00	–
15.	पश्चिम बंगाल की 52 बाढ़ प्रभावित नगर पालिका क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत पुनः निर्माण के लिए ऋण		910.00	–
16.	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जूरीडिसियल साइंसेस, कलकत्ता के लिए शैक्षिक– एवं–आवासीय ब्लाक		870.00	–
17.	15 जिलों में 26 सड़कों के सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए ऋण		13692.00	
18.	ड्रेनेज स्कीम के लिए पश्चिम बंगाल को ऋण		30000.00	–

1	2	3	4	5
19.	आवासीय सिनियर सैकेंड्री स्कूल परिसर, लंगोलपोता राजारघाट के पास, 24 परगना उत्तर	166.75	–	प्रस्ताव विचाराधीन
20.	इनफाइनिटी–आईटी परिसर, चरण–।।, विधान नगर	3320.00	शून्य	प्रस्ताव विचाराधीन
21.	वेहिकूलर फेरी जेटी और अतिरिक्त सुविधाएं रायचक/कुकराहाटी	3593.00	शून्य	–वही–
22.	हल्दिया में कुदीराम स्क्वेयर से रिवर रिंग रोड तक बाईपास का निर्माण	655.00	शून्य	–वही–
23.	दुर्गापुर शहर में स्तूरिया अंगोदपुर औद्योगिक परिसर पर सड़क का निर्माण	100.00	शून्य	–वही–
24.	कलकत्ता में 50 बिस्तर वाला नर्सिंग होम	148.00	शून्य	–वही–

अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान, आई डी एस एम टी योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव और पश्चिम बंगाल राज्य को जारी केन्द्रीय सहायता

(लाख रु. में)

क्र. सं.	शहर	1999–2000	2000–01	2001–02	योग
1	2	3	4	5	6
1.	झालदा	3.00	–	–	3.00
2.	माल	6.90	–	–	6.90
3.	डाइमण्ड हारबर	6.00	–	–	6.00
4.	सोनामुखी	5.53	–	–	5.53
5.	बीरनगर	10.95	–	–	10.95
6.	कालियागंज	6.00	–	–	6.00
7.	गोबरडांगा	26.18	–	–	26.18
8.	चदराकोना	–	7.60	–	7.60
9.	कांडी	14.06	–	–	14.06
10.	गुस्कारा	7.34	–	–	7.34
11.	बर्दवान	73.00	52.12	–	125.12

1	2	3	4	5	6
12.	आसनसोल	–	196.40	–	196.40
13.	तूफानगंज	16.00	16.00	–	32.00
14.	गंगाराम पुर	–	55.76	–	55.76
15.	मेखलीगंज	–	1.00	–	1.00
16.	सेन्थिया	–	–	42.00	42.00
17.	दिनहाटा	16.50	–	16.50	33.00
18.	बदूरिया	–	–	14.00	14.00
19.	हल्दीवारी	16.00	16.00	–	32.00
20.	धूलियन	–	35.00	35.00	70.00
21.	देनहाट	15.00	–	–	15.00
22.	टाकी	22.00	1.00	67.00	90.00
23.	एग्रा	20.74	4.76	–	25.50
24.	दुर्गापुर	32.00	36.00	–	68.00
25.	बानगोम	–	50.00	–	50.00
26.	रामजीवनपुर	–	16.00	–	16.00
27.	खरार	–	13.50	–	13.50
28.	खीरपई	–	14.00	–	14.00
29.	घुवराजपुर	–	–	58.50	58.50
30.	तहेरपुर	–	–	13.50	13.50
31.	बेलडंगा	–	–	15.00	15.00
32.	जमूरिया	–	–	79.00	79.00
33.	जियागंज–अजीमगंज	–	–	32.00	32.00
34.	कूपर्सकैप	–	–	22.00	22.00
35.	नलहाटी	–	–	40.00	40.00

छत्तीसगढ़ में पुलिस बल का आधुनिकीकरण

6110. श्री विष्णुदेव साय : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1999 से फरवरी, 2002 के अन्त तक केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता मांगने वाले कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) मंजूर किए गए प्रत्येक प्रस्ताव के अन्तर्गत कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) अस्वीकृत और विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को दी जाने वाले सहायता के लिए केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध धनराशियों में से विभिन्न राज्यों को जनसंख्या, अपराध, पुलिस को संख्या शक्ति इत्यादि के आधार पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार आबंटन किया जाता है। इस मानदण्ड के आधार पर छत्तीसगढ़ का हिस्सा 19.00 करोड़ रु. बनता है। छत्तीसगढ़ राज्य ने राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2000–2001 के लिए 63.35 करोड़ रु. (राज्य और केन्द्रीय हिस्सा, दोनों, सहित) की योजना प्रस्तुत की है। योजना के लिए 41.15 करोड़ रु. का अनुमोदन किया गया और राज्य को 20.575 करोड़ रु. का केन्द्रीय हिस्सा रिलीज कर दिया गया। राज्य ने वर्ष 2001–2002 के लिए 63.445 करोड़ रु., जिसमें राज्य और केन्द्र दोनों का हिस्सा है, की योजना प्रस्तुत की है। योजना के लिए 50.43 करोड़ रु. अनुमोदित किए गए और केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में 21.57 करोड़ रु. रिलीज किए गए। यह देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ को वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 वर्ष के लिये उसके हिस्से की तुलना में कुछ अधिक राशि आबंटित की गयी हैं।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता

6111. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **शहरी विकास और गरीब उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने चक्रवात के कारण राज्य के नेल्लौर, कुड्डुपट, कुरूल, चित्तूर और अनन्तपुर जिलों में व्यापक पैमाने पर हुए विध्वंस के बाद केन्द्र सरकार से शहरी आवास योजना के अधीन 10,000 परिवारों को आवास प्रदान करने हेतु सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(घ) अब तक आवास प्रदान करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) आवास राज्य का विषय है। अतः तूफान से प्रभावित परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था करना मुख्य रूप से राज्य सरकार को दायित्व है। तथापि इस मंत्रालय के अंतर्गत आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हडको) अन्य के साथ–साथ तूफान से प्रभावित परिवारों के लिए मकानों के निर्माण हेतु ऋण मुहैया कराता है। हडको ने बताया है कि उन्हें आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से 10,000 तूफान प्रभावित परिवारों के लिए मकानों के निर्माण हेतु शहरी आवास योजना के तहत अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हडको ने राज्य में तूफान प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आरंभ से लेकर 31.3.2002 तक 142 योजनाएं मंजूर की हैं। परियोजनाओं की लागत 296.50 करोड़ रु. हैं जिसके लिए हडको की ऋण बचनबद्धता 184.39 करोड़ रु. है। इन योजनाओं से आंध्र प्रदेश राज्य में तूफान से प्रभावित परिवारों के लिए 219916 रिहायशी इकाइयां मुहैया कराने में मदद मिलेगी।

उर्दू भाषा को प्रोत्साहन

6112. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा पुरस्कृत की गई उर्दू पुस्तकों/लेखकों/प्रकाशकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार की पुस्तकों/लेखकों/प्रकाशकों के चयन हेतु सरकार ने क्या मानदण्ड अपनाए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उर्दू को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) सरकार द्वारा स्थापित साहित्य अकादमी राष्ट्रीय पत्र अकादमी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्दू भाषा के क्षेत्र में निम्नलिखित पुरस्कार दिए:

वर्ष	पुरस्कार प्राप्त कर्त्ताओं के नाम	पुस्तक का शीर्षक
1999	बशीर बद्र	आस (कविता)
2000	अम्बर बाहरेची	सूखी टहनी पर हरियाली (कविता)
2001	नैय्यर मसूद	तू उस चमन की मैना (लघु कहानियाँ)

पुरस्कार पाने हेतु पात्रता के लिए, वह पुस्तक जिस भाषा और साहित्य की है उसमें उसका महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। यह पुस्तक अनुवाद कार्य न होकर एक सृजनात्मक या आलोचनात्मक कार्य, एक संग्रह, पुस्तक के रूप में पहले प्रकाशित हो चुका एक नया संग्रह, किसी विश्वविद्यालय डिग्री हेतु तैयार किया गया कोई शोध कार्य हो सकता है। यह किसी ऐसे लेखक की कृति हो सकती है जिन्हें पहले पुरस्कृत किया जा चुका हो या जो अकादमी के कार्यकारी बोर्ड के एक सदस्य हों। ऐसी उपयुक्त पुस्तकों की सूची तैयार की जाती है और इस चयन प्रक्रिया में विशेषज्ञों, अकादमी के भाषा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के निर्णायकों और अंततः इस उद्देश्य हेतु गठित तीन सदस्यीय निर्णायक मंडल द्वारा इन कृतियों के संबंध में लिए गए निर्णय शामिल हैं।

केन्द्र सरकार ने उर्दू के विकास के लिए विशेष रूप से एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद् की स्थापना की है। परिषद, अन्य कार्यों, के अतिरिक्त उर्दू भाषा और साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। परिषद् ने 5 खण्डों में एक उर्दू विश्वकोश और 6 खण्डों में अंग्रेजी–उर्दू शब्दकोश प्रकाशित किया है। इसके अतिरिक्त यह आवधिक पत्रिकाएं प्रकाशित करती हैं। परिषद उर्दू को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए उर्दू में कम्प्यूटर अनुप्रयोग पाठ्यक्रम भी कार्यान्वित करती हैं। राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद का वर्तमान वर्ष का बजट 8.77 करोड़ रुपए है।

केन्द्र सरकार ने उर्दू माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की हैदराबाद में स्थापना की है। वर्ष 2001–2002 में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय का बजट 20.52 करोड़ रुपये है।

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में उर्दू में अध्यापक प्रशिक्षण और शोध के लिए लखनऊ और सोलन में दो विशिष्ट केन्द्र नामतः उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए हैं।

पश्चिम बंगाल में जनजातियों के कल्याण हेतु निधियों का आबंटन

6113. श्री प्रियरजन दासमुंशी : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं, आठवीं और नौवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में जनजातियों के कल्याण हेतु योजना आबंटन सहित विशेष स्कीमों और प्रस्तावों का योजना–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना निधियों का, योजना–वार, कुल कितना उपयोग किया गया;

(ग) क्या संबंधित स्कीमों के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी सहायता से शुष्क अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के लिए ग्रामीण जलापूर्ति/स्वच्छता परियोजना

6114. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों में जल स्वच्छता प्रदान करने हेतु विदेशी बाह्य/विश्व बैंक की सहायता से शुष्क और अर्ध–शुष्क क्षेत्रों हेतु सतत् ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना के लिए महाराष्ट्र सहित कितने राज्यों ने केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ग) 336.265 करोड़ रु. की लागत से 1088 गांवों को जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने हेतु जर्मन सहायता के लिए कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसका नाम है "स्थायी ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना–कर्नाटक के शुष्क और अर्ध – शुष्क क्षेत्र"। राज्य सरकार को क्षेत्र सुधार अवधारणा के अनुरूप इस परियोजना को संशोधित करने की सलाह दी गई है।

इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक सहायता हेतु, महाराष्ट्र सरकार से 1656.2 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत वाली दूसरी महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना का एक प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है। परियोजना तैयार की जा रही है। राज्य के 16 जिलों की 848 कवर नहीं की गई और 12913 आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों को शामिल करने का इस परियोजना में प्रस्ताव है, जिसमें अकाल पीड़ित क्षेत्र शामिल हैं–जैसे कि बीड़, लातूर, बुलढाना, सतारा, उस्मानाबाद, सोलापुर एवं नासिक।

जमीन संबंधी सर्वे रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण करने हेतु निधियां

6115. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री अम्बरीश :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने तालुका स्तर पर सर्वेक्षण रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य ने विभिन्न जिलों विशेषकर माण्डया और हसन के मद्दुर और कन्नार्यापटन में सर्वेक्षण रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ङ) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 1999–2000 के दौरान 72.20 लाख रुपये की कुल लागत पर कर्नाटक राज्य के बेलगांव और मांडया जिलों के बैलहोंगल तथा मालावल्ली तालुकों में भू–कर सर्वेक्षण मानचित्रों के अंकीकरण के संबंध में एक प्रायोगिक परियोजना स्वीकृत की थी। राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के पूरा होने संबंधी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2000–2001 के दौरान 138.49 लाख रुपये की कुल लागत पर मांडया और हसन जिलों के मद्दुर तथा चन्नार्यापटन तालुकों के भू–कर सर्वेक्षण मानचित्रों के अंकीकरण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना स्वीकृत करने के संबंध में अन्य प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था। पहले स्वीकृत की गई प्रायोगिक परियोजना के विस्तृत निष्कर्षों/परिणामों के प्राप्त न होने के कारण इस मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को स्वीकृत नहीं किया जा सका है।

आतंकवादी गतिविधियां

6116. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादी गुट अपनी गतिविधियां और अपने लक्ष्य को मानव अधिकारों की आड़ में भेदते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई नया विधान बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) फिलहाल सरकार के पास यह सुझाने वाली कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि आतंकवादी गुट मानवाधिकारों की आड़ में अपनी गतिविधियां चला रहे हैं और अपने लक्ष्यों को निशाना बनाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

ऐकिक/केन्द्रीय विश्वविद्यालय

6117. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी संस्था के ऐकिक/केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) देश में इस प्रकार से कौन–कौन से विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या कुछ और विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने पर सरकार विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) भारत सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, चाहें वह ऐकिक हों अथवा संबद्ध, की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा करती है। देश में कार्य कर रहे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथासंशोधित) पिछली प्रतिबद्धताओं को छोड़कर और अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के बजाय वर्तमान विश्वविद्यालयों में सुविधाओं को समेकित करने और उनका विस्तार करने पर बल देती है। इसके मद्देनजर किसी नये विश्वविद्यालय की स्थापना करने अथवा किसी मौजूदा संस्था को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम
1	2
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
2.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
3.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
4.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
5.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
6.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
7.	विश्व भारती शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल
8.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
9.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी
10.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
11.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर
12.	तेजपुर विश्वविद्यालय, नपाम, तेजपुर
13.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा
14.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
15.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
16.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा
17.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजॉल
18.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल

[हिन्दी]

बाल्को पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

6118. डा. चरणदास महंत :

श्रीमती मिनाती सेन :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने बाल्को के विनिवेश सौदे के संबंध में अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कड़ी आपत्तियां उठाई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने सरकार से बाल्को के रक्षित विद्युत संयंत्र का मूल्यांकन न करने के कारणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा है; और

(ग) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के कब तक सदन के पटल पर रखे जाने की संभावना है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने, बाल्को में सरकारी इक्विटी के विनिवेश पर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट के मसौदे में कुछ टीका–टिप्पणियां की हैं। उन पर सरकार का उत्तर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को भेज दिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अपनी अन्तिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

(ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट समा–पटल पर रखे जाने की कोई समय–सीमा नहीं बताई जा सकती।

दंगा प्रभावित जिलों/क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायालय

6119. श्री सुरेश कुरुप : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दंगा प्रभावित जिलों में मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने हेतु सभी राज्य सरकारों को परिचालित किए गए निर्देशों में साम्प्रदायिक दंगों के मामलों के शीघ्र विचारण और निपटाने हेतु राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालय गठित करने की व्यवस्था है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम की मद सं. 4 में साम्प्रदायिक अपराधों के शीघ्रता से विचारण हेतु विशेष न्यायालय गठित करने का भी प्रावधान है जिसकी प्रगति की समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है।

[हिन्दी]

महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के तहत निधियों का आबंटन

6120. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के तहत राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान किया गया आबंटन पर्याप्त नहीं था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस धनराशि में वृद्धि की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) महिला एवं बाल विकास विभाग समेकित बाल विकास सेवा, विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई.सी.डी.एस. परियोजना, विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण (उदिशा), बालिका समृद्धि योजना, स्व-शक्ति परियोजना और स्वयंसिद्धा स्कीमों के अंतर्गत राशि का राज्य-वार आबंटन कर रहा है। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन स्कीमों के लिए राशि का राज्य-वार आबंटन संलग्न-विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) इनमें से कुछ स्कीमों के लिए आबंटन पर्याप्त नहीं था। दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए योजना आयोग से अधिक राशि की मांग की गई है। अभी इसे अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

आई.सी.डी.एस. - सामान्य

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	3135.53	3185.12	5402.87	6229.00	6580.61
2.	अरूणाचल प्रदेश	406.52	660.57	817.00	681.00	1895.39
3.	असम	1634.35	1911.71	2211.00	5070.97	6188.61
4.	बिहार	1469.02	3691.13	4918.64	3756.00	2145.11
5.	गोवा	118.76	326.48	284.13	284.13	339.35

1	2	3	4	5	6	7
6.	गुजरात	5312.65	4788.12	5370.21	3726.01	8070.09
7.	हरियाणा	2203.65	2633.07	2754.12	3593.61	3660.50
8.	हिमाचल प्रदेश	904.24	1045.40	1640.09	1764.28	1984.42
9.	जम्मू और कश्मीर	511.86	1431.72	1963.00	2266.00	2739.16
10.	कर्नाटक	5158.03	5709.83	5111.35	7466.18	7660.68
11.	केरल	2380.62	3120.80	2641.82	3101.90	3516.30
12.	मध्य प्रदेश	4840.29	5131.48	4368.00	5590.00	3771.08
13.	महाराष्ट्र	6925.69	6792.45	6584.73	6688.62	10193.48
14.	मणिपुर	795.10	846.78	840.48	1254.75	901.07
15.	मेघालय	524.81	350.60	535.00	664.97	1060.15
16.	मिजोरम	413.11	542.12	535.66	868.85	572.95
17.	नागालैण्ड	543.85	1321.37	1245.00	1941.60	1907.00
18.	उड़ीसा	2158.13	6641.30	4042.97	6133.71	6881.86
19.	पंजाब	1525.90	2282.58	2413.14	3759.46	3730.77
20.	राजस्थान	3373.72	3512.19	4197.55	5954.43	5947.07
21.	सिक्किम	63.29	241.96	129.75	156.01	192.35
22.	तमिलनाडु	2513.24	7297.05	10704.77	10286.90	9289.80
23.	त्रिपुरा	447.67	463.68	646.06	630.98	1481.36
24.	उत्तर प्रदेश	7401.73	7265.52	11349.00	11519.28	12696.42
25.	प. बंगाल	5151.28	6456.11	6088.00	8047.13	12650.02
26.	दिल्ली	565.98	1248.18	818.42	808.47	796.41
27.	पाण्डिचेरी	105.55	151.82	181.58	154.85	154.85
28.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	63.27	112.26	130.44	107.88	154.85
29.	चण्डीगढ़	95.77	77.71	78.29	88.04	93.35

1	2	3	4	5	6	7
30.	दादर और नगर हवेली	21.88	28.60	26.83	26.83	31.85
31.	दमन व दीव	26.79	28.17	42.00	52.56	37.45
32.	लक्षद्वीप	8.82	25.20	25.69	25.43	31.62
33.	छत्तीसगढ़	–	–	–	625.61	1800.79
34.	झारखण्ड	–	–	–	865.57	1246.76
35.	उत्तरांचल	–	–	–	462.78	1961.66

विश्व बैंक सहायता-प्राप्त - आई.सी.डी.एस

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997–98	1998–1999	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1700.58	1500.50	9800.24	2000.00	5000.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–
3.	असम	–	–	–	–	–
4.	बिहार	3500.00	5100.31	3900.86	–	1000.00
5.	गोवा	–	–	–	–	–
6.	गुजरात	–	–	–	–	–
7.	हरियाणा	–	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–
9.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	–	–	–	–	–
11.	केरल	–	300.20	700.11	1000.00	2900.00
12.	मध्य प्रदेश	9200.53	4900.41	3400.87	4712.00	6000.00
13.	महाराष्ट्र	–	700.40	1700.09	700.00	–
14.	मणिपुर	–	–	–	–	–
15.	मेघालय	–	–	–	–	–
16.	मिजोरम	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
17.	नागालैण्ड	–	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	700.66	–	–	–	–
19.	पंजाब	–	–	–	–	–
20.	राजस्थान	–	400.00	800.99	1500.00	3500.00
21.	सिक्किम	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	–	300.58	1300.06	1000.00	–
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	–	500.00	1100.51	3000.00	2626.00
25.	प. बंगाल	–	–	–	–	–
26.	दिल्ली	–	–	–	–	–
27.	पाण्डिचेरी	–	–	–	–	–
28.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–
29.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–
30.	दादर व नगर हवेली	–	–	–	–	–
31.	दमन व दीव	–	–	–	–	–
32.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
33.	झारखण्ड	–	–	–	–	400.00
34.	छत्तीसगढ	–	–	–	–	600.00

आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम (उदिशा)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997–98	1998–1999	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	27.09	383.10	1034.17	1034.17	1034.17
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.54	44.77	145.72	145.72	145.72
3.	असम	1.95	43.13	236.77	236.77	236.77

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	–	100.00	158.21	158.21	158.21
5.	गोवा	0.65	–	20.31	20.31	20.31
6.	गुजरात	9.94	246.75	631.98	631.98	631.98
7.	हरियाणा	3.75	102.28	130.52	130.52	130.52
8.	हिमाचल प्रदेश	–	41.90	141.16	141.16	141.16
9.	जम्मू और कश्मीर	2.59	50.51	257.33	257.33	257.33
10.	कर्नाटक	66.22	360.44	443.22	443.23	443.22
11.	केरल	5.84	313.15	473.19	473.19	473.19
12.	मध्य प्रदेश	9.09	100.00	697.24	697.24	697.24
13.	महाराष्ट्र	44.92	254.54	939.62	939.62	939.62
14.	मणिपुर	3.31	44.69	83.86	83.86	83.86
15.	मेघालय	2.79	47.53	24.24	24.24	24.24
16.	मिजोरम	1.95	45.80	19.35	19.35	19.35
17.	नागालैण्ड	3.89	44.50	54.11	54.11	54.11
18.	उड़ीसा	3.24	123.30	413.52	413.52	413.52
19.	पंजाब	5.54	104.65	229.37	229.37	229.37
20.	राजस्थान	6.49	219.02	677.89	677.89	677.89
21.	सिक्किम	2.34	44.00	15.48	15.48	15.48
22.	तमिलनाडु	14.82	313.41	508.33	508.33	508.33
23.	त्रिपुरा	1.26	45.80	86.58	86.58	86.58
24.	उत्तर प्रदेश	–	130.00	1527.12	1527.12	1527.12
25.	प. बंगाल	11.03	166.21	799.64	799.64	799.64
26.	दिल्ली	–	–	44.63	44.63	44.63
27.	पाण्डिचेरी	–	–	7.79	7.79	7.79
28.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	–	1.18	10.17	10.17	10.17

1	2	3	4	5	6	7
29.	चण्डीगढ़	–	–	4.79	4.79	4.79
30.	दादर और नगर हवेली	–	–	3.50	3.50	3.50
31.	दमन व दीव	–	–	3.31	3.31	3.31
32.	लक्षद्वीप	–	–	3.27	3.27	3.27
33.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–
34.	झारखण्ड	–	–	–	–	–
35.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–

बालिका समृद्धि योजना

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997–98	1998–1999	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	219.53	219.45	146.35	180.00	90.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	9.32	6.82	6.21	2.50	–
3.	असम	215.48	129.85	143.66	105.00	–
4.	बिहार	1068.69	630.75	712.46	212.50	–
5.	गोवा	3.34	3.34	2.23	5.00	2.50
6.	गुजरात	158.23	108.08	105.49	140.00	70.00
7.	हरियाणा	86.49	59.29	57.66	25.00	–
8.	हिमाचल प्रदेश	27.74	27.72	18.50	22.00	–
9.	जम्मू और कश्मीर	52.50	48.74	35.00	62.50	31.25
10.	कर्नाटक	227.02	226.99	151.35	162.00	80.00
11.	केरल	81.92	48.19	54.62	60.50	30.25
12.	मध्य प्रदेश	550.35	489.18	366.90	482.00	–
13.	महाराष्ट्र	457.42	324.03	304.95	60.00	–
14.	मणिपुर	11.48	6.03	7.65	10.75	5.50
15.	मेघालय	17.84	9.08	11.90	–	–
16.	मिजोरम	3.08	3.07	2.05	5.00	2.50

1	2	3	4	5	6	7
17.	नागालैण्ड	5.30	3.12	3.54	1.25	_
18.	उड़ीसा	332.11	332.11	221.41	325.00	163.00
19.	पंजाब	42.41	38.23	28.28	45.00	22.50
20.	राजस्थान	325.67	244.84	217.12	50.00	_
21.	सिक्किम	3.25	3.26	2.17	1.25	_
22.	तमिलनाडु	238.16	149.54	158.77	29.50	_
23.	त्रिपुरा	17.42	17.42	11.60	8.50	4.25
24.	उत्तर प्रदेश	1403.91	872.43	935.94	100.00	_
25.	प. बंगाल	412.77	236.49	275.18	_	_
26.	दिल्ली	18.81	18.81	12.54	_	_
27.	पाण्डिचेरी	5.03	5.03	3.35	2.50	_
28.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1.65	1.02	1.10	0.38	_
29.	चण्डीगढ़	1.92	1.42	1.28	0.88	_
30.	दादर और नगर हवेली	_	0.80	_	0.75	0.38
31.	दमन व द्वीव	0.70	0.57	0.47	0.13	_
32.	लक्षद्वीप	0.39	0.39	0.26	0.63	0.30
33.	छत्तीसगढ़	_	_	_	_	100.00
34.	झारखण्ड	_	_	_	_	100.00
35.	उत्तरांचल	_	_	_	_	100.00

स्व-शक्ति परियोजना*

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997–98	1998–1999	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	_	_	_	_	_
2.	अरूणाचल प्रदेश	_	_	_	_	_

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	–	–	–	–	–
4.	बिहार	–	97.05	165.1	229.21	331.82
5.	गोवा	–	–	–	–	–
6.	गुजरात	–	117.53	250.637	430.83	556.97
7.	हरियाणा	–	101.44	201.24	264.08	287.76
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–
9.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	–	117.53	251.57	404.23	554.12
11.	केरल	–	–	–	–	–
12.	मध्य प्रदेश	–	111.68	248.96	409.29	533.47
13.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–
14.	मणिपुर	–	–	–	–	–
15.	मेघालय	–	–	–	–	–
16.	मिजोरम	–	–	–	–	–
17.	नागालैण्ड	–	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	–	–	–	–	–
19.	पंजाब	–	–	–	–	–
20.	राजस्थान	–	–	–	–	–
21.	सिक्किम	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	–	203.60	257.6	728.00	708.98
25.	प. बंगाल	–	–	–	–	–
26.	दिल्ली	–	–	–	–	–
27.	पाण्डिचेरी	–	–	–	–	–
28.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
29.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–
30.	दादर और नगर हवेली	–	–	–	–	–
31.	दमन व द्वीव	–	–	–	–	–
32.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
33.	केन्द्रीय स्तर (राज्य नहीं)	–	–	123.80	107.29	106.67

* यह परियोजना 1998-99 में शुरू की गई थी।

स्वयंसिद्धा (2000-01 में शुरू की गई)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998–1999	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	11.19	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	3.16	2.05
3.	असम	–	–	7.68	–
4.	बिहार	–	–	16.95	–
5.	झारखण्ड	–	–	7.68	45.00
6.	गोवा	–	–	2.41	–
7.	गुजरात	–	–	8.43	–
8.	हरियाणा	–	–	4.92	1.20
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	3.66	27.36
10.	जम्मू और कश्मीर	–	–	4.92	–
11.	कर्नाटक	–	–	6.67	–
12.	केरल	–	–	6.17	15.64
13.	मध्य प्रदेश	–	–	10.68	64.72
14.	छत्तीसगढ़	–	–	5.92	55.00
15	महाराष्ट्र	–	–	10.68	55.25
16.	मणिपुर	–	–	2.41	7.00

1	2	3	4	5	6
17.	मेघालय	–	–	2.91	15.60
18.	मिजोरम	–	–	2.41	–
19.	नागालैण्ड	–	–	3.16	14.00
20.	उड़ीसा	–	–	10.68	23.30
21.	पंजाब	–	–	5.42	49.36
22.	राजस्थान	–	–	8.43	87.34
23.	सिक्किम	–	–	2.41	7.00
24.	तमिलनाडु	–	–	12.69	15.00
25.	त्रिपुरा	–	–	2.41	7.00
26.	उत्तर प्रदेश	–	–	25.23	159.18
27.	उतरांचल	–	–	4.41	22.00
28.	प. बंगाल	–	–	11.44	–
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	0.00	–
30.	चण्डीगढ़	–	–	0.00	–
31.	दादर और नगर हवेली	–	–	0.00	6.00
32.	दमन व द्वीव	–	–	0.00	–
33.	दिल्ली	–	–	2.66	–
34.	लक्षद्वीप	–	–	0.00	–
35.	पाण्डिचेरी	–	–	2.41	4.73

प्राथमिक शिक्षा के लिए निधियों का आबंटन

6121. श्री वाई. जी. महाजन : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राज्य–वार प्राथमिक शिक्षा के लिए कितनी धनराशि निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ प्रदान की जाने वाली धनराशि पर्याप्त नहीं होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त धनराशि प्रदान करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) दसवीं योजना के दौरान आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा

के लिए 28250.00 करोड़ रु. का बजटीय परिव्यय निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उन्हें प्रति वर्ष निधियां जारी की जाती हैं।

(ख) और (ग) प्रारंभिक तथा प्रौढ़ शिक्षा पर कार्यदल द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु अनुमानित आवश्यकताओं की तुलना में प्रस्तावित आबंटन कम है। विभाग ने अतिरिक्त निधियों की मांग की है।

शिक्षा नीति

6122. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा नीति निर्माण के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे को सामाजिक न्याय, समानता और समान अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरलिखित उद्देश्य कागज तक ही सीमित रहे है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या हमारी शिक्षा प्रणाली धनी और निर्धन के बीच भेद करती है और शिक्षा का अवसर एक वर्ग तक सीमित हो गया है;

(घ) क्या सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रावधान है जिसमें यह अंतर्निहित है कि एक निश्चित स्तर तक समतुल्य स्तर की शिक्षा तक सभी छात्रों की पहुंच हो, चाहें वे किसी भी जाति, धर्म, स्थान या लिंग के हों। इसमें शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए साझा शैक्षिक ढांचा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना तथा न्यूनतम अधिगम स्तर शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह परिकल्पना भी की गई है कि राष्ट्रीय अवधारणा में सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य है। यह सर्वतोमुखी विकास भौतिक और अध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य आवश्यक हैं। शिक्षा में सामाजिक न्याय, समानता और समान अवसर के संबंध में केन्द्र और राज्य सरकारें उपयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से निरन्तर कार्य करती हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सर्व–सम्मति से तैयार किया गया है, में एक व्यापक संरचना है जो शिक्षा के विकास के लिए समग्रतापूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करती है। यह आज भी प्रासंगिक है तथा यह समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इनमें समाज के सुविधाहीन और वंचित वर्गों की शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है इसलिए फिलहाल इसमें किसी संशोधन/रूपांतर की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

दिल्ली की ओर पलायन

6123. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से कुल कितने लोगों ने दिल्ली की और पलायन किया है;

(ख) दिल्ली में सामान्य कानून और व्यवस्था और पर्यावरणीय स्थिति पर इस पलायन का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जनगणना–2001 का कार्य फरवरी 2001 के अंत तक पूरा कर लिया गया था अतः पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली को पलायन कर गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) लोगों के अन्य राज्यों से दिल्ली को पलायन करने से, उपलब्ध अवसंरचना पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

(ग) विकासशील अर्थ व्यवस्था में लोगों का शहरी क्षेत्रों के पलायन एक कुदरती बात है। यही बात, देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली पर विशेष रूप से लागू होती है।

दिल्ली अग्निशमन सेवा

6124. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1999 में अग्निशमन स्टेशनों पर टयूब वैल स्थापित करने का निर्णय लिया गया था किन्तु दिल्ली अग्निशमन सेवा आज तक इसे लागू करने में विफल रही है;

(ख) क्या चार में से तीन कार्बनडाई–आक्साइड फोम क्रैश टेंडर और छह में से पांच टर्नटेबल सीढ़ियां, जो क्रमशः रासायनिक आग और ऊंची इमारतों में लगी आग से लड़ने के लिए आवश्यक हैं, काम नहीं कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली अग्निशमन सेवा ऊंची इमारतों, सिनेमा घरों और औद्योगिक भवनों में अग्नि सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफल रही है और उन्हें राजधानी ऊंची इमारतों की संख्या की भी जानकारी नहीं है और पिछले एक वर्ष के दौरान आतिशबाजी का समान बेचने वाले दुकानदारों को भी अनापत्ति प्रमाण–पत्र दे दिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो दिल्ली अग्निशमन सेवा में सुधार लाने और संबंधित लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही निर्धारित करने तथा दिल्लीवासियों को अग्नि मुक्त जीवन हेतु आश्वस्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) अग्नि शमन स्टेशनों पर टयूब वैल स्थापित करने के निर्णय के अनुसारण में, 12 अग्नि शमन स्टेशनों में टयूब वैल स्थापित किए गए हैं और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और अन्य 9 अग्नि शमन स्टेशनों में निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।

(ख) और (ग) इस समय भण्डार में चार टर्नटेबल सीढ़ियों में से, दो चालू हालत में हैं, तीसरी मरम्मत योग्य नहीं हैं और इसे निष्प्रयोजनीय घोषित किया जाना है और चौथी की मरम्मत की जा रही है। इस समय भण्डार में तीन कारबन डोक्साईड फोम क्रेस टेन्डर में से दो पुराने हो गए हैं और उन्हें निष्प्रयोजनीय घोषित किया गया है और तीसरे की मरम्मत के लिए भेजा गया है।

(घ) जी नहीं श्रीमान। जहां तक पटाखों की बिक्री का संबंध है, अनापत्ति प्रमाण पत्र सर्वथा कानून के उपबंधों के तहत दिया जाता है।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली अग्नि शमन सेवा को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों में नए अग्निशमन स्टेशनों की स्थापना, नए उपकरणों का प्रापण और संचार तंत्र का आधुनिकीकरण शामिल हैं।

विदेशी विश्वविद्यालय

6125. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेशी विश्वविद्यालय ने अपने कार्यक्रमों को चलाने के लिए भारतीय संस्थाओं के साथ हिस्सेदारी करने में रूचि प्रदर्शित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे विश्वविद्यालयों ने देश में अपनी निजी संस्थाएं स्थापित करने की अनुमति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च अध्ययन संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों को उनके अधिनियमों/सांविधिक के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त हैं और ऐसे सहयोग के लिए सरकार की अनुमति अपेक्षित नहीं है। इसलिए, सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए सहयोग के संबंध में सूचना नहीं रखती है। तथापि, भारतीय समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा संकलित सूचना के अनुसार, 144 विदेशी विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थाएं भारतीय छात्रों के लिए अध्ययन हेतु विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। जिनमें से 27 अपने भारतीय भागीदारों के माध्यम से भारत में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

चैन्नै और विशाखापत्तनम में जनजातीय विकास हेतु वित्त निगमों के कार्यालयों को बंद करना

6126. श्री एस. मुरुगेसन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैन्नै और विशाखापत्तनम स्थित जनजातीय विकास हेतु वित्त निगमों के कार्यालयों को बंद किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का गठन अप्रैल, 2001 को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का विभाजन करके किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का इस समय चेन्नै और विशाखापत्तनम में कोई दफ्तर नहीं है।

विश्वस्तर के स्कूलों की स्थापना

6127. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निवेश को आकृष्ट करने और बेहतर शिक्षा देने के लिए विश्व स्तर स्कूलों की स्थापना करने की आवश्यकता महसूस की है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों का आतंकवादियों के साथ मिलना

6128. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा अपनी सेवाओं को छोड़ने और आतंकवादियों के साथ मिलने के अनेक मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है और इसमें संलिप्त कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) किसी भी बल से अभी तक ऐसी कोई घटना की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में, कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ शाह, जो छुट्टी पर था और 26.10.2001 से छुट्टी से अधिक अवधि तक ठहरा हुआ था, को उग्रवादियों द्वारा दिए बताए गए एक वायरलैस सेट के साथ 24.12.2001 को राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसे 28.12.2001 को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दो अन्य कांस्टेबलों अजहर हुसैन खान और खुर्शीद गनई बल से भगोड़ा होने के कारण 2. 1.2002 से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तत्पश्चात् खुर्शीद अहमद गनई सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड में मारा गया बताया जाता है और ऐसी जानकारियाँ हैं कि अजहर हुसैन खान के उग्रवादियों के साथ संबंध हैं।

सिमी की गतिविधियां

6129. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरत के एक होटल से स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक मूवमेन्ट ऑफ इंडिया (सिमी) के 123 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सिमी कार्यकर्ताओं के मामले की जांच करने के लिए सी बी आई का एक दल सूरत गया था;

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला है;

(घ) क्या इन कार्यकर्ताओं के अमरीकी स्थित अपने साथियों से सम्पर्क हैं और इन्होंने लंदन में धार्मिक संगोष्ठी में भी भाग लिया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि देश में सिमी और ऐसे ही अन्य संगठनों की आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) सूरत (गुजरात) में स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेन्ट ऑफ इंडिया (सिमी) के 100 से अधिक कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूरत में सिमि कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बारे में जांच नहीं की है।

(घ) से (च) सिमी के एक नेता ने 1988 में लंदन में इस्लामिक धार्मिक स्थानों की सुरक्षा पर एक सेमिनार में भाग लिया था। स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेन्ट ऑफ इंडिया ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाई गई है जो देश की सुरक्षा के प्रतिकूल है तथा ये शांति, साम्प्रादायिक सद्भाव तथा देश के धर्म निरपेक्ष स्वरूप में भंग कर सकती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार ने इस संगठन को विधि विरुद्ध कार्याकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत विधि विरूद्ध संगठन के रूप में घोषित किया है। यह न्याय निर्णयन करने के लिए कि क्या सिमी को विधि विरूद्ध संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है। कि नहीं, सरकार द्वारा स्थापित किए गए विधि विरूद्ध कार्य कलाप (निवारण) न्यायाधिकरण ने प्रतिबंध की पुष्टि की है।

देश में सांप्रदायिक सौहार्द पर प्रभाव डालने वाले ऐसे संगठनों के कार्य कलापों पर कानून प्रवर्तन एजेन्सियां निरंतर निगरानी रखती हैं तथा जहां कहीं आवश्यक होता है अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा

6130. डा. अशोक पटेल :

श्री रामपाल सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, सरकारी और निजी क्षेत्र के उपक्रमों की सुरक्षा की जिम्मेवारी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अन्य सरकारी स्थापनों आदि को सुरक्षा प्रदान कर रही है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम में निजी क्षेत्र के उपक्रमों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

निधियों का अन्यत्र उपयोग

6131. श्री रामजी मांझी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995–96 से 1999–2000 के दौरान आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों ने केन्द्रीय निधि के 121.21 करोड़ रुपये की राशि में से 79.22 करोड़ रुपये की राशि को 'पीडी अकाउण्ड्स' में डाले रखा और बिहार सरकार ने 41.99 करोड़ रुपये की राशि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग कर लिया जिसके फलस्वरूप उक्त राज्यों में 1.36 लाख अनौपचारिक शिक्षण केन्द्र नहीं खोले जा सके और 34 लाख बच्चे योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गए;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार में बच्चों के छात्रावासों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि का उपयोग इस कार्य के लिए न करके पुलिसथानों और अन्य कार्यालयों को चलाये जाने जैसे कार्यों के लिए किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने निधियों के अन्यत्र उपयोग के मामले की कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में विशेषतः बिहार के संबंध में क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2002 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल), जिसे 19 मार्च, 2002 को सभा पटल पर रखा गया था, ने अनौपचारिक शिक्षा के लिए राज्यों को जारी की गई निधियों के उपयोग में कुछ स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर किया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां राज्यों को भेजी जा चुकी हैं तथा उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

दिल्ली में मिलावटी शराब की बिक्री

6132. श्री माणिकराव होडल्या गावित :

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली पुलिस की मिली–भगत से मिलावटी शराब की बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनकी वर्ष 2002 के दौरान से अब तक मिलावटी शराब के सेवन के कारण मौत हुई है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा दिल्ली में ऐसी शराब की बिक्री को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) यह विश्वास करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस की सांठ–गांठ से नकली शराब बेची जा रही है। तथापि, ऐसे कुछ छुटपुट मामले हैं जिनमें पुलिस कार्मिकों के विरूद्ध लापरवाही बरतने तथा उनके क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री पर नियंत्रण करने में असफल रहने के कारण कार्रवाई की गई है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान 25 अप्रैल, 2002 तक दिल्ली में नकली शराब पीकर 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

(ग) इन मामलों के संबंध में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं जबकि एक फरार है।

(घ) दिल्ली में नकली शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में उन अपराधियों, जिनका ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहने का पिछला रिकार्ड है, की गतिविधियों पर निगरानी रखना, ऐसे अपराधियों जिन पर ऐसी गतिविधियों में संलिप्त होने का संदेह है, के बारे में आसूचना एकत्र करना और उनके छिपने के संभावित ठिकानों पर छापे मारना, अवैध शराब के बिक्री वाले क्षेत्रों में विशेष पिकेट स्थापित करना, देशी शराब की दुकानों पर निगाह रखना, नकली शराब के खतरों के बारे में मीडिया से जनता को सुग्राही बनाना, नकली शराब आदि की तस्करी रोकने तथा पकड़ने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष पिकेट स्थापित करना तथा गश्ती दस्ते तैनात करना आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

प्राकृतिक संसाधन डाटा प्रबंधन प्रणाली

***6133. श्री आर. एल. जालप्पा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के सभी जिलों को प्राकृतिक संसाधन डाटा प्रबंधन प्रणाली में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य के सभी जिलों को कब तक शामिल कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 2002–2003 के दौरान इस प्रणाली के अंतर्गत राज्यवार कितने जिलों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) जी नहीं, महोदय।

(ख) और (ग) कर्नाटक राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (के. एस. सी. एस. टी.) के लिए स्वीकृत परियोजना के अनुसार कर्नाटक के सभी 20 जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है। अब तक 16 जिलों को शामिल कर लिया गया है। चालू वित्त वर्ष में शेष बचे 4 जिलों को शामिल कर लिया जाएगा।

फिलहाल, राज्य के पुनर्गठन के पश्चात 7 नए जिले बनाए गए हैं। के. एस. सी. एस. टी/कर्नाटक सरकार से नया प्रस्ताव मिलने पर ही नए राज्यों को शामिल करने पर विचार किया जाएगा। अब तक इस मंत्रालय को कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) वर्ष 2002–2003 के दौरान उत्तरांचल और नागालैण्ड राज्य के एक – एक जिले को शामिल करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास

6134. श्री सुबोध राय : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के विभाजन के बाद केन्द्र द्वारा मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में चलाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) मानव संसाधन विकास हेतु नए संस्थान स्थापित करने और मौजूदा शैक्षाणिक/तकनीकी संस्थाओं का दर्जा बढ़ाने संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ओलम्पिक और एशियाई खेलों में स्पर्धाएं

6135. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओलम्पिक और एशियाई खेलों में आयोजित की जा रही खेल स्पर्धाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले ओलम्पिक और एशियाई खेलों में भारत ने किन-किन स्पर्धाओं में भाग लिया और तत्संबंधी उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) आगामी ओलम्पिक और एशियाई खेलों में सरकार कौन-कौन सी स्पर्धाओं के लिए टीमें तैयार कर रही है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) 2002 के एशियाई खेलों में कुल 38 खेल-विधाओं तथा 2004 ओलम्पिक खेलों में 28 खेल-विधाओं का आयोजन किया जा रहा है। खेल-विधाओं की सूची विवरण-I और II में संलग्न है।

(ख) पिछले ओलम्पिक खेलों (2000) में, भारत ने 13 प्रतियोगिताओं (खेल-विधाओं) तथा पिछले एशियाई खेलों (1998) में 21 खेल-विधाओं में भाग लिया था। उन खेल-विधाओं जिनमें भारत ने भाग लिया तथा 2000 के ओलम्पिक्स एवं 1998 के एशियाई खेलों के प्रदर्शन की सूची क्रमशः विवरण III और IV में दी गयी है।

(ग) 23 खेल-विधाओं जिनमें भारत के भाग लेने की संभावना है, में एशियाई खेलों की तैयारी का ब्यौरा (विवरण-I कालम-3) में दिया गया है। यह तैयारी 2004 के ओलम्पिक खेलों की दीर्घकालिक तैयारी का एक हिस्सा भी है। ओलम्पिक्स में सहभागिता अलग-अलग खिलाड़ियों/टीम की योग्यता पर निर्भर करती है।

विवरण-I

14वें एशियाई खेल - पुसान

29 सितम्बर-14 अक्तूबर, 2002

क्रम सं.	2002 के एशियाई खेलों में खेल विधाएं	वे खेल विधाएं जिनमें भारत के भाग लेने की संभावना है।
1	2	3
1.	तीरंदाजी	तीरंदाजी
2.	एथलेटिक्स	एथलेटिक्स
3.	बैडमिंटन	बैडमिंटन
4.	बेसबाल	
5.	बास्केटबाल	
6.	बिलियर्डस	बिलियर्डस
7.	शरीर सौष्ठव	
8.	बाउलिंग	
9.	मुक्केबाजी	मुक्केबाजी
10.	केनोइंग	केनोइंग
11.	साईक्लिंग	साईक्लिंग
12.	घुड़सवारी	घुड़सवारी
13.	फेन्सिंग	
14.	फुटबाल	
15.	गोल्फ	गोल्फ
16.	जिम्नास्टिक्स	जिमनास्टिक्स
17.	हैंडबाल	
18.	हाकी	हाकी
19.	जूडो	जूडो
20.	कबड्डी	कबड्डी

1	2	3
21.	कराटे	
22.	माडर्न पेंटाथलोन	
23.	रोइंग	रोइंग
24.	रग्बी	
25.	सेपाक टाकरो	
26.	निशानेबाजी	निशानेबाजी
27.	साफ्टबाल	
28.	सोफ्ट टेनिस	
29.	स्क्वैश	स्क्वैश
30.	तैराकी	तैराकी
31.	टेबल टेनिस	टेबल टेनिस
32.	ताइकवोंडों	
33.	टेनिस	टेनिस
34.	वालीबाल	वालीबाल
35.	भारोत्तोलन	भारोत्तोलन
36.	कुश्ती	कुश्ती
37.	दुशु	
38.	याटिंग	याटिंग

विवरण-II

28वें ओलम्पिक्स खेल–एथेन्स
13 से 29 अगस्त, 2004

क्र. सं.	2004 ओलम्पिक के खेलों में खेल विधाएं
1	2
1.	तीरंदाजी
2.	एथलेटिक्स
3.	बैडमिंटन
4.	बेसबाल
5.	बास्केटबाल
6.	मुक्केबाजी
7.	केनोइंग
8.	साईक्लिंग
9.	घुड़सवारी
10.	फेन्सिंग
11.	फुटबाल
12.	जिम्नास्टिक्स
13.	हैंडबाल
14.	हाकी
15.	जूडो
16.	माडर्न पेंटाथलोन
17.	रोइंग
18.	नौकायन
19.	निशानेबाजी
20.	साफ्टबाल
21.	एक्वाटिक्स (तैराकी गोताखोरी, वाटरपोलो, तथा समकालिक तैराकी)
22.	टेबल टेनिस
23.	ताइकवोंडो
24.	टेनिस
25.	ट्राइथलोन
26.	वालीवाल
27.	भारोत्तोलन
28.	कुश्ती

विवरण-III

27 वें ओलम्पिक्स खेल–सिडनी
15 सितम्बर से 1 अक्तूबर, 2000 तक

क्र. सं.	वे खेल विधाएं जिनमें भारत ने भाग लिया	सहभागियों की संख्या	उपलब्धियाँ
1	2	3	4
1.	एथलेटिक्स	38	के.एम. बीनामेल सेमी फाइनल तक पहुंची।
2.	बैडमिंटन	03	
3.	मुक्केबाजी	08	गुरुचरण सिंह – 5वीं (कांस्य पदक से वंचित यद्यपि क्वार्टर फाइनल में प्रत्येक ने 12 अंक प्राप्त किए) श्री जितेन्द्र कुमार–9वाँ
4.	घुड़सवारी	01	
5.	हाकी (पुरूष)	21	7वाँ
6.	जूडो (महिला)	02	ब्रजेश्वरी देवी–9वाँ
7.	रोइंग	04	
8.	निशानेबाजी	06	अंजली वेदपाठक–8वाँ अभिनव बिन्द्रा–11वाँ
9.	तैराकी	03	
10.	टेबल टेनिस	04	
11.	टेनिस	06	
12.	भारोत्तोलन	07	के. मल्लेश्वरी–तीसरा सनमाचा चानू–छठा (चौथे स्थान पर रहीं–अधिक शारीरिक भार होने के कारण 6वाँ स्थान)
13.	कुश्ती	02	

विवरण-IV

13 वें एशियाई खेल–बैंकाक
6–13 दिसम्बर, 1998

क्र. सं.	खेल विधाएं जिनमें भारत ने भाग लिया	सहभागियों की संख्या	उपलब्धियाँ
1	2	3	4
1.	तीरंदाजी	05	
2.	एथलेटिक्स	33	2 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य

1	2	3	4
3.	बैडमिन्टन	03	
4.	बिलियर्डस और स्नूकर	17	2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य
5.	मुक्केबाजी	05	1 स्वर्ण व 1 कांस्य
6.	केनोइंग	11	
7.	घुडदौड़	10	1 कांस्य
8.	फुटबाल (महिला)	21	
9.	गोल्फ	09	
10.	हाकी	38	1 स्वर्ण (पुरूष) और 1 रजत (महिला)
11.	जूडो	06	
12.	कबड्डी	12	1 स्वर्ण
13.	रोइंग	12	2 कांस्य
14.	निशानेबाजी	24	2 रजत और 1 कांस्य
15.	स्क्वैश	03	
16.	तैराकी	08	
17.	टेबल टेनिस	01	
18.	टेनिस	12	4 कांस्य
19.	भारोत्तोलन	10	1 रजत (महिला)
20.	कुश्ती	09	
21.	यटिंग	12	

डीडीए द्वारा और भूमि का अधिग्रहण

6136. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और भूमि अधिग्रहीत करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि वे दिल्ली सरकार के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर/भूमि एवं भवन विभाग के माध्यम से भूमि-अधिग्रहण की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस

वर्ष के दौरान इसके द्वारा 2000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किये जाने की उम्मीद है। डी.डी.ए. ने भूमि–अधिग्रहण के लिए भूमि एवं भवन विभाग, दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेजे थे।

[अनुवाद]

समुद्री सीमाओं पर सुरक्षा

6137. श्री पी. कुमारासामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूरे विश्व में आतंकवाद की वृद्धि को देखते हुए देश की समुद्री सीमाओं को असुरक्षित सीमाएं मानती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार समुद्री सीमा वाले विभिन्न राज्यों विशेषतः तमिलनाडु सरकार की समुद्री सीमा की सुरक्षा में भारी खर्च को देखते हुए अभी सीमावर्ती राज्यों को दी जा रही निधियों के अतिरिक्त निधियां देने का विचार कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। इस बात को देखते हुए कि सीमा पार से अवैध गतिविधियों के लिए समुद्री सीमा असुरक्षित है, भारत की समुद्री सीमा के साथ–साथ चौकसी और गश्त प्रबंधों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तमिलनाडु और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों सहित तटीय राज्यों को इस बारे में एक कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी गई है। कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन तटीय राज्यों को वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

देश में आपराधिक मामले

6138. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान देश में प्रतिवर्ष राज्य–वार विभिन्न प्रकार के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश में अपराधों पर काबू पाने के लिए कोई सुझाव दिए हैं/रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(घ) सरकार अपराध दर पर काबू पाने के लिए क्या उपाय कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) वर्ष 1999, 2000 और 2001 (उपलब्ध महीनों तक) के दौरान भा.द.सं. के अन्तर्गत दर्ज विभिन्न आपराधिक मामलों के राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के माध्यम से जिनका अधीनस्थ न्याय प्रणाली पर पूर्णतः नियंत्रण है न्यायालयों में आपराधिक मामलों में त्वरित निपटान, सभी न्यायिक कार्मिकों और न्यायालय प्रशासकों के प्रशिक्षण हेतु व्यापक प्रशिक्षण पैकेज, जनसंख्या–न्यायाधीशों के अनुपात को सुधारना, प्ली बारनेनिंग प्रणाली शुरू करना, भा.द.सं. और अन्य कानूनों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों का वर्ग विस्तार इत्यादि सहित देश में दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने के बारे में अनेक सिफारिशें की हैं।

(ग) और (घ) न्यायिक विभाग ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को जांच–पड़ताल एजेंसियों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को पूरा करने, समय पर साक्ष्यों को प्रस्तुत करने और दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिकल्पित अन्य कदमों को उठाने की तात्कालिक आवश्यकता पर सलाह देती रही है ताकि अपराधिक मामलों को तेजी से पूरा किया जा सके। सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में सम्मिलित हैं:–विशेष न्यायिक/मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्त, विवादों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीके अपनाना। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने एक ही प्रकार के विधि के प्रश्नों के अन्तर्गत आने वाले मामलों का वर्गीकरण करने, विशेष पीठों का गठन करने, सुनवाई के लिए मामलों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए कदम उठाए हैं।

भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अतः अपराधों को दर्ज करने, उनकी जांच–पड़ताल करने, पता लगाने और रोकने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है।

विवरण

वर्ष 1999 के दौरान भा. दं. सं. अपराधों की घटनाएं

क्रम सं.	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	हत्या	हत्या का प्रयास करना	हत्या की कोटि में न आने वाले अपराधिक मानव वध	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण			डकैती	डकैती के लिए तैयारी और इकट्ठा होना	लूटपाट	सेंधमारी
						कुल	महिलाएं और लड़कियां	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	2711	1512	135	895	1169	708	461	266	7	726	6779
2.	अरूणाचल प्रदेश	62	53	6	39	70	40	30	60	1	71	258
3.	असम	1517	421	74	703	1440	1149	291	783	20	907	3527
4.	बिहार	5116	3818	742	1447	2599	939	1660	2153	200	2691	5260
5.	गोवा	38	34	6	18	11	7	4	5	0	49	427
6.	गुजरात	1353	695	20	331	1336	1074	262	340	10	1346	6061
7.	हरियाणा	839	487	104	372	542	350	192	112	98	438	3717
8.	हिमाचल प्रदेश	133	79	7	109	126	89	37	4	0	17	960
9.	जम्मू और कश्मीर	765	885	26	170	623	473	150	40	0	126	1294
10.	कर्नाटक	1651	1662	51	301	630	320	310	284	0	1027	8369
11.	केरल	484	498	91	423	188	123	65	112	5	370	4505
12.	मध्य प्रदेश	3225	3082	189	3561	1203	942	261	177	154	1698	18178
13.	महाराष्ट्र	3024	1363	91	1320	1125	727	398	513	257	2554	15735
14.	मणिपुर	189	88	7	12	73	38	35	9	3	26	78
15.	मेघालय	134	28	6	27	37	10	27	105	2	100	155
16.	मिजोरम	34	21	3	71	3	0	3	6	0	10	474
17.	नागालैंड	128	32	0	11	48	5	43	29	0	125	145
18.	उड़ीसा	1019	1299	65	820	482	431	51	348	14	1195	4348
19.	पंजाब	741	528	108	282	423	280	143	18	64	58	1350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	राजस्थान	1520	2024	51	1198	3157	2652	505	109	25	1209	8971
21.	सिक्किम	15	4	0	7	12	0	12	3	0	10	73
22.	तमिलनाडु	1726	1992	25	430	1178	1000	178	171	38	615	5856
23.	त्रिपुरा	277	32	1	72	219	27	192	65	0	102	241
24.	उत्तर प्रदेश	7850	7849	1354	1593	4158	2746	1412	927	91	4197	10081
25.	पश्चिम बंगाल	1902	516	655	819	945	804	141	368	475	913	533
	कुल (राज्य)	36453	29002	3817	15031	21797	14934	6863	7007	1464	20580	107375
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9	4	0	6	4	2	2	2	0	1	79
27.	चंडीगढ़	17	18	9	16	48	36	12	1	1	6	234
28.	दादर व नगर हवेली	16	2	0	3	2	0	2	1	0	8	42
29.	दमन व दीव	5	5	0	4	3	2	1	0	0	2	42
30.	दिल्ली	649	579	81	402	1375	986	389	63	36	726	3429
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
32.	पांडिचेरी	21	18	5	6	7	2	5	5	0	9	92
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	717	626	95	437	1439	1028	411	72	37	752	3921
	कुल (समस्त भारत)	37170	29628	3912	15468	23236	15962	7274	7079	1501	21332	111296

वर्ष 1999 के दौरान भारतीय दंड संहिता अपराधों की घटनाएं (समाप्त)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चोरी	दंगे	अपराधिक न्यास भंग	धोखाधडी	जालसाजी	आगजनी	चोट पहुंचाना	दहेज हत्याएं	छेडछाड़	यौन उत्पीडन	यातना	अन्य भा.द.सं. अपराध	भा.दं.सं. के अंतर्गत कुल संज्ञेय अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आन्ध्र प्रदेश	15049	2853	748	4540	48	1057	30036	452	3238	1763	4666	41664	120364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	अरूणाचल प्रदेश	321	60	27	39	1	18	483	0	65	1	5	626	2266
3.	असम	7329	3663	486	640	50	443	4616	40	720	21	843	9049	37292
4.	बिहार	13759	11106	1493	1729	83	586	6142	1021	547	55	1423	56678	118648
5.	गोवा	755	67	30	75	3	28	217	2	26	7	15	776	2589
6.	गुजरात	17812	2111	2029	2100	80	693	15954	94	1083	172	3886	67280	124786
7.	हरियाणा	8753	970	433	1339	47	219	5879	288	553	300	1369	14854	39713
8.	हिमाचल प्रदेश	658	589	69	144	4	203	1616	5	297	23	258	5776	11077
9.	जम्मू और कश्मीर	1732	869	112	343	11	425	352	6	507	341	39	8437	17103
10.	कर्नाटक	14592	7569	499	2270	81	278	24288	217	1501	147	1560	43582	110559
11.	केरल	4291	6610	440	2666	143	390	18662	31	1643	50	2488	50358	94448
12.	मध्य प्रदेश	24254	3358	761	1927	44	1145	30530	584	8054	693	3012	100135	205964
13.	महाराष्ट्र	43846	5246	1660	3773	159	1234	29016	395	2766	825	7026	55508	177436
14.	मणिपुर	281	68	21	63	8	58	195	0	13	0	2	1275	2469
15.	मेघालय	437	16	20	37	2	31	132	0	17	0	0	432	1718
16.	मिजोरम	937	5	35	80	18	27	82	0	74	0	0	340	2220
17.	नागालैंड	253	14	10	36	4	10	32	0	3	0	0	369	1249
18.	उड़ीसा	7092	1443	288	554	4	377	4748	234	1494	158	1208	23203	50393
19.	पंजाब	2206	3	314	1883	24	53	3438	193	198	2	562	8024	20272
20.	राजस्थान	17730	16598	809	6612	87	1230	14692	443	3109	51	5425	83139	168189
21.	सिक्किम	68	153	7	16	0	20	152	0	21	0	0	215	776
22.	तमिलनाडु	17872	5428	498	2258	150	1183	23349	197	1959	1776	620	78388	145709
23.	त्रिपुरा	297	207	10	37	0	143	473	17	71	0	113	752	3129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24.	उत्तर प्रदेश	29348	6792	3495	5213	175	1171	14051	2088	2481	2255	5372	63102	173643
25.	पश्चिम बंगाल	18157	4601	586	1145	47	102	4194	257	1200	33	3777	25299	66525
	कुल (राज्य)	245829	80399	14880	39319	1273	11124	233379	6564	31640	8673	43669	739261	1698537
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	51	32	7	8	0	9	88	0	13	2	8	280	603
27.	चंडीगढ़	1035	73	37	172	1	10	102	7	26	18	42	862	2735
28.	दादरा और नगर हवेली	64	37	3	3	0	1	41	2	8	0	5	175	413
29.	दमन और दीव	38	23	9	11	0	2	24	0	0	0	5	74	247
30.	दिल्ली	24423	199	512	1869	69	57	2201	122	588	146	88	21087	58701
31.	लक्षद्वीप	11	3	3	0	0	1	2	0	0	0	0	8	31
32.	पांडिचेरी	456	72	3	21	4	14	476	4	36	19	6	2088	3362
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	26078	439	574	2084	74	94	2934	135	671	185	154	24574	66092
	कुल (समस्त भारत)	271907	80838	15454	41403	1347	11218	236313	6699	32311	8858	43823	763835	1764629

वर्ष 2000 के दौरान भारतीय दंड संहिता अपराधों की घटनाएं

क्रम सं.	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	हत्या	हत्या का प्रयास करना	हत्या की कोटि में आने वाला अपराधिक मानव वध	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण			डकैती	डकैती के लिए तैयारी और इकट्ठा होना	लूटपाट	सेंधमारी
						कुल	महिलाएं का	अन्य का				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	2704	1434	141	944	1099	716	383	261	5	635	7336
2.	अरूणाचल प्रदेश	68	63	7	36	58	42	16	47	0	100	269
3.	असम	1523	477	57	762	1474	1101	373	706	30	741	2756
4.	बिहार	5116	3818	742	1447	2599	939	1660	2153	200	2691	5260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	गोवा	42	27	6	21	11	7	4	4	0	33	436
6.	गुजरात	1317	597	26	330	1125	868	257	339	5	1159	5853
7.	हरियाणा	784	517	79	421	460	299	161	108	127	428	3600
8.	हिमाचल प्रदेश	123	89	8	129	110	95	15	9	0	17	821
9.	जम्मू और कश्मीर	766	1028	25	183	658	566	92	38	0	136	1295
10.	कर्नाटक	1694	1550	56	281	587	323	264	236	31	957	7522
11.	केरल	455	504	95	552	139	89	50	119	3	375	4321
12.	मध्य प्रदेश	3415	3287	223	3737	1177	869	308	210	146	1850	17245
13.	महाराष्ट्र	2857	1464	94	1310	1050	662	388	553	288	2530	14930
14.	मणिपुर	217	142	5	8	92	44	48	12	1	27	74
15.	मेघालय	124	49	5	35	31	13	18	92	1	125	167
16.	मिजोरम	40	17	8	58	10	3	7	6	0	17	384
17.	नागालैंड	111	37	16	14	31	4	27	42	6	125	171
18.	उड़ीसा	1138	1088	37	747	434	359	75	283	47	1188	3589
19.	पंजाब	797	668	80	334	464	292	172	21	98	62	1757
20.	राजस्थान	1513	2005	69	1242	3070	2550	520	99	24	1021	8065
21.	सिक्किम	19	11	1	6	2	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	1711	1834	31	538	1182	805	377	159	11	660	5580
23.	त्रिपुरा	306	56	0	86	293	40	253	37	0	71	237
24.	उत्तर प्रदेश	7755	8329	1176	1865	4233	2755	1478	920	62	4171	9569
25.	पश्चिम बंगाल	1892	583	683	814	926	749	177	353	306	817	454
	कुल (राज्य)	36497	29594	3670	15900	21315	14190	7123	6809	1391	19936	101691
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18	7	1	5	3	3	0	1	0	8	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	चंडीगढ	19	20	5	23	67	52	15	1	0	10	239
28.	दादरा और नगर हवेली	10	4	0	3	13	7	6	1	0	2	52
29.	दमन और द्वीव	3	7	0	1	5	3	2	3	0	1	45
30.	दिल्ली	586	598	57	435	1346	998	348	70	41	758	3453
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
32.	पांडिचेरी	26	18	4	5	10	8	2	1	0	4	74
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	662	654	67	473	1444	1071	373	77	41	783	3937
	कुल (समस्त भारत)	37159	30248	3737	16373	22759	15261	7496	6886	1432	20719	105628

वर्ष 2000 के दौरान भारतीय दंड संहिता अपराधों की घटनाएं (समाप्त)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चोरी	दंगे	अपराधिक न्यास भंग	धोखाधड़ी	जालसाजी	आगजनी	चोट पहुंचाना/ गंभीर रूप से चोट पहुंचाना	दहेज हत्याएं	छेडछाड़	यौन उत्पीड़न	यातना	लडकियों का आयात	अन्य भा.द.सं. अपराध	भा.दं.सं. के अंतर्गत कुल संज्ञेय अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	16296	2481	656	4852	149	863	29987	442	3231	2280	5399	0	40084	121279
2.	अरूणाचल प्रदेश	432	20	34	62	3	20	436	0	53	2	10	0	647	2367
3.	असम	5633	3406	372	530	50	400	4682	50	777	18	978	0	9754	35178
4.	बिहार	13759	11106	1493	1729	83	586	6142	1021	547	55	1423	0	58678	118648
5.	गोवा	668	62	30	48	7	25	196	2	20	9	13	0	762	2422
6.	गुजरात	16522	2262	1960	1751	68	583	14629	93	944	119	3739	0	62438	115859
7.	हरियाणा	6513	883	441	1029	18	202	5344	263	605	423	1286	0	15959	39490
8.	हिमाचल प्रदेश	690	610	71	131	4	128	1591	4	288	15	307	0	5990	11135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	जम्मू और कश्मीर	1843	934	103	361	18	328	332	10	480	342	51	0	8586	17517
10.	कर्नाटक	13664	7571	514	2295	685	341	23180	217	1568	75	1688	0	44698	109410
11.	केरल	4026	7149	411	2549	175	359	17928	25	1695	69	2418	0	55656	99033
12.	मध्य प्रदेश	25534	4169	652	1760	44	1305	33080	685	8516	840	3092	4	105470	216441
13.	महाराष्ट्र	41470	5633	1701	3677	230	1212	28642	371	2805	930	6768	0	54751	173466
14.	मणिपुर	211	94	13	142	17	61	258	0	18	0	4	0	1181	2577
15.	मेघालय	380	10	15	33	6	21	102	0	8	13	0	0	485	1702
16.	मिजोरम	936	2	34	103	11	11	105	0	70	0	0	0	504	2316
17.	नागालैंड	261	11	6	65	4	3	34	1	2	0	0	0	428	1368
18.	उड़ीसा	6454	1505	285	635	13	358	4208	276	1658	135	1088	13	24240	49419
19.	पंजाब	2509	0	326	2235	77	72	3571	199	340	40	917	0	9807	24374
20.	राजस्थान	17026	15687	858	6338	110	1104	16776	429	3092	50	5437	0	76968	160983
21.	सिक्किम	61	0	4	17	0	1	72	0	0	0	14	0	129	432
22.	तमिलनाडु	17255	5005	432	2221	248	1137	28208	191	1948	2167	837	7	79967	151329
23.	त्रिपुरा	294	286	26	28	6	87	518	16	59	0	129	0	837	3372
24.	उत्तर प्रदेश	27449	7682	3445	5207	125	863	14221	2222	2607	3160	6021	0	64586	175668
25.	पश्चिम बंगाल	15624	3899	534	1187	103	171	3990	284	1057	55	4025	0	28157	65834
	कुल (राज्य)	235510	80467	14416	39185	2254	10241	238232	6801	32388	10797	45644	24	748762	1701619
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	89	29	6	17	0	7	95	0	23	1	12	0	359	752
27.	चंडीगढ	1071	75	31	173	7	7	93	2	34	8	36	0	1014	2935
28.	दादर और नगर हवेली	72	28	11	6	0	3	27	0	4	1	2	0	201	440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29.	दमन व दीव	40	28	2	5	1	4	25	0	0	0	2	0	79	251
30.	दिल्ली	21082	210	476	1940	49	64	2258	125	549	123	106	0	21923	56249
31.	लक्षद्वीप	8	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	8	24
32.	पांडिचेरी	396	61	11	17	5	12	554	3	33	27	3	0	2116	3380
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	22758	431	538	2158	62	98	3054	130	643	160	161	0	25700	64031
	कुल (समस्त भारत)	258268	80898	14954	41343	2316	10339	241286	6931	33031	10957	45805	24	774462	1765650

वर्ष 2001 के दौरान (उपलब्ध माह तक) विभिन्न भा.द.सं. के अंतर्गत दर्ज मामलों की घटनाएं (जारी)

क्रम सं.	राज्य, संघ शासित क्षेत्र	हत्या	हत्या का प्रयास करना	हत्या की कोटि में न आने वाले अपराधिक मानव वध	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण			डकैती	डकैती के लिए तैयारी और इकट्ठा होना	लूटपाट	सेंधमारी	चोरी
						कुल	महिलाएं और लड़कियां	अन्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	2492	1340	178	847	1096	747	349	199	उ.न.	648	7117	16543
2.	अरूणाचल प्रदेश	83	53	7	28	83	32	51	24	उ.न.	84	248	443
3.	असम	1364	204	193	775	1437	785	652	528	उ.न.	664	2388	5104
4.	बिहार	3660	2225	525	687	2020	488	1532	1275	उ.न.	2160	2961	9388
5.	छत्तीसगढ	877	471	91	889	233	190	43	69	उ.न.	316	3973	4435
6.	गोवा	36	31	4	12	9	6	3	4	उ.न.	29	360	573
7.	गुजरात	1204	540	151	239	914	718	196	322	उ.न.	955	4991	15922
8.	हरियाणा	775	440	81	345	501	343	158	69	उ.न.	372	3028	6087
9.	हिमाचल प्रदेश	118	65	13	115	128	111	17	3	उ.न.	29	765	606
10.	जम्मू और कश्मीर	1075	1473	36	169	606	494	112	24	उ.न.	161	1345	1919
11.	झारखंड	1146	उ.न.	उ.न.	518	431	उ.न.	431	486	उ.न.	499	1096	3127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	कर्नाटक	1626	1475	74	293	559	275	284	214	उ.न.	847	6394	12868
13.	केरल	424	611	57	542	209	113	96	173	उ.न.	514	4382	5334
14.	मध्य प्रदेश	2364	2671	510	2724	959	737	222	138	उ.न.	1729	12973	19914
15.	महाराष्ट्र	2746	1499	109	1239	1046	861	185	498	उ.न.	2238	13816	39775
16.	मणिपुर	210	182	4	20	105	72	33	19	उ.न.	15	70	224
17.	मेघालय	149	51	2	27	49	11	38	84	उ.न.	116	153	258
18.	मिजोरम	29	17	5	44	5	3	2	2	उ.न.	12	422	956
19.	नागालैंड	101	39	10	16	15	0	15	13	उ.न.	133	146	250
20.	उड़ीसा	558	204	8	421	245	218	27	90	उ.न.	497	1439	2622
21.	पंजाब	725	791	78	282	546	403	143	39	उ.न.	125	1852	3035
22.	राजस्थान	1259	1923	111	1049	2718	2155	563	60	उ.न.	889	7284	16939
23.	सिक्किम	11	11	2	5	4	5	1	0	उ.न.	2	69	38
24.	तमिलनाडु	1646	2151	2	383	819	677	142	154	उ.न.	670	5851	16574
25.	त्रिपुरा	240	26	0	102	93	35	58	26	उ.न.	63	198	259
26.	उत्तरांचल	272	220	29	49	166	125	41	21	उ.न.	149	466	1308
27.	उत्तर प्रदेश	9608	8591	1117	1893	4699	3090	1609	865	उ.न.	3856	8230	26508
28.	पश्चिम बंगाल	1576	433	579	707	862	685	177	271	उ.न.	640	403	13597
	कुल (राज्य)	36374	27737	3976	14430	20557	13379	7178	5670	उ.न.	18412	92420	224606
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13	1	0	3	2	2	0	0	उ.न.	4	64	65
30.	चंडीगढ़	16	12	2	18	53	46	7	4	उ.न.	21	352	1468
31.	दादर और नगर हवेली	2	2	2	6	6	0	6	0	उ.न.	1	31	41
32.	दमन व दीव	4	3	0	0	5	3	2	0	उ.न.	0	35	34
33.	दिल्ली	518	515	63	320	1724	895	829	40	उ.न.	616	3020	19280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	0	0	0	0	0	उ.न.	0	1	10
35.	पांडेचेरी	25	35	0	8	5	4	1	1	उ.न.	4	112	528
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	579	568	67	355	1795	950	845	45	उ.न.	646	3615	21426
	कुल (समस्त भारत)	36953	28305	4043	14785	22352	14329	8023	5715	उ.न.	19058	96035	246032

वर्ष 2001 के दौरान (उपलब्ध माह तक) विभिन्न भा.द.सं. के अंतर्गत दर्ज मामलों की घटनाएं (समाप्त)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दंगे	अपराधिक न्यास भंग	धोखाधड़ी	जालसाजी	आगजनी	चोट पहुंचाना/ गंभीर चोट पहुंचाना	दहेज संबंधी हत्याएं	छेड़छाड़	यौन उत्पीड़न	पति द्वारा अत्याचार	अन्य भा.द.सं. अपराध	कुल	आंकड़े निम्नलिखित माह तक के हैं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आन्ध्र प्रदेश	2872	730	5135	150	उ.न.	उ.न.	535	3338	3751	5643	70324	122938	दिसम्बर
2.	अरूणाचल प्रदेश	24	41	25	3	उ.न.	उ.न.	0	48	4	7	1137	2342	दिसम्बर
3.	असम	2541	334	407	90	उ.न.	उ.न.	28	339	14	500	20517	37427	दिसम्बर
4.	बिहार	8255	493	595	236	उ.न.	उ.न.	694	325	6	1025	50386	86916	दिसम्बर
5.	छत्तीसगढ	821	143	339	32	उ.न.	उ.न.	59	1664	525	395	20849	36181	दिसम्बर
6.	गोवा	48	39	59	2	उ.न.	उ.न.	2	19	6	7	1101	2341	दिसम्बर
7	गुजरात	1547	1159	1047	59	उ.न.	उ.न.	88	764	63	3212	65901	99078	दिसम्बर
8	हरियाणा	758	584	519	31	उ.न.	उ.न.	260	461	435	1418	22552	38716	दिसम्बर
9.	हिमाचल प्रदेश	633	62	132	3	उ.न.	उ.न.	18	303	21	314	8176	11504	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	जम्मू और कश्मीर	1104	85	391	14	उ.न.	उ.न.	1	622	288	49	10143	19505	दिसम्बर
11.	झारखंड	1657	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	15225	24185	सितम्बर
12.	कर्नाटक	6651	494	2678	135	उ.न.	उ.न.	249	1665	81	1754	71041	109098	दिसम्बर
13.	केरल	7982	444	2621	138	उ.न.	उ.न.	22	2043	85	2484	75171	103236	दिसम्बर
14.	मध्य प्रदेश	3104	470	1230	70	उ.न.	उ.न.	529	7361	1590	2074	99562	159972	दिसम्बर
15.	महाराष्ट्र	4141	1467	3820	265	उ.न.	उ.न.	336	2820	1516	5565	86690	169586	दिसम्बर
16.	मणिपुर	136	27	65	18	उ.न.	उ.न.	0	35	0	6	1330	2466	दिसम्बर
17.	मेघालय	6	17	24	2	उ.न.	उ.न.	0	26	0	4	569	1537	नवम्बर
18.	मिजोरम	1	20	63	11	उ.न.	उ.न.	0	44	0	0	618	2249	दिसम्बर
19.	नागालैंड	3	10	24	10	उ.न.	उ.न.	0	0	0	0	443	1213	दिसम्बर
20.	उड़ीसा	712	39	323	6	उ.न.	उ.न.	144	796	85	334	16188	24711	जून
21.	पंजाब	1	369	2622	48	उ.न.	उ.न.	169	321	189	925	15656	27773	दिसम्बर
22.	राजस्थान	11214	1076	6996	93	उ.न.	उ.न.	460	2878	41	5532	94663	155185	दिसम्बर
23.	सिक्किम	44	3	19	7	उ.न.	उ.न.	0	12	0	0	69	256	नव. (जून, जुलाई, सितम्बर)
24.	तमिलनाडु	3485	289	1795	76	उ.न.	उ.न	155	1571	1077	716	99432	136856	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25.	त्रिपुरा	139	4	17	6	उ.न.	उ.न.	15	58	0	227	1327	2800	दिसम्बर
26.	उत्तरांचल	388	153	305	5	उ.न.	उ.न.	39	67	88	276	2929	6930	दिसम्बर
27.	उत्तर प्रदेश	7894	3282	5125	225	उ.न.	उ.न.	2197	2819	2316	6943	78211	174379	दिसम्बर
28.	पश्चिम बंगाल	3050	454	1107	94	उ.न.	उ.न.	273	932	45	3549	31184	59756	दिसम्बर
	कुल (राज्य)	69171	12288	37483	1829	उ.न.	उ.न.	6273	31331	12226	42959	961394	1619136	दिसम्बर
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13	10	8	2	उ.न.	उ.न.	0	19	1	9	444	658	दिसम्बर
30.	चंडीगढ़	89	25	154	2	उ.न.	उ.न.	3	21	70	38	978	3326	दिसम्बर
31.	दादर और नगर हवेली	4	15	11	1	उ.न.	उ.न.	0	2	0	1	199	324	दिसम्बर (अक्तूबर)
32.	दमन व दीव	23	3	20	1	उ.न.	उ.न.	0	0	0	3	81	212	दिसम्बर (अप्रैल, अगस्त)
33.	दिल्ली	162	481	1671	44	उ.न.	उ.न.	122	452	111	547	24698	54384	दिसम्बर
34.	लक्षद्वीप	1	1	0	0	उ.न.	उ.न.	0	0	0	0	22	36	दिसम्बर
35.	पांडिचेरी	100	5	23	3	उ.न.	उ.न.	1	36	26	3	3160	4075	दिसम्बर
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	392	540	1887	53	उ.न.	उ.न.	126	530	208	601	29582	63015	
	कुल (समस्त भारत)	69563	12828	39370	1882	उ.न.	उ.न.	6399	31861	12434	43560	990976	1682151	

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े।

नोट : आंकड़े अंनितम हैं। उ.न. उपलब्ध नहीं को दर्शाता है। कोष्ठक में दिए गए महीनों के नाम उस महीने के लिए आंकड़ों की अनुपलब्धता को दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

अयोध्या मुद्दा

6139. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में अयोध्या मामले की रोज सुनवाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार और इसके तंत्र को खण्डपीठ के साथ पूर्ण सहयोग सुनिशिचित करने के लिए निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संबद्ध अधिकारियों को स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (च) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के दिनांक 20.3.2002 के निर्णय के अनुपालन में अयोध्या में राम जन्म भूमि–बाबरी मस्जिद के संबंध में स्वामित्व वादों में गवाहों के बयानों की रिकार्डिंग इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष पूर्ण पीठ तथा इस उद्देश्य के लिए पीठ द्वारा नियुक्त आयुक्त ने प्रति–प्रतिदिन के आधार पर दिनांक 1.4.2002 से प्रारंभ कर दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पार्टियों को मामलों के त्वरित निपटान के लिए मामले में सहयोग करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आयोग पर होने वाली सभी खर्चों को वहन करना होगा तथा इस संबंध में पीठ को सभी संभव सहयोग देना होगा।

पेटेन्ट अधिनियम में संशोधन हेतु भारतीय दवा निर्माताओं की मांग

6140. श्री के. येरननायडू : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय आपात स्थितियों से निपटने के लिए पेटेन्ट अधिनियम में संशोधन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) कुछेक प्रमुख भारतीय औषध कंपनियों ने भारतीय पेटेन्ट कानून में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में अपने–अपने संघों के जरिए अभ्यावेदन दिए हैं। जैसा कि संसद की संयुक्त समिति द्वारा सूचित किया गया है, पेटेंट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 के साथ पठित पेटेंट अधिनियम, 1970 में राष्ट्रीय आपात परिस्थितियों से निपटने से संबंधित प्रावधानों सहित राष्ट्रीय हित और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

सुरक्षा संबंधी व्यय का दुरूपयोग

6141. श्री मोहन रावले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने उचित नियंत्रण तंत्र के अभाव, अपर्याप्त समन्वय, व्यय की खराब निगरानी और सुरक्षा संबंधी व्यय हेतु आबंटित धनराशियों के अन्यत्र उपयोग और दुरुपयोग के कारण जम्मू और कश्मीर सरकार की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक ने जम्मू तथा कश्मीर सरकार के बारे में 1996 से 2001 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट, जैसा कि सामान्य प्रक्रिया में अपेक्षित है, चालू बजट सत्र में राज्य विधान सभा में रख दी गई थी। बाद में सुरक्षा से संबंधित व्यय संबंधी नियंत्रक और महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियों, राज्य सरकार के अन्य विभागों से सबंधित टिप्पणियों के साथ कुछ स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। मीडिया ने, उपयुक्त नियंत्रण तंत्र का अभाव, अपर्याप्त समन्वय खराब निगरानी, व्यय को अधिक बताना और धनराशियों का अन्यत्र उपयोग और दुरूपयोग इत्यादि जैसी सामान्य टिप्पणियां विभिन्न पैराग्राफों से ली है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों की राज्य सरकार के संबंधित

विभागों द्वारा जांच की जा रही है, जो इस अनुरोध के साथ कि उन पैराग्राफों, जिनके बारे में, नियंत्रक और महा–लेखापरीक्षक की सन्तुष्टि के अनुसार स्पष्टीकरण दिया जाता है को हटा दिया जाए, प्रत्येक टिप्पणी के बारे में वास्तविक स्थिति से महा लेखाकार को अवगत कराएंगे। इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। जिन पैराग्राफों के संबंध में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक सन्तुष्ट नहीं होंगे, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, यथा समय, राज्य विधान सभा की लोक लेखा समिति के साथ उठाया जाएगा।

(ग) सरकार ने, राज्य सरकार से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा संबंधी व्यय के बारे में की गई टिप्पणियां तथा उन टिप्पणियों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया भेजने के लिए कहा है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान

6142. श्री जी. एस. बसवराज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान राज्य और मानद विश्वविद्यालयों को आबंटित भेदभावपूर्ण अनुदानों की तुलना में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान का हिस्सा बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लोक लेखा समिति ने 25 वर्ष पूर्व इस विषमता को समाप्त करने की सिफारिश की थी जिसके कारण विश्वविद्यालयों का ऐसा असमान विकास हुआ;

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विकास योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 13 विश्वविद्यालयों को 10.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गयी; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विकलांग खेल संघों (हैण्डीकैप्ड स्पोर्ट्स एसोसिएशन) के लिए धनराशि का आबंटन

6143. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांग खेल संघों को धनराशि आबंटित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज की तिथि के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण/सरकार द्वारा विकलांग खेल संघों को राज्य–वार, संघ–वार कितनी राशि आबंटित की गयी/जारी की गयी?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) विकलांग खेल संघों को अलग से कोई धनराशि आबंटित नहीं की जाती है। तथापि, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अनुसार, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग उन खिलाड़ियों को, जो उन खेलों में मान्यताप्राप्त टूर्नामेट में प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के समान अथवा निकट मानदण्ड रखते हों, को संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ के माध्यम से सहायता दी जा सकती है न कि किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से।

(ख) सरकार ने एक राष्ट्रीय खेल परिसंघ – अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद– को मान्यता दी है – जिसे वर्ष 1992–2000 में 3,20,945/- रु.; वर्ष 2000–2001 में 7,69,720/– रु. तथा वर्ष 2001–2002 में 6,35,166/–रु. की वित्तीय सहायता दी गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद को अनुदान

6144. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त विश्वविद्यालय को कुल कितना धन एवं अनुदान उपलब्ध कराया गया है;

(घ) क्या उक्त विश्वविद्यालय ने उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या उक्त विश्वविद्यालय कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देश देने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय को निम्नलिखित अनुदान मुहैया कराया है–

वर्ष	जारी किया गया अनुदान (रु. लाख में)
1999–2000	400.00
2000–2001	406.50
2001–2002	750.00

विश्वविद्यालय ने वर्ष 2000–2001 तक का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। वर्ष 2001–2002 का उपयोग प्रमाण–पत्र नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के पूरा किए जाने के बाद प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(च) से (झ) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से खाद्य एवं पोषाहार विषय में एक प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम चला रहा है और दो व्यापार पाठ्यक्रम अर्थात् (i) दुपहिया/तिपहिया ऑटोमेटिव मैकेनिक तथा (ii) घरेलू उपस्कर इलैक्ट्रिक मोटर रीवाइण्डिंग आरंभ करने का प्रस्ताव करता है।

[हिन्दी]

महिला एवं बाल विकास परियोजनाएं

6145. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सरकार और राज्य के गैर सरकारी संगठनों द्वारा महिला एवं बाल विकास से संबंधित भेजी गई कितनी परियोजनाएं आपके मंत्रालय के विचाराधीन हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन इस प्रकार की परियोजनाओं की संख्या 22 है।

खेल विद्यालय खोलना

6146. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खेल–विद्यालय खोलने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के विद्यालय खोलने के लिए जगहों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन स्थानों के चुनाव हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ग्रामीण और सामाजिक विकास परियोजनाएं

6147. डा. बलिराम : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण और सामाजिक विकास के लिए अनेक केन्द्र प्रायोजित परियोजनाएं अनेक राज्यों विशेषकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित नहीं की गयी हैं, क्योंकि जिला प्राधिकारी धनराशि का उचित उपयोग करने में असफल रहे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन राज्यों द्वारा अनियमितताओं

और धनराशियों के अनुचित प्रयोग के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957

6148. डा. साहिब सिंह वर्मा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की कुछ धाराएं पुरानी हैं और वे आज की स्थिति के अनुकूल नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत 44 वर्षों के अनुभवों के प्रकाश में सरकार का विचार इस अधिनियम की कुछ धाराओं में परिवर्तन/सुधार लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो संभावित परिवर्तनों/सुधारों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

संविधान की समवर्ती सूची में खेलों को शामिल करना

6149. श्री मानसिंह पटेल : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खेलों को और आकर्षक बनाने के लिए कुछ योजनाओं पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संविधान की समवर्ती सूची में खेलों को शामिल करने के रास्ते में आ रही रूकावटों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) शून्य आधारित बजट प्रक्रिया के आधार पर योजना आयोग ने इस मंत्रालय के खेल ब्यूरो की सभी योजनागत स्कीमों को निम्नलिखित छः छत्र योजनाओं के अंतर्गत लाने की सिफारिशें की हैं:–

1. संस्थान से संबंधित योजना
2. पुरस्कारों से संबंधित योजना
3. खेल संबंधी कार्यकलापों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन की योजना
4. प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित योजना
5. प्रतियोगिताओं से संबंधित योजना
6. अवस्थापना से संबंधित योजना

छह छत्र योजनाओं के अंतर्गत आने वाली स्कीमों के विलय की प्रक्रिया में, इन योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा जा रहा है।

(ग) राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल परिसंघों और अन्य संबंधित दलों के बीच एकमत के अभाव में "खेल" विषय को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव ने अधिक प्रगति नहीं की है।

[अनुवाद]

उर्वरक कम्पनियों को गैस की आपूर्ति

6150. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उर्वरक कम्पनियों को बाजार मूल्य पर गैस की आपूर्ति करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप उर्वरक के मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) उर्वरक इकाईयों को गैस की आपूर्ति गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लि., आयल इंडिया लि. और तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लि. जैसी विभिन्न गैस कम्पनियों द्वारा की जाती है। तथापि, इन गैस कम्पनियों द्वारा लिये गये मूल्यों का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार ने गैस आपूर्ति मूल्य में अक्तूबर, 1997 से संशोधन नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उस्मानिया विश्वविद्यालय

6151. श्री वाई. वी. राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस्मानिया विश्वविद्यालय ने दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली (डिस्टेन्स लर्निंग मोड) के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए विदेशी केन्द्रों की स्थापना की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुमति प्रदान कर दी गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस अनुमति को कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव को अधूरा पाया क्योंकि आयोग ने संगम ज्ञापन सहित एक विस्तृत प्रस्ताव की मांग की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) के कार्यकरण की समीक्षा

6152. श्री वीरेन्द्र कुमार :

श्री ए. नरेन्द्र :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को क्रियान्वित करने के लिए कोई दिशा निर्देश और मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों में ऐसी समीक्षा की गयी है;

(ङ) क्या सरकार को यह पता लगा कि ग्रामीण निर्धनों में से अति निर्धनों के लिए आरंभ की गयी इस योजना को बैंकों की सांठ-गांठ से बेईमान व्यक्तियों द्वारा हथियाया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों से मंत्रालय को ऐसी घटनाओं की सूचना मिली है; और

(छ) इस प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) के मौजूदा दिशा निर्देशों में निहित प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल है:-

* राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले ग्रामीण गरीबों के स्वरोजगार के लिए एस जी एस वाई एक समेकित कार्यक्रम है।

* केन्द्र और राज्य द्वारा 75 : 25 के अनुपात में योजना का वित्त पोषण किया जाता है।

* पंचायत समितियों और अन्य पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों, संबंधित विभागों और एन जी ओ की सक्रिय भागीदारी के जरिये डी आर डी ए के द्वारा एस जी एस वाई कार्यान्वित की जाती है।

* एस. जी. एस. वाई. का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्व-सहायता समूहों में संगठित कर, उनके प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण तथा बैंक ऋण और सरकारी अनुदान द्वारा आय सर्जक परिसंपत्तियां देकर सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को गरीब रेखा से ऊपर लाना है।

* सहायता प्राप्त परिवार (स्वरोजगारी) गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों में से व्यक्ति या समूह (स्व सहायता समूह) हो सकते हैं।

* एस जी एस वाई के अंतर्गत बल किसी प्रखंड में स्थानीय संसाधनों, योग्यता और लोगों की कार्य कुशलता तथा बाजार की शक्ति पर आधारित 4–5 मुख्य गतिविधियों की पहचान कर सामूहिक दृष्टिकोण पर है।

* एस जी एस वाई समूह दृष्टिकोण पर बल देता है जिसके अंतर्ग्रत ग्रामीण गरीब स्व सहायता समूहों में संगठित किए जाते हैं। समूह के सभी सदस्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों में से होने चाहिए और समूह में एक ही परिवार से एक से अधिक सदस्य शामिल नहीं होने चाहिए। कोई व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होना चाहिए।

* बी पी एल जनगणना के जरिए चयन किए गए और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित बी पी एल परिवारों की सूची योजना के अंतर्गत सहायता हेतु परिवारों के चयन का आधार होती है।

* योजनाओं में सामाजिक जागरुकता, प्रशिक्षण और स्व सहायता समूहों की क्षमता निर्माण के लिए एनजीओ/सीबीओ को सुविधा प्रदान के रूप में शामिल करने का प्रावधान है।

* स्वरोजगारियों का चयन तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है जिसमें बी डी ओ (उनके प्रतिनिधि) बैंकर और ग्राम सभा के सरपंच शामिल रहते हैं।

* एस जी एस वाई विशेषकर ग्रामीण गरीबों में कमजोर समूहों पर बल देता है। तदनुसार स्वरोजगारियों में 50 प्रतिशत अनु. जाति / अनु. जनजाति, 40 प्रतिशत महिलाएं और 3 प्रतिशत विकलांग होते हैं। प्रत्येक प्रखंड में बनाए गए समूह का 50 प्रतिशत विशेष रूप से महिलाओं के लिए होगा।

* स्व सहायता के गठन के क्रमशः 6 माह और 12 माह के बाद उनका प्रथम और द्वितीय ग्रेडिंग परीक्षण होता है। केवल वे समूह, जो इस परीक्षण में सफल होते हैं, को 6 माह के पश्चात 25000 रु. की आवर्ती निधि और 12 माह के पश्चात् आर्थिक गतिविधियों के लिए सहायता स्वीकृत की जाती है।

* 25000 रु. की आवर्ती निधि बैंक द्वारा नकद ऋण के रूप में स्वीकृत की जाती है, जिनमें 1000 रु. डी आर डी ए, द्वारा अनुदान के रूप में रिलीज किए जाते हैं।

* एस जी एस वाई के अंतर्गत सब्सिडी परियोजनाओं लागत के 30 प्रतिशत पर एक समान है जो अधिकतम 7500 रु. हो सकता है। तथापि अनु. जाति/अनु. जनजाति के मामले में ये क्रमशः 50 प्रतिशत और 10000 रु. है। स्वरोजगारियों के समूह (एस एच जी) के लिए सब्सिडी योजना की लागत का 50 प्रतिशत होगी जिसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख रु. है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी की कोई वित्तीय सीमा नहीं है।

* योजना के अंतर्गत सब्सिडी कार्योत्तर है। बैंक स्वरोजगारियों को सब्सिडी सहित पूरी परियोजना लागत को ऋण के रूप में संवितरित करेगा। स्वरोजगारियों के सब्सिडी रिजर्व फंड एकाउंट में सब्सिडी रखी जाती है। तथा पूर्व की कुछ किस्तों में ऋण में समायोजित की जाती है।

* सभी एस जी एस वाई ऋण को मध्य आवधिक ऋण के रूप में माना जाता है। जिसकी वापसी की न्यूनतम अवधि 5 वर्षों की है।

* एस जी एस वाई एक ऋण सह सब्सिडी कार्यक्रम है जिसमें सब्सिडी एक सक्षम बनाने वाला कारक है और ऋण एक मुख्य घटक है। यह ऋण की विभिन्न मात्रा प्रदान करता है लेकिन एक साथ ली गई ऋण की संपूर्ण राशि के लिए सब्सिडी की सीमा उस श्रेणी के लिए निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होती है।

* योजना के अंतर्गत स्वीकृत परिसंपतियों की परिसंपत्तियों के दुरुपयोग या हस्तांतरण की दृष्टि से जांच की जानी चाहिए।

* योजना के अंतर्गत दी गई पशुधन परिसंपत्तियों के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध है।

* वार्षिक आबंटन का 20 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्य के लिए 25 प्रतिशत) एस जी एस वाई आधारभूत संरचना निधि के रूप से ढांचागत विकास के लिए निर्धारित है जो उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता जांच, भंडारण और विपणन के लिए है। प्रशिक्षण के लिए 10 प्रतिशत जिसमें क्षमता विकास और आधारोन्मुख प्रशिक्षण शामिल है, स्व सहायता समूहों को आवर्ती निधि के लिए 10 प्रतिशत और शेष आर्थिक गतिविधियों हेतु अनुदान के रूप में उपयोग की जा सकती है।

* प्रखंड, जिला, राज्य और केन्द्र स्तर पर समितियों के जरिए विभिन्न स्तरों पर योजना की समीक्षा और निगरानी की जाती है।

* जिला स्तर पर जिला परामर्शदात्री समिति, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एस एल बी सी) और केन्द्र स्तर पर केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति (सी एल सी सी) द्वारा ऋण संग्रह की समीक्षा और निगरानी की जाती है।

(ग) और (घ) विभिन्न स्तरों पर एस जी एस वाई के कार्यान्वयन के निष्पादन की समीक्षा और निगरानी नियमित रूप से की जाती है। प्रखंड और जिला स्तर पर रिपोर्ट तथा परिसम्पत्तियों की वास्तविक जांच के जरिये इसकी समीक्षा तथा निगरानी की जाती है। केन्द्र स्तर पर मासिक प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट, क्षेत्र अधिकारी योजना के अंतर्गत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दौरा तथा निष्पादन समीक्षा समिति, जिसमें राज्य सचिव भाग लेते हैं, के जरिए योजना की समीक्षा और निगरानी की जाती है। जनवरी, 2002 में बिहार, झारखंड, पं. बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा राज्यों के लिए पटना में समीक्षा बैठक हुई थी। जिसमें वरिष्ठ बैक प्रतिनिधि तथा इन राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया था।

(ङ) से (छ) विशेष रूप से ऐसी कोई अनियमितताएं मंत्रालय के ध्यान में नहीं आयी है।

विनिवेश कोष की स्थापना

6153. श्री वी. के. पार्थसारथी :

श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित विनिवेश कोष की स्थापना को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) विनिवेश से जुटाई गई धनराशि का एक कोष स्थापित करने का प्रस्ताव समय-समय पर उठाया जाता रहा है। विनिवेश आयोग ने भी विनिवेश कोष स्थापित करने की सिफारिश की है। सरकार की वर्तमान सोच नितान्त रूप से इस प्रकार के कोष स्थापित करने के पक्ष में नहीं है। क्योंकि यह महसूस किया गया है कि भारत के संचित कोष को विखण्डित नहीं किया जाना चाहिए और यह कि कुल मिलाकर सरकारी व्यय के लिए परस्पर प्राथमिकताएं तय की जानी चाहिए।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन

6154. श्रीमती हेमा गमांग : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को देश में गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए केन्द्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन में अनियमितताओं से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की जानकारी में अब तक राज्यवार विशेषकर उड़ीसा, झारखंड बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों से आये ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.) का विनिवेश

6155. श्री दिनशा पटेल :

श्री सुबोध मोहिते :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड (आई. पी.सी.एल.) के क्रय के इच्छुक बोलीदाताओं ने सरकार से निजीकरण के पश्चात आवश्यक सामग्री की आपूर्ति जारी रखने और मूल्य निर्धारण पर गारन्टी की मांग की है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या आई. पी. सी. एल. की बोली में भारतीय तेल निगम की भागीदारी के प्रति उनके मंत्रालय तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच कोई मतभेद है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) बोलीदाताओं ने कच्चे माल की आपूर्ति के बारे में ओ एन जी सी और आई पी सी एल के बीच कतिपय लम्बित मामलों पर चिंता व्यक्त की थी। ये मुद्दे दोनों कंपनियों के बीच सुलझा लिए गए थे।

(घ) से (च) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर अंतर्मंत्रालय परामर्शों के माध्यम से चलाई जाती है और सभी संबंधित पक्षों के विचारों को ध्यान में रखने के बाद ही सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाते हैं।

"विन्टेज अलाउंस" के रूप में उर्वरक संयंत्रों को राजसहायता का भुगतान

6156. श्री एच. डी. देवगौडा : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ उर्वरक संयंत्रों को "विन्टेज अलाउंस" के रूप में अत्यधिक राजसहायता दी जा रही है यद्यपि वे क्षमता उपयोगिता के उच्च स्तर पर चल रहे हैं और उनके धारण मूल्यों की गणना की परिकल्पना की तुलना में वे अत्यधिक कम ईंधन/फील्ड स्टॉक का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "विन्टेज अलाउंस" के भुगतान को वापस लेने का निर्णय उच्च स्तर पर लिया गया था जिसे कभी कार्यान्वित नहीं किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार अब पहले की गयी सिफारिश/निर्णय को समाप्त करने का प्रयास कर रही है और उसका विचार इसके कार्यान्वयन को स्थगित करने का है; और

(च) यदि हां, तो विभिन्न कम्पनियों को पहले किये गये अधिक भुगतान का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इसकी वसूली के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (च) विभिन्न लागत तत्वों और खर्चों के संबंध में एक मूल्य निर्धारण अवधि के लिये अनुमोदित मानकों/मानदंडों के आधार पर यूरिया उत्पादकों को प्रतिधारण मूल्य की अदायगी नवम्बर, 1977 में लागू की गई प्रतिधारण मूल्य योजना के प्रावधानों के अनुसार की जाती है तथा उसके बाद से समय–समय पर कुछ संशोधनों के साथ यह जारी है।

दस वर्ष या इससे अधिक समय से चल रही यूरिया इकाइयों के लिये खपत उपयोग मानक और खपत मानक दोनों के संबंध में 5% का विंटेज भत्ता पांचवी मूल्य निर्धारण अवधि के दौरान 1.4.1988 से प्रतिधारण मूल्य योजना की समग्र रूप रेखा के भीतर एक नीति मानदंड के रूप में लागू किया गया था। पांचवी मूल्य निर्धारण अवधि के लिए विंटेज भत्ता सहित नीति मानदंड/मानक छठी मूल्य निर्धारण अवधि के लिये अर्थात् 30.6.1997 तक जारी रहे।

दिनांक 30.6.1997 से आगे की अवधि के लिये नीति मानदंड अभी भी सरकार के विचाराधीन है। इसलिये 30.6.1997 से आगे की अवधि के लिये उर्वरक उद्योग समन्वय समिति कार्यालय ने यूरिया इकाईयों को छठी मूल्य निर्धारण अवधि के लिये लागू मानदंडों के आधार पर तदर्थ भुगतान करना जारी रखा है। तदनुसार 1.7.97 से आगे की अवधि के दौरान 19

यूरिया इकाईयों (9 सार्वजनिक क्षेत्र इकाई, 3 सहकारी क्षेत्र इकाई, 5 निजी क्षेत्र इकाई तथा 2 संयुक्त क्षेत्र इकाई) को तदर्थ आधार पर विंटेज भत्ते का लाभ दिया जा रहा है। ये इकाइयां दिनांक 30.6.97 की स्थिति के अनुसार इस भत्ते के लिये पात्र थी। क्षमता उपयोग मानक के लिये विंटेज भत्ते के कारण वार्षिक प्रभाव लगभग 146 करोड़ रुपये और खपत मानकों के लिये विंटेज भत्ता लगभग 213 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

वर्तमान में विंटेज भत्ते के मुददे तथा सातवीं और आठवीं मूल्यू निर्धारण अवधियों के लिये अन्य नीति मानदण्डों की भी जांच की जा रही है और इनकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात की जायेगी।

सुरक्षा बलों द्वारा अपराध

6157. श्री सईदुज्जमा :

श्री दिनेश चन्द्र यादव :

श्री रामजीवन सिंह :

श्री सुकदेव पासवान :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान और दिनांक 20 अप्रैल, 2002 को हुई नवीनतम घटना सहित जम्मू–कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा सामूहिक बलात्कार की कितनी घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक घटना में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने की संभावना है कि सुरक्षा बल भविष्य में राज्य में मानवाधिकारों का उल्लंघन न करें?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) आतंकवाद से निपटते समय, सुरक्षा बलों द्वारा निर्धारित प्रचालन प्रक्रिया, जो अनिवार्य मानवाधिकारों के प्रति पूर्ण सम्मान सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है, का ईमानदारी से पालन करने की आवश्यकता पर विशेष महत्व देते हुए अनुदेश दोहराए गए हैं।

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अन्तर्गत संगठनों को प्रत्यक्ष अनुदान

6158. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) से जुड़े संगठनों को राज्यों के बजाय प्रत्यक्षतः अनुदान प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्र और राज्य के बीच दीर्घकालीन भागीदारी की परिकल्पना की गई है, जिसके अन्तर्गत केन्द्र और राज्य के बीच 9वीं योजना में 85:15, 10वीं योजना में 75:25 और उसके बाद 50:50 के अनुपात में व्यय की साझेदारी का प्रावधान है। पूर्व अनुमोदित पैटर्न के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध करायी जाती थीं, फिर संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा गठित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह राज्य कार्यान्वयन सोसायटियों को ये निधियां जारी की जाती थी। यह पाया गया कि राज्य सरकारों के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन सोसायटियों को निधियां प्रदान करने में काफी समय लग जाता है और इससे कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विलंब होता है।

चूंकि सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य निर्धारित अवधि में प्राप्त किया जाना है, अतः यह अनुभव किया गया कि राज्य कार्यान्वयन सोसायटियों को समय से और अबाध रूप से निधियां प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए सरकार ने निधियों के

अंतरण के तंत्र पर पुनर्विचार किया है और यह निर्णय किया गया है कि भारत सरकार का अंश सीधे ही राज्य कार्यान्वयन सोसायटियों को अंतरित किया जाए।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अन्तर्गत सड़क के निर्माण की प्रति किलोमीटर लागत

6159. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत सड़क निर्माण पर आने वाली प्रति किलोमीटर लागत का क्या मानदंड है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क की प्रति किलोमीटर लागत का अनुमान लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न जिलों में इसी प्रकार की सड़कों के लागत अनुमानों में भिन्नता होने के मामलों की जानकारी मिली है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ड) पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सड़क निर्माण के कार्यों की अभिकल्पना भारतीय सडक कांग्रेस द्वारा निर्धारित तकनीकी विनिर्देशनों के अनुसार तैयार की जाती है। सड़क का स्वरूप, अन्य बातों के साथ--साथ स्थान की संरचना, मिट्टी के प्रकार, वर्षा एवं यातायात घनत्व पर निर्भर करता है। सड़क निर्माण की औसत लागत निवेश की अभिकल्पना और लागत की क्रिया होने के कारण स्थानीय परिसंपत्तियों के अनुसार भिन्न हो सकती है।

एन.एस.सी.एन. के साथ वार्ता

6160. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम. एस. सी. एन. (आई. एम.) के साथ जारी वार्ता में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या एन. एस. सी. एन. (के) को वार्ता में शामिल किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास नागा समस्या का समाधान करने हेतु वार्ता पूरी करने की कोई समय–सीमा है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) शांति वार्ता की मुख्य उपलब्धि यह है कि एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) तथा सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों के समाप्त हो जाने के बाद नागालैंड में हिंसा के स्तर में काफी कमी आई है। प्रारंभ में यह समझौता 1.8.1997 से केवल तीन महीनों के लिए था। अब यह पिछले साढ़े चार वर्षों से जारी है तथा इससे नागालैंड और आस–पास के क्षेत्रों में काफी शांति कायम हुई है। नागालैंड में अनेक शांति रैलियों से पता चलता है कि लोग शांति वार्ताओं के हक में हैं। इन वार्ताओं से दोनो पक्षों को एक दूसरे का दृष्टिकोण समझने में सहायता मिली है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने संघर्ष विराम लागू करने के लिए एन.एस.सी.एन. (के) के साथ अलग से वार्ता शुरू की है।

(घ) और (ड) इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

कर्नाटक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम को अनुदान सहायतां

6161. श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

श्री शशि कुमार :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिये केन्द्रीय हिस्से के रूप में कर्नाटक राज्य अनुसूचित राज्य/अनुसूचित जनजाति विकास निगम को अनुदान सहायता हेतु केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातियों के विकास के लिये विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा शुरू किये गये

कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में केन्द्रीय हिस्सा 144.001 लाख रुपये है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिये धनराशि स्वीकृत और जारी कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो धनराशि के कब तक स्वीकृत और जारी किये जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) जी, हां। मंत्रालय के पास कर्नाटक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि. से वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए केन्द्रीय हिस्सा पूंजी के रूप में 144.00 लाख रुपए स्वीकृत करने के संबंध में, एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(घ) से (च) मामला मंत्रालय के विचाराधीन है।

पंजाब विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना

6162. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिये कोई पेंशन योजना लागू नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन विश्वविद्यालयों में पेंशन योजना लागू है;

(घ) क्या ऐसी एक योजना वर्ष 1993 में तैयार और अधिसूचित की गई थी और बाद में विश्वविद्यालय द्वारा एक अन्य योजना वर्ष 1999 में तैयार की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो पूर्व योजना को न लागू किये जाने और दूसरी योजना के अधिसूचित करने में देरी के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित संशोधित पेंशन योजना की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पेंशन योजना वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) पंजाब विश्वविद्यालय ने 1991 में एक पेंशन योजना बनाई थी जिसे 1993 में अधिसूचित किया गया था परंतु यह योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी क्योंकि योजना में कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप काफी बड़ी संख्या में व्यक्ति जो काफी पहले सेवानिवृत्त हुए थे उन्होंने भी योजना में शामिल होने का विकल्प दिया जिससे यह योजना आर्थिक दृष्टि से अव्यवहार्य हो गई। बाद में पहली योजना का समाप्त करके 1999 में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित पेंशन योजना बनाई गई जिसे 31.3.1998 या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों पर लागू करने का प्रस्ताव है। फिलहाल इस संशोधित प्रस्तावित योजन की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

विवरण

उन विश्वविद्यालयों की सूची जिनमें पेंशन योजनायें लागू हैं

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
2. असम विश्वविद्यालय, सिल्चर
3. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
4. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
5. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
6. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
7. जामिया मिलिया इस्लामियां, नई दिल्ली
8. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
9. नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा
10. पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
11. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी
12. तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर
13. विश्व भारती, शान्ति निकेतन
14. महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
15. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
16. मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

6163. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने लाभार्थियों को मुआवजा प्राप्त हुआ है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र में जिलावार कितने मामले स्वीकृत किये गये;

(ग) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत मुआवजा देने में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) ब्यौरा विवरण–। के रूप में संलग्न है।

(ख) ब्यौरा विवरण –।। के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) उक्त अवधि के दौरान अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। वित्तीय वर्ष 2002–03 से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा अन्नपूर्णा योजना के साथ राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राज्य योजना को अंतरित कर दी गई है। अब वित्त मंत्रालय राज्यों को अंतरित योजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में निधियां रिलीज करेगा।

विवरण-।

वर्ष 1999–2000 से 2001-02 के लिए राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत उन लाभार्थियों का राज्य–वार विवरण जिन्होंने मुआवजा प्राप्त किया।

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्यों का नाम	सूचित लाभार्थियों की संख्या		
		1999–2000	2000–01	2001–2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	30418	31477	21505
2.	अरूणाचल प्रदेश	35	105	45
3.	असम	5036	7357	6471
4.	बिहार	21538	13725	3955
5.	छत्तीसगढ़	एन.आर	9448	5217
6.	गोवा	3260	193	22
7.	गुजरात	2540	2315	2007
8.	हरियाणा	461	568	702
9.	हिमाचल प्रदेश	451	307	545
10.	जम्मू और कश्मीर	555	389	114
11.	झारखण्ड	एन.आर.	2664	1917
12.	कर्नाटक	4602	5643	1449
13.	केरल	4701	3389	1391
14.	मध्य प्रदेश	37766	31465	11796
15.	महाराष्ट्र	16884	11073	2411
16.	मणिपुर	103	307	7619
17.	मेघालय	202	527	500
18.	मिजोरम	73	194	170
19.	नागालैण्ड	70	310	109
20.	उड़ीसा	16858	16073	7664
21.	पंजाब	407	1451	254
22.	राजस्थान	4747	3698	2358
23.	सिक्किम	एन.आर.	125	एन.आर.
24.	तमिलनाडु	18591	16876	4750
25.	त्रिपुरा	631	916	317
26.	उत्तर प्रदेश	38768	25640	12859

1	2	3	4	5
27.	उत्तरांचल	एन.आर.	6932	812
28.	पश्चिम बंगाल	9886	9756	4387
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर
30.	चण्डीगढ़	40	29	32
31.	दादरा और नगर हवेली	एन. आर.	20	9
32.	दमन और दीव	3	7	1
33.	दिल्ली	156	40	एन.आर.
34.	लक्ष्यदीप	2	एन.आर.	8
35	पांडिचेरी	27	एन.आर.	44
	कुल	215811	203019	101440

एन.आर –असूचित

विवरण-II

वर्ष 1999–2000 से 2001–02 के लिए महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एन.एफ.बी.एस.) के अंतर्गत स्वीकृत मामलों का जिलावार विवरण

क्र. सं.	जिला का नाम	सूचित लाभार्थियों की संख्या		
		1999–2000	2000–01	2001–2002
1	2	3	4	5
1.	औरंगाबाद	2339	2691	एन. आर.
2.	अहमदनगर	244	218	118
3.	अकोला	665	93	36
4.	अमरावती	258	121	एन. आर.
5.	बीड़	2315	2	एन. आर.
6.	भण्डारा	एन. आर.	391	271
7.	बाम्बे	93	24	एन.आर.
8.	बोम्बे बाहरी	164	106	11
9.	बुलदाना	433	625	167
10.	चन्द्रपुर	585	159	108
11.	धुले	247	181	48
12.	गढ़चिरौली	365	372	एन. आर.
13.	जलगांव	345	116	एन. आर.
14.	जालना	182	121	एन. आर.
15.	कोल्हापुर	194	130	49
16.	लातूर	111	72	एन. आर.
17.	नागपुर	1443	242	एन. आर.
18.	नांदेड़	234	52	एन. आर.
19.	नन्दुरबार	415	366	232
20.	नासिक	286	एन. आर.	एन. आर.
21.	ओस्मानाबाद	388	89	69
22.	परभानी	900	एन. आर.	एन. आर.
23.	पुणे	112	142	एन. आर.
24.	रायगढ़	569	438	48
25.	रत्नागिरी	496	231	43
26.	सांगली	104	52	17
27.	सतारा	276	2163	82
28.	सिंधदुर्ग	850	94	70
29.	सोलापुर	253	265	138
30.	थाणे	835	462	625
31.	वर्धा	220	86	एन.आर.
32.	वाशिम	541	127	एन.आर.

1	2	3	4	5
33.	यावत्मल	314	176	74
34.	हिंगोली	94	612	165
35	गोंदिया	34	54	40
	कुल	16884	11073	2411

एन.आर. – असूचित

आई.सी.डी.एस. योजनाओं पर व्यय हुई अतिरिक्त धनराशि की कर्नाटक को प्रतिपूर्ति

6164. श्री जी. मल्लिकार्जुन्नपा :

श्री शशि कुमार :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने 31.5.2000 को संदर्भ संख्या डी.डब्ल्यू.सी., आई.सी.डी., के.डी.पी. 3/2000–01 के अन्तर्गत आई. सी. डी. एस. की केन्द्र प्रायोजित योजनाओ के अन्तर्गत वर्ष 2000–2001 के दौरान व्यय हुये 1839.90 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने 6622.25 लाख रुपये व्यय किये थे और केन्द्र सरकार इन आई.सी.डी.एस. योजनाओं हेतु 4785.35 लाख रुपये पहले ही जारी कर चुकी है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इन योजनाओं हेतु बकाया धनराशि कर्नाटक सरकार को जारी कर दी थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) इसके कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) कर्नाटक सरकार द्वारा वर्ष 2000–2001 में किये गये व्यय के संबंध में उन्होंने अपने पत्र सं. डी.डब्ल्यू. सी./आई.सी.डी./के.डी.पी. – 5/2001–02, दिनांक 28.6.01 के साथ विवरण प्रस्तुत किया था, जिसमें पिछले वर्ष के दौरान, 2680.83 लाख रुपये अधिक व्यय का उल्लेख किया गया था।

(ख) से (ङ) वर्ष 2001–02 के दौरान, कर्नाटक सरकार ने 6715.49 लाख रुपये व्यय किये थे और भारत सरकार ने 7466.18 लाख रुपये निर्मुक्त किये थे।

चावल जीनोम संबंधी जानकारी का दोहन

6165. श्री ए. नरेन्द्र : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जैव प्रौद्योगिकीविद् चावल जीनोम संबंधी जानकारी के दोहन के लिये पूरी तरह तैयार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा चावल जीनोम के संबंध में कोई कार्ययोजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना और वर्ष 2002–2003 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) जी हां। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने आई सी ए आर के घनिष्ठ सहयोग से चावल जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की थी। पादप आण्विक जीवविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दक्षिणी परिसर और राष्ट्रीय पादम जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, आई ए आर आई, नई दिल्ली में उन्नत सुविधाएं स्थापित की गई हैं। वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने चावल जीनोम के "जेनेटिकली एंकर्ड फिजिकल मैप" को तैयार करने में सहयोग दिया है। 100,000 से अधिक अनुक्रमण प्रतिक्रियाओं को करने के बाद 4.5 मिलियन बेसों के लिए आंकड़े सृजित किए गए हैं और 3.2 मिलियन बेसों के अनुक्रमण आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय आंकडा बेस को प्रस्तुत किये गये। भारतीय आंकड़ों सहित विश्व भर में तैयार किये जा रहे आंकड़ों का उपयोग हमारे वैज्ञानिकों द्वारा जीन खोज और फसल सुधार के लिए किया जा रहा है।

(ग) और (घ) चावल जीनोम के पूर्ण अनुक्रमण से चावल परिष्कार के लिए विस्तृत सूचना का संग्रह हो सकेगा। अनुक्रामित डी एन ए द्वारा कोड की गई जैविक कार्यप्रणाली को समझे

बिना इस जानकारी का पूर्ण उपयोग संभव नहीं होगा। क्रियात्मक जीनोमिक्स पर एक सामान्तर प्रयास को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

डी बी टी और आई सी ए आर द्वारा संयुक्त रूप से चावल में क्रियात्मक जीनोमिक्स पर एक कार्यशाला का शीघ्र ही आयोजन किया जा रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिक, चावल आनुवंशिकविद और आई आर आर आई, मनीला के उत्पादक तथा भारत के अग्रणी वैज्ञानिक भाग लेंगे। कार्यशाला की सिफारिशें चावल सुधार पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने में मदद करेंगी। 10वीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 1732.00 लाख रुपये का आबंटन किया गया है और वित्त वर्ष में 2002–2003 के लिए 584.00 लाख रुपये आबंटित किये गये है।

सी.एस.आई.आर. द्वारा बौद्धिक सम्पदा के लाइसेंसीकरण से वसूल की गई धनराशि में हिस्सेदारी

6166. श्री रामदास आठवले : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.एस.एस.आई.आर. ने अनुसंधान और विकास (आर.एंड.डी.) संविदा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस.एंड.टी) सेवाओं से बौद्धिक सम्पदा शुल्क के लाइसेंसीकरण से वसूल की गई धनराशि में हिस्सेदारी बंटाई है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार और संस्थान/प्रयोगशाला–वार कितनी धनराशि वसूल की गई/ली गई और हिस्सेदारी की गई?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1998–2001 के दौरान बौद्धिक शुल्क घटक और बौद्धिक संपदा की लाइसेंसिंग से वसूल की गई राशि सहित संविदागत अनुसंधान व विकास, परामर्श और तकनीकी सेवाओं से वसूल की गई निधियों की प्रयोशालावार/संस्थानावार स्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–I के रूप में संलग्न है।

इसी अवधि के दौरान प्रत्येक प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा वर्षवार बंटाई गई हिस्सेदारी/वितरित निधियों की राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 1998–2001 के दौरान बौद्धिक संपदा शुल्क और संविदागत अनुसंधान व विकास से वसूल की गई निधियां

(रुपये लाख मे)

प्रयोगशाला/ संस्थान का नाम	1998–99			1999–2000			2000–01		
	संविदागत अनु. व विकास	रॉयल्टी व प्रीमिया	कुल	संविदागत अनु. व विकास	रॉयल्टी व प्रीमिया	कुल	संविदागत अनु. व विकास	रॉयल्टी प्रीमिया	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सीबीआरआई, रूड़की	367.845	46.526	414.371	306.203	42.675	348.878	207.074	18.500	225.574
सीबीटी, नई दिल्ली	336.948	19.955	356.903	427.438	25.474	452.912	480.195		480.195
सीसीएमबी, हैदराबाद	205.347	9.711	215.058	435.721	10.828	446.549	559.710	10.290	570.000
सीडीआरआई, लखनऊ	443.670	21.791	465.461	308.217	321.192	629.409	357.730	78.532	436.262
सीईसीआरआई, कारैकुन्डी	126.033	36.155	162.188	98.175	30.449	129.624	108.442	18.608	127.050
सीईईआरआई, पिलानी	103.455	0.008	103.463	86.209	6.337	92.546	20.008	0.008	20.016
सीएफआरआई, धनबाद	431.879	152.841	584.720	100.003	23.854	123.857	144.552	-12.988	131.546
सीएफटीआरआई, मैसूर	119.797	15.631	135.158	98.887	23.808	122.695	83.146	12.811	95.957
सीजीसीआरआई, कोलकाता	251.604	10.642	262.246	315.630	4.251	319.881	410.253	1.504	411.757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सीआईएमएपी, लखनऊ	79.570	2.273	81.843	89.592	2.847	92.439	80.357		80.357
सीएलआरआई, चेन्नै	309.761	3.289	313.050	201.437	11.290	212.727	258.142	1.958	260.100
सीएमईआरआई, दुर्गापुर	225.195	1.502	226.697	189.237	0.024	189.261	145.040	2.122	147.162
सीएमआरआई, धनवाद	1086.592		1086.592	512.591	59.378	571.969	582.425	39.075	621.500
सीआरआरआई, नई दिल्ली	201.684	6.636	208.320	194.338	13.816	208.154	254.956	77.319	332.275
सीएसआईओ, चण्डीगढ़	118.572	2.104	120.676	17.771	2.501	20.272	109.748	–0.479	109.269
सीएसएमसीआरआई, भावनगर	38.692		38.692	25.201	1.100	26.301	49.704	6.250	55.954
आईएचबीटी, पालमपुर	29.680		29.680	31.294	0.100	31.394	40.129	0.100	40.229
आईआईसीबी, कोलकाता	6.548		6.548	9.599		9.599	15.948	1.114	17.062
आईआईसीटी, हैदराबाद	585.944	6.733	592.677	789.926	1.903	791.829	935.867	75.735	1011.602
आईआईपी, देहरादून	240.795	256.857	497.652	350.884	45.185	396.069	369.004	0.117	369.121
आईएमटी, चण्डीगढ़	60.366	14.253	74.619	67.610	24.075	91.685	202.662		202.662
आईएनएसडीओसी, नई दिल्ली	189.722		189.722	165.381	0.800	166.181	91.172		91.712
आईटीआरसी, लखनऊ	105.138	3.857	108.995	93.797	0.394	94.191	98.489	0.015	98.504
सीएसआईआर मद्रास, कॉ.				-0.050		-0.050			
एन ए एल., बैंगलूर	2507.245	3.701	2510.946	1727.832	4.893	1732.725	2109.347	1.594	2110.941
एनबीआरआई, लखनऊ	10.215	0.455	10.670	18.363	1.587	19.950	47.252	0.002	47.254
एनसीएल, पूणे	966.108	164.377	1130.485	1213.555	15.799	1229.354	1657.458	64.016	1721.474
एनईईआरआई, नागपुर	1349.293	41.130	1390.423	778.281	41.819	820.100	743.879	43.479	787.358
एनजीआरआई, हैदराबाद	250.981		250.981	167.655	0.500	168.155	397.389	0.750	398.139
एनआईओ, गोवा	1121.370	-0.590	1120.780	590.156	8.973	599.129	432.989	23.887	456.876
एनआईएससीओएम, न. दिल्ली	216.446		216.446	203.934	2.669	206.603	231.768		231.768
एनआईएसटीएडीएस, न. दिल्ली	32.859	0.342	33.201	29.536	0.052	29.588	18.357	0.036	18.393
एनएमएल, जमशेदपुर	114.384	0.753	115.137	113.350	1.152	114.502	96.528	1.500	98.028
एनपीएल, नई दिल्ली	203.021	5.470	208.491	166.646	17.337	183.983	145.111	0.450	145.561
आरआरएल, भोपाल	140.922	10.057	150.979	401.580	9.825	411.405	370.615		370.615
आरआरएल, भुवनेश्वर	51.388	12.453	63.841	137.399	0.020	137.419	36.937	20.473	57.413
आरआरएल, जम्मू	40.265	0.320	40.585	53.446		53.446	24.160	–0.450	23.710
आरआरएल, जोरहाट	77.263		77.263	21.282	8.899	30.181	30.403		30.403
आरआरएल, त्रिवेन्द्रम	53.191	6.193	59.384	98.259	12.000	110.259	101.770	0.250	102.020
एसईआरसी, गाजियाबाद	118.353	7.844	126.197	73.662	10.145	83.807	78.806	7.194	86.000
एसईआरसी, चैन्ने	200.099	39.468	239.587	244.935	50.000	294.935	272.785	26.451	299.236
सीएसआईआर, मुख्यालय	-63.426	52.869	-10.557	189.327	6.932	196.259	95.672	8.496	104.168
कुल	13054.814	955.336	14010.150	11145.289	844.883	11990.172	12495.979	528.722	13024.701

विवरण-II

वर्ष 1998–1999 से 2000–2001 के दौरान संदिग्ध प्रत्येक प्रयोगशाला द्वारा हिस्सेदारी की गई बौद्धिक शुल्कों की राशि

क्र. सं.	प्रयोगशाला का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	सीबीआरआई	2425799	1585122	0
2.	सीबीटी	0	0	0
3	सीसीएमबी	253800	152400	0
4.	सीडीआरआई	388717	3139322	0
5.	सीईसीआरआई	34200	494854	1227800
6.	सीईईआरआई	0	32182	0
7.	सीएफआरआई	991921	0	0
8.	सीएफटीआरआई	0	0	0
9.	सीजीसीआरआई	0	0	0
10.	सीआईएमएपी	0	0	0
11.	सीएलआरआई	1190653	3126316	81010
12.	सीएमईआरआई	0	0	0
13.	सीएमआरआई	421116	0	1063867
14.	सीआरआरआई	0	32000	0
15.	सीएसआईओ	0	0	0
16.	सीएसएमसीआरआई	0	0	0
17.	आईएचबीटी	0	0	0
18.	आईआईसीबी	0	0	0
19.	आईआईसीटी	1062664	2467095	3060376
20.	आईआईपी	0	0	0
21.	आईएमटी	40533	0	0
22.	आईएनएसडीओसी	0	0	0
23.	आईटीआरसी	92126	65136	20000
24.	मद्रास कॉम्पलैक्स	55796	62454	0
25.	एनएएल	0	398627	0
26.	एनबीआरआई	0	0	0
27.	एनसीएल	59941	20807	8752807
28.	एनईईआरआई	1333136	1356625	8148567
29.	एनजीआरआई	0	0	0
30.	एनआईओ	322554	2527042	414932
31.	एनआईएसीओएम	0	0	0
32.	एनआईएसटीएडीएस	172762	70540	0
33.	एनएमएल	61568	443899	900605
34.	एनपीएल	650700	196152	793825
35.	आरआरएल, भोपाल	2972530	2392575	0
36.	आरआरएल, भुवनेश्वर	181005	459934	982309
37.	आरआरएल, जम्मू	266764	205844	102925
38.	आरआरएल, जोरहाट	100473	7139	1425
39.	आरआरएल, त्रिवेन्द्रम	0	0	0
40.	सीईआरसी, गाजियाबाद	1146400	1508800	
41.	एसईआरसी, चेन्नै	0	0	1222666
42	सीएसआईआर मुख्यालय/ कॉम्पलेक्स	0	0	0
	कुल	14225158	20744865	26773114

केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण विकास योजना पर खर्च की गई धनराशि

6167. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं पर सातवीं, आठवीं और नौवीं योजना अवधि के दौरान और आज की तिथि तक राज्यवार कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) वे राज्य कौन से हैं जहां धनराशि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा सकता तथा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का निष्पादन इस संबंध में कैसा रहा; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिये आवासों का निर्माण

6168. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

श्री पुन्नू लाल मोहले :

श्री पी. आर. खूंटे :

श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिये सस्ते और टिकाऊ आवास उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) इस योजना को कब तक लागू किये जाने की संभावना है और पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(छ) क्या सरकार ने हडको के माध्यम से कम कीमत वाले आवासों के निर्माण के लिये ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय एक समेकित ग्रामीण आवास योजना क्रियान्वित कर रहा है (पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना और इसके सहयोगी कार्यक्रमों को मिलाकर) जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल) रहने वाले लोगों के लिए समतल क्षेत्रों में 20,000/–रु. और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 22,000/–रु. की दर से मकान निर्माण के लिए अनुदान दिये जाते हैं। योजना के अन्तर्गत पहचाने गये लाभार्थियों द्वारा स्वयं अच्छी गुणवत्ता वाले मकान बनाने होते हैं।

(ग) से (च) यह एक आबंटन उन्मुख योजना है और निधियां वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर आबंटित की जाती हैं। गरीबी प्रतिशत और मकान की कमी को समान महत्व देते हुए राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कुल ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी और आवासों की कमी की तुलना में जिले में ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की आबादी और आवासों की कमी को समान महत्व देते हुए उसी अनुपात में जिलावार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। योजना को निरंतरता के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है और सरकार का उद्देश्य दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की आवासहीनता को समाप्त करना है।

(छ) और (ज) ग्रामीण निर्मित केन्द्रों को स्थापित करने की योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी का अन्तरण और सूचना का प्रसार प्रशिक्षण के माध्यम से योग्यता को बढ़ाना और किफायती तथा पर्यावरण के अनुकूल सामग्री घटक का उत्पादन करना है। अब तक पूरे देश में 56 ग्रामीण निर्मित केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न–विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत ग्रामीण निर्मित केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	असम	1
3.	बिहार	3
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	17
6.	हरियाणा	1
7.	हिमाचल प्रदेश	4
8.	जम्मू और कश्मीर	2

1	2	3
9.	कर्नाटक	5
10.	केरल	1
11.	मध्य प्रदेश	4
12.	महाराष्ट्र	2
13.	उड़ीसा	5
14.	राजस्थान	1
15.	तमिलनाडु	2
16.	उत्तर प्रदेश	1
	कुल	56

[अनुवाद]

पॉलिटेक्निक संस्थानों की मांग में कमी

6169. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में पॉलिटेक्निक संस्थानों की मांग में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति सुधारने हेतु किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) देश में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में पॉलीटेक्निकों में वृद्धि हुई है। जिनकी संख्या 1999–2000 में 1096; 2000–2001 में 1129 और 2001–2002 में 1221 थी। तथापि, हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी तथा इससे संबंधित विषयों के स्नातकों के लिए रोजगार बाजार में रोजगार के अवसर में निरंतर बढ़ोत्तरी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, डिप्लोमा स्तरीय (पॉलिटेक्निक) तकनीकी शिक्षा की तुलना में डिग्री स्तरीय तकनीकी शिक्षा की मांग अधिक रही है।

(ग) पॉलिटेक्निकों में सूचना प्रौद्योगिकी तथा संबंधित विषयों में और अधिक पाठ्यक्रम शुरू करने पर बल दिया जाता है।

पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंध

6170. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

श्री आर. एस. पाटिल :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने संबंध सुधारने के पहले कदम के रूप में भारत के साथ क्रिकेट संबंध को पुनः स्थापित करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किन्हीं द्विपक्षीय या बहुपक्षीय खेलों या मैचों की योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) सरकार को, पाकिस्तान सरकार द्वारा लिए गए ऐसे किसी निर्णय के बारे में जानकारी नहीं है। तथापि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) को स्पष्ट की गई वर्तमान नीति के अनुसार सरकार फिलहाल भारत व पाकिस्तान के बीच दो राष्ट्रों के टूर्नामेंट में भाग लेना ठीक नहीं समझती है। सरकार ने कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए अनियमित स्थलों पर कोई भी मैच न खेलने का भी निर्णय लिया है। अतः भारत नियमित स्थलों पर बहुपक्षीय टूर्नामेंटों में पाकिस्तान के विरूद्ध खेलना जारी रखेगा। तथापि, किसी विशेष प्रतियोगिता के लिए अनुमति अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, अलग अलग मामले के आधार पर प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रदान की जाएगी।

(ग) और (घ) सितम्बर, 12–30,2002 से श्रीलंका में आयोजित की जाने वाली आई.सी.सी. चैम्पियन्स ट्राफी 2002 में भाग लेने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान सहित टैस्ट खेलने वाले सभी देश भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम की सहभागिता के बारे में अभी निर्णय लिया जाना बाकी है।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए पंचायतों को धनराशि

6171. श्री अधीर चौधरी :

श्री राजो सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायतों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित धनराशि न तो निर्धारित समय–सीमा के अंदर पहुंच रही है और न ही राज्य सरकारें धनराशि का उचित उपयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) धनराशि के उचित उपयोग हेतु समय पर निधियां उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायतों को धनराशि जारी करने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (च) इस समय, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) के अन्तर्गत कुछेक निर्धारित शर्तों को पूरा किए जाने पर जिला पंचायतों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के जरिए ग्राम पंचायत सहित पंचायतों को निधियां रिलीज की जाती हैं। सामान्यतः ये निधियां समय पर पंचायतों तक पहुंच रही हैं। पंचायतों के लिए 11वें वित्त आयोग अनुदानों की रिलीज के संबंध में पंचायतों को राज्य सरकारों के जरिए निधियां रिलीज की जा रही हैं। 2000–2002 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा उपयोग न किए जाने के आधार पर अब तक भारत सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं रोका गया है।

एस जी आर वाई के शीघ्र कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों के साथ विभिन्न मैंचों पर बैठकें आयोजित की गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की क्षेत्र अधिकारी योजना के अंतर्गत, वरिष्ठ अधिकारी एस जी आर वाई सहित इस मंत्रालय की भी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए अपने आबंटित राज्यों/जिलों का दौरा करते हैं। कार्यक्रम प्रभाग के अधिकारी भी प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्यों/जिलों का दौरा करते हैं।

'डाइट' के लिए अनुदान को स्वीकृति देना

6172. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पुणे, लातूर, नांदेड और धूले जिलों में स्थित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) हेतु अनुदान की दूसरी किस्त की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और अनुदान को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) पुणे, लातूर, नांदेड तथा धूले स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अनुदान की दूसरी किस्त की मंजूरी हेतु महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था और निम्नलिखित राशियां पहले ही जारी की जा चुकी हैं:

नांदेड – 29.00 लाख रु.

धूले – 9.20 लाख रु.

लातूर – 29.00 लाख रु.

पुणे स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए दूसरी किस्त जारी किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

आंगनवाड़ी वर्करों के लिए पुरस्कार की धनराशि में वृद्धि

6173. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर आंगनवाड़ी वर्करों को दिये जाने वाले पुरस्कार की धनराशि में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

'इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड' का विनिवेश

6174. श्री के. पी. सिंह देव :

श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल)' का विनिवेश करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विनिवेश प्रक्रिया शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) सरकार ने, इंजीनियर्स इण्डिया लि. (ई.आई.एल.) की 51 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश अनुकूल बिक्री के माध्यम से और 10 प्रतिशत इक्विटी रियायती मूल्य दर पर इसके कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया है। इंजीनियर्स इण्डिया लि. में विनिवेश पर सरकार को सलाह देने के लिए सलाहकारों के चयन की प्रक्रिया खुली प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से चल रही है। सरकार से इंजीनियर्स इण्डिगा लिमिटेड की 51 प्रतिशत इक्विटी अर्जित करने के लिए संभावित बोलीदाताओं में रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाला एक प्रैस विज्ञापन राष्ट्रीय समाचार–पत्रों को नामतः इकोनोमिक टाइम्स, फाइनेन्सियल एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैण्डर्ड और एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार–पत्र फाइनेन्सियल टाइम्स (लन्दन) में भी दिनाँक 04.04.2002 को जारी किया गया था। रूचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तारीख 17 मई, 2002 निर्धारित की गई है।

असम में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

6175. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक भूमि/जल आधारित क्रियाकलापों के जरिए ग्रामीण गरीबी उपशमन हेतु समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम से संबंधित कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) विशेषकर बारपेटा, बोगाईंगांव, नलवाडी और केच्चर जिलों से आज की तिथि के अनुसार जिलेवार कितने प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है; और

(ङ) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ङ) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने/उपजाऊ बनाने हेतु समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत निधियों का कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि विगत तीन वर्षों (1999–2000 से 2001–2002 तक) के दौरान समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी. पी.) के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए असम राज्य को 23.38 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृति हेतु राज्य सरकारों के परामर्श से प्राथमिकता सूचियां तैयार की जाती हैं। ऐसे परियोजना प्रस्तावों जिन्हें प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया जाता है और ऐसी परियोजनाओं जिन्हें वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के समनुरूप न होने अथवा अन्य कारणों से स्वीकृत नहीं किया जाता है, को तब संबंधित राज्य सरकार को वापस कर दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष नई प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है।

गत तीन वर्षों (1999–2000 से 2001–2002 तक) के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से असम के लिए कुल 39 परियोजनाओं के संबंध में प्राथमिकता निर्धारित की गई थी और 24 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। उन सभी परियोजनाओं जिन्हें असम राज्य के लिए वर्ष 2001–2002 के दौरान प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया था और जो मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप पाई गई थीं को पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। बारपेटा, बोगाईंगांव, नलवाड़ी तथा कछार सहित जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान असम राज्य में प्राथमिकता निर्धारित की गई और स्वीकृत की गई तथा स्वीकृत की गई आई. डब्ल्यू. डी. पी. परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	1999–2000		2000–2001		2001–2002	
	प्राथमिकता निर्धारित की गई	स्वीकृत की गई	प्राथमिकता निर्धारित की गई	स्वीकृत की गई	प्राथमिकता निर्धारित की गई	स्वीकृत की गई
1.	नौगांव	हाँ	गोलाघाट	हाँ	उत्तरी कछार हिल्स	हाँ
2.	हैला कान्डी–I	हाँ	कर्बी आंगलोंग–II	हाँ	नलवाड़ी	हाँ
3.	लखीमपुर	हाँ	धेमाजी	हाँ	धुब्री	हाँ
4.	गोलाघाट	नहीं	जोरहाट	हाँ	शिवसागर	हाँ
5.	करबी आंगलोंग	नहीं	तिनसुकिया	हाँ	दारांग	हाँ
6.	धेमाजी	नहीं	कोकराझार	हाँ	बोगाईंगांव	हाँ
7.	धुब्री	नहीं	सोनितपुर	हाँ	गोलपाड़ा	हाँ
8.	सोनितपुर	नहीं	डिब्रूगढ़	हाँ	दक्षिण कामरूप	हाँ
9.	तिनसुकिया	नहीं	मोरीगांव	हाँ	बारपेटा	हाँ
10.	कोकराझार	नहीं	करीमगंज	हाँ	जोरहाट–II*	हाँ
11.	मोरीगांव	नहीं	कछार	हाँ	गोलाघाट*	नहीं
12.	बोगाईंगांव	नही			धेमाजी*	नहीं
13.	गोलपाड़ा	नहीं			सोनितपुर*	नहीं
14.	नलवाड़ी	नहीं				
15.	करीमगंज	नहीं				
योग	15	3	11	11	13	10

*असम से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए चार परियोजना प्रस्ताव मार्च, 2002 में प्राप्त हुए थे। इनमें से जोरहाट जिले के लिए एक परियोजना (परियोजना–II) को सही पाया गया था और इसे स्वीकृत कर दिया गया था। शेष तीन परियोजना प्रस्ताव वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के समनुरूप नही पाए गए थे और इन्हें पुनः तैयार करने के लिए राज्य सरकार को वापस कर दिया गया था।

अर्द्ध सैनिक बल/सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को मुआवजा

6176. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा आतंकवादी विरोधी और अलगाव विरोधी कार्य किया जाना भी आवश्यक होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी गतिविधियों के दौरान जख्मी/मृत्यु

संबंधी मामले में मुआवजा प्रदान करने हेतु कोई विशेष विशा–निर्देश/नियम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने अर्द्ध–सैनिक कर्मी/सीमा सुरक्षा बल के जवान जख्मी हुए/मारे गए और मुआवजा संबंधी कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(च) सरकार द्वारा उन कार्मिकों के परिवारों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) राज्य सरकारों को लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल उपलब्ध कराए जाते हैं। इन बलों को, आतंकवादी विरोधी और विद्रोह विरोधी कार्य सहित विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं जो उस राज्य में व्याप्त आन्तरिक सुरक्षा स्थिति पर निर्भर करता है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मुठभेड़ों/दुश्मन द्वारा की गई कार्रवाई में मारे जाने वाले केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल कार्मिक के नजदीकी रिस्तेदार 7.5 लाख रु. के अनुग्रहपूर्वक मुआवजे के पात्र हैं। इसके अलावा, उदारीकृत पेंशन अधिनिर्णय के अन्तर्गत विधवा, सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जा रहे अंतिम वेतन के बराबर पेंशन भी प्राप्त करती है।

जहां तक जख्मी कार्मिकों का संबंध है, जिन्हें बोर्ड द्वारा सेवा से निकाल दिया जाता है उन्हें अशक्तता पेंशन दी जाती है। जो स्वास्थ पाए जाते हैं उन्हें हल्का कार्य देकर सेवा में बने रहने दिया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, अन्य सभी सेवा लाभ, जैसे सामान्य भविष्य निधि, केन्द्र सरकार कर्मचारी सामान्य बीमा योजना, छुट्टियों का नकदीकरण, मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान इत्यादि भी दिए जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मारे गए या जख्मी हुए अर्द्धसैनिक बल कार्मिकों, जिनमें सीमा सुरक्षा बल के जवान भी शामिल हैं, के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:–

	वर्ष					
	1999		2000		2001	
	जख्मी	मारे गए	जख्मी	मारे गए	जख्मी	मारे गए
सी.सु. बल	272	80	382	114	257	71
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	274	91	195	55	213	109
भारत तिब्बत सीमा पुलिस	11	5	6	4	38	4
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	–	1	–	1	–	–
असम राइफल्स	–	12	–	18	23	12

(च) वित्तीय सहायता के अलावा, जैसा ऊपर बताया गया है, मारे गए कार्मिकों के परिवारों के पुर्नवास के लिए निम्नलिखित सहायता भी दी जाती है :

(क) बल के मारे गए कार्मिकों के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

(ख) विधवाओं को रेल किराए में रियायात।

(ग) विधवाओं के लिए पैट्रोलियम पदार्थों की एजेन्सियों का आबंटन।

[हिन्दी]

'पोटा' अधिनियम

6177. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों में 'पोटा' लागू किया गया है,

और किन–किन राज्यों ने उक्त कानून को लागू करने से मना कर दिया है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में 'पोटा' को लागू करने हेतु क्या प्रयास किये गए हैं;

(ग) वे राज्य कौन–कौन से हैं जहां आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए उनका अपना अधिनियम है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन राज्यों के विरूद्ध कार्रवाई करने का है जिन्होंने "पोटा" लागू नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) किसी भी राज्य सरकार से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 को कार्यान्वित करने से इंकार किया गया हो।

(ग) इस मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार "अपने राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए" किसी भी राज्य सरकार ने विशेष कानून नहीं बनाया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में बताई गई स्थिति के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

बिना रिकार्ड के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा खर्च की गई धनराशि

6178. श्री टी. गोविन्दन :

श्री रामजीवन सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11.4.2002 के 'दि एशियन एज' में "यू जी सी स्पेन्ट रूपीज 100 करोड़ विद नो रिकॉर्डस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबध में क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विगत 10 वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख शोध परियोजनाओं हेतु 95.64 करोड़ रु. तथा लघु शोध परियोजनाओं हेतु 21.72 करोड़ रु. वितरित किये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक समय में किसी एक शिक्षक को एक परियोजना से अधिक का कार्य नहीं सौंपा गया है। तथापि, कोई भी शोधकर्त्ता एक समय में एक से अधिक अभिकरणों से शोध परियोजनाएं हाथ में ले सकता है। वर्ष 1995–98 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में 22 प्रमुख शोध परियोजनाओं के कार्य सौंपे गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रखे जा रहे रिकार्डों के अनुसार ये सभी परियोजनाएं पूरी कर ली गई है। लघु शोध परियोजनाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संस्वीकृत की जाती है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा कोई कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

दिल्ली में गगनचुंबी इमारतें

6179. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के विभिन्न भागों में गगनचुंबी और बहुमंजिली इमारतों का निर्माण निर्बाध रूप से हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में नये निर्माणों की अनुमति प्रदान करने संबंधी नियम और उप नियम क्या है और उनके प्रवर्तन हेतु कौन–कौन सी एजेंसियां जिम्मेदार हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) गगनचुंबी तथा बहु–मंजिला इमारतों की अनुमति तथा स्वीकृति केवल दिल्ली मास्टर प्लान–2001/भवन उपनियम 1983 के प्रावधानों के दायरे में दी जाती है।

(ख) दिल्ली मास्टर प्लान–2001, एकीकृत भवन

उपनियम 1983 के अनुसार समूह आवास (रिहायशी), सार्वजनिक तथा अर्ध–सार्वजनिक सुविधाओं और वाणिज्यिक उपयोग जोन के लिए गगनचुंबी तथा बहु–मंजिला इमारतों की अनुमति है। दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अपने संबंधित क्षेत्रों में एकीकृत भवन उपनियमों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार एजेंसियां हैं।

दिल्ली पुलिस द्वारा प्राप्त शिकायतें

6180. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशिष्ट व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों द्वारा दिल्ली पुलिस को भेजी गई शिकायत संबंधी मामलों की जांच के मौजूदा मानदंड क्या हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान विशिष्ट व्यक्तियों और माननीय संसद सदस्यों से दिल्ली पुलिस को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) दिल्ली पुलिस और सरकार द्वारा उन मामलों को निपटाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितनी शिकायतें लंबित है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) संसद सदस्यों सहित जन प्रतिनिधियों से प्राप्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उनकी तुरंत सुविधा की जाती है और उन्हें जांच के लिए संबंधित जिलों/ईकाईयों या सतर्कता शाखा को भेज दिया जाता है, जिसके परिणाम यथा समय संबंधित गण्यमान्य व्यक्ति को सूचित कर दिए जाते हैं। वर्ष 2000 और 2001 के दौरान, दिल्ली पुलिस को ऐसे 4511 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 28 लंबित हैं।

टू मिलियन हाऊसेस कार्यक्रम

6181. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में टू मिलियन हाऊसेस कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के लाभार्थियों को क्या शर्तें पूरी करनी होंगी;

(घ) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम हेतु लोगों की पात्रता के लिए कोई मानदण्ड तय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शासन एजेंडा ने सभी व्यक्तियों के लिए आवास को प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया है और सरकार ने आम तौर पर नागरिकों और विशेषतया निर्धनों और वंचित वर्ग के व्यक्तियों की आवास संबंधी जरूरतों पर विशेष रूप से ध्यान देने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर वर्ष 1998–99 में 20 लाख आवास कार्यक्रम (2 एम एच पी) प्रारंभ किया गया था जिसके तहत देश में प्रति वर्ष 20 लाख मकानों का निर्माण अपेक्षित था। राज्य सरकारी एजेंसियों के माध्यम से मांग के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई डब्ल्यू एस और निम्न आय वर्ग (एल आई जी) के व्यक्तियों के लिए इनमें से 7 लाख मकानों का शहरी क्षेत्रों में और 13 लाख मकानों का ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण करना अपेक्षित था।

(ग) से (ङ) आवास राज्य का विषय है। भारत सरकार की भूमिका निर्माता की बजाय सुविधाता की है। अपने राज्यों की आवास संबंधी समस्याओं से निबटने के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपनी कार्य योजना बनाना अपेक्षित है। तथापि, 20 लाख आवास कार्यक्रम (2 एम एच पी) मुख्य रूप से ई डब्ल्यू एस और एल आई जी वर्गों में से ही चुनने की आशा की जाती है।

रसायन और औद्योगिक उद्यानों की स्थापना

6182. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में रसायन और औद्योगिक उद्यानों की स्थापना करने से संबंधित बड़ी संख्या में प्रस्ताव केन्द्र सरकार के समक्ष अनुमोदन प्राप्त करने हेतु लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान एवं वर्तमान में प्राप्त हुए प्रस्तावों का राज्यवार, वर्षवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) एक वृहत रासायनिक औद्योगिक इस्टेट जिसमें रसायन उद्योग के लिए व्यापक आधारभूत सुविधाएं हों, स्थापित करने की जरूरत महसूस की गई है। समुद्रतटीय राज्यों की राज्य सरकारों से उनके राज्यों में ही उपयुक्त स्थान जिसे एससीआईई के रूप में विकसित किया जा सके, का पता लगाने का अनुरोध किया गया था। गत दो वर्षों के दौरान अर्थात् जनवरी, 2000 से आगे प्राप्त ऐसे प्रस्तावों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। विचार करने और योजना आयोग की सलाह के बाद यह निर्णय किया गया है कि भावी निजी प्रोमोटरों के साथ प्रस्ताव पर आगे विचार–विमर्श किया जाए।

विवरण

1.1.2000 से आगे रासायनिक औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	स्थान के ब्यौरे	प्रस्ताव की तारीख
1.	कर्नाटक	रायचूर	जनवरी, 2000
2.	कर्नाटक	अगसर, उत्तर कन्नड़	मई, 2000
3.	तामिलनाडु	कुड्डालोर	अगस्त, 2000
4.	उडीसा	पारादीप, जगसिंहपुर	मई, 2000
5.	गुजरात	दाहेज	जुलाई, 2000

आन्ध्र प्रदेश में नेशनल ओपन स्कूल सोसाइटी के केन्द्रों को बंद किया जाना

6183. श्री वाई. वी. राव : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की अनुदान सहायता संबंधी समिति ने आन्ध्र प्रदेश के नौ जिलों में ओपन स्कूल सोसायटी के 2700 केन्द्रों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) इस मंत्रालय की सहायता अनुदान समिति ने 1 जुलाई, 1997 को आयोजित अपनी बैठक में आन्ध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी, हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत अवस्थिति प्रस्ताव के साथ साथ आन्ध्र प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव के प्रस्ताव पर भी विचार किया था जो खर्च हुई शेष धनराशियों जो किसी अनुसूचित बैंक में अल्पावधिक निक्षेप के रूप में जमा करने से संबंधित था। इस समिति ने यह पाया कि इस परियोजना की प्रगति संतोषप्रद नहीं है। और समिति ने परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया और सोसायटी से खर्च न की गई बकाया राशि को वापस लौटाने को कहा।

यूरिया की खरीद संबंधी योजना

6184. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अप्रैल, 2002 के दि हिन्दुस्तान टाईम्स में "स्टेप्स टू लोवर यूरिया सब्सिडी कास्ट्स मूटेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या गुण दोष पर आधारित खरीद योजना एवं यूरिया आयात की सक्रिय अनुकूलतम मात्रा संबंधी योजना लागू करने से क्रमशः 650 करोड़ रुपये एवं 1725 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन दोनों योजनाओं को मंत्रियों के समूह के बीच विचार विमर्श करने हेतु नौवहन मंत्रालय के सुझावों में सम्मिलित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या 32 घरेलू यूरिया संयंत्रों में उत्पादन मिश्रण को परिवर्तित करने से राजसहायता का बोझ कम होगा; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) से (छ) प्रतिधारण मूल्य योजना के अंतर्गत सातवीं (1.7.1997 से 31.3.2000 तक) एवं आठवीं (1.4.2000 से 31.3.2002 तक या नयी मूल्य निर्धारण नीति के आने तक, जो भी पहले हो) मूल्य निर्धारण अवधियों के प्रस्ताव की जांच करने एवं अपनी अनुशंसाएं देने के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्री मंडल समिति के निदेशानुसार मंत्रियों के दल का गठन किया गया है। मंत्रियों के दल से व्यय सुधार आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने और अपनी अनुशंसाएं देने के लिए भी कहा गया है। यूरिया इकाइयों के लिए इन नीति मानकों को तैयार करने का कार्य परीक्षणाधीन है जिसकी घोषणा सक्षम अधिकारी द्वारा इसके अनुमोदन के पश्चात की जायेगी।

[हिन्दी]

ऊदिशा परियोजना

6185. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक ऊदिशा परियोजना को कार्यान्वित करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और शेष राज्यों द्वारा उक्त को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्य 'ऊदिशा' परियोजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। दमन व दीव द्वारा इसे कार्यान्वित किये जाने की संभावना है।

भू-अभिलेखों के लिए कम्प्यूटर केन्द्र

6186. श्रीमती हेमा गमांग : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर जनजातीय भूमि से संबंधित अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु देश में स्थापित किए गए कम्प्यूटर केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और केन्द्रों को स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनको कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (घ) भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण की योजना (सी.एल.आर.) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ वर्ष 1988-89 में आरंभ की गयी थी। इस योजना में (जनजातीय क्षेत्रों सहित) 582 जिलों को पहले ही शामिल किया जा चुका है। इन जिलों के मुख्यालयों में कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किए जाने के अलावा इस योजना को 2787 तहसीलों/तालुकों में कार्यान्वित भी किया गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत शेष जिलों और तहसीलों/तालुकों को भी शामिल किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों और तहसीलों/तालुकों/खंडों की संख्या को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शामिल जिले	उन तहसीलों/ तालुकों/खण्डों की संख्या जहां पर योजना कार्यान्वित की गयी है।
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	308
2.	अरूणाचल प्रदेश	14	–
3.	असम	23	27
4.	बिहार	37	–
5.	गुजरात	25	114
6.	गोवा	1	12
7.	हरियाणा	19	64
8.	हिमाचल प्रदेश	12	37
9.	जम्मू और कश्मीर	14	–
10.	झारखण्ड	22	66
11.	कर्नाटक	27	177

1	2	3	4
12.	केरल	14	63
13.	मध्य प्रदेश	45	259
14.	महाराष्ट्र	35	355
15.	मणिपुर	8	–
16.	मेघालय	–	–
17.	मिजोरम	9	23
18.	नागालैंड	8	–
19.	उड़ीसा	30	71
20.	पंजाब	17	–
21.	राजस्थान	32	241
22.	सिक्किम	4	9
23.	तमिलनाडु	29	206
24.	त्रिपुरा	4	14
25.	उत्तर प्रदेश	70	300
26.	उत्तरांचल	13	–
27.	पश्चिम बंगाल	18	341
28.	छत्तीसगढ़	16	98
29.	दादर और नगर हवेली	1	1
30.	दिल्ली	9	–
31.	पांडिचेरी	1	–
32.	चंडीगढ़	1	–
33.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–
34.	दमन व दीव	1	1
35.	लक्षद्वीप	–	–
	योग	582	2787

नोएडा आवासीय भूखण्ड योजना के अंतर्गत भूखण्डों का आबंटन

6187. श्री ए. वैंकटेश नायक : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नोएडा आवासीय भूखण्ड योजना, 2001 (I) के अंतर्गत भूखण्डों के आबंटन हेतु आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस योजना का ड्रा निकाला गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सफल आवेदकों को सेक्टर एवं भूखण्ड संख्या के बारे में सूचित किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भूखण्ड की विशिष्ट संख्या की अनुपस्थिति में आवेदक बैंकों/आवास विकास अभिकरणों से कम ब्याज दर वाले ऋण को प्राप्त करने में अक्षम हैं और प्राधिकरण को उच्च ब्याज दर पर भारी भरकम छमाही किश्तों का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं;

(च) यदि हां, तो प्राधिकरण द्वारा इस योजना से संबंधित विवरणिका में यथावर्णित अपनी प्रतिबद्धता को पूरा न करने के बावजूद उच्च दर लगाये जाने के क्या कारण हैं, और

(छ) आवेदकों के हितों की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यपगत न होने वाला कोष

6188. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र को अपने बजटीय आबंटन का 10% नहीं उपलब्ध करा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त मंत्रालय कौन से हैं;

(ग) मंत्रालयों के इस अड़ियल रवैये में सुधार करने हेत क्या कदम उठाए गए हैं·

(घ) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यपगत न होने वाले कोष को एक समय–सीमा के अन्दर व्यय करने हेतु कोई विशेष अभियान चलाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है?;

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ङ) सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से अपने बजट का कम से कम 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित हेतु योजनाओं/परियोजनाओं पर व्यय करना अपेक्षित है। निम्नलिखित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अवस्थिति/उनके बजटों में योजना प्रावधान के स्कीम विशिष्ट स्वरूप के कारण विशेष रूप से छूट दी गई है:

(1) व्यय

(2) राजस्व

(3) योजना

(4) महासागर विकास

(5) अंतरिक्ष

(6) आपूर्ति

(7) परमाणु ऊर्जा

(8) आर्थिक कार्य

(9) विदेश

(10) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

(11) चीनी एवं खाद्य तेल

(12) इस्पात

(13) विधि कार्य

(14) कार्मिक और प्रशिक्षण

(15) बायो–टेकनोलॉजी

(16) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(17) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान

(18) सामाजिक न्याय और अधिकारिकता (अनुसूचित जाति सेक्टर से संबंधित उनकी सकल बजटीय सहायता का केवल 2% व्यय करना है।

(19) राजभाषा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूर्वोत्तर (और सिक्किम) के लिए पर्याप्त योजना आबंटन बनाया जाता है, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से पूर्वोत्तर तथा सिक्किम हेतु एकमुश्त प्रावधान (बजट का 10%) करने के उद्देश्य से उनकी अनुदान मांगों में एक अलग शीर्ष बताने की अपेक्षा की जाती है। इस लक्ष्य को पूरा करने में शेष बच गई राशि केन्द्रीय संसाधन पूल में एकत्रित की जाती है। इस गैर व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (और सिक्किम) के तीव्र विकास को सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशेष और व्यवहार्य परियोजनाएं, विशेष रूप से वे परियोजनाएं जो अवसंरचनात्मक सेक्टर में हैं, केन्द्रीय पूल से शुरू की जाती हैं जिनके लिए परियोजना विशिष्ट सहायता जारी की जाती है। वित्तीय वर्ष 1998–99 के दौरान इसके प्रचालन से अभी तक (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार) पूर्वोत्तर और सिक्किम में विभिन्न परियोजनाओं के लिए इस पूल से कुल 1346.72 करोड़ रु. की सहायता जारी की गई है। केन्द्रीय पूल से सहायता, निरंतर तब तक जारी रखी जाएगी जब तक कि सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों (उन्हें छोड़ कर जिन्हें विशेष रूप से छूट प्राप्त है) द्वारा 10% का मानदण्ड पूरा नहीं कर लिया जाता है।

कर्नाटक में पनधारा विकास कार्यक्रम

6189. श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

श्री शशि कुमार :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसी परियोजना से संबंधित प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है; और

(घ) शेष प्रस्तावों पर कब तक विचार किए जाने एवं उनको मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (घ) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विकास बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने/उपजाऊ बनाने हेतु समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू. डी. पी.) को वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए उपलब्ध निधियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के परामर्श से परियोजना प्रस्तावों के संबंध में प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। ऐसे परियोजना प्रस्तावों जिन्हें संबंधित वर्ष के लिए प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया जाता है और ऐसी परियोजनाओं जिन्हें वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के समनुरूप न होने अथवा अन्य कारण से संबद्ध वर्ष के दौरान स्वीकृत न किया जा सका हो, को तब संबंधित राज्य सरकार को वापस कर दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष नई प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है। गत तीन वर्षों (1999–2000 से 2001–2002 तक) के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से कर्नाटक के लिए कुल उनतीस परियोजनाओं के संबंध में प्राथमिकता निर्धारित की गई थी। इनमें से तेरह परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। उन सभी परियोजनाओं, जिन्हें कर्नाटक राज्य के लिए वर्ष 2001–2002 के दौरान प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया था और जो मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप पाई गई थी, को पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। जिला–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में प्राथमिकता निर्धारित की गई और स्वीकृत की गई आई. डब्ल्यू. डी. पी. परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	1999–2000		2000–2001		2001–2002	
	प्राथमिकता निर्धारित की गई	स्वीकृत की गई	प्राथमिकता निर्धारित की गई	स्वीकृत की गई	प्राथमिकता निर्धारित की गई	स्वीकृत की गई
1.	बेलगांव–।।	हाँ	टुमकुर–IV	नहीं	हवेरी	हाँ
2.	गुलबर्गा	हाँ	टुमकुर–V	नहीं	मैसूर	हाँ
3.	कोल्लार–।।	हाँ	बीजापुर	नहीं	हसन*	नहीं
4.	बंगलौर (देहात)	हाँ	बिदर	नहीं	देवनगेरे–।	हाँ
5.	रायचुर	हाँ	कोप्पल	नहीं	शिमोगा	हाँ
6.	बीजापुर–।।।		धारवाड़	नही	चित्रदुर्गा–।।	हाँ
7.	धारवाड़	नहीं	चित्रदुर्गा	नहीं	माण्डया–।।।	हाँ
8.	देवनगेरे	नहीं	रायचुर	नहीं	कोलार–।।।	हाँ
9.	बिदर	नहीं			रायचुर–।।	हाँ
10.	दक्किन कन्नड़	नहीं			देवनगेरे–।।**	नहीं
11.	हसन	नही				नहीं
योग	11	5	8	–	10	8

*परियोजना प्रस्ताव मार्गदर्शी सिद्धांतों के समनुरूप नहीं था। अतः इसे स्वीकृत नहीं किया गया था।

** परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ था।

चंडीगढ़ में मलिन बस्तियां/आवास पुंज एवं मलिन आवास

6190. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मलिन बस्तियों/आवास पुंजों एवं मलिन आवासों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए पुनर्वास योजना का ब्यौरा क्या है और सभी मलिन बस्तियों को हटाने के लिए कब तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चंडीगढ़ संघ राज्य में चौबीस स्लम कालोनियां हैं परंतु इन स्लम कालोनियां में बसे परिवारों की संख्या का पता लगाने के लिए उनके द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि नगर और ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ) ने वर्ष 1995–96 में स्लमों पर अध्ययन किया था और 'ए कम्पेन्डियम ऑन इंडियन स्लम्स–1996, नामक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 में चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र की स्लम जनसंख्या लगभग 2.133 लाख होने का अनुमान था। भारत की जनगणना, 2001 के दौरान पहली बार भारत के महापंजीयक द्वारा देश के स्लम क्षेत्रों के बारे में विस्तृत आंकड़े एकत्र करने का प्रयास किया गया है और भारत की जनगणना, 2001 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ संघ राज्य की कुल स्लम आबादी 1.07 लाख है।

(ख) चंडीगढ़ प्रशासन ने सूचित किया है कि लाइसेंसिंग आफ टेनेमेंटस, साइट्स एण्ड सर्विसेज इन चंडीगढ़ स्कीम, 1979 नामक स्कीम के अंतर्गत स्लम निवासियों का पुनर्वास किया जा रहा है। पुनर्वास के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है ओर चंडीगढ़ की विकास योजना और चंडीगढ़ के चारों और परिधि नियंत्रण योजना को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहित की जानी है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा स्कूलों के लिए भू आवश्यकता संबंधी नियमों में ढील

6191. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जमीन की कमी के कारण, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक और उच्चतर स्कूलों की सहबद्धता के लिए भू आवश्यकता नियमों में हाल में ढील दी गई है और उन्हें कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के लिए सहबद्ध उद्देश्य हेतु भू आवश्यकता को भी, विशेषकर राजधानी की भीड़भाड़ को कम करने और दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों के बीच विद्यार्थियों की भीड़ को न्यूनतम करने की दृष्टि से कम कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो छूट का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी हाँ।

(ख) 18 जनवरी, 2001 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सम्बद्धन उपनियमों में किए गए संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में स्थित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धन की मांग करने वाले विधायकों के पास कम से कम निम्नलिखित क्षेत्रफल का भूखंड होना चाहिए :–

(i) वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सभी 4 विधाएं पढ़ाने वाले	4000 वर्ग मीटर
(ii) वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अधिकतम दो विधाएं पढ़ाने वाले	3000 वर्ग मीटर
(iii) माध्यमिक विद्यालय	2000 वर्ग मीटर

(ग) से (ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सम्बद्धन समिति ने हाल ही में दिल्ली के आस–पास के कुछ शहरों में स्थित विद्यालयों के लिए भूखंड की अपेक्षा से संबंधित नियमों में ढील देने संबंधी प्रस्तावों की सिफारिश की है। तथापि, बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी तक इस संबंध में उपयुक्त निर्णय नहीं लिया गया है।

भारतीय जेलों में विदेशी नागरिक

6192. श्री सुरेश रामराव जाधव :

श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जेलों में ऐसे कितने पाकिस्तानी नागरिक हैं जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। किंतु अभी भी वे भारतीय जेल में बंद हैं;

(ख) क्या सरकार ने पाकिस्तान से उनकी वापसी के बारे में कहा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय जेलों में अन्य देशों के नागरिक भी अपनी सजा पूरी कर लेने के बाद बंद है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय जेलों में अपनी सजा पूरी कर लेने वाले विदेशी नागरिकों के उनके स्वदेश वापस भेजने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) ऐसे 24 पाकिस्तानी कैदी हैं जिन्होंने अपनी जेल की सजा पूरी कर ली है और अभी भी भारतीय जेलों में हैं।

(ख) से (घ) पाक कैदियों का देश–प्रत्यावर्तन एक सतत प्रक्रिया है। पाकिस्तानी कैदियों को समय–समय पर कांसुली से मिलने दिया जाता है। एक बार पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा पहचान कर लिए जाने पर, कैदियों को उनके देश वापिस भेज जाता है।

(ङ) और (च) भारतीय जेलों में विदेशियों से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, जब कभी भी, कोई विदेशी अपनी जेल मियाद पूरी कर लेता है, तो संबंधित दूतावासों से यात्रा संबंधी दस्तावेजों का प्रबंध करके उसके देश वापिस भेज दिया जाता है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं/विश्वविद्यालय

6193. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

श्री आर. एल. जालप्पा :

श्री एम. के. सुब्बा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद द्वारा अब तक राज्यवार विशेष कर पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितनी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को अधिमान्यता प्रदान की गई है;

(ख) क्या राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद ने भारत में उच्च शिक्षा को लेकर राज्यों के लिए व्यापक कार्य योजना का मसौदा तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद द्वारा अधिमान्यता प्राप्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्राप्त करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने अब तक 52 विश्वविद्यालयों और 177 कालेजों को प्रत्यापित किया है। इनका राज्य–वार विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के कार्य मूल्यांकन, मूल्यांकन और प्रत्यायन हेतु प्रत्येक राज्य के लिए उच्चतर शिक्षा विभागों और विश्वविद्यालय के सहयोग से एक व्यापक कार्य योजना तैयार कर रही है। यह उच्चतर शिक्षा पद्धति में गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है तथा यह परिषद अब तक आठ राज्यों के लिए एक कार्य योजना तैयार कर चुकी है। प्रत्यायन प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समितियों की स्थापना भी की गई है।

(च) और (छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह आयोग राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद को संबंधित विश्वविद्यालयों की ओर से प्रत्यायन खर्च प्रदान कर रहा है। इसने नौवीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद को योजनागत एवं योजनेतर के

अधीन क्रमशः लगभग 290.00 लाख और 248.40 लाख रुपए का अनुदान भी दिया।

विवरण

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रत्यापित विश्वविद्यालयों/कॉलेजों की राज्य–वार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रत्यापित विश्वविद्यालय	प्रत्यापित कॉलेज
1.	आंध प्रदेश	04	09
2.	असम	01	01
3.	चंडीगढ़	01	01
4.	छत्तीसगढ़	–	01
5.	गोवा	01	08
6.	गुजरात	03	02
7.	हरियाणा	01	–
8.	जम्मू और कश्मीर	01	–
9.	झारखंड	–	01
10.	कर्नाटक	06	30
11.	केरल	02	43
12.	मध्य प्रदेश	03	02
13.	महाराष्ट्र	07	13
14.	मेघालय	01	01
15.	पांडिचेरी	01	–
16.	पंजाब	02	01
17.	राजस्थान	01	–
18.	तमिलनाडु	06	63
19.	उत्तरांचल	01	–
20.	उत्तर प्रदेश	03	–
21.	पश्चिम बंगाल	07	01
	कुल	52	177

[हिन्दी]

हडको को केन्द्रीय सहायता

6194. श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा हडको को नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत आवासीय सुधार और आश्रय योजना के लिए वर्ष 1991–92 से वर्ष 1999–2000 तक वर्षवार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान हडको द्वारा लाभार्थियों को कम राशि प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान हडको को और अधिक केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के क्या कारण थे;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इसकी जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में जिम्मेदार पाये गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) रिकार्ड के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा हडको को 1991–92 से 1995–96 तक नेहरू रोजगार योजना के तहत आवास एवं आश्रय उन्नयन घटक के लिए केन्द्रीय सहायता के रुप में 54.63 करोड़ रु. की राशि मुहैया कराई गई जिसका वर्षवार ब्यौरा विवरण के अनुसार है। यह योजना 01.12.1997 से स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) के तहत सम्मिलित कर दी गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) हड़को को इस अवधि के दौरान अधिक केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई क्योंकि उन्होंने निर्मित केन्द्रों सहित प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करके साथ–साथ प्रशिक्षण की तैयारी की तथा अपने निष्पादन में सुधार करने का आश्वासन दिया ताकि उपलब्ध धनराशि का शीघ्रता से उपयोग किया जा सके।

यह एक मांग आधारित योजना थी और राज्य सरकार तथा स्तर/नगर स्तर की एजेंसियों को लोगों की स्थानीय

आवश्यकताओं के अनुसार आश्रय उन्नयन की परियोजनाएं तैयार करने के लिए आगे माना अपेक्षित था। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से समुचित प्रत्युतर न मिलने तथा अपेक्षित राज्य प्रतिभूति आदि न मिलने के कारण हडको आवास एवं आश्रय उन्नयन घटक के अंतर्गत दी गई संपूर्ण धनराशि का उपयोग नहीं कर सका। सरकार ने इस मामले की जांच की और हडको को सारी और खर्च न की गई धनराशि ब्याज सहित लौटाने को कहा गया। हडको ने मूल राशि के बराबर सारी खर्च न की गई राशि वापस कर दी है और उस पर ब्याज अभी प्राप्त जाना है।

विवरण

हडको को आवास एवं आश्रय उन्नयन घटक के तहत 1991–92 से 1999–2000 तक मुहैया कराई गई केन्द्रीय सहायता को वर्षवार ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

वित्त वर्ष	शासू (सब्सडी)	शासू (प्रशिक्षण)	योग
1991–92	10.88	2.72	13.60
1992–93	10.64	2.66	13.30
1993–94	10.45	2.61	13.06
1994–95	9.76	2.44	12.20
1995–96	शून्य	2.47	2.47
1996–97	शून्य	शून्य	शून्य
1997–98	शून्य	शून्य	शून्य
1998–99	शून्य	शून्य	शून्य
1999–2000	शून्य	शून्य	शून्य
योग	41.73	12.90	54.63

[अनुवाद]

इन्दिरा महिला योजना

6195. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने इंन्दिरा महिला योजना नामक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को, विशेषकर असम को किए गए आबंटनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) अगस्त, 1995 में आरम्भ की गई इंदिरा महिला योजना को मार्च, 2001 में पुनर्निरूपित कर, इसका नया नाम स्वयंसिद्धा रखा गया है। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है, जिसका कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 2000–01 तथा 2001–02 के दौरान राज्यों को निर्मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा विवरण के रूप में दिया गया है। वर्ष 1999–2000 के दौरान कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई।

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त अद्यतन जानकारी के अनुसार, तत्कालीन इंदिरा महिला योजना के अंतर्गत 23,226 स्व–सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य–स्तरीय व्यय हेतु 2000–01 में निर्मुक्त राशि	राज्य–स्तरीय और खण्ड–स्तरीय व्यय हेतु 2001–02 में निर्मुक्त राशि	तत्कालीन इंदिरा महिला योजना—की प्रयुक्त राशि में से राज्य–स्तरीय तथा खण्ड–स्तरीय व्यय हेतु 2001–02 में प्रयोग हेतु अनुमत राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	11.19		16
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.16	2.05	2.95

1	2	3	4	5
3.	असम	7.68		
4.	बिहार	16.95		111
5.	झारखण्ड	7.68	45	
6.	गोवा	2.41		
7.	गुजरात	8.43		38.34
8.	हरियाणा	4.92	1.2	24.26
9.	हिमाचल प्रदेश	3.66	27.36	
10.	जम्मू और कश्मीर	4.92		
11.	कर्नाटक	6.67		
12.	केरल	6.17	15.64	9.92
13.	मध्य प्रदेश	10.68	64.72	1.4
14.	छत्तीसगढ़	5.92	55	
15.	महाराष्ट्र	10.68	55.25	10.75
16.	मणिपुर	2.41	7	
17.	मेघालय	2.91	15.6	2.35
18.	मिजोरम	2.41		
19.	नागालैण्ड	3.16	14	
20.	उड़ीसा	10.68	23.3	42.7
21.	पंजाब	5.42	49.36	0.5
22.	राजस्थान	8.43	87.34	
23.	सिक्किम	2.41	7	
24.	तमिलनाडु	12.69	15	65.07588
25.	त्रिपुरा	2.41	7	
26.	उत्तर प्रदेश	25.23	159.18	10.3
27.	उत्तरांचल	4.41	22	

1	2	3	4	5
28.	पं. बंगाल	11.44		16
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह			
30.	चण्डीगढ़			6
31.	दादर और नगर हवेली		6	
32.	दमन व दीव			
33.	लक्षद्वीप			6
34.	दिल्ली	2.66		
35.	पांडिचेरी	2.41	4.73	2.26138
	कुल	210.2	683.73	365.81

[हिन्दी]

अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती हेतु राज्यों पर बकाया देय राशियां

6196. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धारित नियमों के अनुसार, अर्द्ध–सैनिक बलों की तैनाती पर किए जाने वाले व्यय को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो पिछल तीन वर्षों के केन्द्र सरकार द्वारा अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती पर कितना व्यय किया गया है और आज की तिथि के अनुसार इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों के विरूद्ध राज्यवार कितनी राशि बकाया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी, हां। उन्हें छोड़कर जिन्हें ऐसे भुगतान से छूट प्राप्त है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के वर्ष–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

व्यय के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य का नाम	1999–2000 के दौरान केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों पर किया गया व्यय	2000–2001 के दौरान केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों पर किया गया व्यय	2001–2002 के दौरान केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों पर किया गया व्यय	तीन वर्षों में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों पर किया गया कुल व्यय	1.4.2002 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	199127700	230928023	297952828	728008551	1405866954
2.	असम	157454363	159565461	219711539	536731363	324924625
3	बिहार	416350691	293315225	179090018	888755934	1114376097
4	दिल्ली	465595988	505679383	1057754566	2029029937	4261316517
5.	गोवा	3788434	989540	365499	5143473	0
6.	गुजरात	10909956	17604382	16459445	44973783	16460272

1	2	3	4	5	6	7
7.	झारखंड	0	63762071	267047954	330810025	330810025
8.	हरियाणा	81055296	84255712	153237178	318548186	438415101
9.	केरल	0	0	2943800	2943800	2943800
10.	कर्नाटक	11415438	40025718	4212923	55654079	16985019
11.	महाराष्ट्र	4182054	2916718	18207677	25306449	6939716
12.	मध्य प्रदेश	8578249	3871232	9679083	22128564	832010
13.	उडीसा	6697830	6432029	37337070	50466929	34971973
14.	पांडिचेरी	455100	305560	161570	922230	161570
15.	पंजाब	185071264	175670978	330602386	691344628	2993238847
16.	राजस्थान	5167333	7011599	653905	12832837	0
17.	तमिलनाडु	145427905	103830388	133767465	383025758	1010220706
18.	उत्तर प्रदेश	286103827	289595383	319679557	895378767	1759359433
19	उत्तरांचल	0	3029700	1508000	4537700	4537700
20.	पश्चिम बंगाल	54396925	64689083	82226656	201312664	15260142
	कुल	2041778353	2053478185	3132599119	7227855657	13737620507

मंत्रियों द्वारा विदेश के दौरों पर व्यय

6197. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान माननीय प्रधान मंत्री सहित केन्द्रीय मंत्रियों के विदेश दौरों पर कितना व्यय हुआ; और

(ख) व्यय हुई राशि में यदि कोई वृद्धि हुई है तो वह कितने प्रतिशत है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान माननीय प्रधानमंत्री सहित केन्द्रीय मंत्रियों के विदेश दौरों पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है:–

वर्ष	व्यय
1999–2000	13,46,00,552/– रुपए
2000–2001	20,49,63,930/– रुपए
2001–2002	27,80,85,836/– रुपए

(ख) वर्ष 2000–2001 के दौरान किया गया व्यय वर्ष 1999–2000 के दौरान हुए व्यय से 52% अधिक था। वर्ष 2001–2002 के दौरान हुए व्यय से 36 प्रतिशत अधिक था।

विदेशी वाणिज्यिक ऋणों का प्रयोग

6198. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जमीन जायदाद और संपत्ति विकास में निवेश के लिए विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के प्रयोग पर लगे प्रतिबंध को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी दिशा–निर्देशों को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब से विदेशी वाणिज्यिक ऋण (ई.सी.बी.) अब से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय डी.आई.पी.पी. एस. ए. आई (एफ.सी. प्रभाग)

प्रेस नोट सं.–3 (2002 सीरिज दिनांक 4.1.2002) द्वारा यथा परिभाषित एकीकृत नगर के विकास के लिए लिया जा सकता है।

(ख) और (ग) सरकार ने इसके संबंध में संगत दिशानिर्देश बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा पाठ्यक्रम में संशोधन

6199. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने विभिन्न कोर्सों के पाठ्यक्रम में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने तकनीकी शिक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यचर्या तैयार की है जिसका सम्बद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा अपने पाठ्यविवरण के पुनरीक्षण के लिए गाइड के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सभी तकनीकी संस्थाएं, सम्बद्ध विश्वविद्यालय के पाठ्यविवरण एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करती है।

राष्ट्रीय पुलिस दूर-संचार नेटवर्क

6200. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुलिस दर–संचार नेटवर्क की स्थापना के संबंध में कोई योजना आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस पर कुल कितनी लागत आने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। सेटेलाइट संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक राष्ट्रीय पुलिस दूर संचार नेटवर्क शुरू किए जाने की प्रक्रिया में है। यह नेटवर्क राज्य पुलिस संगठनों और केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को वॉइस, फैक्स तथा डाटा के संचारण की सुविधाओं के साथ पुलिस स्टेशन से पुलिस स्टेशन को सीधा जोड़ेगा। यह परियोजना वी एस ए टी एस के माध्यम से जिला मुख्यालयों तक संपर्क स्थापित करने और एम ए आर टी (मल्टी एक्ससेस रेडिया टेलिफोन) को इस्तेमाल करके पुलिस स्टेशन तक वॉयस संबंध स्थापित करने की सुविधा प्रदान करती है। इसमें राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा विकसित अपराध–अपराधी सूचना प्रणाली का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके आपराधिक अभिलेखों के संचारण और प्रबोधन पर भी ध्यान दिया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत देश में हरेक पुलिस स्टेशन अन्य किसी भी पुलिस स्टेशन के साथ–साथ किसी भी अन्य जिला मुख्यालय या राज्य की राजधानी के साथ सीधे संपर्क साधने में समर्थ होगा। संविदा मूल्यांकन और उसे अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात, आश्यपत्र चुनिंदा विक्रेता को जारी कर दिया गया है। इस पर कुल 97 करोड़ रु. की लागत आने की संभावना है।

अनुसंधान और विकास पर व्यय

6201. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च किया गया;

(ख) क्या कुछ संगठनों तक वैज्ञानिकों ने इस कार्य पर कम व्यय किए जाने के बारे में अपना विरोध व्यक्त किया है और इस मद से निधियों में वृद्धि किए जाने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार अनुसंधान और विकास खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 1996–97, 1997–98 और 1998–99 में क्रमशः 0.72%, 0.77%, और 0.81% है।

(ख) नहीं, महोदय।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

धार्मिक संस्थाओं के लिए एक समान विनियम

6202. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न धार्मिक विन्यासों तथा हिन्दु कार्मिक संस्थाओं को विनियमित करने के लिए देश में कितने अधिनियम विद्यमान हैं;

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में एक समान विनियम बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एक समान विनियम बनाने के क्रम में बहुत से राज्यों ने कानून बनाये हैं और उन्हें अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार के पास भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(च) इन अधिनियमों के लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(छ) इन सभी कानूनों/अधिनियमों को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

फार्मूलेशन पैकों की कीमतों में वृद्धि

6203. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीय भेषज मूल्य प्राधिकरण ने 12 फार्मूलेशन पैकों की कीमतों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन फार्मूलेशन की कीमतों में वृद्धि की गई है;

(ग) इन फार्मूलेशन में वृद्धि का प्रतिशत क्या है;

(घ) कीमतों में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ङ) उससे अन्य आदमी पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(च) क्या इसमें कुछ अनिवार्य औषधि फार्मूलेशन भी शामिल है, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (छ) एन पी पी ए द्वारा 10.4.2002 को 12 सूत्रयोग पैकों के मूल्य में वृद्धि की गई थी। सूत्रयोगों के नाम, पैक आकार, विद्यमान मूल्य, संशोधित मूल्य, प्रतिशत वृद्धि से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है। मूल्य वृद्धि 5.13% से 19.63% के बीच है। मूल्य में वृद्धि, प्रपुंज औषध के मूल्य संशोधन, सी आई एफ मूल्य इत्यादि के कारण हुई है। अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषधियों तथा इन पर आधारित सूत्रयोगों का मूल्य निर्धारण/संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। जिसे औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन पी पी ए) द्वारा किया जाता है।

विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम/सूत्रयोग का नाम/ सम्मिश्रण	पैक आकार	वर्तमान मूल्य (रुपए में)	संशोधित मूल्य (रुपए में)	वृद्धि प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
(I).	**गैर सीलिंग पैक***				
क.	**आयातित मामले**				
I.	मै. इलीलिली एंड कंपनी (इंडिया) प्रा. लिमि.				
1.	मोनोकम्पोनेन्ट इंसुलिन हयूमइंसुलिन एनपीएच यू 100 कारट्रेज	3 मि.लि. कारट्रेज	198.74	208.94	5.13

1	2	3	4	5	6
	(ह्यूमिन इंसुलिन) प्रति मि.ली. में शामिल है इंसुलिन ह्यूमिन–100 आईयू (आईसोफेन इंसुलिन के रूप में) ग्लाइसेरोल–16 मि.ग्रा. प्रोटेमाइन बेस–0.27 मि.ग्रा. डीआई बेसिक सोडियम फास्फेट,. जिंक आक्साइड 1.6 एमजी एम–क्रीसोल के साथ तथा परिरक्षक के रूप में 0.65 मि.ग्रा. लिक्विसफाइड फीनोल				
2.	मोनोकम्पोनेंट इंसुलिन ह्यूमइंसुलिन रेगुलर यू 100 कारट्रेज (ह्यूमिन इंसुलिन) प्रति मि.ली. में शामिल है इंसुलिन ह्यूमिन–100 आईयू (न्यूट्रल इंसुलिन के रूप में) ग्लाइसेरोल–16 मि.ग्रा. तथा परिरक्षक के रूप में 2.5 मि.ग्रा. एम–क्रीसोल	3 मि.लि. कास्ट्रेज	198.74	208.94	5.13
3.	मोनोकम्पोनेन्ट इंसुलिन ह्यूमइंसुलिन 30/70 यू 100 कारट्रेज (ह्यूमिन इंसुलिन) प्रति मि.ली. में शामिल हैं इंसुलिन ह्युमिन – 100 आईयू (30%) न्यूट्रल इंसुलिन तथा 70% आइसोफैन इंसुलिन के रूप में) ग्लाइसेरोल–16 मि.ग्रा. तथा 0.189 प्रोटेमाइन बेस जिंक आक्साइड 1.6 मि.ग्रा. एम–क्रीसोल के साथ तथा परिरक्षक के रूप में 0.65 मि.ग्रा. लिक्विफाइड फीनोल	3 मि.लि. कास्ट्रेज	198.74	208.94	5.13
II	मै. नोवो नारडिक्स (इंडिया) प्रा. लि.				
4.	एक्ट्रापिड एचएम वाइल अत्यधिक परिशोधित न्यूट्रल इंसुलिन (मोनोकम्पोनेन्ट ह्यूमन) ह्यूमन एक्ट्रापिड–100 आईयू प्रति मि. लि.	10 मि. लि.	508.15	547.89	7.82
5.	मोनोटार्ड एचएम 100 आईयू वाइल अत्याधिक परिशोधित इंसुलिन जिंक सस्पेंशन (मोनोकम्पोनेन्ट ह्यूमन) ह्यूमन मोनोटाड – 100 आईयू प्रति मि.लि.	10 मि.लि. वाइल	508.15	544.66	7.18

1	2	3	4	5	6
6.	मिक्सटर्ड 30 एचएम 100 आईयू वाइल अत्यधिक परिशोधित मिश्रण न्यूट्रल इंसुलिन सोल्यूशन तथा आइसोफेन सस्पेंशन (मोनोकम्पोनेंट ह्यूमन) ह्यूमिन मिक्सटर्ड–100 आईयू प्रति मि.लि.	10 मि.लि.	508.15	543.63	6.98
7.	एक्ट्रापिड एचएम पेनफिल – 100 आईयू प्रति मि.लि. अत्यधिक परिशोधित न्यूट्रल इंसुलिन (मोनोकम्पोनेन्ट ह्यूमन) एक्ट्रापिड–एचएम पेनफिल–100 आईयू प्रति मि.लि.	5x3 मि.लि. कारट्रेज	993.69	1044.70	5.13
8.	इंसुलालार्ड एचएम पेनफिल – 100 आईयू प्रति मि.लि. अत्यधिक परिशोधित आइसोफेन इंसुलिन सस्पेंशन (मोनोकम्पोनेन्ट ह्यूमन) इंसुलालार्ड–एचएम पेनफिल–100 आईयू प्रति मि.मि.	5x3 मि.लि. कारट्रेज	990.55	1044.70	5.47
9.	मिक्सटर्ड 30 एचएम पैनफिल 100 आईयू प्रति मि.लि अत्यधिक परिशोधित मिश्रण न्यूट्रल इंसुलिन सोल्यूशन तथा आइसोफोन सस्पेंशन (मोनोकम्पोनेन्ट ह्यूमन) ह्यूमिन मिक्स्टर्ड – 30 एचएम पेनफिल–100 आईयू प्रति मि.लि.	5x3 मि.लि. कास्ट्रेज	993.69	1044.70	5.13
10.	मिक्सटर्ड 50 एचएम पेनफिल 100 अर्थात् प्रति मि.लि. अत्यधिक परिशोधित मिश्रण न्यूट्रल इंसुलिन सोल्यूशन तथा आइसोफेन संस्पेंशन (मोनोकम्पोनेन्ट ह्यूमन) ह्यूमिन मिक्सटर्ड – 50 एचएम पेनफिल–100 आईयू प्रति मि.लि.	5x3 मि.लि. कारट्रेज	993.69	1044.70	5.13
(II)	**सीलिंग पैक****				
ख	**संशोधन के मामले**				
11.	पाइरेन्टल पेमोएट टेबलेट प्रत्येक अलेपित टेबलेट में शामिल है पाइरेन्टल पेमोएट इक्यू से पाइरेन्टल बेस– 250 मि.ग्रा.	3' एस एल्युमिनियम ब्लिस्टर	6.42	7.68	19.63

1	2	3	4	5	6
11.	पाइरेन्टल पेमोएट टेबलेट प्रत्येक अलेपित टेबलेट में शामिल है पाइरेन्टल पेमोएट इक्यू से पाइरेन्टल बेस– 250 मि.ग्रा.	3' एस एल्युमिनियम ब्लिस्टर	6.42	7.68	19.63
12.	पाइरेटल पेमोएट सस्पेंशन प्रत्येक 5 मि. ग्रा. में शामिल है पाइरेन्टल पेमोएट इक्यू से पाइरेन्टल बेस– 250 मि.ग्रा.	मापने के कप सहित 10 मि.लि. बोतल	8.36	9.30	11.24

* कंपनी/पैक पर विनिर्दिष्ट गैर–सीलिंग मूल्य में स्थानीय कर की छोड़ कर सीमा–शुल्क शामिल है।

** सीलिंग मूल्य में सीमा–शुल्क तथा स्थानीय कर शामिल नहीं है।

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

6204. श्री पवन कुमार बंसल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारी लगातार बोनस के भुगतान की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्व में उन्हें बोनस का भुगतान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें बोनस के भुगतान में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसका भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) और (घ) चंडीगढ़ प्रशासन के वे कर्मचारी, जिन्होंने पंजाब की राज्य सरकार के कर्मचारियों की तदनुरूप श्रेणियों के लिए लागू वेतनमानों को चुना है, वे राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू सेवा शर्तों द्वारा शासित होते हैं। उन्हें गत तीन वर्षों के दौरान "बोनस" नहीं दिया गया है क्योंकि यह लाभ पंजाब की राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को नहीं दिया है।

सिविल डिफेंस और होमगार्ड कार्मिकों को प्रशिक्षण

6205. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल डिफेंस तथा होमगार्ड कार्मिकों को नई दिल्ली में आकस्मिक स्थिति/युद्धकालीन हताहतों से निपटने हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा प्रशिक्षण अन्य राज्यों विशेषकर पाकिस्तान से लगे हुए राज्यों में भी प्रारम्भ किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सिविल डिफेंस तथा होमगार्डों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड स्वयंसेवक, दोनों के प्रशिक्षण के लिए विस्तृत पाठयक्रम निर्धारित किए जाते हैं। नागरिक सुरक्षा पाठयक्रमों में अपेक्षित सभी कौशल उदाहरणार्थ संचार, बचाव, अतिविस्फोटित बम सर्वेक्षण और रिपोर्टिंग सेवा, आपात सेवा, छलावरण और छिपाव, अग्नि शमन इत्यादि शामिल किए गए हैं। होम गार्डों को (शस्त्रों के बिना और शस्त्रों के साथ), ड्रिल, शस्त्र प्रशिक्षण, अग्नि विधा, भीड़ नियंत्रण, फील्ड क्राफ्ट, गश्त मानचित्र पठन, अग्नि शमन, बचाव, प्राथमिक उपचार, बाढ़ राहत इत्यादि में बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है।

राष्ट्रीय पहचान पत्र

6206. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री नरेश पुगलिया :

श्री चन्द्र भूषण सिंह :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी नागरिकों को बहुदेशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने हेतु प्रस्ताव पर पुन' कार्रवाई शुरू करने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है जैसा कि 12 अप्रैल, 2002 के 'दि हिन्दु' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों द्वारा आपत्तियां व्यक्त किए जाने के पश्चात् यह प्रस्ताव पहले रूक गया था;

(घ) यदि हां, तो पिछली बार राज्यों द्वारा व्यक्त आपत्तियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये मुद्दों का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाये हैं;

(च) प्रस्तावित कार्ड कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(छ) क्या सरकार का राष्ट्रीय पहचान पत्र को नागरिकता अधिनियम में शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ज) देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों सहित भारतीय नागरिकों को बहुप्रयोजनीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के प्रस्ताव पर सरकार ध्यान दे रही है। इन कार्डों से विश्वसनीय पहचान प्रणाली तो उपलब्ध होगी ही, साथ ही इनका बहुविध प्रयोग भी हो सकेगा।

बहुप्रयोजनीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने में एक अरब से अधिक नागरिकों के लिए पहचान प्रणाली का सृजन, निचले स्तर पर जन्म व मृत्यु पंजीकरण के मौजूदा तंत्र को सुव्यवस्थित बनाना तथा निरंतर अद्यतन बनाए जा सकने वाले वैयक्तिक पहचानों के समेकित डाटा बेस के सृजन के लिए संस्थागत के साथ–साथ प्रौद्योगिकीय विकल्प अन्तर्ग्रस्त हैं। सरकार सभी संबंद्ध मामलों की गहराई से जांच करने के बाद तथा योजना को कानूनी आधार पर प्रदान करने सहित आवश्यक तैयारी करने के बाद ही अपने निर्णय को अंतिम रूप देगी।

नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना उपलब्ध विकल्पों में से एक है।

17 नवम्बर, 2001 को आयोजित आन्तरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के मामले पर विचार–विमर्श किया गया और इसका समर्थन किया गया।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अल्पसंख्यक दर्जा

6207. श्री ए. नरेन्द्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को "अल्पसंख्यक दर्जा" प्रदान करने की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो देश में जिन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को "अल्पसंख्यक दर्जा" मिला हुआ है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ विश्वविद्यालयों को "अल्पसंख्यक दर्जा" प्रदान करने की मांग का समर्थन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा भी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मांगों की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी मांगों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं (अनन्य रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान कर रही संस्थाओं से भिन्न) को मान्यता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये तथा अक्तूबर, 1989 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को भेजे गये नीतिगत मानदण्ड और सिद्धान्त संलग्न विवरण में दिए गए हैं । किसी शैक्षिक संस्था को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था मानने के लिए "अल्पसंख्यक" शब्द की परिभाषा तथा उसका विषय क्षेत्र और तत्संबंधी मुद्दे जिनमें इंडिका भी शामिल है, इस समय भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के ग्यारह न्यायधीशों की संवैधानिक पीठ के विचाराधीन है। एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय नामतः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी इस मामले में पक्षकार हैं।

विवरण

1. अल्पसंख्यक धार्मिक अथवा भाषाई आधार पर भी हो सकते हैं।

2. धर्म अथवा भाषा के आधार पर ऐसा समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय हो सकता है जिसके सदस्यों की संख्या संबधित राज्य की जनसंख्या के 50 प्रतिशत से कम हो।

3. शैक्षिक संस्था का प्रबंधन करने वाले अभिकरण को विविध दर्जा प्राप्त करना होगा–सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तियों के संघ के रूप में पंजीकृत होना अथवा निगमित स्वरूप का निकाय होना, आदि।

4. अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश केवल अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए।

5. शैक्षिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार युक्ति संगत विनियमों के अन्तर्गत होगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:–

- सम्बद्ध प्राधिकरणों (यथा, शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) द्वारा मान्यता देने संबंधी शर्तें;
- शिक्षकों के लिए अर्हताएं एवं सेवा शर्तें;
- यह अपेक्षा की किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाएं ऐसा कुछ नहीं करेंगी जो साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सामंजस्य को आडे आए।
- यह अपेक्षा कि संस्था अल्पसंख्यक संचालित संस्था के रूप में अपने विशेषाधिकार का उपयोग किसी व्यक्ति अथवा समूह के आर्थिक लाभ के लिए नहीं करेगी;
- अपने शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारियों के संदर्भ में इन समुदायों के अनुशासन संबंधित नियम नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरुप होंगे;
- युक्ति संगत प्रशासन के सिद्धान्तों का पालन;
- संबंधित शैक्षिक संस्थानों के संबंध में देश के सामान्य नियमों का परिवर्तन

6. अल्पसंख्यक प्रबंधित शिक्षक संस्थाओं को किसी भी अर्हता प्राप्त उम्मीदवार को नियुक्त करने की स्वतंत्रता होगी लेकिन उनके लिए यह उपयुक्त होगा कि वे शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों का चयन रोजगार कार्यालय के माध्यम से अथवा खुला विज्ञापन देकर करें।

7. अल्पसंख्यक प्रबंधित शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के पास अपेक्षित अर्हताएं होनी चाहिए।

8. विनियम ऐसे नहीं होने चाहिए कि अलपसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार निरर्थक हो जाएं, उदाहरणार्थः–

- शर्तें कि सरकार के पास संख्या के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने का अधिकार होगा;
- यह कि सरकार को प्रबन्धन समितियों के गठन का अधिकार होगा;
- यह कि संस्था के शासी निकाय में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्ति भी होंगे;
- यह कि सरकार संस्था को सीटें आरक्षित रखने के लिए कह सकती है;
- यह कि संस्था के शोधकर्ता उच्चतर शिक्षा के अवसरों के लिए पात्र नही होंगे;
- यह कि सरकार को किसी भी भाषा को शिक्षण माध्यम के रूप में उपयोग करने पर बल देने का अधिकार होगा;
- यह कि संस्था विद्यार्थियों से शुल्क नहीं लेगी आदि;

शर्तें विनियामक और/अथवा शैक्षिक स्वरूप की होंगी तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा का प्रभावी माध्यम बनाने में सहायक होंगी;

9. सहायता अनुदान मंजूर करने के मामले में अल्पसंख्यक तथा गैर–अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के बीच भेद–भाव नहीं किया जाएगा। इन सहायता अनुदानों को देते समय यह शर्त लगाई जा सकती है कि ऐसे विनियामक उपाय किये जाएं जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि जिन उद्देश्यों के लिए निधियां दी जाती हैं उनका उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

10. राज्य सहायता प्राप्त करने वाली अल्पसंख्यक प्रबंधित शैक्षिक संस्थाएं:–

- गैर अल्पसंख्यिक समुदाय के व्यक्तियों को धर्म, जाति आदि के आधार पर प्रवेश से इंकार नहीं करेंगी;
- छात्र अथवा उसके अभिभावक की सहमति के बिना उसे धार्मिक शिक्षा नहीं देगी अथवा उसे धार्मिक पूजा में शामिल होने के लिए विवश नहीं करेंगी।

11. निम्नलिखित के संबंध में स्पष्ट रूप से कार्यविधियाँ निर्धारित की जानी चाहिए–

- अल्पसंख्यक के रूप में मानी जाने वाली सोसाईटी/न्यास की पात्रता;

– मान्यता प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकरण;

– मान्यता प्रदान करने/वापिस लेने की प्रक्रिया;

– निर्णय लेने की समय सीमाएँ।

12. जिस मामले में मान्यता देने संबंधी निर्णय शैक्षिक संस्था के पक्ष में नहीं लिया जा सकता हो उसमें मान्यता न देने संबंधित आधारों से ऐसी शैक्षिक संस्था को अवगत कराया जाएगा ताकि वह मान्यता प्राप्त करने के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर कर सके।

प्रौढ़ साक्षरता का प्रचार करने के लिए पुरस्कार

6208. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ साक्षरता मिशन साक्षरता मिशन में अच्छा कार्य करने वाले जिलों के लिए प्रतिवर्ष पुरस्कार देता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2001–2002 के दौरान आंध्र प्रदेश में साक्षरता का प्रचार करने हेतु प्रौढ साक्षरता मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला–वार कितने जिलों को पुरस्कार दिया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले जिलों को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा सत्येन मैत्रा मेमोरियल राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

(ग) 2001–2002 के पुरस्कारों का अभी निर्णय नहीं हुआ है।

चंडीगढ़ में व्यावसायिक बूथों का आबंटन

6209. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पुनर्वास कालोनियों में चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/आवास बोर्डों द्वारा निर्मित बड़ी संख्या में व्यावसायिक बूथ गत कई वर्षों से बिना आबंटन के पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इन बूथों का निर्माण क्षेत्रवार किस वर्ष किया गया और उन पर कितनी लागत आई;

(ग) क्या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि ऐसे बूथों का कई स्थानों पर दुरूपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी हां। मौली जाग्रन में खाली पड़े 69 बूथ हैं। इन बूथों को 25.9.2001 तथा 23.1.2002 को हुई नीलामी में रखा गया था लेकिन इन्हें निपटाया नहीं जा सका क्योंकि क्षेत्र में व्यवसाय की स्थिति अच्छी न होने के कारण इन बूथों को खरीदने में कोई भी बोलीवाला इच्छुक नहीं था। इन बूथों को 26.00 लाख की लागत पर 1993 में पूरा किया गया।

(ग) और (घ) बूथों का स्वामित्व रखने वाले म्यूनिसिपल कारपोरेशन के रिकार्ड में ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

टी.आर.आई.एफ.ई.डी. द्वारा गैर-टिम्बर वन उत्पादों के लिए नए बाजारों की खोज

6210. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **जनजातीय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी.आर.आई.एफ.ई.डी. (ट्राइफेड) ने इसके द्वारा खरीदे गए गैर टिम्बर वन उत्पादों के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार बनाने की संभावनाओं की खोज कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयास में टी.आर.आई.एफ.ई.डी. किस सीमा तक सफल रहा है; और

(ग) इन उत्पादों की भंडारण अवधि में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) जैसाकि ट्राइफेड ने सूचित किया है, इसने 13 क्षेत्रीय कार्यालयों (दिल्ली में जनजातीय दुकानों सहित) दो फील्ड कार्यालयों, चार स्थायी प्रापण केन्द्रों और एक खुदरा निर्गम केन्द्र की स्थापना की है। ट्राइफेड गैर टिम्बर वन उत्पादों के लिए बाजार तलाशने के काम में भी लगा हुआ है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से प्राप्त प्रमुख गैर टिम्बर वन उत्पादों की बिक्री, बाजार ढूंढकर जगदालपुर, भुवनेश्वर और हैदराबाद शाखाओं द्वारा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्राइफेड गम कराया और लाख जैसे गैर टिम्बर उत्पादों का, अपने सम्बद्ध शिपरों के जरिए विश्व के विभिन्न भागों को निर्यात करता है।

(ग) ट्राइफेड की उच्च प्राथमिकता, गैर टिम्बर वन

उत्पादों की वस्तुओं का वैज्ञानिक ढंग से संरक्षण करने की है। इस समय ट्राइफेड ने संरक्षण के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय मालगोदाम निगम/राज्य मालगोदाम निगम और शीतगारों की सेवाएं किराए पर ली गई हैं। ताकि उत्पादों की शेल्फ लाइफ में वृद्धि की जा सके।

आई.डी.एस.एम.टी.योज़ना

6211. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

श्री अम्बरीश :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लघु और मंझौले कस्बों का समेकित विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) योजना के अन्तर्गत सज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का वर्ष–वार तथा राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों तथा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का वर्ष–वार तथा राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) लंबित प्रस्तावों और उन्हें स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारणों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने आईडीएसएमटी दिशानिर्देशों को शिथिल बनाने और परियोजनाओं की स्वीकृति/नई परियोजनाओं आदि की निधियों के विपणन जैसी कुछ शक्तियों को विकेन्द्रित करने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) छोटे और मझौले कस्बों के समेकित विकास (आईडीएसएमटी) की योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त 443 कस्बों के प्रस्ताव (पहले से शामिल कस्बों के प्रस्तावों सहित) अनुमोदित किए गए और केन्द्रीय सहायता के रूप में 175.34 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। अनुमोदित प्रस्तावों और राज्यवार व वर्ष–वार जारी केन्द्रीय सहायता राशि का ब्यौरा विवरण –। के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) नगर और ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ) में प्राप्त 38 कस्बों (2001–02) की परियोजना रिपोर्टों की जांच पड़ताल की जा रही है। उनका ब्यौरा विवरण ।। के रूप में संलग्न है।

(ङ) से (छ) विभिन्न राज्यों से नई परियोजनाओं से संबंधित दिशा निर्देशों में शिथिलता बरतने तथा आईडीएसएमटी के किसी कस्बे के लिये जारी किये जाने के बाद खर्च न किये जाने पर उसे अन्यत्र खर्च करने की राज्य स्तरीय मंजूरी समिति को अधिकार देने के बारे में विभिन्न समीक्षा बैठकों में सुझाव मिले है। उपर्युक्त के आलोक में इस मंत्रालय ने आईडीएसएमटी दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।

विवरण-।

1999–2000, 2000–2001 के दौरान आईडीएसएमटी के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव और कस्बों को जारी केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये में)

राज्य	क्र.सं.	कस्बा	99–2000	2000–01	2001–02	योग
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1.	नारायणपेट	24.00			24.00
	2.	जगीतयाल	37.00			37.00
	3.	छिलाकलूरीपेट	26.00			26.00
	4.	अमलापुरम	24.50			24.50

1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	5.	अडोनी	4.77			4.77
	6.	सगारेड्डी	26.50			26.50
	7.	गुटूर	–			2.59
	8.	बुधान	30.43			30.43
	9.	छित्तूर	66.00			66.00
	10.	तूनी		30.00	30.00	60.00
	11.	तिरूपति	52.00			52.00
	12.	निल्लोर	50.00			50.00
	13.	गदवाल	18.00			18.00
	14.	भोंगीर	26.00			26.00
	15	इलुरू	53.00			53.00
	16.	बोबली		23.00	22.94	45.94
	17.	गजूवाका	30.00	25.00		55.00
	18.	रामागुंडम	30.00	40.00		70.00
	19.	महबूब नगर	30.00	34.00		64.00
	20.	नंडापेटा	22.00	8.00		30.00
	21.	तेनाली		57.00		57.00
	22.	नालगौंडा		36.50		36.50
	23.	नांदयाल			63.00	63.00
	24.	सूर्यापेट			75.00	75.00
	25.	बापतला			58.00	58.00
	26.	कोव्यूर			45.00	45.00
	27.	नूजीविंदु			45.00	45.00
	28.	सिरसिला			41.90	41.90
	29.	पैदाना			14.20	14.20

1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	30.	अनन्तपुर			57.50	57.50
	31.	सदाशिवपेट			37.50	37.50
	32.	अनाकापल्ले			48.00	48.00
	33.	कादिरी			70.00	70.00
कुल			**552.79**	**253.50**	**608.04**	**1414.33**
अरूणाचल प्रदेश	34	छगलंग	23.00			23.00
	35.	सेप्पा	10.00			10.00
	36.	रोइंग			16.00	16.00
कुल			**33.00**		**16.00**	**49.00**
असम	37.	नालबारी	21.57			21.57
	38.	मंगोलदोई	22.54			22.54
	39.	गोलपाड़ा			55.00	55.00
	40.	रंगिया			29.30	29.30
	41	हैलाकान्डी	20.00			20.00
	42	धेमाजी	16.00			16.00
	43	बोकाखाट		15.00		15.00
	44	दिगबोई		16.00		16.00
	45	डिब्रूगढ़			105.00	105.00
	46	होजाई			45.00	45.00
	47	विश्वनाथ छरियाली			24.00	24.00
कुल			**80.11**	**31.00**	**258.30**	**369.41**
बिहार	48	फॉरविश गंज			69.99	69.99
	49	अररिया		15.00		15.00
	50	खगड़िया		15.00		15.00
	51	नरकटियागंज			41.00	41.00
	52	औरंगाबाद			45.00	45.00
	53	भभुआ			44.50	44.50
कुल				**30.00**	**200.49**	**230.49**

1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़	54	बैकुंटपुर			22.20	22.20
	55	चम्पा		30.00		30.00
	56	जंजगीर		30.00		30.00
	57	बलोद		16.00		16.00
	58	भाटापारा	30.00			30.00
	59	रायपुर		90.00		90.00
	60	काठगोरा			16.00	16.00
	61	धमतारी			50.00	50.00
	62	कोरबा			70.00	70.00
कुल			**30.00**	**166.00**	**158.20**	**354.20**
गोवा	63	मापुसा	17.00			17.00
	64	परनेम	12.50			12.50
	65	कनाकोना		8.00		8.00
कुल			**29.50**	**8.00**		**37.50**
गुजरात	66	नादियाद	72.76			72.76
	67	पालीताना	23.48			23.48
	68	बोरसद		22.09		22.09
	69	धोराजी	14.93			14.93
	70	पेटलाद		8.67		8.67
	71	पादरा	36.00			36.00
	72	सावरकुडला		2.50		2.50
	73	बावला		30.00		30.00
	74	नौदासा		2.00		2.00
	75	इदर	25.00	25.00		50.00
	76	अनन्दी		70.00		70.00
	77	बरदौली		30.00	30.00	60.00

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	78	जामनगर	90.00	90.00		180.00
	79	भावनगर	73.00	71.40		144.40
	80	द्वारका	30.00			30.00
	81	अम्बाजी		13.50		13.50
	82	माण्डवी		29.00		29.00
	83	वकोर			32.00	32.00
	84	ढोकला	22.00	5.60		27.60
	85	अंजर	22.00	8.00		30.00
	86	ऊना	22.00	8.00		30.00
	87	उमरेथ	22.00	8.00		30.00
	88	गांधीधाम		70.00		70.00
	89	जैतपुर		50.00		50.00
	90	धरनगधरा		48.00		48.00
	91	कापड़बंज		30.00		30.00
	92	कोंडीनेर			33.00	33.00
	93	वाकानेर			45.00	45.00
	94	लिमदी			45.00	45.00
	95	धान्धुका			45.00	45.00
	96	खेड़			45.00	45.00
	97	परन्तिज			45.00	45.00
	98	काडी			30.00	30.00
	99	बगसारा			40.00	40.00
	100	खम्बालिया			40.00	40.00
कुल			**453.17**	**621.76**	**430.00**	**1504.93**
हरियाणा	101	बरवाला		30.00		30.00
	102	चर्खी दादरी		30.00		30.00
	103	यमुना नगर		60.00		60.00
	104	पेहोवा		19.60	10.40	30.00

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	105	भिवानी		60.00		60.00
	106	अम्बाला सिटी		65.00		65.00
	107	सिरसा			70.00	70.00
	108	हांसी			50.00	50.00
	109	कुरूक्षेत्र			75.00	75.00
कुल				**264.60**	**205.40**	**470.00**
हिमाचल प्रदेश	110	नाहन	32.00	32.65		64.65
	111	ऊना	15.00	15.29		30.29
	112	रामपुर		16.00	16.00	32.00
	113	धर्मशाला		32.50	32.50	65.00
	114	सोलन	22.00	8.00		30.00
	115	चम्बरा	16.00			16.00
	116	थियोग	12.00			12.00
	117	कूल्लु	16.00			16.00
	118	पालमपुर		16.00		16.00
	119	नालगढ़		16.00	32.00	48.00
	120	ज्वालामुखी			16.00	16.00
	121	पोंटा साहिब			8.00	8.00
कुल			**113.00**	**136.44**	**104.50**	**353.94**
जम्मू और कश्मीर	122	सोपौर		38.24		38.24
	123	जम्मू			145.00	145.00
	124	अनन्तनाग			75.00	75.00
कुल				**38.24**	**220.00**	**258.24**
कर्नाटक	125	निप्पानी	32.90			32.90
	126	दोड्डाबल्लापुर	30.50			30.50
	127	बेहहोंगेल	46.98			46.9
	128	मांडया	45.00	70.47		115.47

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	129	बीजापुर	39.00	46.95		85.95
	130	लक्ष्मेश्वर	36.91	2.00		38.91
	131	सिगगांव	20.06			20.06
	132	सवानूर	18.35	18.30		36.65
	133	गडगबेटागिरी	45.00	70.12		115.12
	134	कोटरू	24.00			24.00
	135	मलूर	24.00	23.82		47.82
	136	सोरापुर	18.80			18.80
	137	कुंडापुरा	42.83	4.11		46.94
	138	सितलाघट्टा	20.00	18.20		38.20
	139	अरसीकेरी		54.58		54.58
	140	हुनसूर		56.43		56.43
	141	गजेन्द्रगढ़			60.00	60.00
	142	सिरा		60.00		60.00
	143	बंगारापेट	21.85	21.85		43.70
	144	कोपल		60.00		60.00
	145	कदूर	6.76		31.13	37.89
	146	होलननरसीपुरी	10.23		29.50	39.73
	147	चिनचोली			32.00	32.00
	148	मुदेविहार		18.14	11.86	30.00
	149	हरपनहल्ली			60.00	60.00
	150	चेनागिरी			32.00	32.00
	151	रोन			32.00	32.00
	152	हसन			120.00	120.00
	153	नवलगुंड	13.00			13.00
	154	मानवी	22.00	4.00		26.00
	155	दावनगेरी	30.00	40.00		70.00

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	156	गुलबर्गा	30.00	53.00		83.00
	157	अठानी		15.00		15.00
	158	अलन्द		30.00		30.00
	159	बीरूर		30.00		30.00
	160	देवनहल्ली		14.00		14.00
	161	चमराजनगर			30.00	30.00
	162	मुंडारागी			12.30	12.30
	163	केरूर			22.90	22.90
	164	हानागल			45.00	45.00
	165	इंदी			45.00	45.00
	166	तुमकुर			50.00	50.00
कुल			**578.17**	**710.97**	**613.69**	**1902.83**
केरल	167	पठानामथित्ता	5.50			5.50
	168	अलुवा	15.42			15.42
	169	कोझीकोट	31.20	90.00		121.20
	170	चेंगनूर		62.00		62.00
	171	वरकला		57.75		57.75
	172	निथनानगढ़			60.00	60.00
	173	पटनमथिटा	8.67		24.50	33.17
	174	मूवट्टूपुझा			24.00	24.00
	175	ओटापलम	30.00			30.00
	176	कोठामंगलम	30.00			30.00
	177	नार्थपेरावूर		30.00		30.00
	178	कुडनगलूर			15.00	15.00
	179	इरजालाकुंडा			45.00	45.00
	180	पाला			40.00	40.00
	181	पोनानी			50.00	50.00
कुल			**120.79**	**239.75**	**258.50**	**619.04**

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	182	मुलताई	21.35			21.35
	183	खांडवा		30.44		30.44
	184	जौरा	23.00			23.00
	185	चित्रकूट	28.00			28.00
	186	नरसिंगपुर	25.00			25.00
	187	गरोठ	14.00			14.00
	188	ब्यौरा	30.00		30.00	60.00
	189	बेरसिया	16.00		16.00	32.00
	190	नरसिंहगढ़		54.98		54.98
	191	अशोक नगर		48.78		48.78
	192	सिहोरा		30.00		30.00
	193	उमरिया			60.00	60.00
	194	मैहर		27.00		27.00
	195	खजुराहो	16.00			16.00
	196	झबुआ	30.00			30.00
	197	खुरई	30.00			30.00
	198	धनपुरी		16.00		16.00
	199	नागोड		16.00		16.00
	200	नवगांव		30.00		30.00
	201	संकटोच		13.00		13.00
	202	बरवानी			45.00	45.00
	203	जावाड			24.00	24.00
	204	राजपुर			24.00	24.00
	205	चोरई			24.00	24.00
	206	गढ़कोटा			45.00	45.00
	207	सिद्धि			40.00	40.00
	208	रायसेन			45.00	45.00

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	209	चुरहाट			24.00	24.00
	210	लहर			24.00	24.00
	211	हट्टा			45.00	45.00
कुल			**233.35**	**266.20**	**446.00**	**945.55**
महाराष्ट्र	212	पचोरा	24.00			24.00
	213	बरोरा	24.00			24.00
	214	भुसावल	55.25			55.25
	215	देगलूर	24.00			24.00
	216	बसमठनगर	26.79	13.81		40.60
	217	बीटा	9.10			9.10
	218	मनवात	20.50	28.50		49.00
	219	महाद	9.00			9.00
	220	कगाल	15.56			15.56
	221	ओसा	12.00	11.20		23.20
	222	जेवराई	18.00	18.00		36.00
	223	सावंतवाड़ी	10.70	28.80		39.50
	224	मुर्थापुर	30.67	7.00		31.67
	225	शिगांव	13.45			13.45
	226	परोला		36.00		36.00
	227	अलीबाग	14.00	14.00		28.00
	228	पुलगांव	29.00	29.00		58.00
	229	अमरेड	39.31	4.00		43.31
	230	वैजापुर	24.00	34.00		58.00
	231	इचलकरंजी		10.00		10.00
	232	वई	30.00	30.00		60.00
	233	अंजनगॉवसुरजी	30.00	30.00		60.00

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	234	मेहकर	30.00	30.00		60.00
	235	कलाम	16.00	16.00		32.00
	236	दरियापुर	19.48	51.52		71.00
	237	अमरावती		90.00	90.00	180.00
	238	सहाड़ा	30.00	30.00		60.00
	239	नवापुर		30.00	30.00	60.00
	240	कुरूंडवाड	32.00	32.00		64.00
	241	संगोला	30.00	30.00		60.00
	242	घटंजी	16.00	16.00		32.00
	243	गंगाखेड़			50.60	50.60
	244	सिलोड			60.00	60.00
	245	सताना	22.00	8.00		30.00
	246	धमनगांव	22.00	8.00		30.00
	247	रोहा	16.00		32.00	48.00
	248	कोलिहानपुर	30.00	60.00	180.00	270.00
	249	उमरखेड		30.00		30.00
	250	फैजपुर		30.00		30.00
	251	रावेर		30.00		30.00
	252	जिंटूर		30.00	60.00	90.00
	253	देसाईगंज			16.00	16.00
	254	अकोला			135.00	135.00
कुल			**722.81**	**815.83**	**653.60**	**2192.24**
मणिपुर	255	मयंगइम्फाल		32.00		32.00
	256	मोईरंग			24.00	24.00
	257	कुम्बी			24.00	24.00
कुल				**32.00**	**48.00**	**80.00**
मेघालय	258	शिलॉंग	61.80			61.80
कुल			**61.80**			**61.80**

1	2	3	4	5	6	7
मिजोरम	259	कोलासिब	12.00			12.00
	260	चम्पई	30.00		60.00	90.00
	261	हिनईथयाल	16.00		32.00	48.00
	262	सैहा	16.00		32.00	48.00
	263	लेंगपुई			24.00	24.00
कुल			**74.00**		**148.00**	**222.00**
नागालैण्ड	264	वोखा		32.00		32.00
	265	फेख		15.00		15.00
	266	दीमापुर		50.00		50.00
	267	किफीरे		15.00		15.00
कुल				**112.00**		**112.00**
उड़ीसा	268	कमक्ष्यानगर	27.00			27.00
	269	नवरंगपुर	57.00			57.00
	270	ब्रहमपुर		158.00		158.00
	271	नीलगिरी			32.00	32.00
	272	अठमलिक		16.00	16.00	32.00
	273	आनंदपुर	22.00	4.00		26.00
	274	सोरो	22.00	5.00		27.00
	275	वरपाली	16.00			16.00
	276	बालासोर	30.00	40.00		70.00
	277	अस्का		16.00		16.00
	278	बंकी		16.00		16.00
	279	करंजीया			16.00	16.00
	280	केसिंगा			24.00	24.00
	281	बालूगांव			24.00	24.00
	282	राजगंगपुर			45.00	45.00
	283	चिकीटी			24.00	24.00

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा	284	तलचेर			40.00	40.00
	285	गुल्लुपुर			24.00	24.00
	286	राईरंगपुर			24.00	24.00
कुल			**174.00**	**255.00**	**269.00**	**698.00**
पंजाब	287	मानसा	81.49			81.49
	288	सरहिंद	33.00			33.00
	289	तरनतारण	34.50			34.50
	290	मुकेरिया	16.00			16.00
	291	आनंदपुर साहिब	14.00			14.00
	292	फतेहगढ़ साहिब			34.00	34.00
	293	मुक्तसर			100.00	100.00
	294	सुल्तानपुर लोधी	16.00			16.00
	295	कपूरथला	22.00	24.00		46.00
	296	नकोदर	22.00	8.00		30.00
	297	जगरॉव		30.00		30.00
	298	दसुया		16.00		16.00
	299	गढ़शंकर			16.00	16.00
कुल			**238.99**	**78.00**	**150.00**	**466.99**
राजस्थान	300	सरदार शहर	40.00			40.00
	301	नोखा			30.00	30.00
	302	प्रतापगढ़	20.00			20.00
	303	शाहपुरा	32.00		33.00	65.00
	304	कपासन		17.00		17.00
	305	जैसलमेर			32.50	32.50
	306	उदयपुर			5.00	5.00
	307	बीकानेर		65.00	141.00	206.00
	308	देशनोख			32.00	32.00

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	309	हनुमानगढ़	50.00			50.00
	310	बलोत्रा	30.00			30.00
	311	डिडवाना	30.00			30.00
	312	नथद्वारा			45.00	45.00
	313	भंडेर			24.00	24.00
	314	सूरतगढ़			45.00	45.00
कुल			**92.00**	**192.00**	**387.50**	**671.50**
सिक्किम	315	सिंगतम			36.00	36.00
	316	जोरेथंग	15.00			15.00
	317	पकयोंग	15.00			15.00
	318	जेजिंग		16.00		16.00
	319	सोरेंग		16.00		16.00
	320	रंगलीबाजार			24.00	24.00
कुल			**30.00**	**32.00**	**60.00**	**122.00**
तमिलनाडु	321	मनमदुराई	32.00			32.00
	322	कंगयाम	10.06			10.06
	323	विरप्पनचंतिरम	7.74			7.74
	324	पुवीरूंथावली	2.15			2.15
	325	तिरूचेन्दुर	14.93			14.93
	326	सोलिंगर	25.79			25.79
	327	वनियामवाड़ी	10.32			10.32
	328	पोन्नामारवती	4.85	14.09		18.94
	329	तत्यानगरपटई	14.10	14.10		28.20
	330	थुरायुपुर	12.45	12.45		24.90
	331	चिन्नामनुर	6.58	18.87		25.45
	332	ओमलूर	7.12			7.12
	333	नटारासंघकताई	9.65	9.66		19.31

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु	334	डेंकानिकोरा	11.60	11.59		23.19
	335	किरानोर	8.72			8.72
	336	सुरमपत्ती		26.04	26.04	52.08
	337	ओड्डनचतरम		9.91	9.92	19.83
	338	डींडीगल	40.00	30.00		70.00
	339	देवाकोताई	16.20			16.20
	340	बेल्लोर	28.00			28.00
	341	कन्याकुमारी	16.00			1600
	342	किनाथुकड्डयु		16.00		16.00
	343	विलाथुकलम		16.00		16.00
	344	पेरावुरानी		16.00		16.00
	345	चेनगम		16.00		16.00
	346	पेरियाकुलम			30.00	30.00
	347	थंजायुर			105.00	105.00
	348	राजालयम			105.00	105.00
	349	पल्लाथुर			21.00	21.00
	350	शिवाकाशी			64.00	64.00
	351	उल्लंदुरपेट			24.00	24.00
	352	गुडालूर			45.00	45.00
	353	थोंडी			24.00	24.00
	354	आर. एस. मंगलम			24.00	24.00
	355	चिन्ना सलम			24.00	24.00
	356	कल्लाकडु			35.97	35.97
कुल			**278.26**	**210.71**	**537.93**	**1026.90**
त्रिपुरा	357	खोवई	16.56			16.56
	358	कुमारघाट			30.00	30.00
	359	सोलामुरा		16.00	16.00	32.00

1	2	3	4	5	6	7
त्रिपुरा	360	कमलपुर		16.00	16.00	32.00
	361	तेलियामुरा	25.50		51.00	76.50
	362	सबरूम	13.00			13.00
	363	रानीबाजार		16.00		16.00
कुल			**55.06**	**48.00**	**113.00**	**216.06**
उत्तरांचल	364	देहरादून			105.00	105.00
	365	हल्द्वानी–कोठगोदाम			95.00	95.00
	366	पिथौड़ागढ़			40.00	40.00
कुल					**240.00**	**240.00**
उत्तर प्रदेश	367	बस्ती		79.18		79.18
	368	खलीलाबाद		49.90		49.90
	369	मुरादनगर		39.00		39.00
	370	दादरी			33.74	33.74
	371	लोनी		59.23		59.23
	372	मुरादपुर		114.00		114.00
	373	मेघर		15.75	15.74	31.49
	374	बंसी		24.25		24.25
	375	फफूंड			32.00	32.00
	376	पल्लियाकलन			37.40	37.40
	377	मलिहाबाद			25.53	25.53
	378	सहारणपुर		82.00	82.96	164.96
	379	फैजाबाद		41.55	41.58	83.13
	380	अयोध्या			60.00	60.00
	381	जलालाबाद	9.00			9.00
	382	कुंडा	13.00			13.00
	383	केमारी	16.00			16.00
	384	चित्रकूट धाम	30.00			30.00

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	385	हरिहरपुर		10.00		10.00
	386	महाराजगंज		15.00		15.00
	387	काकोरी		16.00		16.00
	388	नयोतानी		14.00		14.00
	389	हरैया			12.00	12.00
	390	अमेठी			24.00	24.00
	391	खतौली			41.20	41.20
	392	सरघना			36.90	36.90
	393	खोकरा			29.10	29.10
	394	बाबरपुर–अजितमल			24.00	24.00
	395	ओल्ड – ढकवा			24.00	24.00
	396	गोहन			19.00	19.00
	397	मिलक			24.00	24.00
	398	हंडिया			24.00	24.00
	399	झिंझाना			22.30	22.30
	400	झांसी			135.00	135.00
	401	मथुरा			93.70	93.70
	402	बांसगांव			24.00	24.00
	403	बनांत			24.00	24.00
	404	दोस्तपुर			19.00	19.00
	405	निवारी			19.00	19.00
	406	तिलहर			20.00	20.00
	407	देवबंद			66.10	66.10
कुल			**68.00**	**559.86**	**1010.25**	**1638.11**
पं. बंगाल	408	झालदा	3.00			3.00
	409	माल	6.90			6.90
	410	डायमंड हरबौर	6.00			6.00

1	2	3	4	5	6	7
पं. बंगाल	411	सोनामुखी	5.53			5.53
	412	वीरनगर	10.95			10.95
	413	कालियागंज	6.00			6.00
	414	गोबरडंगा	26.18			26.18
	415	चंद्रकोना		7.60		7.60
	416	कांडी	14.06			14.06
	417	गुसकारा	7.34			7.34
	418	वर्द्धमान	73.00	52.12		125.12
	419	आसनसोल		196.40		196.40
	420	तूफानगंज	16.00	16.00		32.00
	421	गंगारामपुर		55.76		55.76
	422	मेखलीगंज		1.00		1.00
	423	संथिया			42.00	42.00
	424	दिनांहता	16.50		16.50	33.00
	425	बदुरिया			14.00	14.00
	426	हल्दीवाडी	16.00	16.00		32.00
	427	धुलियान		35.00	35.00	70.00
	428	दबराजपुर			58.50	58.50
	429	देनहाट	15.00			15.00
	430	ताकि	22.00	1.00	67.00	90.00
	431	एगरा	20.74	4.76		25.50
	432	दुर्गापुर	32.00	36.00		68.00
	433	बांकगांव		50.00		50.00
	434	रामजी वानपुर		16.00		16.00
	435	खरार		13.50		13.50
	436	खीरपाई		14.00		14.00
	437	थेरपुर			13.50	13.50

1	2	3	4	5	6	7
पं. बंगाल	438	बेल्दंगा			15.00	15.00
	439	जमुरिया			79.00	79.00
	440	जियागंज–अजीमगंज			32.00	32.00
	441	कुपर्सकैंप			22.00	22.00
	442	नलहाटी			40.00	40.00
कुल			**297.20**	**515.14**	**434.50**	**1246.84**
पांडिचेरी	443	ओल्गारेट	30.00			30.00
कुल			**30.00**			**30.00**
कुल सकल योग			4346.00	5617.00	7570.90	17533.90

विवरण-।।

विभिन्न राज्यों से आई डी एस एम टी के अन्तर्गत शामिल करने के टी सी पी ओ में प्राप्त प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य/कस्बा
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	बेल्लाम पाली
	अराम
2.	गोसेगौन
	हिमाचल प्रदेश
3.	बाद्दी
4.	मनाली
5.	नारकुन्डा
6.	नुरपुर
	जम्मू और कश्मीर
7.	पुलवामा
	कर्नाटक
8.	चेन्नरायापात्ना
9.	एलनावर
10.	अन्नीगेरी

1	2
	मध्य प्रदेश
11.	अकोदिया
12.	जीरापुर
13.	मानगावान
14.	बीरसिंह पुर
15.	खिलेहीपुर
16.	तैनडुखेड़ा
17.	रामपुर नैकीन
18.	मान्स
19.	शाजापुर
20.	रामपुर भगेल
21.	सुजालपुर
22.	माचालपुर
	नागालैण्ड
23.	कोहिमा
24.	तुनसांग

1	2
	उत्तर प्रदेश
25.	नागराम
26.	मोहम्दाबाद चौहान
27.	माउनाथ भन्जन
28.	मुगालसाराय
29.	कासगंज
30.	गढ़मुक्तेश्वर
31.	करनावाल
32.	पालखावा
33.	मवाना
34.	सोदाबाद
35.	गिरोर
36.	चार्थवाल
37.	मोदीनगर
	पं. बंगाल
38.	बेलदान्गा

[हिन्दी

दिल्ली में लाल डोरा क्षेत्रों में भवन निर्माण संबंधी उपनियम

6212. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 फरवरी, 2002 के "दैनिक भास्कर" में दिल्ली में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति से संबंधित शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या दिल्ली के लाल डोरा क्षेत्रों में भवन निर्माण संबंधी उपनियम कार्यान्वित नहीं किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी हां। समाचार में दिल्ली में एकीकृत भवन उपनियम, 1983 की प्रयोज्यता तथा विनियम का उल्लेख है।

(ग) से (ङ) समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिए मास्टर प्लान में विकास संहिता (विकास कोर्ड) लागू है। दिल्ली के मास्टर प्लान 2001 के तहत, किसी भी उपयोग जोन में स्थित लाल डोरा के भीतर के गांव रिहायशी, उपयोग के रूप में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

सरकार के दिनांक 28.03.2001 के पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जब भी कोई गांव शहरी क्षेत्र में आता है तो उसे लाल डोरा नहीं माना जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण भू–उपयोग के आंचलिक विनियम शहरी सीमा से बाहर के गांवों के लाल डोरा के संबंध में लागू होंगे।

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना

6213. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों ने केन्द्र सरकार से मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के सभी विद्यार्थियों को ताजा भोजन उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और ऐसे सभी राज्यों को इस योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए कुल कितने वित्त की जरूरत है जिन्होंने इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है और वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रो. सीता वर्मा) : (क) डब्ल्यू. पी. (सी.) सं., 196/2001 में दिनांक 28.11.2001 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, अनेक राज्यों ने इस मंत्रालय से वित्तीय सहायता की मांग की है ताकि प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) के तहत पका–पकाया भोजन प्रदान करने संबंधी परिवर्तन लागत को वहन किया जा सके। इस योजना में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकास के स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं (I–V) में अध्ययनरत सभी बच्चों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत, भारत सरकार निःशुल्क खाद्यान्नों तथा अनुमत्य परिवहन शुल्कों की व्यवस्था करती है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 13 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों ने भारत सरकार से वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया है।

(ग) सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही निर्देश दे दिया है कि इस योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों को पके–पकाए भोजन के रूप में परिवर्तित करने की लागत राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वहन की जाएगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह बताया जा चुका है कि पके हुए भोजन को तैयार करने में लगने वाली लागत को वहन करने के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि दसवीं योजना के अन्तर्गत इस योजना के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती।

संवर्ग स्थानान्तरण संबंधी नीति

6214. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आईपीएस अधिकारियों के अन्तर संवर्ग स्थानान्तरण संबंधी वर्तमान नीति जो 1995 में लागू हुई थी, जनहित के आधार पर संवर्ग परिवर्तन को अनुमति नहीं देती;

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय सिविल सेवा नियमों में तदनुसार संशोधन किया गया है और अब जनहित संवर्ग परिवर्तन का आधार नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या आईपीएस अधिकारियों के अन्तर संवर्ग स्थानान्तरण के बारे में वर्ष 1995 से पूर्व नीति में जनहित की संवर्ग परिवर्तन के आधार के रूप में परिकल्पना की गई थी;

(घ) यदि हां, तो उन आईपीएस अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके जनहित में संवर्ग परिवर्तन के मामलों की जांच वर्ष 1995 से पहले की गई थी किंतु इन मामलों को उक्त नीति के तहत शामिल न किए गए मामलों में माना गया था;

(ङ) इन मामलों को वर्ष 1995 से पूर्व इस नीति में शामिल न किए जा रहे मामलों के रूप में मानने के लिए किन घटकों को ध्यान में रखा गया है जिससे इन मामलों को अस्वीकार किया जा रहा है;

(च) क्या किसी आईपीएस/आईएएस अधिकारियों को इस नीति के तहत किसी संवर्ग स्थानान्तरण से इन्कार किया गया था; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के अन्तर संवर्ग स्थानांतरण संबंधी वर्तमान नीति, जो 19.9.95 से प्रभावी हुई है, में अलग–अलग संवर्ग के दो अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों का परस्पर विवाह के आधार पर इस सेवा के सदस्यों को संवर्ग परिवर्तन की व्यवस्था है, बशर्ते के अंतरिक व्यक्ति का स्थानांतरण उसके गृह राज्य में न हों। इसके अलावा, इस नीति में ऐसे अत्यधिक कष्ट, जो इस किस्म का हो, कि उसका समाधान एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रतिनियुक्ति से नहीं हो सकता, तो इस आधार पर भी संवर्ग परिवर्तन की व्यवस्था है।

(ख) अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के अंतर संवर्ग स्थानांतरण संबंधी नीति, विधायी प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है और इस लिए अंतर संवर्ग स्थानांतरण से संबंधित विधायी प्रावधानों में संशोधन करने की जरूरत नहीं है।

(ग) 1985 तक अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को (I) लोकहित (II) जब विभिन्न संवर्गों के दो अखिल भारतीय सेवा अधिकारी परस्पर विवाह करते हैं, और (III) जब सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि आबंटित राज्य की जलवायु उस अधिकारी या उसकी पत्नी या उसके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य रूप से हानिकारक है, के आधार पर ही अंतर संवर्ग स्थानांतरण की अनुमति दी जाती थी। इस नीति को 23.5.1985 को और संशोधित किया गया और केवल भिन्न–भिन्न संवर्गों के दो अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के परस्पर विवाह को संवर्ग परिवर्तन का आधार इस प्रावधान के

साथ बनाया गया कि किसी भी अधिकारी का संवर्ग गृह राज्य में नहीं बदला जाएगा।

(घ) और (ङ) वर्ष 1993 के दौरान भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी नामतः डा. राजवंत सिंह, भारतीय पुलिस सेवा (ए.पी:85) जो कि पहले आंध्र प्रदेश से पंजाब में अन्तर संवर्ग प्रतिनियुक्ति पर थे, के मामले पर एक विशेष मामले के रूप में आंध्र प्रदेश से पंजाब, संवर्ग परिवर्तन करने पर विचार किया गया था। तथापि, मामले के समग्र गुण–दोष को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरका. ने उनका संवर्ग परिवर्तन न करने और इसके बजाय अधिकारी की राज्य से राज्य प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया।

(च) और (छ) संगत समयावधि में लागू उपयुक्त नीतियों के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा/भारती प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के अन्तर संवर्ग स्थानांतरण से इंकार नहीं किया जाता बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार मामले के गुण–दोष से संतुष्ट हो।

दक्षिण एशियाई फेडरेशन खेलों को लेकर पाकिस्तान के साथ समझौता

+

6215. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ने दक्षिण एशियाई फेडेरेशन (एस.ए.एफ.) खेलों के लिए नई तिथियां निर्धारित करने हेतु मार्च, 2002 में पाकिस्तान का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके दोरे के दौरान इस संबंध में कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां। श्री सुरेश कलमाडी, सांसद, अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय भारतीय ओलंपिक संघ (आई.ओ.ए.) के शिष्टमंडल ने 30.3.2002 को 27वीं दक्षिण एशिया खेल परिसंघ की कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया था। श्री बी. एस. ओझा, अध्यक्ष, भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ, तथा श्री जे. एस. गहलोत, उपाध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ तथा अध्यक्ष, भारतीय पेशेवर कबड्डी परिसंघ शिष्टमंडल के अन्य सदस्य थे।

(ग) और (घ) भारतीय ओलंपिक संघ ने सूचित किया है कि दक्षिण एशिया खेल परिषद की कार्यकारी समिति ने आस्थगित सैफ खेलों को 29 मार्च से 7 अप्रैल, 2003 तक इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की है।

(ङ) इस आशय का औपचारिक प्रस्ताव भारतीय ओलंपिक संघ से अभी प्राप्त होना है तथा उसके प्राप्त होने पर सरकार अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करेगी।

आदर्श विद्यालय की स्थापना

6216. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु उद्योग जगत के सहयोग से एक आदर्श विद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश के विद्यालय में जल और स्वच्छता परियोजना

6217. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से आंध्र प्रदेश के विद्यालयों में समेकित जल और स्वच्छता परियोजना के क्रियान्वयन के लिए डीएफआईडी द्वारा उपलब्ध करायी गई टी.सी. निधि का उपयोग करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने 'आंध्र प्रदेश के स्कूलों में समेकित जल और स्वच्छता परियोजना' नामक योजना के माध्यम से स्कूलों में वर्षा जल संग्रहण तथा स्वच्छता के लिए एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत डी.एफ.आई.डी. के तकनीकी सहयोग निधि का उपयोग किया जाना है।

यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र में नहीं आती है। इसकी जानकारी राज्य सरकार को दे दी गई है।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 18 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 382(अ), जो 3 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें उक्त अधिनियम की अनूसूची में आतंकवादी संगठनों को जोड़े जाने संबंधी आदेश अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5607/2002)

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) बिल्डिंग मेटीरियल्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिल्डिंग मेटीरियल्स एण्ड टैक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5608/2002)

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखती हूँ:–

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल

पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5609/2002)

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑप–रेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ पब्लिक कोऑप–रेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5610/2002)

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5611/2002)

(ख) (एक) बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5612/2002)

(3) मद्रास उर्वरक लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या 5613/2002)

(4) स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5614/2002)

(5) बंगाल केमीकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5615/2002)

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेन्टर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेन्टर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5616/2002)

(3) (एक) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडीकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुअनन्तपुरम के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडीकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5617/2002)

(5) (एक) अगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5618/2002)

(7) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी 5619/2002)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:–

(1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपयुक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी 5620/2002)

(3) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 1998–99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी. 5621/2002)

(5) (एक) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5622/2002)

(7) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5623/2002)

(9) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1999–200 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5624/2002)

(11) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5625/2002)

(13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फांउड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) उल्लिखित पन्नों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5626/2002)

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:–

(एक) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने शुक्रवार, 3 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में, शेयर बाजार घोटाला संबंधी संयुक्त समिति में राज्य सभा के दो सदस्यों को सहयोजित करने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:–

प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा, शेयर बाजार घोटाला संबंधी संयुक्त समिति में, श्री प्रेमचंद गुप्ता और श्री रामदास अग्रवाल के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त सदस्यों के नाम लोक सभा को प्रेषित करे और यह प्रस्ताव करती है कि इस स्थान को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति में श्री प्रेमचंद गुप्ता और श्री विक्रम वर्मा को नियुक्त किया जाए।"

(दो) "राज्य–सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे वित्त विधेयक, 2002 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 29 अप्रैल, 2002 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.03 बजे

[हिन्दी]

याचिका समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति (तेरहवीं लोक सभा) का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.3½ बजे

[अनुवाद]

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

पचासवां, इक्यावनवां और बावनवां प्रतिवेदन

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : महोदय, मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:–

(1) वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2002–2003) के बारे में 50 वां प्रतिवेदन;

(2) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2002–2003) के बारे में 51वां प्रतिवेदन; और

(3) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2002–2003 के बारे में 52वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

101वां और 102वां प्रतिवेदन

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक (मथुरापुर) : महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) महासागर विकास विभाग की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में 101वां प्रतिवेदन।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में 102वां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब 'शून्य काल' होगा।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जोधपुर जिले के सात मजदूरों को बिहार में फायरिंग करके मार दिया गया।...*(व्यवधान)* हमारा कहना है कि वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तमाशा है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको बोलने के लिए बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कल हमने सारे आइटम्स जीरो ऑवर में लिये थे। आप आज भी उसी तरह शांत रहिये। आप सबको बोलने का चांस मिलेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि माननीय गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं और मुझे आशा है कि वे इसका उत्तर देंगे। गुजरात से बहुत ही चिंताजनक रिपोर्टें मिली हैं। दरअसल, गुजरात में राहत शिविरों को बंद करने के नोटिस के रूप में एक खतरा उभरा है। अंजली ईला मेनन जी- मुझे उनका यहां परिचय देने की आवश्यकता नहीं है वे एक पूर्णतः गैर राजनीतिक हैं और देश की प्रख्यात चित्रकार भी है, वह हाल ही में गुजरात गई थी। उन्होंने वहां से कल लौटकर हमें तब सभा में यह सूचित किया कि अमानवीय परिस्थितियों के अलावा राहत शिविरों को तुरंत बंद करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मैंने दोहा शिविर जिसके बारे में नोटिस दिए गए हैं, पर अपने हस्तक्षेप के दौरान यह उल्लेख किया था। किंतु कोई उत्तर नहीं आया।

आज गुजरात से मुझे यह सूचना मिली है कि जिला मजिस्ट्रेटों को राहत शिविर बंद करने के नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय गृह मंत्री हां या ना कहकर बताएं कि यह सही है या नहीं। हम सबको एक बार ही सही किंतु अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठना चाहिए। यह मानवीय मामला है। मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि आप कृपया यह करें।

आप सभी जानते हैं कि वहां का तापमान अब 46 डिग्री सेल्यिसस है। वहां लोगों के सिरों पर कोई पर्याप्त सुरक्षित छत नहीं है, केवल एक महीन आवरण में वे लोग रह रहे हैं। यहां तक कि नवजात शिशुओं को भी जमीन पर फटी बोरी के ऊपर लिटाया जा रहा है। वहां शौचालय, पेयजल, चिकित्सा, दवाईयां इत्यादि जैसी पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं हैं। बाकी चीजें तो पता ही हैं। छात्रों के पास किताबें नहीं हैं, कागज नहीं है कुछ भी नहीं हैं।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वड़ोदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात में गलत बयानी हो रही है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने जीरो आवर बोलने के लिए नोटिस दिया है।

...(व्यवधान)

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : कुछ भी हो, गलत बयानी नहीं होने देंगे। गुजरात सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था हुई है और उसकी रिपोर्ट भी भेज दी गई है।...*(व्यवधान)* जीरो आवर में गलत बातें उठाई जाएं, यह ठीक नहीं हैं।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला नोटिस है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम है, आपको भी बोलने का चांस मिलेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, जी नहीं। श्री सोमनाथ चटर्जी, की बात के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह मामला इतना गंभीर है कि राहत शिविरों में रहने वाले कुछ लोगों ने जब अपने–अपने स्थानों को लौटने का प्रयास किया तो उन्हें रास्ते में ही मार डाला गया। यहां तक कि पुलिस की रिपोर्टें भी यही हैं कि दोनों वर्गों की बहुलता वाले एक क्षेत्र में रहने वालों ने – मैं किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं– दंगाईयों द्वारा तितर–बितर किए लोगों को घर लौटने से रोका तब हिंसा हुई। उन्हें अपने घरों में लौटने से रोका गया क्योंकि वे संभवतः उन राहत शिविरों में नहीं रह पा रहे थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात का मुद्दा यहां कब तक उठता रहेगा? *...(व्यवधान)* तीन लाख से अधिक शरणार्थी दिल्ली के शिविरों में रहे रहे हैं*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कल जीरो ऑवर में सारे लोगों को चांस मिला, इसलिए हमें शांति से सुनना है। इसी तरह आपका भी नम्बर आयेगा, सब का नम्बर आयेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यहां आप इण्टरप्ट कर रहे हैं। उनकी जो अपनी नोलिज है, वे कह रहे हैं। आज भी ज्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ 23 लोग हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आदित्यनाथ, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री दोनों ने वाद विवाद के दौरान भी यह स्वीकार किया कि वहां घटी इन गंभीर घटनाओं की निंदा करनी चाहिए। क्या गुजरात में स्थिति सामान्य करने का यही तरीका है? हम वहां साम्प्रदायिक दंगे जारी रखना नहीं चाहते। हम केवल मानवीय न्याय चाहते हैं। ये हताश लोग इस देश में हिंदुओं के चैम्पियन हैं।

महोदय, मैं एक मौलिक मुद्दा उठा रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि उस राज्य में लोगों को जीने का अधिकार है या नहीं। यह प्रश्न है। आज की रिपोर्ट भी यही कहती है कि काम पर जाते दो कामगारों की पत्थर मार–मार कर हत्या कर दी गई। मैं यह नहीं कह रहा कि वे किस वर्ग से संबंधित थे। किंतु उनकी हत्या की गई*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी : बिहार में क्या हो रहा है, वहां की आपको चिंता नहीं है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय . श्री कृपलानी, 23 नोटिस दिए गए हैं। सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आडवाणी जी, आप इनको थोड़ा संभालिये। ये लोग ही आपको खाएंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : बिहार की कानून और व्यवस्था की आपको चिन्ता नहीं है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृपलानी, आप कृपया अपने स्थान पर बैठिए। श्री आदित्यनाथ अब व्यवधान उत्पन्न न करें।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : पश्चिम बंगाल में मानवाधिकार का हनन हो रहा है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां हनन हो रहा है, टाइम का।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, ये राहत शिविर, सरकार द्वारा प्रदान की जा रही कुछ अपर्याप्त सुविधाओं के साथ गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब उन्हें इन राहत शिविरों से खदेड़ा जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट का नोटिस आ गया है।

अब, मैं श्री सिंघल द्वारा की गई टिप्पणियों को उद्दृत नहीं कर रहा क्योंकि ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.13 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए।)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : उनको बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार (फैज़ाबाद) : एक घटना हो गई तो उस पर अपने यहां इतना संवेदनशील विषय उठा दिया। ... *(व्यवधान)* आप बैठिये, आप हमें कहने वाले कौन होते हैं, आप आदेश देने वाले कौन होते हैं।

सभापति महोदय : कृपलानी जी बैठिये। कटियार जी, आप भी बैठिये।

...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : मैं आपको बोलने के लिए मना नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि किसी व्यक्ति के कहने पर इतना संवेदनशील विषय उठाया है, इसको बार–बार यहां उठाना क्या उचित है? क्या गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों पर भी चर्चा की आप अनुमति देंगे? बिहार में छः दलितों की हत्या कर दी गई। बिहार में तीन महीने के अंदर 3000 लोग मार दिये गये, क्या आप उसकी भी चर्चा करेंगे? सभापति जी, बिहार में तीन महीने के अंदर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं श्री सिंघल के वक्तव्य को उद्धृत नहीं कर रहा हूं क्योंकि आडवाणी जी ने स्वयं को उस वक्तव्य से असम्बद्ध कर लिया है। श्री आडवाणी मैं सही हूं या नहीं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठिये, प्लीज। कृपया अब आप बैठें।

श्री विनय कटियार : वहां सरकार ने गोली चलाई, उसमें लोग मारे गये, क्या उस पर भी आप चर्चा कराएंगे? अगर कोई कुछ विषय उठा दें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये, प्लीज। अब आप बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आठवले जी आप बैठें।

श्री विनय कटियार : क्या किसी के कहने पर यहां चर्चा हो सकती है, मैं आपसे जवाब चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। इसलिए आप बैठ जाएं। यहां पर गृह मंत्री जी उपस्थित हैं, यदि वे चाहेंगे तो अपनी प्रतिक्रिया देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : जिन्होंने आग लगाई है, वे लोग यहां दूसरों को उपदेश दे रहे हैं...*(व्यवधान)* कोई भी विषय हो, किसी पर भी चर्चा हो रही है, ये लोग बोलने नहीं देते। ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : आपके विधायक और आपके पार्षद वहां दंगे करा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : विनय कटियार जी आप बैठिए। सत्यव्रत जी आप भी बैठिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इस समय तक मैं अपना भाषण समाप्त कर चुका होता...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चतुर्वेदी, कृपया सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : जैसा कि मैंने कहा, इसे मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए...*(व्यवधान)* मुझे प्रसन्नता है कि गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं। कम से कम उनसे उत्तर की आशा रखते हैं ...*(व्यवधान)* धमकियां दी जा रही हैं...*(व्यवधान)* समाचार पत्रों में आ रही रिपोर्ट का खंडन नहीं किया जा रहा है.. *(व्यवधान)* यह कहा जा रहा है कि उन्हें हिन्दु धर्म को अपना लेना चाहिए और अपनी दाढ़ी कटावा लेनी चाहिए..*(व्यवधान)* ये कुछ बातें हिन्दु उग्रवादियों ने कही थीं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, कृपया समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, आपने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं जानता कि यह सही है अथवा नहीं। लेकिन बात यह है कि सरकार शिविरों को बंद करने का निदेश दे रही है। वे अभी भी गंभीर और अमानवीय स्थिति में रह रहे हैं। जब वे वापस जाने की कोशिश करते हैं तो वे सुरक्षित नहीं होते।...*(व्यवधान)* उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाने चाहिएं। उनका उचित पुनर्वास किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)* वे कहां जाएंगे? उनके मकानों को तोड़ दिया गया है...*(व्यवधान)* उन्हें जला दिया गया है... *(व्यवधान)* उनके पास वापस जाने के लिए कोई स्थान नहीं है.... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : एक बात को कितनी बार यहां उठाएंगे। ....*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अखबारों की खबरों को पढ़कर यदि बार–बार एक ही विषय को इस सदन में उठाते रहेंगे और आप चाहते हैं कि शांति कायम रहे, वह कैसे रहेगी। ....*(व्यवधान)* फिर ये कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है कि इसमें सत्य क्या है। जब इन्हें सत्य पता नहीं है तो फिर अखबार की खबरों को यहां क्यों उद्धृत कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : गृह मंत्री इस पर विचार करें। ... *(व्यवधान)* गृह मंत्री इसका खण्डन करें ..*(व्यवधान)* श्री के. पी. एस. गिल को भेजा गया था। हम नहीं जानते कि उन्हें क्या निदेश दिए गए हैं। ...*(व्यवधान)* अब अनुच्छेद 355 को स्वीकार कर लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि अनुच्छेद 355 के अधीन भारत सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या अनुदेश दिए हैं...*(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे इस बात से सहमत हो गए हैं। वे पहले ही कह चुके हैं कि संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत अनुदेश जारी किए जा रहे हैं। वे क्या है। उनका क्या करने का विचार है? अतः, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम उनसे इनका उत्तर जानना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

उन्हें दायित्व सौंपा गया है अब केन्द्र सरकार यह नहीं कह सकती है कि मामला गुजरात पर छोड़ दिया गया है। केन्द्र सरकार ने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। अनुच्छेद 355, एक आपातकालीन उपबंध है जो संविधान के भाग अठारह में अंतर्विष्ट है। यह आपातकालीन उपबंधों के संबंध में हैं। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है...*(व्यवधान)* महोदय, बहुत हो गया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री ब्रहमानन्द जी बैठिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि ऐसा करते रहे तो मैं नहीं बैठूंगा।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, आपने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत की है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत भारत सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु सहमत हो गई है कि गुजरात का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार हो। अतः मेरी मांग है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि गुजरात

सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार कर्तव्य का निर्वहन करे जिसमें निश्चित रूप से राज्य में अल्पसंख्यकों की देखभाल का दायित्व तथा उन्हें पूर्ण सुरक्षा, राहत और पुनर्वास प्रदान करना तथा यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि एक भी निर्दोष व्यक्ति की जान न जाए और न ही कोई सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हो। इस मामले में यह केन्द्र सरकार की सीधी जिम्मेदारी होगी। अतः, मैं सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे गुजरात सरकार द्वारा संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु विवश करने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सभा में बताएंगे। यदि गुजरात सरकार ऐसा नहीं कर पाती हैं तो वे इस मामले में कौन से समुचित कदम उठाएंगे? सर्वप्रथम ...*(व्यवधान)* मैं राहत शिविरों के संबध में सरकार की नीति के बारे में नहीं जानता वे जोर जबरदस्ती से दंगा पीड़ितों को वापस भेज रहे हैं। वे जबरन शिविरों को बंद करने का आदेश दे रहे हैं। वे इस संबध में क्या कदम उठाएंगे? मैं इस पहलू के बारे में जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अब श्री जी. एम. बनातवाला बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : माननीय सभापति महोदय, यह नितांत आवश्यक है कि जब तक गुजरात में सामान्य जनजीवन बहाल नहीं होता, जब तक वापस जाने वाले लोगों को रहने के लिए मकान नहीं मिलता तब तक गुजरात में राहत और शरणार्थी शिविर बंद नहीं होने चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं राजग के उन सहयोगियों से अपील करता हूं कि जो धर्मनिरपेक्षता तथा मानव प्रतिष्ठा में विश्वास रखते हैं कि वे भी इस मामले में प्रतिक्रिया व्यक्ति करें।...*(व्यवधान)*

श्री जी. एम. बनातवाला : सरकार को दंगापीड़ितों को निवास स्थान प्रदान करना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बनातवाला ने सूचना दी है। इसलिए, मैंने उन्हें बोलने के लिए बुलाया है।

श्री जी. एम. बनातवाला : अतः, मैं पुरजोर आग्रह करता हूं कि जब तक वहां शांति बहाल नहीं होती, जनजीवन सामान्य नहीं होता तब तक वहां पर मानवीय आधार पर राहत और शरणार्थी शिविर बंद न किए जाएं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : महोदय, क्या आप इस पर डिबेट करा रहे हैं?

सभापति महोदय : जिन्होंने नोटिस दिया है, उनको बोलने के लिए बुलाया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्होंने समय सीमा के भीतर उचित सूचना दी है।

श्री जी. एम. बनातवाला : गुजरात में अभी भी हिंसा जारी है। वहां हृदय विदारक घटनाएं हो रही हैं। लोगों को जिंदा जलाया गया है। लोगों को गांवों में वापस नहीं जाने दिया जा रहा है। वे दहशत में हैं। इसलिए, पहले वहां शांति बहाल की जानी चाहिए। ऐसे असुरक्षा के समय में राहत शिविर बंद नहीं किए जाने चाहिए। यह स्तंभित करने वाली बात है कि सरकार द्वारा इन शिविरों को बंद करने के लिए निदेश दिए गए हैं।

ये शिविर गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जी. एम. बनातवाला : सरकार को राहत जारी रखनी चाहिए...*(व्यवधान)* यहां कई ऐसे शिविर हैं जहां सैंकड़ों लोग रह रहे हैं। और जिन्हें सरकार ने राहत के उद्देश्य से मान्यता भी प्रदान नहीं की है। इन शिविरों को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। इन शिविरों में स्थिति अमानवीय है। पर्याप्त राहत सहित मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए। महोदय, अनुच्छेद 355 के अंतर्गत निदेश जारी किए जाने वाले निदेशों में यह अनुदेश भी शामिल होना चाहिए कि जब तक वहां

सामान्य स्थिति बहाल नहीं होती तब तक राहत शिविरों को बंद नहीं किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

....*(व्यवधान)*

श्री जी. एम. बनातवाला : केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात सरकार को अनुच्छेद 355 के अधीन जारी किए जाने वाले निदेश की विषय वस्तु के बारे में इस सभा को विश्वास में लिए जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान निरंतर जारी हिंसा की ओर दिलाना चाहता हूं जो कल तक भी जारी थी, जबकि दूसरे सदन में मामला निपटा दिया गया था।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से अपील करता हूं कि पूरे राष्ट्र को इस बात से राहत मिली है कि गुजरात की स्थिति पर प्रतिक्रिया करने में कम से कम एक सदन में तो सर्वसम्मति है। पूरा राष्ट्र यह अपेक्षा कर रहा है कि केन्द्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत राज्य सरकार को कार्यवाही और निदेश देने हेतु समुचित कदम उठाए। कल भी जारी हिंसा ने यह संदेश दिया है अभी भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। अतः, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से इस संबंध में आग्रह करता हूं। क्या गृह मंत्री अनुच्छेद 355 के अंतर्गत गुजरात सरकार को नोटिस जारी करने पर विचार करेंगे? क्या गृह मंत्री जनता के लिए राहत कार्य करने तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने सहित आवश्यक कार्यवाही करने के बारे में बता सकते हैं? सरकार संसद तथा राष्ट्र, दोनों को किस तरह आश्वस्त करेगी कि राज्य सरकार को संबंधित नोटिस दिया गया है? यदि सरकार अनुच्छेद 355 का अनुपालन नहीं कर पाती है तो यह हमारे संविधान का उपहास होगा।

अतः, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि तत्काल इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें। अन्यथा, भारत की जनता को लगेगा कि जब संसद का ऊपरी सदन तथा निचला सदन अनुच्छेद 355 के मामले पर एकजुट होकर प्रतिक्रिया कर रहे हैं और राज्य सरकार कार्यवाही नहीं करती है तो यह संविधान पर प्रहार जैसा होगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : योगी आदित्यनाथ जी, आप बोलिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, हम भी बोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, आपका नोटिस नहीं है।

....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, मेरा नोटिस नहीं है, लेकिन यह गंभीर मामला है। इसलिए मैं इस पर सिर्फ दो मिनट बोलना चाहता हूं।..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रहलाद जी, कृपलानी जी, आप बैठिए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, आपको बोलने की विशेष अनुमति देता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : महोदय, आप मुलायम सिंह जी को बोलने का अवसर दे दीजिए, लेकिन उसके बाद हमें भी बोलने का अवसर दें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपा कर आप बैठ जाइए, जब आपका नाम पुकारा जाएगा तब आप बोलिए। मुलायम सिंह जी, आप बहुत संक्षेप में बोलिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति जी, माननीय सोमनाथ जी ने बहुत ही गंभीर मामला उठाया है। यह सवाल देश की एकता, अखंडता और सदभाव के लिए तो चुनौती है ही, साथ ही सारी दुनियां में जो हमारे देश की तस्वीर है उस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। ढाई महीने होने जा रहे हैं और अभी भी गुजरात में दंगे नहीं रूके हैं। माननीय गृह मंत्री जी यह मामला तो आपके कार्यक्षेत्र में आता है, आपको इस सवाल को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आपकी भी जिम्मेदारी है। हम जानना चाहते हैं कि आपने इस संबंध में गुजरात सरकार को क्या निर्देश दिये हैं?

सवाल यह है कि जो लोग शरणार्थी शिविरों से अपने घर जाना चाहते हैं, कारखाने में जाना चाहते हैं, पढ़ने जाना चाहते हैं, पढ़ाई सामग्री खरीदने के लिए विद्यार्थी दुकानों पर जाना चाहते हैं उनको पत्थर मारते हैं तथा हत्या कर देते हैं। उनको सुरक्षित अपने घरों में पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार

की होनी चाहिए और उनकी पूरी सुरक्षा कर उनमें इस प्रकार का विश्वास पैदा किया जाना चाहिए कि हम अपने घर सुरक्षित जा सकते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, इसके लिए आपने क्या किया है? आप बार–बार हमारे सहयोग की बात करते हैं, हम तो बार बार आपको सहयोग दे रहे हैं। आज सवाल हिंदू–मुसलमान का नहीं है। बल्कि यह सवाल देश से जुड़ा हुआ है, हमारी एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपने जो भी निर्देश दिये हैं क्या आज उनका पालन हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो कृपया बताइये कि क्यों नहीं हो रहा है आपस में सदभावना बनाये रखना देशहित में है और इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पर स्थिति सामान्य हो। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति जी, जब तक ये लोग कुर्सी पर रहेंगे तब तक दंगे नहीं रूकेंगे...*(व्यवधान)* माननीय गृह मंत्री जी बताएं कि अनुच्छेद 355 में उन्होंने क्या किया है और वहां जो लोग बेघरबार हो गये हैं उनके पुनर्वास के लिए उन्होंने क्या किया है?...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति जी, मैं कुछ दिन पहले बेहरामपुरा में था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रामदास जी, आप बैठ जाइये। गीते जी, आप बोलिये।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, आज अखबार में खबर आई है उसे लेकर माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने शून्यकाल में गुजरात के मद्दे को फिर उठाया है। अखबार पढ़ते समय उन्होंने यह भी कहा है कि इसमें सत्य कितना है यह जानने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। सभापति जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग रिलीफ कैंपों में हैं उन्हें राज्य सरकार की तरफ से जो भी मदद हो सकती है वह मिलनी चाहिए और जो लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं वे भी अपने घर वापस लौटें, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ...*(व्यवधान)* लेकिन जितनी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी हम सभी लोगों की भी है। इस सदन की भी है। इस सदन में इस प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिए। जिसके कारण वहां फिर दंगे हों। ...*(व्यवधान)* जो लोग गुजरात में रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं उनके प्रति सदन को सहानुभूति है और पूरी सहायता भी उनको मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब गुजरात के बारे में बार–बार प्रश्न उठता है तो हमारी ओर से आपत्ति इसलिए की जाती है कि हमें यहां पर कोसा जाता है कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं। बार–बार इसलिए टोका जाता है क्योंकि जो घटना गुजरात में घटी है उसकी निंदा के साथ–साथ जम्मू–कश्मीर से 3 लाख से ज्यादा शरणार्थी परिवार जो देश के अलग–अलग हिस्सों में शरणार्थियों की तरह वर्षों से रह रहे हैं हम उनकी भी चर्चा करना चाहते हैं। तीन लाख से ज्यादा परिवार अर्से से देश के अलग–अलग भागों में शरणार्थी जीवन जी रहे हैं। आपत्ति इसलिये उठायी जाती है कि गुजरात के संदर्भ में जिस प्रकार मानवता की बातें कहीं जाती हैं, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी मानवता की बातें उठाये जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम आपका समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि:

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री आठवले, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। अब, योगी आदित्यनाथ बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश की ओर दिलाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, उसका उल्लेख होगा और किसी का नहीं होगा। मि. आठवले, आप बैठ जायें।

योगी आदित्यनाथ : सभापति महोदय, कश्मीर घाटी से ढाई लाख और जम्मू क्षेत्र से एक लाख और इस प्रकार कुल मिलाकर साढ़े तीन लाख से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर से हिन्दू शरणार्थी दिल्ली और देश के विभिन्न भागों में शरणार्थी कैम्पों में रह रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : सभापति महोदय, हिन्दू हो या मुस्लिम ...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री आठवले, मैंने योगी आदित्य नाथ को बोलने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : वे नहीं चाहते है कि आप उनके भाषण के बीच में बोलें। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। अब मैंने योगी आदित्यनाथ को बोलने के लिए कहा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : वे शरणार्थी हैं, उनकी क्या गलती थी? वे हिन्दू हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्देश की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया है कि वह उन शरणार्थी कैम्पों में जाकर वहां रह रहे साढ़े तीन लाख हिन्दू शरणार्थियों के बारे में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे। मुझे आश्चर्य होता है कि पिछले 10–15 वर्षों से अधिक समय से जम्मू कश्मीर के साढ़े तीन लाख हिन्दू देश के विभिन्न भागों में शरणार्थी कैम्पों में रह रहे हैं लेकिन आज तक इन तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी और मानवता के ठेकेदारों ने कभी भी उनकी सुध लेने का प्रयास नहीं किया... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रूप चंद पाल, कृपया शांति बनाए रखिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अपने स्थान पर बैठिए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : सभापति महोदय, पहली मार्च से लगातार गुजरात की घटनाओं को यहां उछाला जा रहा है लेकिन इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है और न इस बारे में सोचा गया है। वहां हिन्दुओं का नर–संहार हो रहा है, उसके बारे में यहां इन लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री आचार्य, इन्होंने इस मुद्दे पर भी नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : क्या उन लोगों की यह गलती है कि वे हिन्दू हैं, क्या इस देश में हिन्दू होना अपराध है? क्या विश्व में कहीं देखने को यह मिला है कि वहां का आम नागरिक शरणार्थी शिविरों में रह रहा हो लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी इन धर्मनिर्पेक्षवादी और मानवतावादी ठेकेदारों के ऊपर है। माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुये हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन हिंदुओं को जम्मू कश्मीर से निकाला गया है, उन्हें पुन वहां बसाने की व्यवस्था की जाये, जम्मू कश्मीर को सेना के हवाले किया जाये और धारा 370 को समाप्त किया जाये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं। यदि आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो वे बोल सकते हैं।

..(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : सभापति जी, जो इन्होंने कहा है... *(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप क्यों बोल रहे हैं? आप बैठ जायें। आपकी कहीं हुई बात रिकार्ड में नहीं जा रही हैं। आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस पर माननीय गृह मंत्री अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : यह कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : सभापति महोदय, इस सदन में और दूसरे सदन में विस्तार से हम लोगों ने गुजरात के मामले पर चर्चा की है और सरकार का इस मामले में दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। गुजरात सरकार अपनी ओर से जो कुछ कर रही है, उसमें केन्द्रीय सरकार सब प्रकार से इस बात का दायित्व स्वीकार करती है कि वहां शांति स्थापित हो। वहां पर जितने लोग निराश्रित हुये हैं, बेघर हुये हैं और जो कैम्पों में रह रहे हैं, उनके लिये रिलीफ और रिहैब्लिटेशन का प्रबंध हो। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने उस संदर्भ में 150 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है और उसके बाद दोनों हाउसिज में सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ कहने की जरूरत है। सरकार इस बारे में *(व्यवधान)* मेरी जानकारी में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कैम्प बंद हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अखबारों में रोज कुछ न कुछ छपता रहता है। उसमें हम लोगों को कोई भी चीज अटपटी लगती है तो हम उसकी जानकारी करते हैं। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने यह मुद्दा समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर नहीं उठाया है। यह सूचना मुझे गुजरात से मिली है...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कई मामलों में, मैंने पता लगाया तथा यह पाया कि लोग अपने–अपने गांवों को लौट गए हैं जिसके कारण कैंपों को हटाना पड़ा। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कितने लोग लौटे हैं? ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपको यह बता सकता हूं कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत अपने दायित्वों के प्रति सजग है। हम उनका पूरी तरह निर्वाह करेंगे...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कोई भी ठीक उत्तर नहीं दिया गया है। यह उत्तर पूरी तरह से असंतोषजनक तथा गैर जिम्मेदाराना है और इसलिए इसके विरोध में हम सदन से बाहर जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हम गृह मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 12.41 बजे

(इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, गुजरात पर नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव पर बोलते हुए श्री जार्ज फर्नान्डीस ने भारतीय नारी का अपमान किया तथा उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने भारत के नारीत्व पर हमला किया है... *(व्यवधान)* उन्होंने इस बारे में अब तक कोई माफी नहीं मांगी है और इसके विरोध में हम सभा–भवन से बाहर जा रहे हैं।.... *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.42 बजे

(इस समय, श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गये।)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ऑर्डर प्लीज। वर्मा जी, आप बैठिये। अभी मैंने श्री प्रहलाद सिंह पटेल को बुलाया है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : सभापति महोदय, कल सर्वोच्च न्यायालय ने जो जम्मू–कश्मीर के शरणार्थियों के बारे में निर्णय दिया है, उसके अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकारी उन कैम्पों में जाए और वहां से रिपोर्ट लाकर सुप्रीम कोर्ट को दें। अगर यह सदन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को ध्यान में रखकर गुजरात पर चर्चा करता तो मुझे लगता है कि इसका ठीक मतलब निकलता और देश को एक सही संदेश जाता। प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को ध्यान में नहीं रखा और गुजरात के बारे में अखबारों में पढ़े हुए समाचारों से यह तमाशा खड़ा किया। यह सदन इस बात के लिए नहीं है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की तरफ विपक्ष ने ध्यान दिया होता तो वह गुजरात के कैम्पों को छोड़कर उन शरणार्थियों के बारे में चर्चा

करता जो वर्षों से जम्मू और कश्मीर की घाटी में रह रहे हैं। जो आंकड़े बताये गये हैं, उनके अनुसार वहां 26 हजार हिन्दू परिवार, 15 सौ मुस्लिम परिवार और 1800 सिख परिवार हैं। प्रतिपक्ष का ध्यान उनकी ओर नहीं हैं। केवल अखबारों में पढ़ी हुई बात को वह यहां उठा रहे हैं। दो महीने से गुजरात का मामला लगातार चल रहा है और उसके कारण सदन का समय खराब हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जाति और धर्म से हटकर जम्मू–कश्मीर के शरणार्थियों के बारे में सदन को विचार करना चाहिए और प्रतिपक्ष को निर्देश दिया जाए कि वह जम्मू–कश्मीर के शरणार्थियों के बारे में मानवता के आधार पर विचार करे। यही मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय : श्री सुरेश जाधव।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, मैं शून्यकाल में एक अति महत्व का मुद्दा उठाना चाहता हूं।... *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : सभापति जी, पौन घंटा इन लोगों ने सदन का बर्बाद कर दिया और आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मि. रघुनाथ झा, आपका जो नोटिस आया था उसे लेजिस्लेटिव ब्रांच को भेजा गया है। वहां से उत्तर आने के बाद आपको बतायेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : सभापति महोदय, हमारा क्या हुआ? एक एम.पी. की जान को खतरा है। आप हमें भी सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी आप बैठिये। अभी मैंने आपको नहीं बुलाया है। जब मैं आपको बुलाउंगा तब आप बोलें अभी मैंने जाधव जी को बुलाया हैं अभी आप बैठिये।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव : महोदय, मैं आपके माध्यम से अति महत्व का मामला उठा रहा हूं। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत गन्ने की फसल के बीमा हेतु प्रीमियम की दर बहुत अधिक, अर्थात् 2.5 प्रतिशत निर्धारित की है। इतनी अधिक दर होने के कारण कोई भी किसान इस योजना में रूचि नहीं लेता, तथा इस कारण गन्ना किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से अपील करुंगा कि वह गन्ने की फसल के लिए प्रीमियम की दर 2.5 प्रतिशत से घटाकर .50 प्रतिशत करने हेतु तत्काल कदम उठाए ताकि अधिक से अधिक किसान गन्ने की फसल का बीमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकें।

श्री रघुनाथ झा : आपने कहा था कि इसके बाद मौका देंगे।

सभापति महोदय : मैंने कहा है कि आपके नोट की कॉपी लेजिस्लेटिव ब्रांच को जानकारी के लिए भेजी गई है।

श्री रघुनाथ झा : हम कहां जाएं? हमारी बात सुनी जाए। हमने स्पीकर्स ऑफिस को, होम मिनिस्ट्री को कई बार लिखा।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको बाद में बुलाएंगे।

श्री रघुनाथ झा : एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रघुनाथ झा, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे शून्य काल के लिए श्री रघुनाथ झा द्वारा श्रीमती रेणु कुमारी के घर पर हुए हमले तथा उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। इस पर अपेक्षित कार्यवाही करने के लिए मामले को गृह मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है। इस पर और चर्चा नहीं होनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : आप हमें तो कहने दीजिए। यही बात मैं दो मिनट में कहकर खत्म करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये।

श्री रघुनाथ झा : सभापति महोदय, इस सदन की माननीय सदस्या रेणु कुमारी पर तीन बार हमला हुआ, घर पर जानलेवा हमला हुआ। वहां पुलिस में सूचना रिकार्ड करवायी गई है, होम मिनिस्ट्री को सुरक्षा के लिए लिखा गया, बिहार सरकार को सुरक्षा के लिए लिखा गया मगर उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने आपसे आग्रह किया है कि आप सरकार को चेयर

से निर्देश दें कि सरकार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे।.. .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप बैठिये।

श्री रघुनाथ झा : क्या आपकी तरफ से आदेश हो गया?

सभापति महोदय : हो गया।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (जलेसर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गेहूं के किसान के संदर्भ में भारतीय खाद्य निगम और उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, उत्तर प्रदेश में गेहूं की लगभग 80 से 90 प्रतिशत बटाई, मढ़ाई और कटाई हो चुकी है और किसान का 90 प्रतिशत गेहूं घर में आ चुका है। शादी–ब्याह का मौसम है और किसान को रुपयों की आवश्यकता है। जो छोटे किसान होते हैं, वे गेहूं बेचकर अपना गुजारा करते हैं। भारत सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 610 रुपये से बढ़ाकर 620 रुपये कर दिया है लेकिन केवल 10 रुपये ही बढ़ाया है। मेरा कहना है कि डीजल के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, डीएपी और यूरिया के दाम बढ़ गए, कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ गए, पानी का दाम भी बढ़ गया, बिजली महंगी हो गई, लेकिन गेहूं के समर्थन मूल्य में केवल 10 रुपये बढ़ाए हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो. एस. पी. सिंह बघेल आपने अपनी बात रख दी है। अन्य सदस्य भी अपनी समस्याएं रखना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : मेरा निवेदन है कि गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और जो गेहूं का समर्थन मूल्य 620 रुपये प्रति क्विंटल है, उसके लिए भी क्रय केन्द्र नहीं खुले हैं। गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही है और उत्तर प्रदेश में 550 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं मारा–मारा फिर रहा है, चाहें जितना खरीद लो। 70 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं का किसान ठगा जा रहा है। 630 रुपए में व्यापारी खरीद रहा है और किसान को 550 रुपए प्रति क्विंटल एफ.सी.आई. की खरीद में पड़ रहे हैं क्योंकि 5 किलो से 15 किलो गेहूं गुणवत्ता के रूप में प्रति क्विंटल एफ. सी. आई. द्वारा काटा जा रहा है....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : महोदय, आपको मालूम ही है कि इस बार गेहूं पतला हुआ है क्योंकि बारिश कम हुई है। इस बार गेहूं की क्वालिटी इनफीरियर है। मेरा आग्रह है कि पर्याप्त मात्रा में गेहूं के क्रय केन्द्र खोले जाएं और किसानों का सारा गेहूं खरीदा जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने अपनी बात अच्छे ढंग से रखी है। इसके और विस्तार में नहीं जाए।

[हिन्दी]

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जलेसर, सादाबाद, नदौली आदि सभी विकास खंडों में जितने क्रय केन्द्र खोले जाने चाहिए उतने क्रय केन्द्र अभी तक नहीं खोले गए हैं। मेरा आग्रह है कि सभी विकास खंडों में और क्रय केन्द्र खोले जाएं और किसान का सारा गेहूं क्रय किया जाए। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री बघेल कृपया बैठिए। अब यदि आप अपना भाषण जारी रखेंगे, तो रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्रीमती कान्ति सिंह (विक्रमगंज) : सभापति महोदय, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके, इसलिए क्रय केन्द्र खोला जाना बहुत जरूरी है। किसान तो वैसे ही बर्बाद हो रहा है और यदि उनकी उपज को नहीं खरीदा जाएगा तो वह और बर्बाद हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्रीमती कान्ति सिंह, कृपया आप बैठिए।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : माननीय सभापति महोदय, चेन्नई का क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, अदयार चेन्नई, महत्वपूर्ण

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कैंसर अनुसंधान संस्थानों में से एक है तथा यह लगभग उन सभी श्रेणियों का इलाज कर रहा है। जिनका कैंसर अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। 1998 के दौरान भारत सरकार के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संस्थान को 'उत्कृष्ट केन्द्र' घोषित किया गया था। यह संस्थान भारत सरकार के विज्ञान और औद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त भी है। मेरा अनुरोध है कि अनुसंधान के दौरान प्रयोग होने वाले सामान व उपकरणों को सीमा शुल्क से मुक्त किया जाए। भारत सरकार ने यह छूट 31 अगस्त 2001 से वापिस ले ली है। अधिकतर अधिक जैविक सामनाओं का आयात किया जाता है। क्या मैं माननीय मंत्री से अपने अनुरोध पर पुर्नविचार करने का अनुरोध कर सकती हूं वित्त मंत्री ने ''की फीचर्स ऑफ द बजट, 2002" में यह घोषणा की गई है कि : कैंसर तथा कुछ ऐसी अन्य बीमारियों के उपचार में काम आने वाली आठ और औषधियों को पूर्णतया छूटप्राप्त औषधियों की सूची में शामिल किया गया है। मैं इन औषधियों पर से भी सीमा शुल्क हटाने का अनुरोध करती हूं।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : सभापति महोदय, कल बिहार के भोजपुर जिले के डीलिया गांव में राजस्थान प्रदेश के जोधपुर जिले के 75 मजदूर पंचायत भवन के निकट सो रहे थे । वे सरकारी ठेके पर मजदूरी का काम करने बिहार गए थे। कल रात को रणवीर सेना के लोगों ने उन सोते हुए मजदूरों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। घटनास्थल पर ही छः लोग मारे गए। वे सब मजदूर सरकारी ठेके पर कार्य कर रहे थे। बिहार सरकार ने मृतकों के आश्रितों को केवल एक–एक लाख रुपये सहायता के रूप में देने की घोषणा की है।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बिश्नोई आपने जिस विषय पर बोलने हेतु नोटिस दिया है। कृपया उसी पर बोलिए।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि मारे गए मजदूरों को केन्द्र सरकार की ओर से भी सहायता दी जाए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बिश्नोई, आपने ओनियन और गार्लिक के विषय में बोलने के लिए नोटिस दिया है। मेरा आग्रह है कि कृपया उस विषय पर अपनी बात कहें।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : सभापति महोदय, मैंने दो नोटिस दिए हैं। मै आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि बिहार में राजस्थान के जो मजदूर मारे गए हैं, उन्हें कम से कम पांच–पांच लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाए। आज राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसान काफी समय से परेशान हैं क्योंकि उनको अपने उत्पाद का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। इस कारण देश के कई राज्यों में किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं। जहां किसान कमर्शियल क्रॉप पैदा करता है चाहें वह प्याज हो, लहसुन हो या और कोई भी चीज हो, उनके निर्यात पर रोक लगा रखी है। आज यह स्थिति है कि तीन वर्ष पहले जहां रायडा और सरसों के दाम 3000 रुपये क्विंटल थे, वे आज 1200 रुपये प्रति क्विंटल हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखी है।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : सभापति जी, लहसुन और प्याज के निर्यात की आवश्यकता है ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके।..*(व्यवधान)*

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति जी, आप मुझे एक मिनट के लिए बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपलानी जी, मैंने आपका नाम नहीं बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य दिलाया जाये और उनके निर्यात की परमीशन दी जाये...*(व्यवधान)*

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति जी, राजस्थान के जो मजदूर बिहार में मजदूरी के लिए जाते हैं, उनको बिहार सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है। वहां जब से राबड़ी देवी की सरकार बनी है, तब से लगातार वहां पर मजदूरों पर अत्याचार हो रहे हैं। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि राबडी सरकार को बर्खास्त किया जाये क्योंकि राजस्थान के मजदूरों पर अत्याचार होता रहेगा और वे मारे जाते रहेंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) : मैं इस ऐवान की तवज्जो एक अहम मसले की ओर दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि रियासत जम्मू–कश्मीर में जो रणबीर सिंहपुरा सैक्टर है जहां इंटरनेशनल बॉर्डर है। वहां दो दिन पहले पाकिस्तान रेंजर्स ने बिना इश्तिहाल फायरिंग की। उसका नतीजा यह हुआ कि हजारों एकड़ जमीन पर जो गेहूं की फसल थी, वह तबाह और बर्बाद हो गई। वह फसल पूरी तरह से जल गयी। जम्मू इलाके के एम.पी. साहब मौके पर गये थे। मैं हुकूमत की तवज्जो इस 'रफ दिलाना चाहता हूं कि हजारों एकड़ जमीन पर गेहूं की फसल तबाह होने से वहां लोग दाने–दाने के लिए मोहताज हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मरकजी सरकार इस बिना इश्तिहाल फायरिंग का क्या इलाज करना चाहती है और जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं, उनकी आबाकारी, खाने पीने और बाकी चीजों के बारे में क्या इंतजाम करेगी?

جناب علی محمد نائک (اننت ناگ): میں اس ایوان کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں جو انٹرنیشنل بارڈر ہے جہاں انٹرنیشنل بارڈر ہے وہاں دو دن پہلے پاکستان رینجرس نے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں ایکڑ زمین پر جو گیہوں کی فصل تھی، وہ تباہ اور برباد ہو گئی۔ وہ فصل پوری طرح سے جل گئی۔ جموں علاقے کے ممبر پارلیمنٹ صاحب موقع پر گئے تھے۔ میں حکومت کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہزاروں ایکڑ زمین پر گیہوں کی فصل تباہ ہونے سے وہاں لوگ دانے دانے کے لئے محتاج ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مرکزی سرکار اس بلا اشتعال فائرنگ کا کیا علاج کرنا چاہتی ہے اور جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اس کی آب کاری، کھانے پینے اور باقی چیزوں کے بارے میں کیا انتظام کرے گی؟

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में बड़ी संख्या में ग्रामीण शिल्पकार रहते हैं। इन ग्रामीण शिल्पकारों को सहायतार्थ तथा उनकी तकनीक में सुधार के लिए वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने 1982 में बांकुरा में एक फील्ड स्टेशन खोला था। पिछले बीस सालों से यह परिषद् तथा बांकुरो में स्थित इसका फील्ड स्टेशन में ग्रामीण शिल्पकारों की तकनीक में सुधार करने में सहायता कर रही है। तथा इन्हें वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकीय सहायता भी उपलब्ध करा रही है।

आश्चर्य की बात तो यह है कि हालांकि यह फील्ड स्टेशन और पश्चिम बंगाल तथा इसके पड़ोसी राज्यों झारखण्ड व उड़ीसा में स्थित प्रयोगशालाएं बांकुरा जिले के ग्रामीण शिल्पकारों की सहायता कर रही है किंतु सी.एस.आई.आर. ने बांकुरा स्थित अपने फील्ड स्टेशन को बंद करने का निर्णय लिया है। यदि इसे बंद कर दिया जाता है तो वे ग्रामीण शिल्पकार जिन्हें बड़ी संख्या में ग्रामीण उद्योगों में रोजगार मिला हुआ है, मुसीबत में पड़ जाएंगे। जहां भी अधिकाधिक रोजगार की संभावनाएं हैं। हमें ऐसे ग्रामीण व परंपरागत उद्योग को पुर्नजीवित करना चाहिए। यदि यह फील्ड स्टेशन बंद कर दिया जाता है तो इसका बांकुरा जिले के ग्रामीण शिल्पकारों पर जो वहां बडी संख्या में विद्यमान हैं, विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन्हें अपने निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए और बांकुरा के फील्ड स्टेशन को बंद नहीं करना चाहिए जो कि बांकुरा व पड़ौसी जिलों के हज़ारों ग्रामीण शिल्पकारों को प्रौद्योगिकीय और वैज्ञानिक सहायता देने संबंधी प्रशंसनीय कार्य कर रहा है।

अपराह्न 1.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

सभापति महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

(एक) मुम्बई में एच आई वी और क्षय रोग के कारण युवाओं की मृत्यु दर में वृद्धि की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : सरकार का ध्यान मुम्बई में युवाओं की बढ़ रही मृत्युदर की ओर दिलाया जाता है। संपूर्ण भारत में 19 प्रतिशत मौतें 15 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में हुई हैं। मुम्बई के मामले में वर्ष 1998–99,

1999–2000 के आंकड़ों से पता चलता है कि मुम्बई में हुई कुल मौतों में से एक तिहाई मौतें इसी आयु–वर्ग में हुई थीं। इसके कारणों का तत्काल अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। डर इस बात का है कि इनमें से अधिकतर मौतें एच.आई.वी. या टी.बी. से हुई हैं। इसलिए, इस बारे में जागरूकता फैलाने व इन बीमारियों का इलाज करने के लिए सरकार की ओर से तुरंत कार्यवाही अपेक्षित है।

[हिन्दी]

(दो) झारखंड के रांची जिले में हाथियों के आतंक को रोकने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : झारखंड के रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों एवं आदिवासी क्षेत्रों में हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। इन हाथियों के आतंक से लोगों की जानमाल एवं फसल का नुकसान हो रहा है। जिससे यहां के आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने काम के लिए नहीं निकल रहे हैं और न ही खेतों में खेती–बाड़ी का काम कर रहे हैं। हाथियों के कारण जिन लोगों की जाने गई हैं और फसलों का नुकसान हुआ है उनको अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इस संबंध में सम्बन्धित प्रशासन का ध्यान दिलाया गया है, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके कारण ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में दहशत और डर का माहौल है।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि मृतक के परिवार को पांच लाख रुपए एवं फसल को बर्बाद किए जाने पर 20 हजार रुपए एकड़ मुआवजा शीघ्र दिया जाए।

[अनुवाद]

(तीन) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अखिल भारत मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण का भूमि संसाधन विभाग में विलय किए जाने की आवश्यकता

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, योजना आयोग द्वारा पिछले वित्त वर्ष के लिए छः माह के लिए बजटीय सहायता में कटौती कर, कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय अखिल भारत मृदा और भू–उपयोग सर्वेक्षण (ए.आई.एस.एल.यू.एस.) को बंद करने हेतु लिया गया निर्णय मनमाना है।

महोदय, ए.आई.एस.एल.यू.एस. की आधारभूत संरचना एवं 50 करोड़ रुपये की है और इसके पास मृदा तथा उसकी उर्वरकता जांचने, नमी तथा अन्य मृदा विशिष्टताएं देखने के लिए कई करोड़ रुपयों के आधुनिक उपकरण व उपस्कर हैं। यह, प्रयोक्ता एजेंसियों को मृदा व भू विशिष्टताओं के वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध कराता है।

महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह या तो इस महत्वपूर्ण विभाग को पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान करे और या फिर इस संगठन को ग्रामीण विकास मंत्रालय के भू–संसाधन विभाग (डीओएलआर) में विलय करने पर विचार करें।

(चार) आन्ध्र प्रदेश के तेनाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केला उत्पादकों के लिए बीमा योजना पुनः आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : महोदय, आंध्र प्रदेश के केला उत्पादक अत्यधिक कम मूल्य की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश के तेनाली में वाजिब कीमतों के न मिलने से और फसल बर्बाद होने से केला उत्पादक गंभीर संकट में पड़ गये हैं।

महोदय, केला उत्पादन फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक अधिसूचित स्वीकृत फसल है। यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी–गुंटूर जिले और विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कोतलूर, कोलीपाड़ा और ब्राटिपरोलू मंडलों में केला वृक्षारोपण का बीमा 1996–97 से कर नहीं है और यह 2001–2002 तक भी जारी था। कंपनी द्वारा यहां तर्क देकर कि केले की फसल बीमा कंपनियों के लिए लाभदायक नही है, यह सुविधा इस वर्ष अचानक बंद कर दी गई है।

बीमा कंपनी द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल किसानों को उपलब्ध, बीमा सुरक्षा के प्रति अहितकर है बल्कि यह केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए निदेशक सिद्धांतों के भी विरूद्ध है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुराध करता हूं कि इस मामले को बीमा कंपनी के साथ वरीयता आधारों पर तत्काल उठाया जाए तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश के तेनाली में केला उत्पादकों को यह सुविधा पुनः प्रदान की जाए।

(पांच) विद्युत उत्पादन के लिए गुजरात को पर्याप्त गैस आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : महोदय, गुजरात की विद्युत परियोजनाओं हेतु फर्म और फुलबैक दोनों ही गैस के आबंटन के मामले में 55 प्रतिशत से भी अधिक

ईंधन से वंचित रखा गया है। गैस के अभाव के कारण एकक, अपनी क्षमता से आधे पर भी कार्यरत है। इस क्षति को पूरा करने हेतु इन एककों को बाहृय होकर नाफ्था जैसे महंगे वैकल्पिक ईंधनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कि विद्युत बोर्ड पर भार बन गया है।

मैं सरकार से यह आग्रह करती हूं कि सरकार ने विद्युत क्षेत्र को आनुपातिक आधार पर जितनी गैस उपलब्ध कराने का वचन दिया है वह उसे बिना किसी अनुचित अंतरण के उपलब्ध कराये।

[हिन्दी]

(छह) उत्तर प्रदेश में सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा) : महोदय, सदन में जनहित की सर्वोच्च समस्या के संबंध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी लेवी पर गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है, इसके कारण किसानों को आढ़तियों को बेचना पड़ रहा है, जो सरकारी दर से काफी कम है। इस कारण सरकार से किसानों को काफी नाराजगी है तथा आक्रोश भी है।

अस्तु माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि सरकारी दर पर उत्तर प्रदेश में शीघ्र गेहूं खरीदने की व्यवस्था की जाए जिससे किसान उचित दर पर गेहूं बेच सके।

[अनुवाद]

(सात) तमिलनाडु में तिरूवन्नामलाई में मेलाचेंगम में सेंट्रल स्टेट फार्म को बंद करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

***श्री डी. वेणुगोपाल (तिरुपत्तूर)** : महोदय, तिरुवन्नामलाई जिले में मेलाचेंगम स्थित सेंट्रल स्टेट फार्म मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है और इस फार्म का अनुसंधान आदान के साथ उन्नत किस्म के बीजों के उत्पादन में और वहां सैंकड़ों श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस सेंट्रल फार्म को, जो कि पहले से ही वित्तीय संकट में है, राज्य सरकार को सौंपना उचित नहीं होगा। अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह बहुराज्य सहकारी सोसायटी को अपने पक्ष में लें और इसका केन्द्र और राज्य के संयुक्त उद्यम के रूप में संचालन जारी रखें और सभी कृषि श्रमिकों को इसके सदस्य के रूप में नाम दर्ज करते हुए इस स्टेट फार्म को एक सहकारी सोसायटी के रूप में चलाए।

मैं केन्द्र सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह इसमें उद्यमियों और कृषि स्नातकों को शामिल करते हुए इसे प्रायोगिक परियोजना के रूप में चलाए। चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, अतः इसे बंद कर देने के विचार को छोड़ना जरूरी होगा और इसे केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों के ही कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और वन विभागों के समन्वय से चलाना उचित होगा।

[अनुवाद]

(आठ) भारतीय कपास निगम द्वारा उड़ीसा के कालाहांडी और नुआपड़ा जिलों के किसानों से कपास की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : महोदय, कालहांडी और नुआपड़ा जिलों के बीस हजार से अधिक कपास उत्पादक परिवारों को इस वर्ष दो कारणों से विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को संबिता संकर कपास के पुराने बीज उपलब्ध कराए गए है। जो 'बोलवार्म' नामक अमरीकी बीमारी के प्रवण थे जिसके कारण फसल की पैदावार में कमी आई और यह लगभग सामान्य उत्पादन का एक तिहाई हो गया था। दूसरी बात यह है कि चूंकि भारतीय कपास निगम क्षेत्र में समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है, स्थानीय व्यापारी किसानों को सामान्य मूल्य का भी आधा मूल्य दे रहे हैं। किसानों के पास बिना बिका दो लाख क्विंटल से भी अधिक कपास पड़ा हुआ है।

मैं भारत सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और भारतीय कपास निगम को उडीसा के कालाहांडी और नुआपड़ा जिलों के निर्धन किसानों से कपास की खरीद का निदेश दे।

[हिन्दी]

(नौ) महाराष्ट्र के धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता।

श्री रामदास रूपला गावीत (धुले) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र धुले (महाराष्ट्र) में इस वर्ष पेयजल को गंभीर संकट

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उत्पन्न हो गया है। राज्य सरकार इस क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने में असमर्थ है। पेयजल के अभाव के कारण क्षेत्र में रहने वाले लोग अन्यत्र पलायन कर रहे हैं तथा फैक्ट्रियां भी दूसरे स्थानों पर जा रही हैं और इस क्षेत्र में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा टैंकरों द्वारा पेयजल की थोड़ी व्यवस्था अब की जा रही है लेकिन वह व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है।

अतः मैं आपके माध्यम से जल संसाधन विकास मंत्री महादेय से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में पेयजल के लिये कोई विशेष योजना अंविलम्ब चालू करने के लिए उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अपराह्न 2.16 बजे

[अनुवाद]

संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक*-पुरः स्थापित

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 13–विधेयक का पुरःस्थापन लेगी।

संसदीय कार्यमंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1983 में और संशोधन वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–दो, खंड–1, दिनांक 7.5.02 में प्रमाणित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित।

अपराह्न 2.17 बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक - पारित

(एक) परिसीमन विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 14 – परिसीमन विधेयक को विचार के लिए लेगी। इस पर चर्चा के लिए चार घंटे का समय आबंटित किया गया है।

अब माननीय विधि मंत्री विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि लोक सभा में राज्यों को आबंटित स्थानों का, प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का, प्रत्येक राज्य को और ऐसे प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र को जहां विधान सभा है, लोक सभा और राज्यों ओर संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए प्रादेशिक निर्वाधन–क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन करने तथा उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, संविधान के अनुच्छेद 82 और 170, संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा यथा संशाधित में पुनर्समायोजन की व्यवस्था है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : कृपया पहले नियम को उदृधृत कीजिए। आप किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : कृपया भारत के संविधान का अनुच्छेद 82 देखिए।

सभापति महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह पहले नियम को उद्धृत कीजिए। संविधान को उदृधृत मत कीजिए। आप किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिह : महोदय, व्यवस्था का प्रश्न उस समय उठाया जा सकता है। जब कोई बात संविधान अथवा संसद के नियम के विरूद्ध हो।

सभापति महोदय : आप नियम को उद्धृत नही कर पा रहे है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जी नहीं,। संविधान विधि से ऊपर है।

सभापति महोदय : लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का नियम 376 है। यह व्यवस्था के प्रश्नों और उन पर लिए गए निर्णयों के बार में है। मैं इसे पढ़कर सुनाता हूं। इसमें कहा गया है:

"व्यवस्था का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सभा का कार्य विनियमित होता है, निर्वाचन या प्रवर्तन के सबंध में होगा....."

क्या आपका प्रश्न सभा की कार्यवाही से संबंधित है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभा का कार्य, मंत्री द्वारा विधेयक, पुरःस्थापित किए जाने के बाद उसे पारित करना है। यहां यह बात संविधान के विरूद्ध है। अतः कृपया मेरी बात सुनिए।

सभापति महोदय : व्यवस्था संबंधी अपना प्रश्न उठाने से पहले आपको आधार प्रस्तुत करना होगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : पाइंट आफ आर्डर यह है कि यह बिल संविधान के खिलाफ है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने यह प्रश्न उठाया है। अब इसके लिए अनुमति देने अथवा अनुमति नहीं देने अथवा कार्यवाही वृत्तांत से निकालने के बारे में निर्णय मुझे करना है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं संविधान के अनुच्छेद 82 से उद्धृत करता हूं।

सभापति महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह अब यह विधेयक विचार किए जाने के चरण पर है। आपने यह प्रश्न इसके पुरःस्थापन के समय क्यों नहीं उठाया? अब सभा ने इस पर चर्चा की अनुमति प्रदान कर दी है। अब अनुमति प्रदान कर देने के बाद यह प्रश्न कैसे उठा सकते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : कृपया संविधान का अनुच्छेद 82 पढ़िए।

सभापति महोदय : मैं उसे पढ़कर सुनाता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह वहां बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन के बारे में है।

[हिन्दी]

प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। महोदय, जनगणना हुई है 2001 में और माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं, वह 1991 की जनगणना के आधार पर लाए हैं।

महोदय, 2001 में जनगणना हुई और मंत्री जी, यह बिल 1991 की जनगणना के आधार पर लाये हैं। कंस्टीटयुशन कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः 'प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन' यानी प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन का कानून होगा। महोदय, 2001 में जनगणना हुई। उसके बाद यह बिल आ रहा है। इस बिल में 2001 की जनगणना का जिक्र नहीं है। इसमें तो 1991 की जनगणना का जिक्र है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : यह तैयार नहीं है और उसका रिजल्ट नहीं आया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, 2001 में जनगणना हो गई।

[अनुवाद]

जनगणना 2001 में पूरी हो गई। अब 2002 चल रहा है। संविधान के अनुच्छेद में यह कहा गया है: प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन हाल की जनगणना के पश्चात इस विधेयक का कोई अर्थ नहीं है। यह 1991 की जनगणना के आधार पर है इसलिये मंत्री जी जो विधेयक लाये हैं। यह संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 82 के संवैधानिक उपबंधों के खिलाफ है।

सभापति महोदय : क्या विधि मंत्री कुछ कहना चाहेंगे?

श्री अरूण जेटली : कृपया अनुच्छेद 82 में देखिए, उसमें यह कहा गया है :

"प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्रों में विभोजन का ऐसे प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद, विधि द्वारा अवधारित करे।"

कृपया अनुच्छेद 82 के आरंभिक शब्दों को देखिए। इसमें यह कहा गया है:

"प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर....."

(श्री अरूण जेटली)

आप कृपया इसका तीसरा परन्तुक देखिए। इसमें यह कहा गया है:

> "परन्तु यह और भी कि जब तक सन् 2000 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबंटन का और इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्रों में विभाजन का पुन' समायोजन आवश्यक नहीं होगा।"

अब आवश्यकता इस बात की है । केवल प्रत्येक जनगणना किए जाने की ही आवश्यकता नहीं है अपितु, इसे प्रकाशित किए जाने की भी आवश्यकता है। प्रकाशित जनगणना के उपलब्ध अद्यतन आंकड़े वर्ष 1991 के हैं, न कि 2001 के। अतः, यदि आज विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है तो वह उपलब्ध अद्यतन प्रकाशित आंकड़ों अर्थात् 1991 के आंकडों के अनुसार किया जाएगा ...*(व्यवधान)* इसकी सरकारी तौर पर घोषणा की जानी चाहिए और इस तरह 2001 की जनगणना के प्रकाशित आंकडों के अभाव में अंतिम प्रकाशित आंकड़े 1991 की जनगणना के होंगे। यदि हम अद्यतन जनगणना की प्रतीक्षा करते हैं तो हम परिसीमन प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे।

जब इस सभा में संविधान का चौरासीवां संशोधन स्वीकृत हुआ तो इस पर चर्चा हुई थी। ये प्रश्न विशेषरूप उठाए गए थे कि 2001 की जनगणना के प्रकाशित होने वाले आंकड़ों की प्रतीक्षा क्यों न की जाए और उसके बाद परिसीमन का कार्य किया जाए। इस सभा ने जब संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकृति प्रदान की तो उस समय उन्होंने महसूस किया कि प्रकाशन में भी समय लगेगा और परिसीमन की प्रक्रिया में दो वर्ष का समय लगेगा। इसलिए हम 2004 के आम चुनावों तक परिसीमन का कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। अतः, इस सभा ने आवश्यक समझा कि 2001 की जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन की प्रतीक्षा न की जाए और 1991 की जनगणना के आंकडों को आधार माना जाए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : पहले हमारी बात सुन लीजिए तब जवाब दीजिये।

श्री प्रमोद महाजन : आपकी बात का जवाब देने की मुझमें सामर्थ्य नहीं।

[अनुवाद]

महोदय, इस प्रश्न का निर्णय विधेयक के पुरःस्थापन चरण में ही होगा कि विधेयक संविधान के अनुसार है अथवा नहीं। यदि किसी माननीय सदस्य को लगता है कि सरकार जिस विधेयक को सभा में पुरःस्थापित कर रही है वह संविधान के अनुसार नहीं है। तो वह उस समय आपत्ति कर सकता है और सभा अथवा अध्यक्षपीठ उचित निर्णय लेते हैं कि यह विधेयक संवैधानिक उपबंधों के अनुसार है अथवा नहीं। जब हम विधेयक पर विचार करना शुरू करते हैं तब तक सभा विधेयक को संविधान के अनुसार स्वीकृत कर चुकी होती है। इस तरह, जब हम विधेयक पर विचार करना शुरू करते हैं, तब कोई भी मुद्दे को उठा सकता हैं। लेकिन विधेयक पर विचार किए जाने पर आपत्ति नहीं कर सकता है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : संविधान सदैव सही होता है... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय विधि मंत्री, इसमें यह भी कहा गया है कि "जब तक वहां 2000 के बाद हुई पहली जनगणना के संबद्ध आंकड़े प्रकाशित नहीं कर दिए जाते हैं। इसमें विशेष रूप से यह कहा गया है कि वर्ष 2000 के बाद के आंकडे प्रकाशित किए गए हैं। मान लो, यह प्रकाशित नहीं होते हैं तो विधि की क्या प्रतिक्रिया होगी? आपने कहा है कि उन्हें प्रकाशित नहीं किया गया है और संसदीय कार्यमंत्री ने कहा है कि विधेयक की संवैधानिकता का निर्णय इसके पुरःस्थापन के समय लिया जाता है। लेकिन मेरे विचार से विधेयक पारित होने के पश्चात् अध्यक्ष को इसे प्रमाणित करना पडता है।

श्री प्रमोद महाजन : विधेयक राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। इस सदन को विधेयक पारित करना होगा। दूसरे सदन को भी इसे पारित करना होगा और राष्ट्रपति को इस पर अपनी स्वीकृति देनी होगी।

सभापति महोदय : विधानमंडलों में अलग प्रक्रिया है। जब विधेयक पारित होता है तो इसे अध्यक्ष के हस्ताक्षर के पश्चात् राष्ट्रपति को भेजना होता है। क्या यह आवश्यक नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या यह आवश्यक है कि विधेयक राष्ट्रपति को भेजे जाने से पहले उस पर अध्यक्ष हस्ताक्षर करे?

श्री प्रमोद महाजन : जी नही, महोदय।

श्री अरूण जेटली : क्या मैं किसी मामले में संदेह दूर कर सकता हूं। चौरासीवें संवैधानिक संशोधन द्वारा तीसरे परन्तुक में सन् 2000 के स्थान पर सन 2026 प्रतिस्थापित हो चुका है। यह विधेयक चौरासीवें संवैधानिक संशोधन के अनुसार है। जिसमें अनुच्छेद 82 के तीसरे परन्तुक में सन् 2000 के स्थान पर सन् 2026 प्रतिस्थापित किया गया है...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : इस सभा ने परिसीमन संबंधी संवैधानिक संशोधन पर चर्चा की है....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप चौरासीवें संशोधन का विशेष भाग पढ़ सकते हैं, आपने कहा है, "इसके बाद"।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : विधि मंत्री स्पष्ट कर रहे हैं।

श्री अरूण जेटली : महोदय, चौरासींवा संशोधन 22 फरवरी, 2002 को लागू हुआ। इस सम्माननीय सदन तथा दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् आधी राज्य विधानसभाओं को इसे स्वीकृति देनी होती है। इसके बाद ही राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं। इसमें संशोधन के विभिन्न अनुच्छेद हैं और चौरासीवें संशोधन के खण्ड 4 में यह प्रावधान हैं कि अनुच्छेद 82 के तीसरे उपबंध में सन् 2000 के स्थान पर सन् 2026 प्रतिस्थापित किया जाए।

सभापति महोदय : मेरा विनिर्णय है कि विधेयक संविधान के अनुसार है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैने विनिर्णय दिया है। मंत्री महोदय, ने कहा है कि चौरासीवें संशोधन के अनुसार यह पूर्णतः संवैधानिक है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं केवल स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। विधान संवैधानिक है

...(व्यवधान)

श्री जी: एम. बनातवाला (पोन्नानी) : आपको अध्यक्षपीठ की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसका दूसरा अर्थ है, वर्ष 2026 को जनसंख्या आधार वर्ष के रूप में लिया गया है... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम यहां तथ्य का प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मामला यहीं समाप्त हो जाता है जब वे कहते हैं, "2000 के स्थान पर 2026 प्रतिस्थापित करें।"

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : भारत में असमान परिवार नियोजन प्रणाली व्याप्त है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, यह फरवरी में नई दिल्ली से प्रकाशित भारत का राजपत्र है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : परिवार नियोजन कार्यक्रम ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसका मामले से कोई सरोकार नहीं है। हम निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर विचार कर रहे हैं। 22 फरवरी, 2002 को प्रकाशित राजपत्र में कहा गया है:

"संविधान के अनुच्छेद 82 में तीसरे परन्तुक में सन् 2000 के स्थान पर सन् 2026 प्रतिस्थापित किये जाएं।"

इस तरह, यह बिल्कुल स्पष्ट है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब मैं विधेयक पर चर्चा चाहता हूं। मंत्री महोदय आप अपना भाषण दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, आने वाली

पीढ़ी का जब कोई जानकार आदमी यह सुनेगा कि परिसीमन विधेयक 2002 में 10 वर्ष पूर्व यानी 1991 की जनगणना के आंकडों का प्रयोग किया गया और 2001 की जनगणना का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। हमारी स्थिति बहुत हास्यास्पद होगी और हमारा यह कदम रैडीकुलस होगा। यह संविधान की धारा 82 का क्लीयरकट वॉयलेशन होगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मेरे विनिर्णय के पश्चात् कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री अरूण जेटली : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि परिसीमन विधेयक 2002 पर विचार किया जाए।

महोदय, संविधान (चौरासींवां संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथासंशोधित संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में ऐसे प्राधिकारी द्वारा तथा ऐसे तरीके से जैसा संसद विधि द्वारा अवधारित करे, वर्ष 1991 के जनगणना आंकडों के आधार पर प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों) में पुनः समायोजन तथा विभाजन किये जाने का उपबंध किया गया है। इसी तरह इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 330 और 332, जो कि चौरासींवा संशोधन है, में वर्ष 1991 की जनगणना में निश्चित जनसंख्या के आधार पर लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या पुनः निर्धारित करने का उपबंध किया गया है।

संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। देश के विभिन्न भागों में अलग–अलग निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या में असमान वृद्धि तथा एक ही राज्य में लोगों तथा मतदाताओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन करने से एक ही राज्य के भीतर आश्चर्यजनक रूप ले अलग–अलग आकार के निर्वाचकीय निर्वाचन क्षेत्र हो गए हैं।

इस विधेयक का उद्देश्य 1991 की जनगणना में यथा निश्चित जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने के उद्देश्य से परिसीमन आयोग गठित करना है ताकि निर्वाचकीय निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में आई उपरोक्त विसंगति को दूर किया जा सके। प्रस्तावित परिसीमान आयोग 1971 की जनगणना के आधार पर स्थानों की कुल संख्या को प्रभावित किए बिना 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या भी पुनःनिर्धारित करेगा।

महोदय, माननीय सभा ने 84वें (संशोधन) विधेयक 2001 को स्वीकृति दे दी थी और राज्य सभा और राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित करने के बाद अब यह स्वीकृत संविधान संशोधन विधेयक बन गया है। इस संविधान संशोधन की तीन मुख्य विशेषताएं हैं। पहली तो यह है कि परिसीमन का आधार वर्ष 1991 होगा न कि वर्ष 1971। दूसरा, दोनों सदनों तथा पूरे देश के राज्य विधानमंडलों तथा विधान सभाओं में वर्तमान स्थानों की संख्या वर्ष 2026 तक यही रहेगी। यह मुख्य रूप से सुनिश्चित करने के लिए किया गया ताकि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम कारगार रूप से लागू किया है, उनके प्रति, उन्हें उन राज्यों की तुलना में जिन्होंने इस कार्यक्रम को लागू नहीं किया और जिन्हें परोक्ष रूप से अपने राज्य में स्थानों के बढ़ने से लाभ मिलेंगे, भेदभाव नहीं किया जाये। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या के निर्धारण का आधार इन समुदायों की 1971 की जनसंख्या के आधार पर था वह अब 1991 की जनगणना के आधार पर किया जायेगा।

महोदय, जब प्रक्रिया का यह इतिहास रहा है कि 1951 में राष्ट्रपति के आदेश के बाद पहला परिसीमन कार्य हुआ था। इसके बाद 1962 में 1952 के अधिनियम के अंतर्गत परिसीमन कार्य हुआ और अंतिम परिसीमन कार्य, परिसीमन अधिनियम 1972 के तहत हुआ और इसके परिणामों को 1 दिसम्बर 1976 को अधिसूचित किया गया।

इस विशेष विधेयक की मुख्य विशेषताएं है कि एक परिसीमन आयोग होगा और जिसका नेतृत्व, उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश अथवा न्यायधीश रह चुके व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयोग के चेयरमैन या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति आयोग का सदस्य होगा। राज्यों में उस राज्य का चुनाव आयोग उसका सदस्य होगा। चुनाव आयोग का सचिव इस विशेष आयोग का भी सचिव होगा।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

परिसीमन आयोग के सदस्यों की निश्चित संख्या होगी उनमें से दस व्यक्ति राज्य से होंगे, जिनमें से पांच व्यक्ति उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य होंगे, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और इसी प्रकार पांच व्यक्ति उस राज्य की राज्य विधान सभा से होंगे जिन्हें अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा स्थानों के आबंटन की कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं आयेगा। यह भी सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जायेगा कि किसी राज्य में संसदीय सीटें और विधान सभा सीटें जहां तक संभव हो उसी संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र में हों। वे निर्वाचन – क्षेत्र जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हो उसे राज्य के विभिन्न भागों में वितरित किया जाएगा और यथासाध्य उन्हें उन क्षेत्रों में अवस्थान दिया जाएगा जिनमें पूरी जनसंख्या से उनकी जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है। 'अपेक्षाकृत अधिक' शब्दों का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों को उस राज्य के पूरे क्षेत्र में बांटने की कोशिश की जायेगी।

इसके विपरीत ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है यथासाध्य ऐसे क्षेत्र में स्थान दिया जाएगा जिनमें पूरी जनसंख्या से उनकी जनसंख्या का अनुपात अधिकतम होगा। इसका कारण यह है कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के मामले में सामान्य जनसांख्यिकी प्रतिमान क्षेत्र विशेष तक सीमित रहता है। अतः यह स्वाभाविक है कि केवल वही निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये जाएं।

आयोग को अनेक प्राधिकारियों जैसे महारजिस्ट्रार, जनगणना आयुक्त, भारत का महासर्वेक्षक तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों की सेवाएं तथा रिकार्ड प्राप्त करने के व्यापक अधिकार दिये गये हैं।

इस आयोग के कार्य दो वर्ष के अंदर पूरे कर लिए जाएं, इसके लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। पिछली बार, इसमें बहुत अधिक समय लगा था। तथापि अब जबकि सभी प्रकार का कम्प्यूटरीकरण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा स्थानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की गयी है और इस प्रावधान के अधीन केवल पुनः समायोजन किया जाना है, यह आशा की जाती है कि यह कार्य दो वर्ष की अवधि के अंदर पूरा हो जायेगा। मुझे पूरा विश्वास है तथा सदस्य भी इस बात को समझेंगे कि संवैधानिक आवश्यकता होने के कारण, विशेषकर 1984 के संविधान संशोधन विधेयक के पारित हो जाने के बाद, यह नया परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा तथा लोक सभा निर्वाचन–क्षेत्रों और साथ ही राज्य विधान सभाओं के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जायेगा। मुझे विश्वास है कि दोनों सदनों के सांसद इस विधेयक का समर्थन करेंगे। मैं माननीय सदन के विचारार्थ यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तत हुआ :–

"कि लोक सभा में राज्यों को आबंटित स्थानों का, प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का, प्रत्येक राज्य को और ऐसे प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र को जहां विधान सभा है, लोक सभा और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्रों में विभाजन को पुनःसमायोजन करने तथा उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब श्री सुशील कुमार शिंदे बोलेंगे।

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : क्या मैं अब संशोधन प्रस्तुत कर सकता हूं।

सभापति महोदय : इस चरण पर आप अपना भाषण दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का बहुत आभारी हूं क्योंकि बहुत सालों से हम चाहते थे कि इस देश में डीलिमिटेशन बिल आये। भारत वर्ष की जनसंख्या हर साल बढ़ती रही है और उसी के मुताबिक शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या भी बढ़ती रही है। मुझे याद है कि अनुसूचित जाति के लोग नव बौद्ध हो गये थे, उनको पूर्ण सुविधा देने के लिए राज्य सभा में एक बिल आया था। उसके बाद वह बिल लोक सभा में पास हुआ था। भारत सरकार की ओर से हम इस दिशा में देख रहे थे। सरकार किसी भी पक्ष की हो चाहें कांग्रेस की हो, मिश्रित पक्ष की हो, भारतीय जनता दल की हो या जनता पार्टी की हो, लोग तो चाहते हैं कि हमें भारतीय संविधान की ओर से जो अधिकार मिले हैं, वे हमें प्रदान हो जायें। और हम उसका अधिकार स्वीकृत कर भारतीय संविधान के माध्यम से देश की सेवा करें। लेकिन इस देश में जब डीलिमिटेशन का काम 1971 में खत्म हो गया, उसके बाद बिल आया कि इसके बीस

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

साल बाद कोई डीलिमिटेशन नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम उस वक्त यह निर्णय क्यों लिया गया। क्या उस वक्त की सरकार के मन में यह डर था कि रोटेशन हो जाएगी, शैडयूल्ड कास्ट्स की संख्या बढ़ने की वजह से उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल जाएगा या शैडयूल्ड ट्राइब्स का प्रतिनिधित्व बढ़ने से उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल जाएगा? 20–25 साल हो गए, उसमें कुछ सुविधा नहीं मिली, कुछ करैक्शन्स नहीं हुए। एक बिल आया जिसका जिक्र अभी लॉ मिनिस्टर ने ने किया कि लोक सभा की सीटें रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। अभी मंत्री जी जो डीलिमिटेशन का बिल लाए हैं, एक बिल ऐप्रवू हो गया कि लोक सभा की सभी सीटें रिस्ट्रिक्ट हो गई और रिस्ट्रिक्ट हुए बिल में जितनी कौन्सटीटूएंसी आती है, डीलिमिटेशन कमेटी उसका काम वहीं तक करेगी।

अभी सम्मानित सदस्य रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो सवाल उठाया, वह सही था कि आप पहली सैन्सस को देखें, मेरे पास उसकी फिगर्स हैं, 1951, 1961, 1971...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस संबंध में मैंने पहले ही अपना निर्णय दे दिया है कृपया दोबारा उस पर न जायें।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, मैं उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा।

[हिन्दी]

जब यह सैन्सस हो गया, उसके दूसरे साल डीलिमिटेशन की रिपोर्ट जाहिर हो गई और इलैक्शन हो गया। इस विषय पर हम आज से नहीं, मैं 1992 में राज्य सभा में आया था, तब भी मैंने डिमांड की थी।...*(व्यवधान)*।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : उस समय सरकार ने नहीं किया।

श्री सुशील कुमार शिंदे : इसलिए मैंने कहा, सरकार किसी की भी हो, मैं उसको दोष नहीं देता। मैं उस बात पर आ रहा हूं कि प्रधान मंत्री जी सबके हैं लेकिन आपकी पार्टी के हैं, 1990 में जब श्री वी.पी.सिंह की सरकार में पासवान जी बिल लाए थे कि सहूलियत दी जाए तो अटल जी ने कहा था कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन अच्छा काम कीजिए। लेकिन एक प्रोवीजन जो उसमें था, उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया जो मैं बाद में बताऊंगा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, यह काम पार्टी के ऊपर होना चाहिए। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसमें सेन्टैन्स की कंस्ट्रक्शन से मैं समाधानी हूं, लेकिन मुझे इस पर अमैंडमैंट मूव करना है। मेरे दिल में डाउट था कि जब भी किसी बिल के एम्स एंड ऑब्जैक्ट्स आते हैं तो सरकार उसे पूर्ण रूप से करती है या नहीं, इस बारे में शंका पैदा होती है। अभी भी एम्स एंड ऑब्जैक्ट्स में जो है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने पहले पैराग्राफ में कहा है।

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है कि :

"इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332 उपर्युक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित में यह प्रावधान किया गया है कि लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का पुनर्निर्धारण 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा।"

तत्पश्चात पैरा 2 में कहा गया है कि :

"प्रस्तावित परिसीमन आयोग 1971 की जनगणना के आधार पर तय किए गए स्थानों की कुल संख्या को प्रभावित किये बिना 1991 को जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों की संख्या का पुनः निर्धारण भी करेगा"

[हिन्दी]

यह मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट था। मैं आपकी नजर में 1990 का बिल नम्बर पांच लाना चाहता हूं:

[अनुवाद]

नव–बौद्ध धर्मानुयायी एक ऐसा धार्मिक समुदाय है जो डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में अनुसूचित जनजातियों के धर्म परिवर्तन की लहर के परिणाम स्वरूप 1956 में अस्तित्व में आया। बौद्ध धर्म में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वे सरकारी सेवाओं में तथा संसद तथा राज्य विधान सभाओं में स्थानों के आरक्षण जैसी सांविधिक छूट और गैर–सांविधिक छूट जैसे शैक्षिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो गए हैं।

महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में इसका उल्लेख किया गया था, जब सरकार ने अनुसूचित जातियों को अधिकार और शक्तियां प्रदान की तो सरकार ने विशेष रूप से सेवाओं और संसद तथा राज्य विधान सभाओं में स्थानों के बारे में विशिष्ट रूप से उल्लेख किया था।

[हिन्दी]

उसमें जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स है, उसमें भी इसी तरह का एक प्रावधान किया गया था, वह मैं आपकी नजर में लाना चाहता हूं, लॉ मिनिस्टर जब इस बहस का उत्तर देंगे तो मैं चाहूंगा कि इस पर स्पष्टता हो जाये। उस समय दो मार्च, 1990 को श्री रामविलास पासवान मंत्री थे। उन्होंने कहा था:

[अनुवाद]

विधेयक संख्या 5, संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक 1990।

[हिन्दी]

यह कितना बड़ा मजाक है, मुझे मालूम नहीं,

[अनुवाद]

क्या यह सदन को गुमराह करने के लिए किया गया था या विशेष वाक्य का उल्लेख करने के लिए किया गया था। आगे लिखा है:

"समय–समय पर विभिन्न छूटों और सुविधाओं को जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध है उसे उन्हें भी देने के लिए अनेक मांगें इस आधार पर की जाती रही हैं कि धर्म परिवर्तन होने से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है।"

[हिन्दी]

मैं इसे इसलिए पढ़ना चाहता था कि जब यह बिल सरकार की ओर से 1990 में पास हो रहा था तो सरकार यह एश्योर करती है, इसमें विशेष रूप से यह कहती है कि यह शैडयूल्ड कास्ट्स पर अन्याय हो गया है और स्टेचुटरी और नॉन स्टेचुटरी अधिकार उनको नहीं मिले हैं और वह हम वापस करना चाहते हैं हम कैसे विश्वास करें, जब यहां इतने पूर्ण रूप से कहते हैं कि स्टेचुटरी अधिकार वापस करने हैं, उस वक्त आप तो बोलेंगे कि हम सत्ता में नहीं थे, इसलिए अभी भी आपने जो रीफिक्स शब्द यहां स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जैक्ट्स एण्ड रीजंस में पैरा दो में प्रयोग किया है कि रीफिक्सिंग ऑफ कांस्टीट्वेंसी जब आप करने जा रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि आप केवल सेंसस 1991 की ही लेंगे या 1971 की लेंगे, क्योंकि 1971 तक बड़ी अजब संख्या है। पता नहीं, कैसे हम लोगों की शैडयूल्ड कास्ट्स की सीटें इस देश में और विशेषतया महाराष्ट्र में कम हो गई हैं। जब 1952 में डबल कांस्टीटयूएंसी थी, उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और दो जिले आंध्र प्रदेश के भी थे। उसमें छोटे से प्रांत में अनुसूचित जाति की सीटें 26 थी। उसके बाद जब 1957 में थोड़ा भाषावार प्रांतों की रचना का विचार चल रहा था तो कई राज्य अलग हो रहे थे और हो गए थे। महाराष्ट्र में 1957 में छः लोकसभा कांस्टीटयूएंसी एस. सी. के लिए रिजर्ड थी। एक बम्बई सिटी सेंट्रल, दूसरी कोल्हापुर, तीसरी शोलापुर, चौथी अकोला, पांचवीं भंडार और छठी नांदेड। 1962 में फिर छः थी। उसमें एक बम्बई सिटी सेंट्रल नार्थ, दूसरी हथकनगाले, तीसरी पंढरपुर, चौथी खामगा, पांचवीं गोदिया और छठी लातूर। कांस्टीटयूएंसी बदल गई, जिले बदल गए, लेकिन कांस्टीटयूएंसी छः की छः रही। 1956 में 14 अक्तूबर को जब डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को नागपुर में स्वीकार किया, उसके बाद 1957 में चुनाव हुआ। उसमें छः सीटें रहीं। 1962 में जब चुनाव हुआ, फिर छः सीटें रही। लेकिन 1967 में छः सीटों की जगह तीन लोक सभा सीटें रह गई। वे थीं खामगा, लातूर और पंढरपुर 1977 में तीन रह गई, बुलढाना, उस्मानाबाद और पंढरपुर मैं इसलिए नाम बता रहा हूं जब 1956 में डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तब छः सीटें थीं। 1990 में जब पासवान जी ने इस सदन में कहा, मेरे पास रिकार्ड है, मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा।

[अनुवाद]

"वर्ष 1956 में संसद द्वारा एक संशोधन विधेयक पारित किया गया था, जिसके अनुसार ऐसी अनुसूचित जातियों के लोग जो हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, वे उन सुविधाओं को प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। जो अनुसूचित जातियों के लिए हों।"

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

[हिन्दी]

1956 में मुझे तो देखने में नहीं मिला। यदि हो गया था 1956 में तो मेरा आग्युमेंट यह है कि इतना आगे कैसे चले गए। 1962 का चुनाव, 1967 तक कैसे चला गया। बिल में क्या इंटेंशन थी कि अचानक आप बंद कर देते हो और छः सीट की जगह तीन कर देते हो। 1990 में जब इस सदन में बिल पेश करते हो, तब क्यों नहीं उसका इलाज किया गया? जब 1956 में डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, कहा गया था कि हम सारे अधिकार वापस दे रहे हैं, तो क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं हमारी छः सीटें दी? महाराष्ट्र में लोक सभा में हमारी छः सीटें थीं और विधान सभा में 36 सीटें थीं। वे क्रमशः तीन और 18 सीटें रह गई। इस पर भी काम नहीं रूका। मैं बताना चाहता हूं जिसका उल्लेख यहां हुआ था।

"मैन्युल ऑन लॉ, 1997 – खंड –।"

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 में कहा गया है:

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुये भारत के राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के राज्यपालों तथा राजप्रमुखों की सलाह से निम्नांकित आदेश देते हैं, नामतः

(1) इस आदेश को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 कहा जायेगा।

(2) बशर्ते कि इस आदेश में इसका प्रावधान हो, जातियों प्रजातियों या जनजातियों या इसका कोई भाग या इसके अंदर कोई समूह, जातियाँ या जनजातियाँ जो इस आदेश की अनुसूची (XXII के भाग में) निर्दिष्ट हैं वे उस राज्य विशेष के जहां वे रहते हैं उस भाग के अनुसूचित जाति के माने जायेंगे उस अनुसूची के उस भागों के संदर्भ में सदस्य उस स्थानों का निवासी है, यह निर्दिष्ट होना चाहिए।

(3) तथापि पैरा 2 में यदि कुछ निहित है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म से अलग किसी अन्य धर्म (सिक्ख या बौद्ध धर्म) का अनुयायी है उसे अनुसूचित जाति का सदस्य माना जायेगा।

(4) इस आदेश में राज्य, जिला अथवा उसके किसी अन्य प्रादेशिक मंडल की व्याख्या से संबंधित किसी भी संदर्भ को 1 मई 1976 को गठित राज्य, जिला तथा उसके किसी अन्य प्रादेशिक मंडल के संदर्भ के रूप में माना जाएगा

इसे अनुच्छेद 341 के साथ पढ़ा जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपके दल से छह वक्ता हैं, इस पर भी विचार कीजिए।

श्री सुशील कुमार शिंदे : यह एक महत्वपूर्ण विषय है लेकिन मुझे सरकार को बता देना चाहिए कि परिसीमन कैसे अनुसूचित जाति के लोग किस प्रकार प्रभावित हुए है।

[हिन्दी]

महोदय, आज भी रिफिक्सिंग की बात कह रहे हैं। जो विश्वास 1990 में बताया गया था, वह चला गया। मुझे नहीं पता है, मंत्री जी आज क्या करने वाले हैं।

श्री राम नाईक : अच्छा करेंगे।

श्री सुशील कुमार शिंदे : मुझे आनन्द है, आप सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, फिर मैं अमेंडमेंट मूव नहीं करूंगा।

महोदय, 1990 में एश्योरेंस दे दिया था। मैं संबंधित कागज पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे अमेंडमेंट मूव करना है। मैं अमेंडमेंट अभी मूव कर देता हूं

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अभी नहीं, आप बोलिए।

श्री सुशील कुमार शिंदे : मुझे लगता है कि सरकार के दिल में हैं जो 1990 में बिल आया था, उसमें शैडयूल कास्ट्स के लोगों को सुविधा दी गई थी, नव–बौद्धों को जोडा गया था, रिस्टोर करके 6 पार्लियामेंट की सीट थीं और 36 विधान सभा की सीटें थी। मुझे नहीं मालूम, वह रिस्टोर करेंगे या नहीं। रिफिक्सिंग का अर्थ क्या है? शैडयुल्ड कास्ट्स की पोपुलेशन को अधिकार दिया है और नव–बौद्धों को शैडयुल्ट कास्ट्स में लिया है और जो शैडयूल्ट कास्ट्स में थे जैसे ही वे नव–बौद्ध हो गए, वैसे ही पार्लियामेंट की छः सीटे से तीन सीट करवा दी, लेकिन 1990 रिस्टोर नहीं करवाई। इसलिए डर है कि आप इसको अभी विचार में लेंगे या नहीं, जबकि हम कहेंगे कि विचार में लेना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

कैसे इसमें असुविधा होती है, आप तो जानते ही हैं, आप तो महाराष्ट्र से हैं। आठवले जी और थोरा जी पंढरपुर से चुनाव लड़े। आठवले जी ने अपनी कास्ट लिखी थी –महार, शैडयूल्ड–कास्ट लेकिन हाई–कोर्ट में चैलेंज हो गया कि वह शैडयूल्ड –कास्ट नहीं हैं वह नव–बौद्ध है। उसमें लिटिगेशन हो गया। इसलिए मैं सभापति जी, यह पाइंट–आउट कर रहा हूं कि अगर यह सरकार 1990 में ही यह करैक्शन कर देते तो हमारे साथी को तकलीफ नहीं होती। यह लिटिगेशन चला कि

यह सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है। हाई कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया, उसका उल्लेख मैं यहां नहीं करूंगा, क्योंकि जो निर्णय हो गया उसका मुझे पता नहीं है, उनके फेवर में निर्णय हो गया। यह जो दिक्कतें आई हैं, यह आज नहीं कल भी आ सकती हैं। नव–बौद्धों के लिए इस तरह की असुविधा निर्मित होगी। इसलिए मेरी डिमांड है कि ...*(व्यवधान)* लगता है कि मिनिस्टर साहब उसी पर कुछ सोच रहे हैं। ...*(व्यवधान)* पॉलिटिकली कॉज लेकर कितनों को भारत रत्न बनाया, वहां प्रकाश अम्बेडकर को सदस्य बनाया, यहां सेंन्ट्रल हाल में बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो लगाया और वह कहते थे कि हमने इलेक्शन में मैनिफैस्टो निकला है कि हमें नव–बौद्धों को शैडयूल्ड कास्ट में लाएंगे। हमें कोई एतराज नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी इन सब बातों के साक्षी हैं।

सभापति महोदय : इन पर आपस में ही विचार–विमर्श नहीं कर सकते। आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे : इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका भी राजनीतिकरण करके इलैक्शन में जो काम किया था उससे मुझे एतराज नहीं है। लेकिन एक फायदा अगर किसी समाज को देना चाहता है तो उसे दोनों तरफ से दे दो। एम्स एंड ऑब्जैक्ट्स में स्टेचुटरी राइट्स नहीं है कह कर देते नहीं है। आज भी रिफिक्सिंग की बात यहां हो रही है। इस सरकार की नीयत जब इतनी ठीक है तो शैडयूल्ड कास्ट के लिए सर्विसेज में जो स्पेशल ड्राव था वह वायदा करके भी पूरा नहीं हो रहा है। वह बात मैं छोड़ देता हूं। लेकिन इस बारे में मैं चाहता हूं कि मंत्री जी, यह जो 6 सीटें महाराष्ट्र में लोक सभा की भी उन्हें बहाल किया जाए और असैम्बली की 36 सीटों को रैस्टोर करने का काम इस बिल के माध्यम से आपको करना चाहिए। दूसरा यह 1990 का नव–बौद्ध वाला एक्ट है, उसे रैस्टोर किया जाए।

मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। देश में यदि शैडयुल्ड कास्ट को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलता है तो हमें यह चाहिए। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम सभी लोग लेते हैं। आपकी नीयत साफ हो और जो आप दिल से चाहते हैं, वह इन लोगों को देने के लिए मौका है।

सभापित महोदय, मैं उसी के लिये कह रहा हूं कि यदि ये अच्छा काम करेंगे तो न केवल पूरा महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में नवबौद्ध इनको धन्यवाद देने के लिये तत्पर रहेंगे।

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं विधि मंत्री द्वारा लाये गये परिसीमन विधेयक, 2000 का समर्थन करने के लिये खडा हुआ हूं। मैं ने केवल उन्हें बल्कि भारत सरकार को बधाई देता हूं उन्होंने सभी सांसदों, विधानसभाओं के सदस्यों एवं देश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये यह परिसीमन आयोग बनाने का निर्णय लिया है।

सभापति महोदय, मैं देख रहा था कि श्री शिवराज पाटील जी ने बहस के बाद इस बात को स्वीकार किया था कि 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होनी चाहिये। डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी कह रहे थे कि 2001 की जनगणना के आधार पर होनी चाहिये। जबकि वह स्थायी समिति के सदस्य हैं। उसमें खुली चर्चा हुई और सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि 2001 का इंतजार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके आंकड़े आने में काफी समय लग जायेगा। इसलिये सर्वसम्मति से इस बात पर फैसला हुआ कि 1991 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन किया जाये। देश में जनसंख्या में वृद्धि न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुये वर्तमान में जितनी लोकसभा की सीटें हैं उसी में से विधानसभा के बड़े–बडे क्षेत्र हैं, उस राज्य के अंदर समावेश करते हुये सीटें ठीक की जाये। मुझे लगता है कि जब मैं रिकार्ड देख रहा था तो सोचा कि शायद दिल्ली में बहुत बड़ी सीटें हैं लेकिन महाराष्ट्र में मुम्बई–उत्तर में लगभग 20 लाख मतदाता है।

श्री राम नाईक : यह संख्या 23 लाख है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं।

श्री लाल बिहारी तिवारी : इसी प्रकार ठाणे में 27–28 लाख मतदाता है। अगर दिल्ली के आंकड़े दूं तो मालूम होगा कि यहां पर कितना भारी अंतर है। बाहरी दिल्ली में 31 लाख मतदाता है, पूर्वी दिल्ली में 24 लाख मतदाता है लेकिन चांदनी चौक में तीन लाख 76 हजार मतदाता है। जो चुने हुये प्रतिनिधि हैं, जनता उनसे यह चाहती है कि जब उन्हें विजयी बनाया है तो उनके दुख–सुख, शादी–ब्याह और विकास के काम में हमेशा हाजिर रहें लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण यह संभव नहीं हो सकता है। इसलिये यह जरूरी है कि हम लोग राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन करें।

(श्री लाल बिहारी तिवारी)

सभापति महोदय, जब 2001 की बात की गई है और जब आंकड़े आयेंगे, तब उस वक्त देखा जायेगा। इन लोगों के मन में ऐसी बातें हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है और हम अनुसूचित जाति की सीटें बढ़ाने के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहती। कानून और संविधान के तहत जो होना है, वह होगा। इसलिये मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि 1991 की जनगणना के आधार पर जो परिसीमन आयोग बनाने का फैसला लिया है, वह एक स्वागतयोग्य कदम है। दो साल के अंदर वर्ष 2004 तक कि रिपोर्ट आयेगी। इसमें इतना समय जरुर लगेगा। लेकिन इस बिल को लाकर केन्द्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार के इस अच्छे कदम का समर्थन हम सबको मिलकर करना चाहिए। ताकि डीलिमिटेशन का काम पूरा हो जाए और जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा अंतर है, वह कम हो जाए और जनप्रतिनिधि भी अपने क्षेत्र में मतदाताओं की सेवा आराम से कर सकें। आप एम.पी. लैड फंड का उदाहरण ले लीजिए, जहां 3 लाख 76 हजार मतदाता हैं, उस क्षेत्र के लिए भी दो करोड़ रुपये मिलते हैं और जहां 31 लाख या 24 लाख मतदाता हैं, उन क्षेत्रों के लिए 2 करोड़ रुपये मिलते हैं। इसमें बहुत सी विसंगतियां हैं। मैं समझता हूं कि आज इस बिल के पास होने से हम सब लोग तथा जनता बहुत लाभान्वित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

अपराह्न 3.11 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय सभापति महोदय, मोटे तौर पर इस विधेयक को सामान्य विधेयक ही मानना चाहिए जो प्रत्येक जनगणना के बाद आना चाहिए किंतु इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 81 का इतिहास पहले ही हो चुके सशोधनों में निहित है। मुझे इसके प्रारम्भ में जाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु समान्यतः हम इस बात से सहमत हैं कि प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का उचित परिसीमन किया जाना चाहिए। यह किया जाना चाहिए क्योंकि हमें अच्छा लगे या न लगे किंतु आर्थिक और वित्तीय कारणों से शहरीकरण और जनसंख्या का पुर्नसमायोजन हो रहा है। आजीविका कमाने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होते हैं।

मैं इससे भी सहमत हूं कि दुर्भाग्यवश हम अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को अपेक्षित स्थिति में नहीं ला सकते है। जैसा कि संविधान निर्माताओं ने चाहा था और हमें यहां हर दशक के बाद समय बढ़ाना पड़ा था। उन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं, श्री सुशील कुमार शिंदे के मत का समर्थन करता हूं। मैं इसे विस्तार से नहीं जानता किंतु एक सिद्धांत तो अपनाया जाना ही चाहिए ताकि इस देश में किसी को भी यह न लगे कि उसे चुनावी प्रक्रिया से हटा दिया गया है। हालांकि चुनावी प्रक्रिया के परिणाम से बहुत कम ही बचा है। किंतु किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि वह अपनी पात्रता के अनुसार इसमें भाग नहीं ले पाया।

हमें हर क्षण यही सोचना पड़ता है कि कुछ लोग दूसरा धर्म क्यों अपना लेते हैं। जैसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि इन्हें एक धर्म विशेष रखने तथा उस धर्म की रक्षा करने का एकाधिकार प्राप्त है। वे ये नहीं सोचते कि क्यों लाखों लोग एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व व मार्गदर्शन में दूसरा धर्म अपना लेते हैं। जिस पर हम सभी को गर्व है और जो पूरे देश में पूजनीय है। श्री शिंदे ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। उक्त कथन पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

यह कहा गया है कि व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए परिसीमन आवश्यक है। हो सकता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 20 लाख मतदाता हों तो दूसरे में केवल पांच लाख ही हों। आजकल, संसद सदस्यों से अधिकाधिक मांगें की जाती हैं। मुझे यहां कुछ समय बिताने का विशेषाधिकार मिला है। यह मेरी नौवीं पारी है। मैं, यह इस तथ्य को उद्घटित करते के लिए कह रहा हूं कि जहां तक संसद सदस्यों का संबंध है, मतदाताओं की धारणाओं में परिवर्तन आया है। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के मामलों में सांसदों का अधिकारिक हस्तक्षेप चाहते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण वह धनराशि है जो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत दी जा रही है। उन्हें लगता है कि उनके अपने सांसद के पास कुछ धनराशि तो है। इस दृष्टिकोण से ही सांसदों का महत्व बढ गया है।

यदि एक स्थान पर बहुत अधिक लोग हों और दूसरे स्थान पर बहुत कम तो इससे असमानता उत्पन्न होती है।

महोदय, जब पिछली बार परिसीमन किया गया था तब मैं उसमें सहयोगी सदस्य था। न्यायमूर्ति टी. के. बासु उपाध्यक्ष थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल से संबद्ध मसले की अध्यक्षता की थी।

मैंने पाया कि बहुत अच्छा कार्य किया गया तथा वहां सहयोग भी था। स्पष्टतया: हर सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र को यदि वह अच्छा क्षेत्र हो तो बनाए रखने का भरसक प्रयत्न करता है। किंतु इस मामले में व्यापक रूप से ही विचार करना पड़ता है। कुल मिलाकर मेरा पिछला कार्य काल बहुत कम होने के बावजूद बहुत अच्छा रहा। इसे व्यवस्था पर हावी हो चुकी अन्य विकृतियों से अलग नहीं किया जा सकता।

महोदय, सभी राजनीति के अपराधीकरण की बात करते हैं, सभी विभिन्न विधायी निकायों में अपराधियों के प्रवेश की बात करते है। यह कैसे संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुप्रभावित कर रहा है। भ्रष्टाचार कैसे हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक मुख्य समस्या बन गया है। ये मामले ने सिर्फ देश पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं अपितु ये मामले, चुनाव पर आधारित हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल तत्वों को भी नष्ट कर रहे हैं। हमने चुनाव सुधारों को लेकर बहुत सारी समितियों और आयोगों का गठन किया था और सभी उनके बारे में बात करते हैं। अब, देखता हूं कि पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाईक इन चुनाव सुधारों के प्रति अपनी जीवंतता कुछ हद तक खो चुके हैं किंतु वह चुनाव सुधारों के हमेशा ही समर्थक रहे हैं। मैं कई अन्य बातों के अलावा इसके लिए भी उनकी प्रशंसा करता हूं। मुझे नहीं पता के ऊपर उठेंगे या नीचे जाएंगे। हम समाचार पत्रों में सभी प्रकार की अटकलें देखते है।

श्री राम नाईक : मित्रता तो हमेशा बनी रहेगी...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब तक मित्रता बनी रहेगी जब तक आप पूरी तरह पथ भ्रष्ट नहीं हो जाते। ज्यादा स्पष्टीकरण न दे...*(व्यवधान)* हमें, यहां एक साथ काम करने, इस सभा में प्रशिक्षण प्राप्त करने और एक ही समितियों में काम करने का अवसर मिला है। मैंने इनकी हर काम में उत्साहपूर्वक लगन देखी है। मैं इसकी गंभीरता से प्रशंसा करता हूं ...*(व्यवधान)* इस मुद्दे से कोई इन्कार नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि इस देश में चुनाव सुधार एक महत्वपूर्ण मामला है। मुझे 1971 में ऐसी एक समिति का सदस्य बनने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी महत्वपूर्ण सदस्य थे। उसमें कई अन्य महत्वपूर्ण सदस्य भी थे। मुझे उनके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समिति की अध्यक्षता कांग्रेस सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्री श्री सी. जगन्नाथ राव ने की थी। तत्पश्चात् श्री, वी. एम. तारकुंडे की अध्यक्षता में एक गैर सरकारी समिति बनी थी। मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र श्री अरूण जेटली इस बारे में जानते हैं। फिर दिनेश गोस्वामी समिति थी।

महोदय इन समितियों की सिफारिशें सर्वसम्मत थीं। मैंने सोचा कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे चुनाव सुधारों के घोर समर्थक मंत्री बनेंगे तो वह कार्य उत्साह से आगे बढाएंगे। यह एक शिकायत किया करते थे। जाहिर है, उस समय शिकायतें और रिपोर्टें तो बहुत थीं किंतु कार्यवाही कोई नहीं थी। उनके गृह मंत्री बनने के बाद जब हमने इस मामले को उठाया तो उन्होंने कहा कि एक मामले पर एक राय है और वह है चुनावों के लिए राज्य द्वारा निधियां प्रदान करना। उन्होंने इस पर एक समिति का गठन किया। हमें अपने नेता श्री इंद्रजीत गुप्त के रूप में, समिति के अध्यक्ष के रूप में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे उस समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डा. विजय कुमार मल्होत्रा जी उसमें एक सदस्य थे। बहुत वरिष्ठ सदस्य इन समितियों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस समिति में डा. मनमोहन सिंह सहित कई अन्य सदस्य भी थे। इस समिति में, कुछ सर्वसम्मत सुझाव दिए गए तथा उनमें से कई बहुत क्रांतिकारी सुझाव नहीं थे क्योंकि हम इसके लिए उपलब्ध कराई गई निधियों के प्रति सजग थे। हमें यह बताया गया कि अधिक निधियां उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। लेकिन इस पर कोई गौर नहीं किया गया? अब मेरा विश्वास है कि रिपोर्ट आए दो वर्ष चुके हैं। किंतु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए, परिसीमन को सामान्य मामले के रूप में क्यों माना जाए? चुनाव प्रक्रिया की विकृतियों को हटाने के लिए। आखिरकार, व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संसद पर आधारित लोकतंत्र के रूप में इस देश को बने रहना है। इसका स्थान कोई और व्यवस्था नहीं ले सकती। आप निर्वाचन क्षेत्र का पुर्ननिर्धारण या इसकी रूप रेखा का पुनचित्रण ही कर रहे हैं। क्योंकि अब आप संख्या में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यही आपका विचार भी है। अब आप संख्या में परिवर्तन नहीं कर सकते। आपको कुछ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुर्नचित्रण कर मौजूदा संख्या को बनाए रखना होगा, यथा संभव विकृतियों को हटाना होगा। और चुनावों में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक समान अवसर प्रदान करने होंगे, दिल्ली के एक निर्वाचन क्षेत्र की तरह नहीं जहां, जैसा कि मुझे बताया गया है कि वहां 20 लाख मतदाता है।

श्री राम नाईक : मेरे क्षेत्र में 23 लाख मतदाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस प्रकार तो आपको प्रथम स्थान प्राप्त है। इसीलिए आप इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन क्या

(श्री सोमनाथ चटर्जी)

इनमें से किसी से आप मुक्त होना चाहेंगे...*(व्यवधान)* मैं दिल्ली को ही प्रथम समझता था किंतु आप तो उससे भी आगे निकले।

श्री राम नाईक : ढाणे में 31 लाख मतदाता हैं।

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : किंतु हमारे उपाध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र में मात्र 21,000 मतदाता हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप चेन्नई के कुछ भागों को लक्षद्वीप में नहीं जोड़ सकते। इसलिए, महोदय, यह महत्वपूर्ण है। मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह कई सालों से नही किया गया है। अभी भी हमें 1991 की जनगणना के अनुसार चलना है। हम 2001 की जनगणना के अनुसार नही चल रहे हैं। हमें 1991 की जनगणना के अनुसार चलना है क्योंकि 2001 की जनगणना के पूरे परिणाम अभी उपलब्ध नहीं हैं। हम पहले ही दस साल पीछे हैं। इस दस वर्षों के दौरान कई परिवर्तन हो चुके हैं। इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसे खण्डित मामले के रूप में नहीं लिया जाए। हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। किंतु आप इस मामले से अपना पल्लू नहीं झाड़ सकते हैं। आप दूसरी विकृतियों के लाभार्थी नहीं बन सकते। यदि आप अन्य विकृतियों का लाभार्थी होना चाहते हैं तो हमें उनका पर्दाफास करना होगा। इसलिए, मेरे विचार से यदि सरकार की ओर से कोई वादा किया जाता है तो कृपया यह बताइए कि इस पर आपकी समय तालिका क्या रहेगी। यह कार्य बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। आज संसद के सदस्य के नाते हमारी हंसी उड़ाई जाती है। मैं इस माननीय सदस्य का नाम नहीं लूंगा जिन्होंने पिछले दिनों टी.वी. पर वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहाः "यदि मेरे खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं तो इसमें क्या गलत है? मेरा अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ है। जनता जानती है कि मैं कई मामलों में आरोपी हूं। किंतु इसके बावजूद मैं जीता हूं। जेल में बैठे लोग जीतते हैं। हम उन्हें नहीं रोक सकते। इसलिए, इन मामलों पर ध्यान देना होगा। लोगों का उपहास किया जाता है। लोक सभा के पिछले चुनावों से पहले दर्शकों के समक्ष टी.वी. की एक चर्चा जिसमें दर्शक आमंत्रित किए जाते हैं और श्री अरूण जेटली को इनका काफी अनुभव है,वे सभी दर्शक नये मतदाता थे जो 18 वर्ष से ऊपर थे और उनमें से एक ने कहा कि हम आज हम धोती पहनने वाले व्यक्ति की बईमान से तुलना करते हैं। उसे एक राजनीतिक के रूप में नहीं देखते हैं। बल्कि एक बईमान के रूप में देखते हैं। और इस बात पर सभी ने तालियां बजाईं। मैंने कहा : यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ईश्वर के लिए आप राजनीति में आईए और इसमें सुधार कीजिए। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते इस क्षेत्र से बाहर रहकर भाषण देने से कुछ नहीं होगा। हमें सरकार बनानी चाहिए। हम ऐसी सरकार ऐस बेमेल गठजोड़ को हमेशा के लिए नहीं चाहते। हमें एक बेहतर सरकार बनानी होगी इसलिए अच्छे लोगों को इसमें लगातार आना चाहिए।

यदि अपराधी चाहें उसका अपराध सहित हो गया हो। अथवा नहीं हुआ हो, चुनाव में भाग लेते हैं, अथवा यदि अन्य प्रकार की बुराइयां होती हैं, यदि काला धन रखना सही माना जाता है, यदि अधिक राशि खर्च करने की स्पर्धा सही मानी जाती है। तो आप इन बुराईयों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, चाहें ये किसी 11–12 लाख की आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्र अथवा 12–15 लाख की आबादी वाले किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में हो। आबादी का कोई अर्थ नहीं है यदि ऐसी सभी बुराइयों को दूर नहीं किया जाएगा।

अतः परिसीमन, उस प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा मात्र है। इसे अन्तिम लक्ष्य न समझा जाये। यह इन बुराइयों को दूर करने के अंतिम उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक सीढ़ी हो सकती है। मेरी यह मांग है कि यदि इस सरकार का वास्तव में कोई राजनीतिक संकल्प है तो वह कम से कम इन्द्रजीत गुप्त समिति की रिपोर्ट के तत्काल कार्यान्वयन की घोषणा करें। और दिनेश गोस्वामी समिति, जिसके वर्तमान गृह मंत्री इच्छापूर्वक सदस्य रहे थे, के बारे में कार्यवाही करना शुरू करे।

अतः, मेरी मांग है कि ऐसा किया जाये। अन्यथा हमें यह महसूस होने लगेगा कि यह सरकार चुनाव सुधारों के बारे में गंभीर नहीं है।

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया अतः, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परिसीमन विधेयक, 2002, जो कि एक साधारण विधान प्रतीत होता है, बहुत साधारण नहीं है। इसके व्यापक प्रभाव और दूरगामी परिणामों के कारण यह बहुत जटिल बन गया है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि अब इस विधेयक को पारित करने की ऐसी क्या जल्दबाजी है। माननीय विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री ने 3 मई, 2002 को माननीय राष्ट्रपति को विधेयक के संबंध में सूचित करने के बारे में पत्र लिखा था। परन्तु 7 मई को आप इसे सभा में पारित करने जा रहे हैं। हाल ही में इस बात पर सर्वसम्मिति बनी थी कि 1971 की स्थिति के

अनुसार, यथा स्थिति, अगले दस वर्षों के लिए बनी रहेगी। हम सभी लोगों ने सैद्धान्तिक रूप से यह स्वीकार कर लिया था कि किसी भी राज्य की सीटों की संख्या, चाहें वह संसद में हो अथवा विधान सभा में, कम न हो।

इस बात पर सहमति हुई थी कि तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों और कुछ अन्य राज्यों, जहां साक्षरता दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है और जनसंख्या वृद्धि दर पर प्रभावित रूप से नियंत्रण रखा गया है, को दंडित न किया जाये। वर्षोपरान्त इन राज्यों ने जनसंख्या को कम करने के मामले में उत्कृष्ट कार्य किया है। वास्तव में प्रोत्साहन के रूप में तमिलनाडु जैसे राज्यों को अधिक सीटें मिलनी चाहिए। परन्तु यह क्या हो रहा है? जनसंख्या के आंकड़ों को शामिल करते हुए आनुपातिक आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को रखने की आड़ में यदि सीटें कम कर दी जाती हैं तो तमिलनाडु को लोकसभा में कम से कम दो सीटें गवानी पड़ेंगी। यह हमें स्वीकार्य नहीं है।

परिसीमन आयोग के गठन के नाम पर आपने इस परेशानी में डालने वाली जटिल समस्या के मामले में जल्दबाजी की है। इस आयोग के लिए दो वर्ष का समय होगा ओर तत्पश्चात आदेश के रूप में अधिसूचित इसकी रिपोर्ट शीघ्र लागू कर दी जाएगी। अतः इस पर अब विचार करने की आवश्यकता है।

हमारे नेता डा. कलैग्नार करूणानिधि इस संबंध में दूरदर्शिता से निरन्तर अपने विचारों को व्यक्त करते रहे हैं। सम्भवतः, वे देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमारे राज्य, जहां जनसंख्या नियंत्रण का उत्कृष्ट और प्रशंसनीय कार्य हुआ है, में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में संभावित कमी के खिलाफ अपनी आवाज उठायी है।

1991 की जनगणना में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजतियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों, क्योंकि 1988 के बाद उन्हें भी आरक्षण दिया गया था, की भी गणना की जानी चाहिए थी। परन्तु इनकी जनगणना प्रभावी ढंग से नहीं की गई। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम के आधार पर परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए पृथक आरक्षण की मांग भी की गई है। हम इन सभी आरक्षित वर्गों को चक्रानुक्रम वर्ग में से प्रतिनिधित्व के लिए वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में कैसे निर्णय करेंगे?

इन पहलुओं पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है और इन पर ध्यान दिए बिना परिसीमन की और बढ़ना भानुमति के पिटारे को खोलने जैसा है। परिसीमन आयोग के गठन के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के पश्चात् सर्वसम्मति की आवश्यकता है।

मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि प्रस्तावित आयोग के अंतर्गत समितियों में ससंद सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध हटाया जाये। इस आयोग में सभी निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अतः मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह इस नितांत आवश्यक और अच्छे प्रस्ताव को, सभी राजनीतिक दलों और हमारी संघीय व्यवस्था में सभी राज्यों के साथ विचार–विमर्श करके, आगे बढ़ाएं।

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदय, परिसीमन विधेयक, 2002 पर चर्चा करते वक्त मैं कहना चाहूंगा कि इस विधेयक का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, जिनसे मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा।

सर्वप्रथम इस परिसीमन आयोग के गठन करने का जो प्रादधान है, उसमें चेयरमैन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश है। उसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार करेगी। इस पर मुझे आपत्ति है। आप जानते हैं कि चुनाव में और लोक सभा में बैठकर जब हम बहस करते हैं तो हम अपनी पार्टी के हित के संबंध में और पडने वाले वोटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को लेकर भी बहस की जाती है और यह चीज हर पार्टी कर रही है। जब केन्द्र सरकार किसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करेगी तो हमें पूरी शंका है कि केन्द्र सरकार के मन की बात मानने वाले कोई माननीय न्यायाधीश होंगे तो उनकी नियुक्ति करेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति महोदय से नाम मांगे जायें, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति जी, दोनों की सहमति हो जाये। यदि वर्तमान समय में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनको इसका चेयरमैन बनाया जाये, तो अच्छा होगा। इसी तरह इसका चेयरमैन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जज, जो वह नियुक्त हो या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो, बनाया जाये।

इसके सदस्य मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो किया जाएगा वह ठीक है। सम्बद्ध राज्य के निर्वाचन आयुक्त भी ठीक हैं, लेकिन जो वर्तमान समय में निर्वाचन आयुक्त हैं और जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किये जाएंगे, हम माननीय विधि मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि इसमें जो राज्यपाल हैं, चूंकि हम लोगों ने अभी राज्यपाल की भूमिका उत्तर प्रदेश में देखी है, राज्यपाल भी इस समय केन्द्र सरकार से नियुक्त किये जाते हैं, इसलिए कहीं न कहीं वे भी राजनीति से प्रभावित हैं, इसलिए जो नियुक्ति हो, वह निष्पक्ष नियुक्ति होनी चाहिए।

(श्री धर्म राज सिंह पटेल)

जिस निर्वाचन आयुक्त पर कोई आपत्ति न हो और सभी पार्टियों के लोगों की सहमति हो, यह संशोधन मैं जरूर चाहूंगा।

दूसरे संयुक्त सदस्यों की नियुक्ति का सवाल है। इसमें हर राज्य से पांच लोक सभा सदस्य और विधान सभा के पांच सदस्य नियुक्त किये जायेंगे। इनकी नियुक्ति करने का अधिकार विधान सभा अध्यक्ष को दिया गया है या लोक सभा अध्यक्ष को दिया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो लोक सभा के सदस्य लोक सभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कई पार्टियां हैं व अन्य राज्य में कई–कई पार्टियां हैं और कई–कई पार्टियों के विधायक काम कर रहे हैं। जो पांच सदस्य लोक सभा के लिए जाएंगे, वे एक ही पार्टी के लिए जाएंगे या भिन्न पार्टियों के लोग रखे जाएंगे और यह कैसे तय होगा? इसी तरह से विधान सभा से भी पांच सदस्य रखे जाएंगे। वे कैसे रखे जाएंगे, एक ही पार्टी के रखे जाएंगे या विधानसभाध्यक्ष द्वारा कई पार्टियों के रखे जाएंगे, यह इसमें स्पष्ट नहीं है इसलिए मंत्री जी सदन के सामने स्पष्ट करते हुए बताएं कि वस्तुस्थिति क्या है? संयुक्त सदस्य जो बनाए जाएंगे पांच–पांच सदस्य लोक सभा और विधान सभा से, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है। मंत्री जी इसको भी स्पष्ट करें कि उनकी क्या भूमिका होगी? जब उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा तो वे क्या काम करेंगे?

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में दिया है। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। 1971 में विधान सभा और लोक सभा के क्षेत्रों का परिसीमन किया गया था। हमारे प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, वे प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहें और यहां मंत्री भी रहे हैं। मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता। माननीय स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा आज हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत काम किया है। मैं उनके व्यक्तित्व पर कोई आशंका प्रकट नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बार जब वे इलाहाबाद से बारां विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए तो हारने के बाद उन्होंने दोबारा अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में परिसीमन का कार्य ऐसे कराया कि कहां–कहां हमारी पार्टी चुनाव जीत सकती है और कहां–कहां नहीं जीत सकती। उन्होंने उस विधान सभा क्षेत्र को ऐसे तोड़ दिया, जिससे जो लोग हारने वाले थे, वे हारने न पाएं, ऐसा प्रयास किया गया। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि अब जो परिसीमन होने जा रहा है। 1971 में परिसीमन हो चुका है। अब जबकि विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों की सरकार हैं, अब जो परिसीमन होगा, वह कितना न्यायसंगत होगा, यह कैसे सुनिश्चित किया जायेगा। कहीं ऐसा न हो कि जिस पार्टी की सरकार है, जिस पार्टी के लोग सत्ता में बैठे हैं, वे ऐसा कर दें कि जहां–जहां उनके जीतने की संभावनाएं हैं, वहां बढ़िया बना दें और जहां–जहां विरोधी दलों की जीतने की संभावना है, वहां ऐसा कर दे कि वे दस साल तक चुनाव न जीत सकें।

सभापति महोदय : आप ठोस सुझाव दें, केवल कारण पर ही बोल रहे हैं, कोई समाधान भी बताएं।

श्री धर्म राज सिंह पटेल : जब शंका होगी, तो यहां नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे ...*(व्यवधान)* सब जानते हैं कि सरकारें कैसे करती हैं।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें, काफी सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री धर्म राज सिंह पटेल : आज भी कलेक्टर हारे हुए एम.पी. को 500 या अधिक वोटों से जीता सकता है और जीतते हुए को हरा सकता है। यह एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। लेकिन सारे देश के स्तर पर इसमें विसंगतियां मौजूद हैं। सरकारें आयेंगी और सरकारें जायेंगी, लेकिन इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य बनें, वे ऐसे लोग हों, जिन पर किसी प्रकार का कोई राजनैतिक प्रभाव न हो। वे देशहित में, किसानों के लिए और जो न्यायसंगत हों, उसको दृष्टि में रखते हुए काम करें। जिस तरीके से हमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पर विश्वास है, उसी तरीके से इस आयोग के सदस्यों पर विश्वास हो।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय विधि मंत्री को इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूं। यह विधेयक नितांत आवश्यक है। 1972 के बाद किसी परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया।

परंतु, जनसंख्या की अनियमित वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों के पलायन के कारण भी आज कुछ संसदीय के साथ–साथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी। कम मतदाता है जबकि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या अधिक है।

महोदय, पिछली बार इस सम्मानीय सभा ने निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को स्थिर करने के लिए विधान पारित किया था। हमारी पार्टी निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में बढोत्तरी के खिलाफ थी। हमारी एक जनसंख्या नीति है। परन्तु यदि निर्वाचन क्षेत्र को स्थिर करने जैसे निवारक उपाय नहीं किये जायेंगे तो राज्यों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए नहीं जाएंगे। इसलिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया कि वे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में बढोत्तरी का विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए यदि वर्ष 2026 तक निर्वाचन क्षेत्रों को स्थिर नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश इन चार राज्यों की लोक सभा की सीटें जो वर्तमान में 204 हैं 2026 तक बढ़कर 229 हो जाएंगी। इसके विपरीत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल इन चार राज्यों की लोक सभा में सीटें, जो वर्तमान में 129 हैं 2026 तक घटकर 113 रह जाएंगी। इन राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। हम भी राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों को पूरी तरह से कार्यान्वित कर रहे हैं। इसीलिए हम निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने के खिलाफ थे।

महोदय, परिसीमन आयोग की स्थापना अत्यावश्यक है। यही समय की मांग है। आज कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में केवल तीन से चार लाख मतदाता हैं जबकि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 20 से 22 लाख अथवा इससे भी अधिक मतदाता है। अतः, ऐसे मामलों में परिसीमन की आवश्यकता है। हमें, प्रत्येक दस अथवा बीस वर्षों में परिसीमन आयोग की स्थापना करनी चाहिए। इसे एक अनिवार्य उपबंध बनाया जाये।

श्री राम नाईक : संविधान में यह कहा गया है कि यह प्रत्येक दस वर्ष के बाद किया जाये।

श्री के. येरननायडू : परन्तु, हम संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि सत्ता में आयी सभी पार्टियां सभी मामलों में संविधान के अनुसार कार्य करती तो ऐसी समस्या ही उत्पन्न नहीं होती। अतः, मेरा यह सुझाव है कि इसके बाद जैसाकि संविधान में उल्लेख किया गया है प्रत्येक दस वर्ष के बाद परिसीमन आयोग गठित किया जाये।

महोदय, यहां चक्रानुक्रम प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में श्री जनार्दन रेड्डी नेल्लोर जिले के हैं, इस निर्वाचन क्षेत्र को 1952 से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य में अन्य निर्वाचन क्षेत्रों को भी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया जाये। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाना उचित होगा।

जो भी हो, इस विधेयक में चक्रानुक्रम को शामिल नहीं किया गया है। इस विधेयक का एकमात्र उद्देश्य परिसीमन आयोग की नियुक्ति करना है। शुरू से ही सभी लोग चक्रानुक्रम व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। विधि मंत्री इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के विचार जानने के लिए यथाशीघ्र सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं। यदि सभी लोग चक्रानुक्रम व्यवस्था के लिए सहमत होते हैं तो संसद के अगले सत्र में चक्रानुक्रम व्यवस्था के लिए भी एक पृथक विधेयक पुरःस्थापित किया जा सकता है।

हमें पारदर्शिता बरतनी होगी। इस बात का ध्यान रखने के लिए इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् ही परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाएगी। विधेयक की धारा 5 संबद्ध सदस्यों के बारे में है। इसमें यह कहा गया है " किसी विशिष्ट राज्य की विधान सभा से पांच सदस्य और उसी राज्य से लोक सभा के पांच सदस्य। 'यह एक अनुपात है। यहां विशिष्ट रूप से "पांच सदस्यों" का उल्लेख किया गया है परंतु उनकी नियुक्ति के लिए नियमों और विनियमों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें यह नही बताया गया है कि प्रक्रिया क्या होगी? क्या यह अध्यक्ष का विशेषाधिकार होगा? अथवा क्या यह विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सुझावों पर आधारित होगा? मंत्री जी कृपया इस बात को स्पष्ट करें। ये सभी कार्य अत्यधिक पारदर्शिता से किए जाएं किसी पर अंगुली न उठायी जाए। इससे पहले ऐसी अफवाहें थीं कि कुछ लोग ऐसे प्रतिनिधियों की सहायता नहीं करते थे। इस तरह की अफवाहें हैं। मैं अभी भी यही मानता हूं। कि ये केवल अफवाहें ही हैं। परन्तु, हमें ऐसी अफवाहों को भी स्थान दिए बिना परिसीमन के लिए अत्यधिक पारदर्शी प्रणाली का सृजन करना होगा। यदि आवश्यक हो तो हम नियम और विनियम बना सकते हैं ताकि निर्वाचन क्षेत्रों का पारदर्शी और सार्थक परिसीमन किया जा सके। मेरी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है।

श्री के. ए. सांगतम (नागालैंड) : सभापति महोदय, मैं इस परिसीमन विधेयक, 2002 का समर्थन करता हूं। इससे पहले कि मैं अपना स्पष्टीकरण दूं, मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की और आकृष्ट करना चाहता हूं। विधि और न्याय मंत्री काफी विद्वान अधिवक्ता हैं। मुझे विश्वास है कि मैं जो कुछ भी कहने का प्रयास कर रहा हूं, वह उसे समझेंगे।

जिस समय नागालैंड राज्य का गठन किया गया, उस समय नागा पहाड़ियां (हिल्स) असम का भाग थीं ओर त्यूनसेंग डिवीजन नार्थ ईस्ट फरन्टीयर एजेंसी का भाग थी। जब इन दो क्षेत्रों को 1957 में मिला दिया गया तो राज्यत्व की प्रक्रिया आरंभ हुई। 1961 से पहले जब नागा पीपुल्स कन्वेन्शन ने कोई समाधान निकालने की सोची तो नागा लोग स्वतंत्रता की मांग करने लगे। तब नरमपंथियों ने निर्णय लिया कि हमें नागालैंड राज्य का गठन करके भारत सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। राज्यत्व की प्रक्रिया की शुरूआत उस समय से हुई। 1961 के दौरान जब भारत सरकार और नागा पीपुल्स कन्वेन्शन के बीच 16 सूत्री समझौता तैयार किया गया तो नागा पीपुल्स कन्वेन्शन ने लोक सभा में दो और राज्य सभा में एक स्थान की मांग की। लेकिन केन्द्र सरकार ने इस मांग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज, 1972 के परिसीमन के बाद भी इस मामले को अभी तक सुलझाया नहीं गया है।

नागालैंड राज्य के गठन के समय नागा लोगों की जनसंख्या मात्र 3.5 लाख थी। 1971 में उनकी आबादी बढ़कर 5,16,440 हो गई। 1980 में उनकी संख्या बढ़कर 7,74,930 हो गई। 1991 में यह संख्या 12,10,546 तक पहुंच गई। अंततः 31 दिसम्बर, 2001 तक उनकी संख्या बढ़कर 19,08,636 तक हो गई। लेकिन अब जबकि मैं इस सम्मानीय सभा में बोल रहा हूं तो उनकी आबादी लगभग दो मिलियन होने की संभावना है। मैं केवल जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर ही अपने मामले पर बहस नहीं करना चाहता।

लेकिन राज्य का भौगोलिक इलाका, फैलाव, लंबाई–चौडाई पूरी तरह पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हमारे राज्य में 17 भिन्न–भिन्न जनजातियां हैं और 17 ही अलग–अलग बोलियां है। राज्य का गठन कुछ इस प्रकार किया गया है कि नार्थ ईस्ट फरन्टीयर एजेंसी के त्यूनसेंग डिवीजन नामक भाग को और असम में नागा पहाड़ियां (हिल्स) नामक जिले को मिलाकर एक कर दिया गया। इसलिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने 1961 में समझौते के समय तो ध्यान नहीं दिया लेकिन मेरे विचार से, अब सही समय आ गया है कि केन्द्र सरकार अब इस पर ध्यान दे और नागालैंड में लोकसभा के स्थानों की संख्या एक से बढ़ाकर दो करने का प्रयास करे।

यह मांग सिर्फ समय के कारण ही नहीं की गई है अपितु नागालैंड राज्य के इन दो डिवीजनों को कुछ इस प्रकार मिलाया गया है कि वह उसकी मांग करती है। यहां तक कि नागालैंड विधान सभा ने 19 मार्च, 1999 को उस संबंध में एक संकल्प पारित किया। उन्होंने कहा है:

"एतदद्वारा यह संकल्प किया जाता है कि नागालैंड विधान सभा के स्थानों की संख्या 60 से बढाकर 80 की जाये और नागालैंड में लोक सभा के संबंध में स्थानों की संख्या एक से बढ़ाकर दो की जाये।"

मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? चूंकि इस क्षेत्र में अलग–अलग जनजातियां हैं, उनकी अलग–अलग परंपराएं हैं और वहां अलग–अलग कानून लागू किये जा रहे हैं, इसलिए हमें इस प्रकार का ब्यौरा चाहिए। जब तक हम नागालैंड में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी परिसीमन नहीं करेंगे और इसके स्थानों की संख्या 60 से बढ़ाकर 80 और लोक सभा के लिए इसके स्थान एक से बढ़ाकर दो नहीं करेंगे तब तक इतने विस्तृत क्षेत्र को संभालना किसी के लिए भी बहुत कठिन होगा।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इस सभा के प्रत्येक सदस्य को मालूम है यह है कि नागालैंड में कानून और व्यवस्था की काफी बड़ी समस्या है इस समय बात–चीत चल रही है। किसी एक व्यक्ति के लिए पूरे राज्य को संभालना बहुत कठिन है।

महोदय, हम सुनते रहे हैं कि महाराष्ट्र और दिल्ली में भी कुछ ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जिनका क्षेत्रफल तो 5 वर्ग कि.मी. है लेकिन उनकी आबादी 3 मिलियन है। 5 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में तो 3 मिलियन की आबादी ठीक है। लेकिन जब आप 20,000 वर्ग कि.मी. से अधिक क्षेत्रफल वाले स्थान में 2 मिलियन आबादी की बात करते हैं तो यह वस्तुतः प्रतिकूल अनुपात है।

महोदय, मैंने लोक सभा के लगातार दो बार चुनाव लड़े हैं। और दोनों ही बार मुझे धमकी दी गई। उपद्रवियों ने बहिष्कार का आह्वान किया। उसके बावजूद भी मैं विजयी हुआ। लेकिन मेरे विचार से, भविष्य में किसी व्यक्ति के लिए पूरे नागालैंड राज्य में चुनाव लड़ना काफी कठिन होगा।

महोदय, भारतीय संविधान कोई काफी कठोर संविधान नहीं है। इसलिए, मेरे विचार से, इस प्रकार के विशेष मामले में नागालैंड राज्य को लोकसभा की दो सीट दी जाएं और वहां विधान सभा की सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 80 की जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : सभापति महोदय, मैं परिसीमन विधेयक, 2000 का समर्थन करता हूं। देर आये दुरूस्त आये। 25 वर्षों के बाद परिसीमन विधेयक सदन में पेश करने के लिये मैं माननीय विधि मंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं एक बात आरम्भ में ही कह दूं कि हर जनगणना के बाद संविधान की व्यवस्था के अनुसार परिसीमन आयोग का गठन होना चाहिये। जो काम पिछले 25 वर्षों से बंद करके रखा हुआ था, जिस किसी सरकार ने इसे बंद रखा लेकिन इस सरकार ने इसे शुरू किया है। भविष्य में आने वाली सरकार के लिये इस बात की पाबंदी होनी चाहिये कि हर हाल में जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बने ताकि विसंगतियां न रहें।

सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि आज सदन में श्री राम नाईक जी के क्षेत्र के बारे में कहा गया, ठाणे लोक सभा क्षेत्र के बारे में कहा गया, दिल्ली के चांदनी चौक तथा बाहरी दिल्ली क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई। राजस्थान में किसी विधान सभा क्षेत्र की आबादी 65 हजार से 70 हजार है और वहीं दूसरे विधान सभा क्षेत्र की आबादी डेढ से दो लाख तक है। इसलिए इन क्षेत्रों का परिसीमन हो, ताकि इस तरह का भेदभाव कम किया जा सके। मंत्री जी ने कहा है कि परिसीमन आयोग दो साल में अपना प्रतिवेदन दे देगा। हम चाहेंगे कि मंत्री जी यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि यह आयोग हर हालत में दो साल में अपना प्रतिवेदन दे दें। यह नहीं होना चाहिए कि कुछ आयोग आप जांच करने के लिए बना देते हैं और कहते हैं कि छः महीने में रिपोर्ट दे देगा। लेकिन छः महीने कहते–कहते वह आठ–आठ, दस–दस वर्ष तक चलता रहता है। इसलिए आप यह सुनिश्चित करें कि दो साल में परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट दे दे।

सभापति महोदय, हम पटेल जी की इस बात से सहमत हैं कि विधान सभा और लोक सभा सदस्यों के बारे में आपने इस एक्ट में प्रावधान किया है कि माननीय अध्यक्ष, लोक सभा और विधान सभा के सदस्यों का मनोनयन करेंगे। यह अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से हमारे यहां पार्टी सिस्टम है कि एक पाटी सरकार में है और दूसरी पार्टी विपक्ष में है। इसके अलावा और भी बहुत सी पार्टियां है। सभी का आप उसमें समायोजन नहीं कर सकते। लेकिन यह व्यवस्था रहनी चाहिए कि दूसरे को यह बात न खले कि जिस दल का स्पीकर बने वह उसी दल के लोगों का मनोनयन कर दे। लोगों में ऐसी कोई आशंका इसके बारे में पैदा नहीं होनी चाहिए। इसमें आपने एक दूसरी व्यवस्था की है कि एम.एल.एज. और एम.पीज. को आपने इसमें वोट देने का अधिकार नहीं दिया है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप उन्हें वोट देने का राइट दीजिए। यदि उन्हें वोटिंग का राइट नहीं देगे तो आप उन्हें किस काम के लिए बुला रहे हैं। यह बात सभी बता देंगे कि किसके क्षेत्र में क्या है, यह आपके रिकार्ड में है। इसलिए आप इन्हें वोटिंग का राइट दीजिए, ताकि ये भी अपनी बात ठीक से रख सके। चूंकि हमें जनता के बीच में काम करने का मौका मिलता है।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य रेनु कुमारी जी बिहार के खगाड़िया क्षेत्र से चुनकर आती हैं। आप जानते हैं कि खगाड़िया का अलौली क्षेत्र बलिया में चला गया और कटिहार का एक विधान सभा क्षेत्र बरारी खगाड़िया में चला गया। इसका क्या औचित्य है। कटिहार का क्षेत्र कटिहार में और अलौली क्षेत्र खगड़िया में जाना चाहिए। इस तरह से बहुत से भेदभाव है। इसी तरह से कई प्रखंड हैं जिनका आधा क्षेत्र एक विधान सभा क्षेत्र में और दूसरा आधा क्षेत्र दूसरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। इस तरह की स्थिति पर भी विचार चाहिए। यह आपने उचित किया है कि परिसीमन आयोग प्राकृतिक, प्रशासनिक आदि दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर परिसीमन करेगा। हम इस बात के लिए आपको बधाई देते हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजातियों के हक उन्हें मिलने चाहिए, उनका हक कटने नहीं चाहिए। इसका हम समर्थन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम माननीय मंत्री जी को परिसीमन आयोग बनाने संबंधी बिल लाने पर बधाई देते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : सभापति महोदय, आपने मुझे परिसीमन विधेयक संबंधी चर्चा में भाग लेने का यह अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

(श्री पी. एच. पांडियन)

मैं विधेयक को बड़े ध्यान से देख रहा था। विधेयक में इसकी परिभाषा, परिवर्तन, स्थानों की संख्या और "उनसे संबंधित विषयों" के बारे में भी बताया गया है। मेरा विचार था कि "उनसे संबंधित विषयों" में हम "निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आरक्षित करना" को भी शामिल कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने चर्चा में भाग लेने के लिए स्वयं को तैयार किया था।

आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न भागों में रहने वाली जनता ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को यह कहते हुए चनौती दी है कि कतिपय समुदाय विशेष को ऐसे प्रतिनिधियों में वंचित रखा गया है। जो विधानमंडल अथवा संसद में निर्वाचित होते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कानून ही कुछ इस तरह का है। यह संवैधानिक आरक्षण है और आपको इसे स्वीकार करना होगा। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र लगभग 40–50 वर्षों तक आरक्षित ही रखे जाऐंगे।

श्री सुशील कुमार शिंदे : यह स्थायी प्रावधान नहीं है। यह परिसीमन पर निर्भर करता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शिंदे जी, माननीय सदस्य अनुमति नहीं दे रहे हैं।

श्री पी. एच. पांडियन : जानकारी के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, हमारे पूरे देश में अनेक समुदाय है। समूचे देश में सिर्फ एक ही समुदाय नहीं है। किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक समुदाय की संख्या सर्वाधिक है। उस समुदाय को संसद अथवा विधानमंडल में अपनी पसंद के निर्वाचित प्रतिनिधि भेजने से वांचित रखा जाता है इसलिए, यदि माननीय मंत्री जी स्थानों के चक्रानुक्रम को इस विधेयक में शामिल करें, तो मैं इस बात की सराहना करूंगा। यह लोकतंत्र के हित में होगा। लोगों को अपने–अपने समुदाय से अपनी पसंद के निर्वाचित प्रतिनिधि रखने से गलत ढंग से वंचित रखा गया है। यद्यपि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष में बहुलता नहीं है, तथापि उस निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कर दिया जाता है। यही उपयुक्त समय है जब सरकार किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्यावार अनुसूचित जातियों पर विचार करे और फिर कहे कि यह एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो इसे किसी ऐसे दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के चक्रानुक्रमित किया जाये जहां उस जाति की बहुलता हो।

विधि मंत्री जानते हैं कि इस बात की घोषणा करने के लिए 1972 के परिसीमन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी कि परिसीमन अधिनियम गैर–कानूनी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारी राजपत्र में एक बार अधिनियम प्रकाशित हो जाने के बाद आप रिट याचिका दायर नही कर सकते। इसलिए, इस परिसीमन आयोग की कार्यवाही के प्रकाशित होने से पहले विधि मंत्री जी निर्वाचन क्षेत्रों का चक्रानुक्रम करने और कुछ अत्यधिक बड़े निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन करने के लिए कदम उठाये। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 6 लाख हो सकती है और दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में मात्र दो लाख भी हो सकती है। चेन्नई में विल्लीवक्कम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। इसी तरह तिरूचेंगोडे निर्वाचन क्षेत्र है। मेरे विद्वान मित्र श्री जीते का कहना है कि महाराष्ट्र में एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 21 लाख मतदाता हैं। अतः क्या आप चाहते हैं कि ये 21 लाख लोग एक ही विधायक को निर्वाचित करने की चुनाव प्रक्रिया में भाग लें? उम्मीदवार के लिए यह सौभाग्य की भी बात हो सकती है और दुर्भाग्य की भी। यह एक राजनैतिक दल के लिए सौभाग्य की बात हो सकती है और दूसरे दल के लिए अलाभकारी हो सकती है। यह एक समुदाय के लिए लाभदायक हो सकती है और दूसरे के लिए हानिकारक। इसलिए, सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने का कोई लाभ नहीं है। सीमाओं का परिवर्तन स्वागतयोग्य उपाय है। क्योंकि कुछ ऐसे स्थानों, कुछ गांवों अथवा कुछ शहरों को जो निर्वाचन क्षेत्र के पास नहीं है। निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग बनाया जा रहा है। जो थोड़े–बहुत गांव निकटतम निर्वाचन क्षेत्र के एक ओर अंत में है, उन्हें भी एक निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में शामिल किया जा रहा है। विधि मंत्री बहुत तेज है। वह वकालत भी कर रहे हैं। वह वकालत कर भी सकते हैं।

कश्मीर में एक विधि मंत्री ने न्यायालय में एक मामले में वकालत की। इसलिए विधि मंत्री जी के लिए यह एक अपवाद है। मैं विधि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित जातियों को निर्वाचन क्षेत्र के चक्रानुक्रम का प्रावधान शामिल किया जाये। निर्वाचन क्षेत्रों को बारी–बारी से आरक्षित किया

जाए। इस तरह हमें विशेष निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का मौका देने दीजिए। मैं ऐसे असंख्य उदाहरण दे सकता हूं लेकिन मैं जाति के आधार पर बात नहीं करना चाहता। कतिपय निर्वाचन क्षेत्रों में लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को चुनने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। वे यह भी शिकायत करते हैं कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों अथवा प्रतिनिधि को नहीं चुन पाते हैं। वे कुछ वर्षों के लिए किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में क्यों नहीं चले जाते हैं?

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, मैं इस बात का विरोध करता हूं ...*(व्यवधान)*। महोदय, यद्यपि मैं अनुसूचित जाति के समुदाय से हूं तथापि मैं अनारक्षित सीट से निर्वाचित हुआ हूं। लोगों के मन में ऐसी कोई बात नहीं है। लाखों लोगों ने मुझे अनारक्षित सीट को निर्वाचित किया। मेरे विचार से यह अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति अन्याय होगा और इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, मेरी पार्टी के श्री इजिलमलाई दलित भी अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि निर्वाचन क्षेत्र को बारी–बारी आरक्षित क्यों नहीं किया जा सकता है। किसी विशेष वर्ग के लोगों को वंचित क्यों किया जाए?

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम) : महोदय, यदि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में उनकी संख्या अधिक है तो इसे जारी क्यों न रखा जाए?

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, परिसीमन आयोग का नेतृत्व न्यायाधीश करते हैं। वे जसंख्या का आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई तंत्र नहीं हैं। इसलिए, जब आप सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए उस तंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो निर्वाचन क्षेत्रों को बदलने के लिए उस तंत्र का उपयोग क्यों नहीं करते? एक ही निर्वाचन क्षेत्र को दण्ड क्यों दिया जाए? श्री शिंदे, कृपया इसे अन्यथा न लें...*(व्यवधान)*

श्री ई. पोन्नुस्वामी : महोदय, इसे जनसंख्या के आधार पर बारी–बारी से आरक्षित किया जा सकता है...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : मेरे निर्वाचन क्षेत्र को भी बारी–बारी से आरक्षित किया जा सकता है। तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी।..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बहुत हो गया है। श्री पोन्नुस्वामी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री पी. एच. पांडियन : मैं चार बार से एक ही निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यदि उसे बदला जाता है तो हमें परेशानी नहीं है। हम न्याय और संविधान का सम्मान करते हैं। हम भावनाओं तथा परिसीमन विधेयक का सम्मान करेंगे। इसलिए, जब आप इस विधेयक को पुरःस्थापित कर रहे हैं। तो आप बदलती हुई स्थिति के अनुसार उपबंध क्यों नहीं करते हैं। कोई भी न्यायालय नहीं जा सकता है क्योंकि न्यायालय का कहना है कि परिसीमन अधिनियम 1972 में पारित हुआ था और इसे सरकारी राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। अब इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसे प्रकाशित होने से पहले ही चुनौती दी जा सकती हैं। यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। इस परिसीमन विधेयक को अधिनियम बनने से पूर्व भारत के समाज के सभी वर्गों, समुदायों तथा जनता को संतुष्ट करने हेतु इन अस्पष्टताओं को देख लें।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यदि चक्रानुक्रम आरक्षण के उपबंध को भी शमिल किया जाता है। तो मैं इसका हार्दिक स्वागत करूंगा।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय विधि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि डीलिमिटेशन कमीशन कब बने, बरसों से यह सवाल सारे देश में था, लोग इंतजार करके बैठे थे। उस इंतजार का आज अंत हो रहा है। इसलिए मैं पुनः विधि मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा कि जो उद्देश्य हमें बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में वर्ष 1991 की जनगणना द्वारा अधिसूचित जनसंख्या के आधार पर लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या पुनः नियत करने के लिए उपबंध है।

सबसे पहला सवाल अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में। पांडियन जी ने जो कहा, रोटेशन के बारे में बात आई, जहां अनुसूचित जाति की संख्या ज्यादा हो, जहां आबादी ज्यादा हो, वहां रिजर्व्ड सीट होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन यदि रोटेशन आता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आज भी अनुसूचित जाति, जनजाति के जो लोग चुनाव लड़ते है, जहां रिजर्व्ड सीट हैं, वहां मतदान कम होता है, लोग कम इंटरस्ट लेते हैं। जनरल कैटेगरी वाले लोग मतदान देने नहीं जाते, वे यही मानते हैं कि दोनों में से एक जीतेगा।

(श्री रतिलाल कालिदास वर्मा)

अगर रोटेशन पद्धति शुरु होती है तो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का दुबारा जीतना मुश्किल हो जाता है। वह एक जगह रह कर अपना काम कर सकता है, अपनी शक्ति बता सकता है, लोगों का दिल जीत सकता है, लोगों के साथ आत्मीयता कर सकता है, तब उसके लिए दुबारा जीतना आसान हो सकता है। अगर रोटेशन पद्धति आ गई तो आज एक क्षेत्र वाले को खुश किया, कल दूसरे क्षेत्र में जाकर काम करना पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ बहुत अन्याय होगा।

जनगणना का आधार बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके आधार पर देश में छोटी–मोटी बातें होती हैं जैसे नए प्लान बनाए जाते हैं। जनसंख्या के मुताबिक जो बातें कही गई कि किसी लोक सभा क्षेत्र में 31 लाख मतदाता हैं और कहीं बहुत कम है। 1991 की जनगणना को ध्यान में रख कर हम आज सोच रहे हैं। मैं गुजरात की बात करूं तो 1991 में वहां अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 33 लाख थी जो आज बढ़ कर 40 लाख से ऊपर हो गई है। यदि सीट बढ़ाने की बात आए तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे पहले से लिमिटेशन आ गया कि सीट नहीं बढ़ेगी। 1971 के बाद हम यहां विचार कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है? चार दिन पहले एक बिल आया है, कुछ जातियों में अनुसचित जाति को जोड़ा गया है लेकिन रिजर्व्ड सीटें वहीं है। किसी जाति को निकाला नहीं जा रहा है। इस बारे में सोचना चाहिए कि समय आने पर सीटें बढ़नी चाहिए। मैंने गुजरात के बारे में बताया कि वहां अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 33 लाख से बढ़ कर 40 लाख हो गई और शैडयूल्ड ट्राइब्स की संख्या बहुत है लेकिन लोक सभा की सिर्फ 2 सीट और 4 शैडयूल्ड ट्राइब्स की है। इसी तरह 13 सीट विधान सभा में बढ़नी चाहिए। भरूच के बारे में सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि वह जनरल सीट है लेकिन वहां से अनुसूचित जनजाति का कैन्डीडेट 5–6 लोक सभा से जीतता आ रहा है। इसका कारण यह है कि जनरल सीट होते हुए भी अनुसूचित जनजाति का कैन्डीडेट वहां से जीतता है। साबरकांठा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है लेकिन उसे जनरल सीट बनाया गया है। अभी जो सांसद सदस्य जीत कर आए हैं, उनकी जगह पहले जनजाति की महिला चुनकर आई थी। इस तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग यहां हैं, अगर उन सीटों को महत्व नहीं देते, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभी बताया गया कि वृहद मुम्बई से 1961 में गुजरात अलग हुआ। पहले वृहद मुम्बई थी, महाराष्ट्र के साथ गुजरात जुड़ा हुआ था, लेकिन 1961 में गुजरात अलग हुआ, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सीटों के बारे में जो न्याय होना चाहिए था, वह नहीं हुआ, इसलिए आज भी गुजरात में यह सवाल बार–बार आपके सामने खड़ा होता है और हम भी आपसे विनती करते हैं कि जब रिजर्व सीट पुनः रिजर्व की जाये, तब इसकी विशेष जांच की जाये। विधि मंत्री जी ने जो समिति बनाई है, उसका बहुत अच्छा परफोरमेंस दिखाया है। इसमें पांच लोक सभा के सदस्य और पांच विधायकों में से सदस्य बनाए जाएंगे तो उससे अच्छा काम होगा और सही रूप से जो चीज हम लाना चाहते हैं वह लाएंगे। इसी तरह से जो महाराष्ट्र की बात हुई, वहां 25 लाख, 27 लाख के निर्वाचन क्षेत्र हैं। मैं आपको मेरे क्षेत्र की बात बताऊं आपको ताज्जुब होगा कि 350 किलोमीटर लम्बा मेरा क्षेत्र है। लोक सभा 6–7 महीने चलती है, अगर हम एक दिन भी लोक सभा में न आयें, एक दिन बीमार न पड़े, एक दिन भी घर न जायें तो ढाई साल के बाद एक गांव का नम्बर आता है तो कैसे जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के अन्दर लोगों से सहयोग कर सकता है। मेरी तरह कच्छ का भी इतना बड़ा क्षेत्र है, मेरे साथी गढवी साहब बैठे हैं, वे भी वहां से बहुत दुखी हैं, इसलिए लिमिटेशन निश्चित रूप से होना चाहिए। इसके आगे लोक प्रतिनिधियों से मतदाताओं की आकांक्षाएं भी बढ़ी हैं। आप भी जानते हैं, आप भी लोगों के द्वारा चुनकर आये हैं लोग चाहते हैं कि मृत्यु के समय हमारा प्रतिनिधि आना चाहिए, शादी–बारात में हमारे साथ चलें, बच्चे के जन्म दिन पर बधाई देने के लिए आये, भजन संध्या में आकर रात को 2–2 बजे तक हमारे साथ बैठे। वे यह चाहते हैं कि हमारे यहां अगर कोई दंगा हो गया है तो वहां हाजिर रहे और अकस्मात दंगा हो गया तो घटनास्थल पर जायें और फिर हॉस्पिटल में जाकर घायलों को देखने जायें। आज मतदाताओं की यह आकांक्षा है और वे चाहते हैं कि हमने आपके लिए काम किया है, इसलिए आप हमारे सहयोगी बनें, हमारी मदद करें। कारगिल के जुलूस के लिए वे रास्ता दिखाते हैं कि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। इतना ही नहीं, हमारे गांव में कोई समस्या हो गई तो उस समस्या में भी हाजिर हों, यह आकांक्षा उनकी होती है। इतना बड़ा क्षेत्र, इतने सारे मतदाता हैं तो प्रतिनिधि उन्हें संतोष नहीं दे सकता। इसीलिए माननीय मंत्री जी, डीलिमिटेशन के लिए जो पंच बिठाने की बात लाये हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं।

इसके साथ–साथ प्रत्येक गांव में अगर हम काम करना चाहते हैं तो ग्राण्ट को बढ़ाना पड़ेगा। 750–1000 गांव हैं, दो

करोड़ रुपए की ग्राण्ट है, उसे कहां देंगे, किसको बांटेंगे। इससे लोगों के अन्दर निराशा हो जाती है। अगर कोई निश्चित एरिया बनाया जाता है, मेरा तो इसमें यह कहना है कि 20 किलोमीटर के सराउण्डिंग एरिया में भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक लोक सभा का निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। 10 किलोमीटर से कम और 20 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो ग्राण्ट की बात है, इससे लोग स्कूल, तालाब, स्वीमिंग पूल, बस स्टैंड, रोड और पुलिया आदि बनाना चाहते हैं। प्रतिनिधि को सब का दिल जीतने के लिए एमपीलेड की ग्राण्ट भी बढ़ानी चाहिए, नहीं तो एक बार चुनकर आने के बाद दोबारा चुनना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसके बाद एक अन्तिम सुझाव के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखकर चुनाव क्षेत्र को, जैसा मैंने कहा, 20 किलोमीटर से अधिक नहीं बनना चाहिए। मतदाताओं की संख्या में भी समानता रहे, यह चीज जरूरी है। मतदाताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एमपीलेड की राशि में बढोतरी करनी चाहिए और जिले को जो ग्राण्ट मिलती है, उस ग्राण्ट को माननीय संसद सदस्य को विश्वास में लेकर खर्च करने का प्रावधान करना चाहिए ताकि वह अपने क्षेत्र के हर गांव वाले को संतोष दे सके।

आपको ताज्जुब होगा कि दूसरे राज्यों में एम.पी. को लोक संम्पर्क के लिए राज्य की ओर से गाड़ी मुहैया कराई जाती है, ड्राईवर और पैट्रोल दिया जाता है। गुजरात के अंदर जो आज सांसद व्यक्तिगत रूप से पूरे क्षेत्र का दौरा करता है, न वहां कोई गाड़ी दी जाती है, न वहां कोई ड्राईवर है, न वहां पेट्रोल की सुविधा है। अन्य राज्यों में इसकी सुविधा है। सारे देश के अंदर एम.पी को जो सुविधाएं मिलती हैं, राज्यों के अंदर उसमें भी एक समानता होनी चाहिए। इसकी भी अत्यन्त आवश्यकता है। पूरे देश के अंदर सांसदों को प्रोटेक्शन देना जरूरी है। आप कहीं भी जाएं, सुरक्षा का अभाव है। इसलिए सभी सांसदों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। उसे एक सहयोगी सुरक्षा के रूप में मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में या राज्य में जाए, क्योंकि आज कोई भी घटना कहीं भी किसी भी सांसद के साथ घट सकती है, फिर हम यहां सदन में आकर उस पर हंगामा करते हैं इसीलिए सुरक्षा मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय : क्या यह डिलिमिटेशन में है?

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा : यह डिलिमिटेशन में आता है। एक सांसद इतने बड़े क्षेत्र में अकेला दौरा नहीं कर सकता। अगर उसको सुरक्षा मिलेगी तो वह अपने क्षेत्र का समुचित रूप से दौरा कर सकेगा, लोगों की समस्या सुन सकेगा और उनके साथ न्याय कर पाएगा। हमने देखा है कि चुनावों के समय रेडियो और दूरदर्शन पर कई पूर्व सांसदों ने चुनावों में पैसे का बोलबाला बताया था। हम चाहते हैं कि उम्मीदवारों को रेडियों और दूरदर्शन पर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। चुनाव में वह कितना पैसा खर्च करे, इसका भी कड़ाई से पालन होना चाहिए। इससे यह होगा कि सही लोग चुनकर यहां आएंगे और जेल में रहकर ही कोई नहीं जीत पाएगा। आज जब हम देखते हैं कि सदन का माहौल काफी खराब हो गया है तो इसका एक कारण यह भी है। सदन की जो गरिमा घट रही है, उस पर रोक लगेगी और सही लोग यहां चुनकर आएंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, माननीय कानूनी मंत्री परिसीमन विधेयक, 2000 सदन में लेकर आए हैं और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। वे काफी होशियार आदमी हैं, कानून के जानकार हैं इसीलिए आज कानून मंत्री हैं। डीलिमिटेशन की बात वे कर रहे हैं। इसका पता तो उसे लगेगा जो चुनाव लड़ता है और इन्होंने चुनाव अभी लड़ा नहीं यानी बांझ क्या जाने प्रसूति की पीड़ा वाली बात है।

1976 में संविधान संशोधन हुआ था। उस संशोधन में कहा गया था कि परिसीमन 2000 तक नहीं होगा, जैसे का तैसा रहेगा। उस समय से 2000 यथावत रहा। संविधान में 84वां संशोधन लाया गया, उसमें कहा गया सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी, यथावत रहेगी, लेकिन डिलिमिटेशन होगा। उस समय था डिलिमिटेशन नहीं होगा। डिलिमिटेशन का आधार दिया था और अब जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने का, इधर से उधर करने का विधेयक लाया गया है। 1984 में संशोधन हुआ कि सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। जहां–जहां 2000 लिखा गया था, संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में, सब जगह इन्होंने कह दिया कि 2000 की जगह 2026 लिख दिया जाए। 84वां संशोधन हो गया, 2000 की जगह 2026 कर दिया। उसमें डिलिमिटेशन होगा का मतलब जो इतना विस्तारित था, उसको इन्होंने लिमिटेड कर दिया। यह कहा कि संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन क्षेत्र का जोड़–घटाव होगा और डिलिमिटेशन होगा। जैसे जहां परीक्षाओं में चोरी होती है, जब चिट सप्लाई होती है, तो पन्ने पर लिखा होता है पी.टी.ओ। नकल करने वाले विद्यार्थी की तरह लिख दिया पी.टी.ओ.। महोदय, 84वें संविधान संशोधन को पढ़ा जाए। मैंने जो अभी

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

सवाल उठाया था, उसको मैं नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि उस पर बात हो गई है, लेकिन वह बात फिर उठेगी, क्योंकि उसमें वायोलेशन है। तमिलनाडु की कोर्ट में एक वकील श्री वासुदेवन ने आयोग पर केस किया है, जिसमें दो सदस्यों – न्यायमूर्ति श्री बी. एन. कृपाल और न्यायमूर्ति सुश्री उमापाल–की बैंच है। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उसकी क्या स्थिति है। आर्टिकल 82 में 84 वां संशोधन हुआ है, जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं।

[अनुवाद]

बशर्ते कि जब तक वर्ष 2000 के पश्चात की गई प्रथम जनगणना के संबद्ध आंकड़े प्रकाशित नहीं होते।

[हिन्दी]

सन् 2000 के स्थान पर सन् 2026 संशोधन हो गया है यानि कि सन् 2026 के बाद जो जनगणना होगी पब्लिश हो जाएगा।

[अनुवाद]

इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के लिए लोक सभा में स्थानों के आबंटन का पुर्नः समायोजन तथा प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन आवश्यक नहीं होगा। इसको बदला है। 84वें संशोधन में पुनः समायोजन के बाद 1971 की जनगणना के आधार पर यथा पुनः समायोजित राज्यों के लिए लोक सभा में स्थानों का आबंटन तथा 1991 की जनगणना के आधार पर यथा पुनः समायोजित प्रत्येक राज्य या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन होगा।

[हिन्दी]

आर्टिकल 82 के तीसरे प्रोवीजों की जगह 84वां संशोधन जोड़ दिया गया है। उसमें कहा है – यह आवश्यक नही होगा। मैं हिन्दी में इसको पढ़ देता हूं–परन्तु यह भी कि जब तक सन् 2000 के पश्चात् – सन् 2000 के स्थान पर 2026 पढा जाए–की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक राज्यों को लोक सभा मे स्थानों के आबंटन का और इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। मतलब यह कि जो कुछ भी 84वें संशोधन में लाए, उसमें ये संशोधन नहीं कर सकते। इन्होंने यह आवश्यक नहीं है पीटीओ की तरह से कर दिया है। ये डिलिमिटेशन कमीशन लाना चाहते हैं। इन्होंने सब्सिचूट कर दिया, जिसमें कहा है, यह आवश्यक नहीं है – यानि यह आवश्यक नहीं होगा। मतलब यह कि सन् 2026 की जनगणना के आंकड़े जब तक प्रकाशित नही हो जाते, तब तक वह डिलिमिटेशन आवश्यक नहीं होगा जो कांस्टीटयूशन के प्रावधान के विरूद्ध है, यह बिल कैसे टिकेगा। इसलिए इसे देखा जाए और कोर्ट में जाने से पहले आप इसमे सुधार कर ऊर लें, अन्यथा यह बिल अनकांस्टीटयूशनल हैं और इससे साबित हो जाएगा, जो अभी तक प्रावधान है। 84वें संशोधन में, आर्टीकल 82 में जो संशोधन हुआ, उसके मुताबिक यह आवश्यक नहीं होगा माननीय मंत्री जी ने जो कहा है, उसमें यह क्लाज़ कह रहा है – यह आवश्यक नहीं है यह जो बिल ला रहे हैं, कांस्टीटयूशन अभी तक बोल रहा है कि यह आवश्यक नहीं होगा। जो सुझाव आवश्यक नहीं होगा, होगा, उस पर हम लोग बहस चलाए जो रहे हैं, इस पर आप विचार करके देखें। मंत्री जी कानून के जानकार हैं, इसलिए यह देखें कि 84वें में कैसे सब्स्टीटयूट हुआ। जब नकल करने में नो पीटीओ लिखा जाता है, इसमें लिखा गया है कि यह आवश्यक नहीं होगा। यह उस समय था, जिस समय यह था कि डीलिमिटेशन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। संख्या भी नहीं बढ़ेगी, जोड़–घटाव भी नहीं होगा। यह संख्या नहीं बढ़ाना चाहते, यह भी इन्होंने संशोधन कर लिया, ठीक है, 2026 तक कोई संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन डीलिमिटेशन के लिए लिखा गया है, यह आवश्यक नहीं होगा। यह उस समय लिखा गया था, इसमें ये संशोधन नहीं कर सके। 84 में भी संशोधन होना चाहिए था। यह जो बिल आया है, यह अवैध और असंवैधानिक है, 82 आर्टीकल प्रावधान के खिलाफ हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मैरिट पर बोलिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अब मैं मैरिट पर आता हूं। यह जो विधेयक लाए हैं, यह कांस्टीटयूशनल मेटर है, इसके औचित्य को आप देख लें। इसमें जो सवाल उठाया गया है, यह जान–बूझ कर नहीं उठाया गया है। क्लाइंट्स लोग अनपढ होते हैं, उन्होंने बोल कर बता दिया, लेकिन पार्लियामेंट में जानकार और अनुभवी लोग हैं, इसीलिए आप इसमें ठीक से सुधार करेंगे, अन्यथा कोर्ट में इस कानून का गर्दा उड़ जाएगा। यह कानून टिकेगा ही नहीं। यह सही है कि इसमें मैरिट है। इसमें सचमुच बहुत विसंगतियां उस क्षेत्र के संबंध में हैं–जैसे पटना पश्चिम में है। इसकी आबादी तीन लाख से ज्यादा है, यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। सभी माननीय सदस्यों ने अपने –अपने राज्यों के बारे में बताया है– कहीं पांच, दस या कहीं 30 लाख की आबादी है। इस तरह की विसंगतियों हैं। डीलिमिटेशन आयोग बनेगा तो वह कुछ सुधार करेगा। उसमें सभी का प्रतिनिधित्व होगा।

महोदय, यह सवाल उठ रहा था कि स्पीकर साहब को अधिकार दिया जाता है। वह सब कुछ देख कर निष्पक्ष ढंग से वाजिब निर्णय करते हैं, उन्हें पूरा अधिकार है। वे सभी पार्टियों की राय लेते हैं। इसीलिए यह कहना है कि वे एक ही पार्टी को देखेंगे, यह उचित नहीं है। इसमें सभी पार्टियों के रिप्रजंटेशन का ख्याल रखा जाता है। यहां विभिन्न कमेटियां बनती हैं, उसमें सभी का ख्याल रखा जाता है। इसलिए यह सवाल उठाना उचित नहीं है। रोटेशन वाला सवाल उठा है कि 52 से कुछ असेम्बलीज और संसदीय क्षेत्र रिजर्व में पड़े हुए हैं। कुछ असैम्बलीज और कुछ संसदीय क्षेत्रों में आम आदमी छटपटाता रहता है कि पहले एक कंसैप्ट था कि दो टर्म एक असैम्बली या संसदीय क्षेत्र रिजर्व रहता था।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : कल तो आप दो टर्म का विरोध कर रहे थे, आज उल्टी बात कर रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उसमें जो वस्तुस्थिति है, वह हम बता रहे हैं। जहां शैडयूल्ट–कास्ट और शैडयूल्ट ट्राइब्स की आबादी अधिक होती थी उसको दो टर्म के लिए रिजर्व किया जाता था। संसदीय क्षेत्र या असैम्बली क्षेत्र में 14.8 प्रतिशत शैडयूल्ट कास्ट की आबादी है तब वह दो टर्म रह गया, तो 14.6 प्रतिशत जहां पर आबादी है उसका रोटेशन होता था। लेकिन जब 30–40 वर्षों तक परिसीमन नहीं हुआ तो वहां के आदमी छटपटाते रहते हैं कि रिजर्वेशन ही रहेगा। इसलिए परिसीमन के रूक जाने से वह काम भी अस्थाई हो गया। उसका कोई प्रावधान हमने इसमें नहीं देखा है। माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट करें कि उनकी इस बार में क्या सोच है? जो 1952 से शुरूआत हुई, तो क्या वहां 2026 तक रिजर्वेशन ही रहेगा, क्या दूसरे को मौका नहीं मिलेगा या रोटेशन होगा–इस पर वे मौन हैं। इन्होंने कहा है कि रिफिक्सिंग संशोधन में यह कहा गया है कि क्षेत्रों की संख्या यथावत रहेगी लेकिन शैडयूल्ड–कास्ट और शैडयूल्ड–ट्राइवज और रिजर्व क्षेत्रों की संख्या बढ सकती है। रिफिक्सिंग के लिए यह आयोग 1971 देखे या 1991 देखें, लेकिन यह कानून 2001 देखने के लिए कह रहा है। जनगणना के बाद कमीशन बैठाना है और 1982 का हैडलाइन है कि "प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनःसमायोजन"। 2001 की जनगणना के बाद पुनः समायोजन कर रहे हैं लेकिन 1991 की आबादी पर या 1971 की आबादी पर कर रहे हैं। यह भी असंवैधानिक होगा। इसलिए सभी बातों को देखकर ठीक उपाय करने चाहिए। जिससे परिसीमन का कानून बनाने के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति जी, यह जो परिसीमन विधेयक, 2002 लाया गया है इसका मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करता हू। अभी–अभी माननीय रघुवंश बाबू का मैंने भाषण सुना। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कानून मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है वह गैर–कानूनी है। सभापति जी, हमारे कानून मंत्री जी बड़े सक्षम कानून मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जब वे अपनी सफाई में बात रखेंगे तब बताएंगे कि यह बिल कानूनी है या गैर कानूनी। सभापति जी, हम परिसीमन विधेयक के माध्यम से जो एक परिसीमन आयोग बैठाने वाले हैं। बिल में यह प्रावधान किया गया है कि जो परिसीमन आयोग बैठेगा, उसका कार्य–कलाप क्या रहेंगे। बहुत सालों से हमारी यह मांग थी, कि एक परिसीमन आयोग बैठना जरूरी है क्योंकि हमारा हिन्दुस्तान देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश का भौगोलिक क्षेत्र, देश की जनसंख्या और हमारे देश की सीमायें काफी विस्तारपूर्वक हैं इसलिये परिसीमन आयोग का गठन किया जाना बहुत ही आवश्यक था। मैं और अपनी पार्टी की ओर से कानून मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से परिसीमन आयोग बैठाया जा रहा है।

सभापति महोदय, विधेयक में यह कहा गया है कि इस आयोग के सदस्य सुप्रीम कोर्ट का जज, निर्वाचन आयोग के सदस्य होंगे, लेकिन इसमें लोकसभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति अथवा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद् के सभापति या सांसद अथवा विधायक को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। मैं कानून मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस आयोग में सांसद अथवा विधायक को अधिकार देना चाहियें। परिसीमन आयोग लोक सभा अथवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का परीक्षण करेगा, उसका सर्वे करेगा। देश की जनता की यह मांग वर्षों से थी कि निर्वाचन क्षेत्र का संतुलन होना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं परभनी, महाराष्ट्र से चुनकर आया हूं। मेरे क्षेत्र में 20 लाख की आबादी है। जिसमें 12 लाख मतदाता हैं। महाराष्ट्र में ऐसे कई लोकसभा क्षेत्र हैं जिनमें मतदाता 30 लाख के आसपास हैं। ठाणे क्षेत्र, जिसका हमारी पार्टी के सदस्य श्री प्रकाश परांजपे प्रतिनिधित्व करते हैं, में मतदाता 30 लाख हैं और देश में दूसरे नम्बर पर हैं एक

(श्री सुरेश रामराव जाधव)

सांसद के लिये 30 लाख मतदाताओं के पास जाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिये मेरा सुझाव है कि लोक सभा क्षेत्र का संतुलन होना चाहिये। परिसीमन आयोग के गठन से ऐसे कई निर्वाचन क्षेत्रों में संतुलन आ जायेगा। मुझे आशा है कि यह आयोग भविष्य में अपना कार्य ठीक ढंग से कर पायेगा।

सभापति महोदय, दूसरा मुद्दा एस.सी. और एस. टी. के रोटेशन सिस्टम का उठाया गया। उस पद्धति के बारे में हमारी पार्टी का व्यू है कि रोटेशन सिस्टम लागू नहीं करना चाहिए। यह ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि एस.सी., एस.टी. निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जो हमारा पहले का मापदंड है, वह ठीक है। जहां एस. सी. लोगों की पापुलेशन है, वह क्षेत्र एस. सी. केंडीडेट के लिए रिजर्व होना चाहिए और जहां एस.टी. लोगों की पापुलेशन है, वह क्षेत्र एस. टी. केंडीडेट के लिए रिजर्व होना चाहिए। हमारा पहले का मापदंड ही उचित है। इसलिए यह रोटेशन सिस्टम का हम पुरजोर विरोध करते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि नन्दुरबार लोक सभा क्षेत्र से श्री माणिकराव होडल्या गावित चुनकर आते हैं। पूरा नन्दुरबार निर्वाचन क्षेत्र आदिवासी लोगों का है। अगर उसमें रोटेशन सिस्टम के तहत जनरल केंडीडेट चला जायेगा तो वोटर्स की उसके साथ हमदर्दी नहीं होगी। वोटर्स जनरल केंडीडेट को वोट डालने नहीं आयेंगे और इसका असर उस क्षेत्र के विकास पर भी होगा। उसके बाद उस क्षेत्र के विकास की कोई गारंटी नहीं होगी। मैं परभनी क्षेत्र का सांसद हूं। यदि यह क्षेत्र भविष्य में एस. सी. या एस. टी. कैंडीडेट के लिए रिजर्व होना वाला है तो मैं उस क्षेत्र के विकास के लिए उतना ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, जितना ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम रोटेशन पद्धति का विरोध करते है।। पापुलेशन के आधार पर ही एस. सी. और एस. टी. के निर्वाचन क्षेत्रों का रिजर्वेशन होना चाहिएं इसके अलावा परिसीमन आयोग जो साल में अपनी रिपोर्ट पेश करने वाला है उससे क्षेत्रों में संतुलन पैदा हो जायेगा और इससे हमारे देश के विकास के लिए भी भविष्य में बहुत फायदा होगा। इसलिए कानून मंत्री, श्री अरूण जेटली जी जो परिसीमन विधेयक, 2002 लाये हैं। उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम. ओ. एच. फारूक (पांडिचेरी) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं, अपने माननीय सहयोगियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को यहां दोहराना नहीं चाहता हूं। सरकार अपने विवेक से इस विधेयक को लाई है और यद्यपि यह आंशिक उपाय है, फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं।

यहां कुछ बातें हैं जिन पर माननीय विधि मंत्री को ध्यान देना चाहिए। उद्देश्यों और कारणों के कथन में उन्होंने कार्य समाप्त करने के लिए दो वर्ष का समय दिया है। क्या दो वर्ष का समय देना आवश्यक है? मेरे विचार से हम इसे छह माह के भीतर समाप्त कर सकते हैं। इसलिए, इस पर ध्यान दिया जाए।

सरकार ने निर्णय किया है कि निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आरक्षित किया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। यदि संसद के लिए नहीं तो कम से कम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ऐसा किया जा सकता है। यह एक अलग बात है कि माननीय मंत्री को इस पर ध्यान देना होगा। यदि संभव हो तो वे इन बातों पर विचार करें।

मैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र पांडिचेरी के परिसीमन आयोग से संबद्ध रहा हूं। यदि हम हमेशा दस वर्ष में एक बार परिसीमन करें तो इस तरह का बकाया काम नहीं रहेगा। कम से कम अब सरकार को यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि प्रत्येक दस वर्ष में एक बार परिसीमन हो।

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्मा (बाहरी दिल्ली) : सभापति जी, मैं सिर्फ दो–तीन बातें कहना चाहता था। सबसे पहले मैं मंत्री जी का आभारी हूं क्योंकि जिस तरह से मेरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को देखकर क्षेत्र के लोगों की सेवा करने की जो बात रहती है, कई बार रात दिन काम करने के बाद भी लोगों के पास जाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करना असंभव सा लगता है। बाहरी दिल्ली की मेरी कांस्टीटयूएंसी में 50 लाख लोग रहते हैं और पूर्वी दिल्ली को छोडकर जो दिल्ली की पांच कांस्टीटयुएंसी हैं, उन पांचों से अकेली बड़ी बाहरी दिल्ली की कांस्टीटयुएंसी हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दिक्कते होती होंगी। एम. पी. फंड की बात आती है तो चांदनी चौक का भी डेवलपमेट फंड दो करोड़ रुपये है और हमारे यहां भी दो करोड़ मिलता है। हमारे यहां का बदरपुर विधान सभा क्षेत्र ही चांदनी चौक से बड़ा है। रोहिणी विधान सभा क्षेत्र भी चांदनी चौक से बड़ा है। छोटी कांस्टीटयुएंसी वाले भी दुखी हैं और हम तो दुखी हैं ही।

एक और दिक्कत इसमें आने वाली है। 1991 का आधार इसमें रखा है। जितना दिल्ली का एक्सपैन्शन हो रहा है, वह बाहरी दिल्ली या पूर्वी दिल्ली में हो रहा है। 1991 को आधार मानकर करेंगे तो भी बाहरी दिल्ली की कास्टीटयुएंसि के अलावा कई ऐसी कास्टीटुएंसियां हैं। जो 1991 के बाद घटी हैं और घटकर बाहरी दिल्ली में बढ़ी हैं उसमें ध्यान रखना पडेगा कि आज उसमें कितने वोटर्स हैं। अगर 2001 की सेन्सस की रिपोर्ट नहीं भी आई तो भी 1998 में जो चुनाव हुए हैं, उसकी वोटर्स लिस्ट तो हमारे पास है। यह भी एक आधार मानना बहुत जरूरी है। केवल 1991 के सेन्सस को आधार मानकर करेंगे तो उसमें दिक्कत आने वाली है, और फिर कांस्टीटयुएंसी अनईवन हो जाएंगी। आगे भी वही कांस्टीटयुएंसियां ज्यादा बढ़नी हैं इसलिए इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।

दो वर्ष के समय की बात हुई है। ढाई साल बाद तो चुनाव होने है। जितना जल्दी हो सके, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि छः महीने नहीं तो एक वर्ष अधिक से अधिक हम कुछ भी करें किसी तरह से करें। अब तो जमाना कंप्यूटर का है। पहले मैनुअली जो वर्क होता था, वह अब कंप्यूटर से होता है। इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके, अधिक से अधिक एक वर्ष में यह काम खत्म होना चाहिए।

अपराह्न 4.53 बजे

(श्री पी. एच. पांडियन पीठासीन हुए)

यह बहुत आवश्यक है और इससे एक नहीं, अनेक सांसद प्रभावित हैं–किसी के यहां 10–12 लाख वोट हैं तो किसी के यहां 18–20 वोट हैं–बहुत अनईवन है। कांस्टीटयुएंसी बराबर हो जाएंगी तो एम.पी.लैंड्ज का भी समान वितरण होगा और समान रूप से प्रगति के कार्य हो सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने परिसीमन विधेयक प्रस्तुत किया है। मेरे विचार से उपरोक्त विधेयक का उद्देश्य 1991 की जनगण्ना के आधार पर संसद के निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन तथा विधानसभा चुनाव कराने हेतु परिसीमन आयोग स्थापित करना है। इसलिए, मेरे ख्याल से इसका आधार पूरे देश में जनसंख्या वृद्धि है।

महोदय, जहां तक जनसंख्या का संबंध है, यदि हम मौजूदा स्थिति को देखें तो देश में यह 1971 में 548 मिलियन, 1981 में 683 मिलियन, 1991 में 846 मिलियन तथा 2001 में लगभग 1027 मिलियन है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग मीटर बढ़ रहा है। यह घनत्व 1971 में 177, 1981 में 250, 1991 में 273 तथा 2001 में 324 था। इस तरह 1901 और 2001 सदी के बीच श्रमिक विकास की दर 330.08 प्रतिशत हैं इस प्रकार, इसे जनसंख्या वृद्धि मानना बहुत उचित है और इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारे अनेक मित्रों ने यहां संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा राज्य विधानसभाओं के बीच व्यापक अंतर तथा विसंगति के बारे में बताया है।

मैं भी यही बात कह रहा हूं। मेरे राज्य अर्थात् पश्चिम बंगाल में एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां मतदाताओं की संख्या 70,000 से कम है जबकि दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या तीन लाख से अधिक है। इस प्रकार से दो निर्वाचन क्षेत्रों में अत्यधिक विसंगति और एक बड़ा अंतर है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में भी बहुत ज्यादा अंतर है। मेरे पास इस बारे में रिपोर्ट है कि प्रति निर्वाचन क्षेत्र औसत जनसंख्या कितनी रही है। वर्ष 1951 में यह 7.32 लाख, 1961 में 8.79 लाख तथा 1971 में 10.5 लाख थी। इस तरह, सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में परिसीमित करना बेहतर है।

मैं, विधेयक के खण्ड 5(2) का अंतिम वाक्य पढ़ कर सुनाता हूं। इसके अनुसार :

"लोक सभा और विधान सभा की संरचना का सम्यक् ध्यान रखते हुए।"

यह सहयुक्त सदस्यों के बारे में है, अनेक सदस्यों ने सहयुक्त सदस्यों के बारे में कहा है, जहां तक विधानसभा का संबंध है, मैं माननीय विधि और न्याय मंत्री से इसके सहयुक्त सदस्यों का चयन करने की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि यह अनुपात में होना चाहिए। विधेयक में सहयुक्त सदस्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का उल्लेख नहीं है? विधेयक में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

मैं उद्देश्य और कारणों के कथन का एक अन्य पैरा पढ़कर सुनाता हू। इसमें कहा गया है :

"प्रस्तावित परिसीमन आयोग 1971 में हुई जनगणना के आधार पर अभिनिश्चित स्थानों की कुल संख्या को प्रभावित

(श्री मोबनुल हसन)

किए बिना 1991 में हुई जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों की संख्या पुनः निर्धारित करेगा।"

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह स्थानों की संख्या कम अथवा बढ़ाए बिना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को सुव्यवस्थित अथवा स्थानों का पुनः निर्धारण किस तरह करेगा। इसलिए यदि माननीय मंत्री यह बता दें तो बेहतर होगा।

यह बात स्पष्ट है कि परिसीमन 1991 की जनगणना पर आधारित होगा। लेकिन हम जानते हैं कि कई कारणों से जम्मू और कश्मीर में 1991 में जनगणना नहीं की गई थी। इस तरह, यहां तक परिसीमन का संबंध है इस राज्य में यह किस आधार पर किया जाएगा?

जहां तक परिसीमन का संबंध है, स्थानों की संख्या घटाने अथवा बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरे पास पापूलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। जिसमें कहा गया है कि यदि भारत सरकार नए सिरे परिसीमन करती है तो कुछ समस्याएं आएंगी। आकलन किया गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में इस समय 204 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं और यह संख्या 229 तक बढ़ेगी। इसी तरह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में इस समय 129 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, और यह संख्या 113 तक कम होगी। इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि यहां तर्कसंगत दृष्टिकोण होना चाहिए। मेरा माननीय मंत्री से यही अनुरोध है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री अनादि साहू (बरहमपुर, उड़ीसा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक संविधान (91वां संशोधन) का स्वाभाविक परिणाम है जो संसद द्वारा हाल ही में पारित किया गया। लेकिन संविधान (संशोधन) विधेयक पारित करते समय संसद के दोनों सदनों ने आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाने या घटाने संबंधी तथ्यों पर विचार नहीं किया गया। गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति ने भी इस विषय को नजर अंदाज कर दिया है। अब जबकि आप इसके परिसीमन की सोच रहे हैं तो आरक्षण ही ऐसा विषय रहेगा जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर अनेक मत हैं। सरसरी हिसाब लगाने से यह मालूम होता है कि अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या केवल एक राज्य में ही नहीं, बल्कि लगभग सात राज्यों में बढ़ेगी। जहां तक अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रश्न है तो कुछ राज्यों में यह संख्या कम होगी और कुछ राज्यों में यह बढ़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर जनजातियों की सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आयेगा। परिसीमन के समय समस्या पैदा हो सकती है और आपसी ईर्ष्या भी, क्योंकि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सीटों की कुल संख्या 2026 तक स्थिर कर दी गयी है। और चूंकि सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई है, निश्चित रूप से लोकसभा में अनुसचित जातियों के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी मैं केवल लोक सभा की बात कर रहा हूं और इससे समस्या पैदा हो सकती है।

इस विषय पर इस सदन और भावी परिसीमन आयोग द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। जहां तक आवर्तन की बात है, यह कैसे होगा इस का उल्लेख उद्देश्यों और कारणों संबंधी वक्तव्य में दिया गया है, तथा संविधान के प्रावधानों में भी है। किस प्रकार अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का निर्णय होगा, आदि सब को दर्शाया जायेगा।

मेरे विचार से प्रत्यक्ष चुनाव और आनुपातिक प्रतिनिधित्व बेहतर होंगे। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, बेलजियम तथा अन्य यूरोपीय देशों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रचलन में है। जब आप आरक्षण का चिन्तन करते हैं तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व में हो या फिर आप पहले की तरह दोहरे निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को अपना सकते हैं। अन्यथा वे निर्वाचन क्षेत्र जो बहुत वर्षों से किसी विशेष समुदाय विशेषकर अनुसचित जातियों के लिए आरक्षित रहे हैं, वे उसी तरह रहेंगे। इसमें बदलाव आना आवश्यक है, आवर्तन हो, ताकि सामान्य उम्मीदवार को आने का अवसर दिया जा सके। यह एक तरफा है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवार सामान्य सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। परन्तु सामान्य वर्ग के उम्मीदवार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं पिछले अनेक वर्षों से देख रहा हूं कि मेरे राज्य में दो निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं जिसे मैं देखता आ रहा हूं। इस क्षेत्र से सामान्य जाति के लोगों के लिए लोक सभा में आने के कोई अवसर नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र में आरक्षण है। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

दूसरा पहलू है कि जब हमारे पास सह–सदस्यों का प्रावधान है और उनमें से पांच सह–सदस्य होंगे इससे अव्यवस्था ही फैलेगी। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। हम सभी को सावधान होकर इस अवधारण को त्यागना होगा क्योंकि यह गलत है वह भी जब आप चुनाव करा रहे हों।

माननीय सदस्य श्री रतिलाल वर्मा जी बता रहे थे कि उनके निर्वाचन क्षेत्र की दूरी एक ओर से दूसरी ओर की 350 किलोमीटर है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की एक छोर से दूसरी और करीब 250 किलोमीटर की लंबाई है। जब इस सघन क्षेत्र की अत्यंत आवश्यकता होगी। जब आप संबंद्ध सदस्यों के बारे में सोचते हैं। तो यह भी अत्यंत आवश्यक है कि वे मेल–मिलाप से रहें, एक सघन क्षेत्र के बारे सोचें जहां निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा सके।

अनुच्छेद 82, 330 और 332 मौजूद हैं, अनुच्छेद 82 में यथावश्यक परिवर्तन के बाद अनुच्छेद 170 पर भी लागू होता है। उन सब अनुच्छेदों के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन परिसीमन विधेयक के बारे में – मुझे सावधान किया गया है कि इसके विस्तार में मैं न जाऊं। मैं यही कहना चाहूंगा कि परिसीमन विधेयक लाया गया है और यह स्वाभाविक है कि हम इससे अलग नहीं हो सकते हैं हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हमें इस विधेयक को स्वीकार करते हुए यह आशा है कि परिसीमन आयोग 1972 के परिसीमन अधिनियम के कारण उत्पन्न हुई कठिनाईयों का ध्यान रखेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, यह ऐसा विधेयक है जिसके संबंध में अधिक विवाद नहीं हैं। अतः मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगा। खंड 9 जिसका संबंध निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से है के संदर्भ यह प्रावधान है कि राजपत्र के प्रकाशन तब किया जाएगा जब प्रस्ताव किए जाएंगे, और मैं यह बताना चाहूंगा कि खंड 10 में व्यवस्था है कोई प्रस्ताव दिया जाता है कि यह प्रस्ताव निर्णायक हों। तब इसे केवल राजपत्र में ही प्रकाशित नहीं किया जायेगा। अपितु दो स्थानीय भाषायी समाचार पत्रों तथा रेडियो टेलीविजन, तथा अन्य प्रचार के माध्यमों से भी प्रसारित किया जाता है। मेरा सुझाव यह है कि जब खंड 9 में प्रस्ताव दिये जाने के बाद उनके संबंध में कई आपत्तियां उठायी जाएंगी। अतः खंड 9 के स्तर पर स्थानीय लोगों को इस संबंध में जागरूक बनाने के लिए प्रकाशन हेतु वास्तविक जरूरत उस समय होती है जब स्थानीय लोगों द्वारा आपत्तियां उठाई जाती है। अतः मेरा सुझाव यह है कि यद्यपि इसे प्रकाशित करना है जैसा कि खण्ड 10 में वर्णित है जब अन्तिम प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं, यह उपबन्ध होना चाहिए कि खण्ड 9 भी स्थानीय समाचार पत्रों तथा अन्य प्रचार माध्यमों में प्रकाशन की व्यवस्था करता है। ताकि सम्बद्ध लोगों की वास्तविक आपत्तियां सामने आएं।

मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे और भी उदाहरण हैं यद्यपि आपने विधेयक के खंड 9(क) में यह प्रावधान किया है कि क्षेत्र की भौगोलिक सघनता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा साथ ही प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं को भी ध्यान में रखा जायेगा। फिर भी ऐसे कई उदाहरण हैं। जिन पर जब आप भौगोलिक दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो प्रशासनिक इकाईयों तथा चुनाव क्षेत्र एक दूसरे से मेल नहीं खाते है। उदाहरण के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक ऐसा स्थान है जो हमारे क्षेत्र में काफी नजदीक है। यद्यपि प्रशासनिक इकाई बहुत दूर है तथापि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से काफी करीब है और यहां के स्थानीय लोग इस मुद्दे को काफी समय से उठा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की आपत्तियां उठायी जायेंगी जब खंड 9 के अनुसार इसका प्रकाशन किया जायेगा अतः यह मेरे अनेक सुझावों में से एक है।

जहां तक अवधि का सवाल है इस संबंध में कई वक्ताओं द्वारा पहले ही कहा जा चुका है कि इसे एक वर्ष तक के लिए सीमित किया जाये।

मेरा एक और सुझाव है कि जो वस्तुतः इस विधेयक से संबंधित नहीं है, हमें राज्य सभा की सीटों के परिसीमन के बारे में भी क्यों नहीं सोचना चाहिए? मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे ऐसा कहते सुनकर आपको आश्चर्य होगा। मैं यह सुझाव देने का प्रयास कर रहा हूं कि राज्य सभा राज्यों की परिषद है और हमारा ढांचा संघीय राज्यतंत्र है तथा संघवाद में हमें एक ऐसे परिषद को अवसर देना चाहिए जिसका प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर हो। अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि यद्यपि इसे आवश्यक रूप से विधेयक के इस चरण में इस पर विचार न किया जाये, तथापि मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर विचार किया जाना चाहिए तथा बाद में कभी इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट) : सभापति महोदय, उन परिस्थितियों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के आकार को स्थिर करने वाला निर्णय लिया गया। वर्ष 2026 तक इसे स्थिर करने का तर्क यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर विकास की सम्भावनाएं बढ़े ताकि अनियंत्रित बढ़ती हुयी जनसंख्या जो विकास के लिए हानिकारक को हर तरह से रोका जाए।

अब तक सब ठीक–ठाक है। लेकिन 1991 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को उचित रूप देने और उनके पुनः समायोजन के संबंध में और इसी जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों के पुनः निर्धारण के सरकार के निर्णय से कुछ सवाल उठे हैं। जिनका स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

यह स्पष्ट नहीं है, कि राज्यों में जनसंख्या के आंकडों में आये परिवर्तत को दर्शाने के लिए सीटों की संख्या घटाये या बढ़ायें बिना कैसे निर्वाचन क्षेत्रों को उचित रूप दिया जा सकेगा। या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों का निर्धारण किया जा सके। यदि कुछ राज्यों में सीटों में बढ़ोत्तरी के साथ कुछ अन्य राज्यों में सीटों की संख्या में कमी होती है तो वर्तमान विधेयक में यह बात उठायी जायेगी कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल हुये हैं उन राज्यों को दण्डित किया जा रहा है। यह एक गलत सिद्धात होगा। यदि बिना किसी अवरोध के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के माध्यम से संसद के पुनः गठन की सामान्य प्रक्रिया में यह असमानता घटित हुयी होती। मैंने इस मुद्दे को क्यों उठाया? एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में इस बात का विश्लेषण किया गया था, जिसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है:–

"वर्तमान विधेयक में किये गये प्रावधानों के अनुरूप परिसीमन अभ्यास के तहत लोग सभा में सीटों के संबंध में किये गये अनुमान से उन राज्यों में सीटों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी, जो जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर रहे हैं। इन राज्यों में सीटों की संख्या 204 से बढ़कर 219 हो जायेगी। और कुछ राज्यों में जहां जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुरूप स्थिर हो गयी है वहां सीटों की संख्या 129 से घटकर 119 हो जायेगी।"

इसे आंशिक प्रतिकूल प्रभाव कहकर नहीं टाला जा सकता। यह स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर स्पष्टीकरण देंगें।

सरकार व संसद से जिस एक अन्य बाधा को दूर करने की अपेक्षा की जाती है वह है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर की संख्या में रहने वाली अनुसूचित जाति व जनजाति की आबादी का राजनैतिक प्रतिनिधित्व न होना। परिसीमन की सामान्य प्रक्रिया में अनुसूचित जाति व जनजाति की प्रधानता वाले सभी राज्यों में आवर्तन का प्रावधान रहा है और उन्हें राज्य विधान सभा में प्रतिनिधित्व का अवसर भी प्राप्त है किंतु इस आवर्तन के बिना अनुसूचित जाति व जनजाति वाली जनसंख्या का यह बड़ा भाग लम्बे समय के लिए इससे वंचित हो जाएगा हमें यह नहीं पता कि कितने लम्बे समय तक । इस पर मैं निश्चित नहीं हूं कि अनुसूचित जाति व जनजाति की सीटों की संख्या का इस पुर्ननिर्धारण से लाभ प्राप्त हो जाएगा या नहीं, जिसे हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर रहने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को उपलब्ध करवाना चाहते हैं।

महोदय, सामाजिक सामंजस्य के वृहद हित में यह आवश्यक है कि सरकार इन समस्याओं का समाधान समय पर करे। हमें आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा है कि वे समस्या से कैसे निपटते हैं। तथापि, अन्य राष्ट्रीय अनिवार्यताओं को देखते हुए, विशेषकर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम) : सभापति महोदय, इस विधेयक का समर्थन करने के साथ–साथ मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा जिसमें मुश्किल से कुछ मिनटों का ही समय लगेगा।

महोदय, विधेयक के उपबंधों से हम यह समझ सके है कि लोकसभा तथा विधान सभाओं में सीटों की संख्या में भी कोई परिवर्तन नही होगा। इसी प्रकार, आरक्षित सीटों की संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह सीटों की संख्या कुल संख्या वही रहेगी। किंतु आकार व जनसंख्या से उत्पन्न असुंतलनों तथा विकृतियों को देखते हुए परिसीमन 'आवश्यक' है। हालांकि यह चिरप्रतीक्षित था और यह देर से आया। किंतु हम प्रसन्न हैं कि आखिरकार यह विधेयक संसद के समक्ष आ ही गया? मौजूदा परिस्थितियों में परिसीमन विधेयक एक स्वागत कदम है।

माननीय सभापति महोदय, आपने अपने भाषण के दौरान चक्रानुक्रम के मुद्दे को बहुत सही उठाया है। मेरे अनुसार,

आरक्षित सीटों का आवर्तन तथा परिसीमन एक साथ चलने चाहिए। इसके विपरीत सरकार ने केवल परिसीमन को ही उठाया है। यह कई लोगों की इच्छा है कि चक्रानुक्रम के मुद्दे को भी ध्यान में रखा जाए। अपने भाषण के दौरान श्री पांडियन ने तथा कई अन्य माननीय सदस्यों ने भी यह ठीक ही कहा है श्री पोन्नुस्वामी ने उस समय यह ठीक ही कहा था कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए, जिसके लिए हम सभी यहां उपस्थित हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री को यह बताना चाहूंगा कि स्थानीय निकायों के चुनाव तमिलनाडु में ही नहीं हुए हैं बल्कि यह देश में सभी जगह हुए हैं। नए कानून के अंतर्गत स्थानीय निकायों के हमने दो चुनाव कराए हैं। ये चुनाव संविधान के उपबंधों के अनुसार कराए गए हैं और आरक्षित समुदायों – अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों को न केवल आरक्षण प्रदान किया गया है। बल्कि महिलाओं को भी इसका लाभ दिया गया है। सीटों का आवर्तन एक सरल कार्य है। हमने वहां क्या किया कि एक गांव में यदि 10 वार्ड हैं। तो उनमें से हमने दो ऐसे वार्डों की पहचान की जिसे अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित किया जा सकता था। हमने इन दो वार्डों की पहचान अनुसूचित जाति व जनजाति की आबादी के आधार पर की थी। अनुसूचित जाति व जनजाति की प्रधानता वाली आबादी वाले वार्ड जैसे– 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत या 50 प्रतिशत, अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। पांच वर्ष बाद अगले चुनाव में अनुसूचित जाति व जनजाति की प्रधानता वाले अन्य दो वार्डों की पहचान की गई तथा उसे, उनके लिए आरक्षित कर दिया गया। इस प्रक्रिया में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए आवर्तन के आधार पर हर बार सीटों की अपेक्षित संख्या आरक्षित हो सकेगी।

चक्रानुक्रम समय की मांग है। चक्रानुक्रम व्यवस्था के अभाव में आरक्षित समय की मांग है। चक्रानुक्रम व्यवस्था के अभाव में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से लोग 20–25 वर्षों से लोक सभा तथा विधान सभाओं में चुने जाने के लाभ से वंचित है। इसलिए, चक्रानुक्रम की यह अवधारणा का महत्व बहुत अधिक है। हमें चक्रानुक्रम के लिए आपके द्वारा अपनाए जाने वाले मानदण्डों पर कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने यह कई बार कहा है कि सीटों की कुल संख्या को बनाए रहना चाहिए। आरक्षण का संरक्षण किया जाना चाहिए। किंतु आरक्षित सीटों के लिए चक्रानुक्रम लागू किया जाना चाहिए। यह विधेयक तभी पूर्ण हो पाएगा जब परिसीमन तथा चक्रानुक्रम दोनों का एक साथ उठाया जाए।

श्री एन. टी. षणमुगम (वेल्लौर) : महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हूं। मैं, इस सभा में चर्चा किए जा रहे परिसीमन विधेयक 2002 के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस बिधेयक के पारित होने से गठित होने वाले परिसीमन आयोग को सीमित कार्य क्यों दिया गया है। परिसीमन आयोग का सचिवालय निर्वाचन आयोग होगा। इसमें व्यापक कार्य समिलित है। इसका कार्यकाल दो वर्ष का है तथा इसके आदेश उसके बाद तुरंत जारी हो जाएंगे। इसलिए हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारा दृष्टिकोण व्यावहारिक हो। यही अच्छा होता कि यदि हम विस्तृत विधेयक को विकसित करने में किसी एक राय पर कायम होते। जिस विधेयक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। उसका उद्देश्य लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन का है। ऐसा कहा गया है कि लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। परन्तु घनी आबादी वाले राज्यों में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को सीमित करने के कार्य पर ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिए। यदि विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ी तो वहां भविष्य में संसद में सीटें बढ़ाने का दबाव होगा। इसके परिणाम, तमिलनाडु व केरल जैसे राज्यों की लोक सभा की सीटें घटाने के रूप में हो सकते हैं। जिन्होंने अपने राज्य की जनसंख्या को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित किया है।

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों में प्रशंसनीय कार्य करने वाले राज्य किसी प्रकार से भी वंचित न हों। कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन करने वाले ऐसे राज्यों को केन्द्र द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से स्पष्ट आश्वासन होना चाहिए कि किसी भी समय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कम नहीं की जाएगी। यह तक कि यदि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की सीटें बढती हैं तो तमिलनाडु तथा केरल जैसे राज्यों को सीटों में भी बढ़ोत्तरी होनी चाहिए।

परिसीमन आयोग में, प्रत्येक राज्य में संबद्ध सदस्य के रूप में अध्यक्ष द्वारा नामित संसद के पांच सदस्य होंगे। यह संख्या बढ़ाई जा सकती है। और संसद का प्रत्येक सदस्य

(श्री एन. टी. षणमुगम)

इसमें सम्बद्ध हो सकेगा। जब यह उसके निर्वाचन क्षेत्र विशेष में आएगा। अभी, दो या तीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक पंचायत संघ आता है। इसमें जनता और चुने गए प्रतिनिधियों एवं पंचायत संघ के पदाधिकारियों को बहुत कठिनाई होती है। इसलिए, समस्या का समाधान समय रहते ही करना चाहिए और पंचायत संघ को एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सीमित करना चाहिए।

पचास के दशक में, दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए दो–सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते थे। बाद में, हमने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किए। इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को व्यवस्थित रूप से आवर्तित किए जाने की मांग उठ रही है। मैं सरकार से इसे विचारार्थ विषय के रूप में प्रस्तावित परिसीमन आयोग को देने का अनुरोध करता हूं। इसके लिए एक समय–सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सामाजिक न्याय के उद्देश्य को अंगीकार करने के लिए सभी राजनीतिक बलों को विश्वास में लें। आइए, हम इस पर एक राय कायम करें।

इस अवसर के लिए मैं अध्यक्ष पीठ का धन्यवाद करता हूं।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, माननीय विधि मंत्री जी ने परिसीमन विधेयक 2002 पर विचार करने के लिए इसे प्रस्तुत किया है। मैं इस विधेयक के विरोध में नहीं हूं। लेकिन यह विधेयक कई कारणों से अनुचित है और इस पर अच्छी तरह से विचार नहीं किया गया है।

परिसीमन आयोग गठित किये जाने का विचार। इस परिसीमन आयोग का उद्देश्य 1991 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के आकार को पुनः समायोजित करना है। अब वर्ष 2001 की जनगणना भी पूरी हो चुकी है। हमें बताया गया है कि यह कार्य अभी इन अर्थों में पूरा नहीं हुआ है कि सभी सुसंगत आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें प्रकाशित नहीं किया गया है, अतः हमें 1991 की जनगणना पर ही निर्भर करना पड़ेगा।

महोदय, स्थिति देखें। सामान्य रूप से लोक सभा के चुनाव 2004 में होगे! अब वर्ष 2002 चल रहा। यह कहा जाता है कि यह परिसीमन आयोग अपना कार्य दो वर्ष में पूरा कर सकेगा। लेकिन यह सोचना गलत है। यह आयोग इतनी जल्दी अपना कार्य पूरा नहीं कर पायेगा। पिछले परिसीमन आयोग ने चार वर्ष का समय लिया था। अतः अगर यह इतना समय लेगा, तो वर्ष 2004 तक जब लोक सभा के चुनाव होंगे तो चुनाव वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार ही होंगे। अतः परिसीमन आयोग द्वारा किये गये इस कार्य का हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। इस कार्य का लाभ हमें 2004 अथवा उस के पश्चात होने वाले लोक सभा चुनावों में हो सकता है। मैं निर्धारित समय पर होने वाले चुनावों की बात कर रहा हूं। यह सोचना मात्र एक कल्पना ही होगी कि परिसीमन आयोग अपना कार्य दो वर्ष में पूरा कर लेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मतदाता सूची तैयार करने और उसे प्रकाशित करने आदि का कार्य दो वर्ष के समय में पूरा नहीं हो पायेगा, तब तक चुनाव आ जायेंगे।

महोदय, इसलिए 1991 के जनगणना के आंकड़ों को स्वीकार करने तथा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के आकार को निर्धारित करने का कार्य करने से हमें वर्ष 2004 में कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसका लाभ सामान्यतः 2009 और उसके पश्चात् ही मिल पायेगा। अतः 1991 की जनगणना के आंकड़ों की बजाय अगर हम वर्ष 2001 की जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों से तत्काल निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन करने का कार्य करें। तो इसका लाभ हमें 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक के उत्तरार्ध में मिल सकता है। अन्यथा 2001 के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होते हुए भी हमें अभी भी 1991 की जनगणना के आंकड़ों का ही उपयोग करना पड़ेगा।

अतः मेरा कहना है कि हमें यह बताया गया है कि इसमें कुछ संवैधानिक अड़चने हो सकती हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि इसमें कोई अड़चने हैं। लेकिन यदि मान लिया जाए कि ऐसा है–क्योंकि कानून मंत्री ऐसा तर्क देते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 82 में एक संशोधन किया गया है जिसमें, उनके अनुसार यह अपेक्षित है कि 1991 की जनगणना के आंकड़ों को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हम यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा सकते हैं कि हमारा यह कार्य तर्कसंगत है। हमें वर्ष 1991 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन आयोग द्वारा किये गये कार्य का लाभ चुनाव आने तक नहीं मिलेगा। यह हो सकता है यह विचार सही न हो।

अतः जहां तक संवैधानिक तथा कानूनी उपायों का संबंध है, हमें उस दिशा में बढ़ना चाहिए और सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए ताकि 2001 की जनगणना के आंकड़ों का फायदा प्राप्त किया जा सके। जिसके बारे में मेरा विश्वास है कि वे शीघ्र ही यथासमय उपलब्ध हो जायेंगे।

महोदय, और भी ऐसी विचारधाराएं हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। निःसंदेह, विभिन्न आकार के निर्वाचन क्षेत्र एक बड़ी विकृति है तथापि हमारी निर्वाचन प्रणाली में केवल यही एक मात्र विकृति नहीं है। ऐसी अनेक अन्य विकृतियां हैं जिन्हें स्वयं हमने ही दूर नहीं किया। हमें इन विकृतियों को दूर करना चाहिए और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के अभियान को उन विकृतियों को दूर करने के अभियान के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

मैं संपूर्ण चुनाव सुधारों तथा दिये गये निर्वाचन संबंधी सुझावों को सभा में पुनः नहीं दोहराऊंगा। वे सभी कार्यवाही वृतांत में उपलब्ध हैं। अतः हमें अब यह कार्यवाही करनी चाहिए तथापि मैं विशेष रूप से एक गंभीर विकृति का उल्लेख करना चाहूंगा जो हमारी घिसी पिटी मतदान प्रणाली के कारण हमारी निर्वाचन प्रणाली की देन है। हमारी प्रणाली 'फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट' की है। इसका परिणाम यह होता है कि वोटों की संख्या जो किसी दल को मतदान में मिलती है तथा सीटों की संख्या जो उस दल को प्राप्त होती है उसमें अंतर होता है। यह एक गंभीर विकृति है।

मैं इस संबंध में कोई उदाहरण प्रस्तुत करके इस सदन का समय नहीं लेना चाहता क्योंकि सदन इससे अच्छी तरह अवगत है। जबसे हमने इस मतदान प्रणाली को अपनाया है उसी दिन से यह विकृति मौजूद है। दल को प्राप्त मतों की संख्या तथा उसी दल को इन मतों के परिणाम स्वरूप प्राप्त सीटों की संख्या में काफी अंतर है इसके परिणाम स्वरूप, मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि सदन, जिसका गठन इस दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली से होता है, वह संपूर्ण राष्ट्र तथा समाज का सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करता है, तथा यह उसका वास्तविक आइना नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी, जो पहले विपक्ष में होती थी तथा मैं विपक्ष के नेताओं की बैठकों में भाग लेता होता था तब से मैं इससे अवगत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी विभिन्न अवसरों पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली को अपनाने के महत्व पर जोर दिया है। यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली आज के समय की मांग है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अपनाये जाने के परिणाम स्वरूप हमारी निर्वाचन प्रणाली में उत्पन्न इस विकृति को हमें आवश्यक रूप से दूर करना चाहिए, हमें तत्काल इसे दूर करना चाहिए।

यहां तक की विधि आयोग ने भी अपनी 170वीं रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की थी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। जिसके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यह प्रणाली पहली प्रणाली को समाप्त किये बिना ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होनी चाहिए। अतः इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली के परिणामस्वरूप हम एक ऐसे सदन का गठन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम काफी हद तक यह दावा कर सकते हैं कि यह राष्ट्र का आइना है। ...*(व्यवधान)* मेरे शब्द केवल प्रस्तावनात्मक हैं। मैं इस विधेयक के प्रावधानों पर नहीं आया हूं।

सभापति महोदय : आपने पहले ही 15 मिनट ले लिए हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : हां, अन्य अवसरों पर इतना शोर होता है कि मैं बोल ही नहीं पाता। आज सदन में शांति है।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर आज सदस्यों ने बहुत कम समय लिया है।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मुझे बोलने दें, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय, मैं विधेयक के प्रावधानों पर आते हुए परिसीमन आयोग की रचना के बारे मे कुछ कहना चाहूंगा। विधेयक के खण्ड 3 के अनुसार परिसीमन आयोग की परिकल्पित रचना अब तक स्थापित किये गये परिसीमन आयोगों की रचना से भिन्न है। 1972 के परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुसार, आयोग के तीन सदस्य होते थे जिनमें से दो न्यायाधीश रहे हैं। अब, विधि मंत्री न्यायाधीशों के प्रति इतने निर्दयी हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ये संसद सदस्यों के पक्ष में है। इन्होंने विभिन्न राज्यों से पांच संसद सदस्यों को शामिल किया है।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। वह अलग बात है। लेकिन विधि मंत्री ने न्यायाधीशों की संख्या दो से कम करके एक कर दी है और अधिकारियों की संख्या भी दो है। इसलिए परिसीमन आयोग में केवल दो ही अधिकारी हावी हैं। एक अधिकारी हैं मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दूसरा है राज्य चुनाव आयुक्त। इसलिए इसमें दो अधिकारी हैं और एक न्यायधीश जो इसके चेयरमैन है....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जी. एम. बनातवाला : मेरे नाम से छह संशोधन हैं। इन संशोधनों को प्रस्तुत करते समय मैं नहीं बोलूंगा। मैं अभी बोलूंगा *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : छह बजे तक हमें इसे समाप्त करना है। क्योंकि 6.30 बजे तक समारोह है, और बोलने के लिए दो और सदस्य रहते हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : इसलिए यहां मेरा एक संशोधन है कि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायधीश को इसका चेयरमैन बनाया जाये और उसमें एक और न्यायधीश होना चाहिए ताकि दो न्यायधीशों की संख्या को बनाये रखा जा सके।

मैं एक और तथ्य पर जोर देना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वह तथ्य यह है कि निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के अनुपात को बिगाडने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में अधिनियम में स्पष्ट निर्देश दिये जाने चाहिए।

अनुसूचित जाति के हमारे भाईयों के लिए हमेशा से सीटों का आरक्षण रहा है। उनकी संख्या बनी रहनी चाहिए, उस संख्या को कम नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उसमें अनेक विकृतियां आ गयी हैं, जिन्हें दूर करना होगा। कभी–कभी एक निर्वाचन क्षेत्र में किसी विशेष अल्पसंख्यक सामुदायक के लोगों की संख्या अत्यधिक होती है और वे उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करा लेते हैं। यह उचित नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए अरक्षित सीटों की संख्या में कोई गड़बड़ नहीं की जानी चाहिए। उनकी वहीं संख्या रहनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उनकी सीटों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। लेकिन साथ ही समाज के अन्य वर्गों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में मेरे दो संशोधन हैं और उन्हें प्रस्तुत करते वक्त इंशा अल्लाह, मैं उनकी आवश्यकता के संबंध में मैं विस्तार से बोलूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, हालांकि मैं इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं फिर भी मैं यह महसूस करता हूं कि मैंने जो बातें बताई हैं उन पर व्यापक विचार किया जाना चाहिए और सही दिशा में संवैधानिक और कानूनी उपाय किये जाने चाहिए।

श्री सईदुज्जमा (मुज्जफरनगर) : सभापति महोदय, मैं आपका शुक्र गुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मंत्री जी जो बिल यहां लाये हैं, वह समय की आवश्यकता है। इस बिल की जरूरत बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। इस बिल के बारे में बहुत से सुझाव आये हैं लेकिन बहुत सी आशंकायें भी महसूस की गई हैं। बहुत सी आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, जिनका डर है, मैं समझता हूं कि वे अपनी जगह बिल्कुल सही है। बार–बार इस बात को कहा जा रहा है कि ऐसी कमेटी और चेयरमैन बनाया जाए, जिससे सब लोगों को राहत और इंसाफ मिल सके। वैसे देखा जा रहा है कि वे आक्षंकाएं अपनी जगह दुरूस्त नजर आ रही हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर यह बात देना चाहता हूं कि अभी उत्तरांचल नया राज्य बना था। उसमें से तीन विधान सभा क्षेत्र निकाले गये थे – देवबंद, सहारनपुर और बावड़ी। देवबंद कांस्टीटुएंसी मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरनगर–82 में मिला दी गई। जो कि अनकान्सटीटयूशनल है, नियमों के विरूद्ध है। मैं समझता हूं सरकार ने इसकी अनदेखी की है। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि इसमें टैरिटोरियल एडजस्टमैन्ट नहीं है। इसमें 25 किलोमीटर का फासला है। बीच में कैराना कांस्टीटुएंसी पड़ती है। इसे आप किसी भी तरह से मिला नहीं सकते। लेकिन सरकार ने बगैर देखे देवबंद का मुजफ्फरनगर में मिला दिया। जबकि कैराना कांस्टीटुएंसी को मिलाना चाहिए था। देवबंद और कैराना के बॉर्डर आपस में मिले हुए हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार ने जो गलती की है, वह इस पर अमैन्डमैंट लाकर इसे दुरूस्त करे। यह पूरी तरह से अनकांस्टीटयूशनल और अनफेयर है। इसे किसी भी तरह से मुजफ्फरनगर कांस्टीटुएंसी में शामिल नहीं किया जा सकता। इसमें लोगों को इंसाफ न मिल पाने की जो आशंकाएं हैं, वह इसका एक उदाहरण है। इन सारी बातों को देखते हुए देश की जनता यह चाहेगी कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे सबको राहत और इंसाफ मिल सके।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसमें रिजर्वेशन पापुलेशन के आधार पर होना चाहिए और कम से कम समय में होना चाहिए। एक वर्ष में यह पूरा हो जाना चाहिए। वरना इतना समय आपने बता दिया है, मुझे उम्मीद नहीं है कि इतने समय तक आप रह पायेंगे और ये अमैन्डमेन्ट बाकी रह जायेंगे। इसलिए इसमें जो सारी आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे कि सबके साथ इंसाफ हो, ताकि सारा समाज उसे एप्रिशिएट कर सके। मैंने खास तौर पर कैराना और मुजफ्फरपुर कांस्टीटुएंसी के बारे में कहा है, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर अमैन्टमैन्ट लाकर अपनी गलती का सुधार कर लें।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। कानून मंत्री जी और माननीय सदस्यों को बालयोगी ज्ञानपीठ के उद्घाटन में जाना है। इसलिए मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा। जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं, हम उसी पर बल दे रहे हैं। मैं चार बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले कानून मंत्री जो क्षेत्रों के परिसीमन में भौगोलिक आधार पर विशेष ध्यान रखें। जैसे कि हमारी लोक सभा सीट तीन जिलों में है। बराबर में जलेसर जिला है, वह आगरा, मथुरा एटा और हाथरस चार जिलों में है। इसलिए जहां तक हो सके, आप एक जिले में एक लोक सभा सीट का परिसमीन करायें। दूसरा आधार प्रशासनिक होना चाहिए जिससे कि प्रशासनिक दृष्टि से भी कोई परेशानी न हो। तीसरा आधार जनसंख्या का होना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव है कि जनसंख्या के आधार पर आप परिसीमन करायें । कहीं साढ़े छः लाख पर एक विधान सभा क्षेत्र है और कहीं डेढ़ लाख पर एक विधान सभा क्षेत्र है। दिल्ली, लखनऊ और गाजियाबाद इसके उदाहरण हैं। भौगोलिक परिस्थिति और जनसंख्या का आधार इस विधेयक में लिखा हुआ है, इसलिए आप इन बातों का विशेष ध्यान रखे। इसके अलावा रोटेशन वाला मामला इसमें बहुत खतरनाक है। यह कभी नहीं होना चाहिए। अगर रोटेशन सिस्टम लागू होगा तो आज जो हम अपने क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, उसमें जनता और क्षेत्र के प्रतिनिधि का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता होता है। इससे गहरा रिश्ता और कोई नहीं होता। जहां से हम लोग लगातार चुनाव लड रहे हैं, वहां की जनता के साथ हमारा सम्पर्क और एक विशेष लगाव हो जाता है और जनता का नियंत्रण भी प्रतिनिधि के ऊपर रहता है, क्योंकि उसे दोबारा वहीं से चुनाव लड़ना पडेगा। लेकिन जब यह रोटेशन सिस्टम लागू हो जायेगा तो प्रतिनिधि जनता की उपेक्षा करेगा। वह विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। इसलिए रोटेशन बड़ा खतरनाक है। यह किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी सुझाव दिया है। जनसंख्या के आधार पर तो होना ही है, भौगोलिक आधार पर भी आप रख ही रहे हैं। एक बात को और जोर देकर कहना चाहता हूं कि प्रशासनिक दृष्टि से बहुत दिक्कत होती है जब चार–चार जिलों के कलैक्टर से हमें काउंटिंग के समय सम्पर्क करना पड़ता है कि कहां क्या स्थिति है–मुरादाबाद में क्या स्थिति है, बदायूं में क्या? इसी तरह से हमारे जलेसर के माननीय सदस्य बघेल जी के भी इवने जिले पडते हैं। इन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। चौथा आधार यह होना चाहिए कि जहां अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक हो वही क्षेत्र आरक्षित किया जाए। एक ही जिले की लोक सभा सीट हो, इस का ख्याल आपको करना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप एक विद्वान कानून मंत्री है। आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है। आप एक–एक नियम,

[हिन्दी]

एक–एक शब्द भी पढ़ते हैं, जानते भी हैं और इस तरह की कई पैटीशन भी न्यायालय में लड़ी हैं। आप बहुत दिनों से सरकार में भी हैं। हम चाहते हैं कि जो पांच सदस्य हो उन्हें स्पीकर साहब नॉमिनेट करेंगे, वे स्वतंत्र हैं लेकिन फिर भी आपकी राय उसमें जरूर शामिल होती है इसलिए पांच की जगह सात मेम्बर भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, आप संशोधन कर सकते हैं लेकिन ऐसा हो जिससे लोगों को लगे कि आम लोगों की राय से परिसीमन हुआ है। आप जैसे मंत्री तथा नौजवान भी हैं, आपको देश में बहुत आगे जाना है, इसलिए आपके इस व्यक्तित्व पर निष्पक्षता झलके और जैसा सुन्दर आपका व्यक्तित्व है, वही सुन्दरता आपके काम में भी झलके, यही मेरा निवेदन है।

मैं कहना चाहता हूं कि जो पहले हुआ था, उसमें पक्षपात किया गया था, हम उसके भुक्तभोगी हैं। इसलिए हम आपसे निष्पक्षता बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। यह उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा बताई गई तीन–चार बातों पर जरूर ध्यान देंगे।

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार) : मुझे भी बोलने दें, ट्राइबल मेम्बर को दो मिनट दे दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपके दल के सभी सदस्य बोल चुके हैं। वे एक घण्टे से अधिक का समय ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित : मैं ट्राइबल एरिया से हूं, दो मिनट दे दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सभापति महोदय : इस विधेयक पर बोलने के लिए यह मत कहिए कि आप आदिवासी सदस्य हैं। मैं भी इस विधेयक पर बोला हूं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मैं

(सभापति महोदय)

आदिवासियों के हितों की रक्षा नहीं कर सका हूं? ये सब बातें यहां न कहिए। सभा में सभी समान हैं। आपके दल के मुख्य सचेतक ने चार सदस्यों के नाम दिए थे और सभी बोल चुके हैं। वे एक घण्टे से अधिक का समय ले चुके हैं। अब माननीय मंत्री बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : साढ़े छः बजे फंक्शन है। इन्हें दो मिनट बोलने दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह सब क्या है, आप अपना नाम अचानक देकर यह चाहते हैं कि आपको बोलने का अवसर दिया जाए। इसकी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग कीजिए। चूंकि आपने स्वयं को एक आदिवासी सदस्य कहा है इसलिए मैं आपको अवसर नहीं दूंगा। आप स्वयं को केवल सदस्य कहिए। आपको बोलने का अवसर देने के लिए वही पर्याप्त है। हमारे सभी निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा के दो–तीन क्षेत्र होते हैं जो आरक्षित हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सारे समय आप सभा में नहीं थे। यह क्या है, अचानक आप आकर बोलने का अवसर चाहते हैं। इस तरह अचानक आप बोलने के अवसर के लिए नहीं कह सकते।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ से कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है। अध्यक्षपीठ को सहयोग किया जाना चाहिए। मैंने माननीय मंत्री को बोलने के लिए बुलाने का निर्णय लिया है। आपके मुख्य सचेतक ने वक्ताओं की एक सूची दी है और मैंने उन सभी को बोलने का अवसर दिया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, यह सिफारिश का प्रश्न नहीं है। यदि चार सदस्य अचानक खड़े होकर बोलने की अनुमति मांगने लगें तो यह उचित नहीं हैं। आपको प्रक्रिया का ध्यान रखना चाहिए। आपको प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। यह क्या है?

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अरूण जेटली : सभापति जी, जो माननीय सदस्य इस बिल की चर्चा में बोले है। मैं उन सबका बहुत आभारी हूं। प्रायः सभी सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है और कुछ ऐसे मूल मुद्दे हैं जो इस चर्चा में उभर कर सामने आए हैं।

मैं सबसे पहले, श्री मुलायम सिंह जी जो अन्त में बोले थे और उन्होंने तीन–चार विषय उठाए हैं, उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जो विषय उन्होंने उठाए हैं, इस बिल में जो प्रावधान हैं, वे उनके द्वारा उठाए गए हर विषय की चिन्ता करते है। उनका कहना था कि कोई भी चुनाव क्षेत्र ऐसा न हो जो दो–दो और तीन–तीन जिलों में बांटा हो और जिससे चुनाव के दौरान, मतगणना के दौरान तकलीफ पैदा हो। मैं इस प्रावधान की क्लॉज 9 के पहले भाग को अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं जिसमें लिखा गया है–

[अनुवाद]

"सभी निर्वाचन–क्षेत्र यथा साध्य भौगोलिक रूप से संहृत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय उनकी प्राकृतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं को ध्यान में रखना होगा"।

[हिन्दी]

इसके अनुसार जो प्रशासनिक क्षेत्र हैं, यूनिट्स हैं, जो उसकी सीमाएं हैं, उनको मद्देनजर रखा जाएगा। जिस समय परिसीमन आयोग के सामने चुनाव क्षेत्र बांटे जाएंगे, उनका जो आकार होगा इस कानून के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि हर सीट का साइज लगभग एक बराबर होगा। अब एकदम अर्थमेटीकली बराबर हो जाए, तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ उसमें बदलाव किया जाएगा जिसमें सीटों की संख्या और साइज लगभग बराबर हो।

महोदय, रोटेशन का प्रावधान इसमें इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि जब संविधान के 84वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई थी, तो कुछ लोगों का मत था कि रोटेशन होनी चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों का मत था कि रोटेशन से नुकसान हो सकता है। सदस्य एकमत नहीं थे। एक–राय नहीं होने की वजह से इस कानून में यह प्रावधान नहीं रखा गया है। इसमें कई तर्क हैं। एक तर्क यह है कि रोटेशन के जो नुकसान हो सकते हैं उनमें एक यह भी है कि कई बार इस प्रकार की स्थिति भी आ सकती है जो क्षेत्र होगा वह रोटेट होते–होते ऐसी स्थिति में आ सकता है जहां एस.टी. की संख्या बहुत कम

हो, जिससे वह क्षेत्र रोटेशन की दृष्टि से एस.टी. घोषित हो जाए और जहां एस.टी. ज्यादा संख्या में हों, वह क्षेत्र जनरल घोषित हो जाए। इस प्रकार की स्थिति भी रोटेशन के माध्यम से आ सकती है। इसलिए सदन में एक–राय नहीं होने के कारण वह प्रावधान इसमें नहीं रखा गया।

महोदय, माननीय शिंदे जी ने एक बहुत प्रमुख प्रश्न रखा है कि जो लोग नए बुद्धिस्ट हैं और पिछले कई वर्षों से उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, अब इस कानून के बाद उनकी क्या स्थिति होगी। इस कानून में बिल्कुल साफ है कि जो एस. सी. या एस. टी. 1991 की सैंसस के समय थे, उनको निश्चित रूप से एस. सी. और एस. टी. ही माना जाएगा। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 1990 में एक प्रावधान किया गया था। जो कांस्टीटयूशन में शेडयूल्ड कास्ट आर्डर था 1950 का, उसके आरंभ में जो बातें लिखी गई थीं कि जो एस. सी. होंगे और जो एस.टी होंगे, उनके लिए क्लॉज–3 में यह प्रावधान था कि –

[अनुवाद]

"पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, हिन्दू धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जायेगा।"

[अनुवाद]

जो हिन्दू है वह शेडयूल्ड कास्ट हो सकता है। इसका मतलब यह है कि वह हिन्दू नहीं है, तो वह शेडयूल्ड कास्ट नहीं हो सकता। इसमें एक परिवर्तन के बाद "सिख" शब्द भी जोड़ दिया गया और 1990 के बाद स्थिति यह है कि "और/या बौद्ध" इस प्रकार बुद्धिस्ट भी इसमें अपवाद की दृष्टि से जोड़ दिया गया है, अर्थात्, चाहें वह हिन्दू है, सिख है या बुद्धिस्ट है, 1990 के कानून के तहत उन्हें शेडयूल्ड कास्ट ही माना जाएगा। परिसीमन आयोग की जो शेडयूल्ड कास्ट वर्ग की सूची बनेगी, उसकी संख्या के आधार पर नए बुद्धिस्ट भी स्वाभाविक रूप से उसमें गिने जाएंगे। कई अन्य विषय रखे गये हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी जी यहां नहीं हैं। उनका कहना था कि इस बिल का मैं समर्थन करता हूं लेकिन इलैक्टोरल रिफार्म की दृष्टि से, माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त जी की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उस समिति के जो सुझाव आये हैं, उसके संबंध में सरकार क्या कर रही है और सरकार इसमें कुछ समय सीमा बांधे। इलैक्टोरल रिफार्म की दृष्टि से हम लोग इसे करेंगे।

कई विषय हैं जो इस बिल के तहत कवर नहीं होते। इसमें कुछ विवादित विषय भी हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि दो कानून ऐसे हैं जो लोक संसद में पेश कर चुके हैं। दोनों कानून से चुनाव प्रक्रिया में सुधार आये, इस दृष्टि से हम इसे ससंद में पेश कर चुके हैं। पहला कानून जो हम लायें थे, वह अब स्टैंडिंग कमेटी के सामने है। वह कानून यह है कि राज्य सभा के चुनाव में कुछ गड़बड़ियां देखी गयी हैं। राज्य सभा चुनावों के आचारहीनता पाई गई थी। उसमें हमने कहा कि खुले रूप से, ओपन बैलेट चुनाव होना चाहिए।... *(व्यवधान)* इस कानून को हम संसद में पेश कर चुके हैं। और अब वह स्थायी समिति के सामने है। अब शायद वह स्थायी समिति की रिपोर्ट के साथ अगले सत्र में हम लोगों के सामने आ जाये। उसी प्रकार से राजनैतिक दलों को जो धन मिलता है, उसकी कोई व्यवस्था अपने कानून में आज तक नहीं रही है। उसके संबंध में हमने दुनिया के तमाम देशों के कानून देखे हैं कि वहां किस प्रकार से पोलीटिकल पार्टीज अपना एकाउंट मेन्टन करती है। जो लोग राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, वह चंदा किस प्रकार से दें ताकि आयकर की दृष्टि से उनको लाभ हो सके। इसे भी ससंद में पेश कर चुके हैं। यह कानून भी अब स्थायी समिति के सामने है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उसने जो स्टेट फंडिंग की बात की थी, उसे पूरा तो नहीं लेकिन उस रिपोर्ट के तीन अंश ऐसे हैं, जो कानून हमने इस सत्र में पेश किया है, उसे भी हम इसमें जोड़ चुके हैं कि किस प्रकार इनडायरेक्ट फंडिंग ऑफ स्टेट हो सकती है। जब यह कानून स्थायी समिति की रिपोर्ट के साथ हमारे सामने आयेगा, शायद उस वक्त उस पर बहस करने का विषय मिल जायेगा। एक विषय का इन्होंने जिक्र किया था।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप स्टेट से फंडिंग मत कराईये क्योंकि सारा पैसा बर्बाद हो जायेगा। इसे कोई भी नहीं मानेगा। आप चुपचाप चंदा ले लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री अरूण जेटली : मुलायम सिह जी जो कह रहे हैं, उसकी वजह से डायरेक्ट फंडिंग का उसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन इनडायरेक्ट किस प्रकार से हो सकता है, वह कानून जब संसद के सामने आयेगा, अभी वह स्थायी समिति के सामने है, तो निश्चित रूप से उस पर हम जरूर चिंता करेंगे।

एक विषय जिसका इन्होंने जिक्र किया था, विशेष रूप से

(श्री अरूण जेटली)

चुनाव आयोग ओर विधि आयोग ने कहा कि जिस किसी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट है उसको चुनाव न लड़ने दिया जाये। चुनाव आयोग ने इस संबध में एक बैठक बुलाई थी। पिछले साल 13 सितम्बर को मैंने भी सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई थी। इस प्रावधान का, एक राजनीतिक दल को छोड़कर बाकी सभी दलों ने विरोध किया था कि केवल चार्जशीट दर्ज होने से अगर चुनाव लड़ने के ऊपर रोक लग सकती है तो उसका काफी दुरूपयोग हो सकता है। कुछ का कहना है कि ट्रेड यूनियन के जो नेता हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट हो सकती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ चार्जशीट हो सकती है। पुलिस राज्य सरकारों में है। अगर चुनाव से पहले किसी के खिलाफ चार्जशीट हो जाये, इसलिए एक दल सिक्किम गणराज्य परिषद को छोड़कर लगभग सभी दलों ने इसका विरोध किया था। इस पर अभी तक आम राय नहीं बन पाई है।

एक–दो अन्य विषय हैं जिनके संबंध में एक सुझाव यह आया कि लोक सभा के अध्यक्ष या किसी विधान सभा के अध्यक्ष जिन सदस्यों को नामीनेट करेंगे तो उसका आधार क्या रहेगा? केवल पांचों व्यक्ति जो रूलिंग पार्टी के हैं, उसके होंगे। इस प्रकार की स्थिति है। इसका जो क्लाज पांच है जिसका सब क्लाज दो है, उसमें हमने स्पष्ट कर दिया है कि

[अनुवाद]

"प्रत्येक राज्य से इस प्रकार सहयुक्त होने वाले व्यक्तियों को लोक सभा के सदस्यों की दशा में, उस सदन के अध्यक्ष द्वारा और राज्य विधान सभा के सदस्यों की दशा में, उस विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा की संरचना का सम्यक् ध्यान रखते हुए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।"

[हिन्दी]

जब भी कम्पोजिशन के प्रति रिकार्ड होता है तो लोक सभा या विधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उसमें हर दल की कितनी संख्या और कितनी स्थिति है, इसमें विपक्ष के कितने सदस्य होने वाले हैं, सत्ता पक्ष के कितने सदस्य होने वाले हैं, ब्रॉडर रिप्रैजेंटेशन इस प्रकार के सदस्यों को मिल जाये, इसका भी एक संकेत इस कानून के अंदर बिल्कुल स्पष्ट है।

एक प्रश्न माननीय रघुवंश प्रसाद जी ने उठाया था। उनका कहना था कि वासुदेवन का कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था। वह मुकदमा 11 जनवरी को दोबारा सुनवाई के लिए इस वर्ष आया था लेकिन उस मुकदमें को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्योंकि अब ससंद संविधान में संशोधन कर चुकी है। और डीलिमिटेशन का कानून बना रही है तो यह न्यायपालिका का विषय नहीं है। एक विषय और उठाया गया कि यह जो कानून बन रहा है, शायद संविधान की धारा 82 के खिलाफ है क्योंकि धारा 82 के तीसरे प्रोविजन में लिखा है कि

[अनुवाद]

परंतु यह और भी कि जब तक सन् 2000 के पश्चात की गई पहली जनगणना जिससे अब 2026 बना दिया गया है, से संबंधित आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, तब तक निर्वाचन क्षेत्रों में पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा।

सायं 6.00 बजे

[हिन्दी]

उनका कहना था कि अगर 2026 तक चुनाव क्षेत्रों को रीएडजस्ट करना आवश्यक ही नहीं है तो फिर आप क्यों कर रहे है। उन्होंने कहा कि आपने उस विद्यार्थी की तरह नकल कर ली जो पी.टी.ओ. में लिखा होता है उस की नकल कर लेता है। स्थिति ऐसी नहीं है। 84वां संशोधन पूरा हुआ था। जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था और मैंने उनको पूरा संशोधन दिखा दिया है कि 2026 तक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने परिवर्तन कर दिया जिसकी सीटों की संख्या 1971 के आधार पर होगी और रीऐडजस्टमैंट 1991 के सैंसस के आधार पर होगा। मैं अगर इसको दोहरा दूं–

[अनुवाद]

84वें संशोधन से यह स्पष्ट से जाता है कि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए समायोजन के पश्चात् 2026 समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है; और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन 1991 की जनगणना के आधार पर किया गया है। 84वें संविधान संशोधन में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिए, इस विधेयक के संविधान के प्रावधानों के विरूद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। उनमें से एक सुझाव गठन से संबंधित है।

[हिन्दी]

हमने इसका कम्पोजीशन बड़ा स्पष्ट रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग या रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष हों। बनातवाला जी का कहना था कि एक दूसरे सदस्य भी जज हो। हमने इसके ऊपर सरकार में बहुत चर्चा की थी। इसमें अध्यक्ष उसका न्यायधीश हो, उसमें निष्पक्षता आ जाए, लेकिन इसमें जो बाकी मामले हैं, वे न्यायिक कम और प्रशासनिक ज्यादा है–जनसंख्या कितनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्टस कितने हैं। किस प्रकार ऐलोकेशन होगा। इसलिए हमने जो दो इंस्टीटयूशनल रिप्रैजैन्टेशन्स दी, उसका कोई दूसरा सदस्य चुनाव आयोग का और दूसरा स्टेट इलैक्शन कमिश्नर। हर प्रान्त के अंदर जो स्टेट इलैक्शन कमिश्नर है, जब उस प्रान्त की बात करेंगे तो वह उसका सदस्य बन जाएगा। चीफ इलैक्शन कमिश्नर पूरे देश के लिए रहेगा या उसका नौमीनेटेड सदस्य रहेगा और एक सुप्रीम कोट का सिटिंग या रिटायर्ड जज उसका अध्यक्ष होगा। यह एक फेयर कम्पोजीशन है जिसमें किसी प्रकार की आशंका हम लोगों के मन में आए, इसकी आवश्यकता नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री सईदुज्जमा : रिटायर्ड शब्द काट कर सिटिंग कर दीजिए।

श्री अरूण जेटली : कई बार यह सुझाव सरल लगता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी काम का दबाव इतना होता है कि जब उनसे पुरानी कमिशन्स में पूछा जाता रहा है तो वे सिटिंग जज नहीं देते कि कभी दो–दो वर्ष के लिए सिटिंग जज अपना न्यायिक काम छोड़ कर इसी में लगा रहेगा, कई बार सरल नहीं रहता। इसके अतिरिक्त एक सुझाव दिया गया है। *(...व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : यदि कोई मतभेद है तो बहुमत का निर्णय ही माना जाएगा। बहुमत का अर्थ है यह तीनों में है। क्या यह मध्य है?

श्री अरूण जेटली : यह तीनों के बीच ही है। बहुमत तीनों के मध्य ही है।

[हिन्दी]

अंतिम सुझाव यह दिया गया कि इसकी समय सीमा हमने जो दो वर्ष की है, वह शायद भारी सीमा है। पिछली बार बनातवाला जी ने ठीक कहा कि चार वर्ष रहेगा। । चार वर्ष तब था जब हर चीज कागज पर होती थी। जैसे संख्या जोड़ी जाती थी। कम्प्यूटर की व्यवस्था नहीं थी, उस वक्त सीट की संख्या भी अलग होनी थी। आज हर प्रान्त में मतदाता कितने हैं, यह संख्या मालूम है तो कैन्डीडेट के आधार पर होगा और उसके बाद जो प्रशासनिक कार्यवाही होगी, सके आधार पर वे करेंगे। जब कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध है तो इस बार बहुत ज्यादा समय दो वर्ष से पहले कर लिया जाए और संभवतः अगले चुनाव की जो तिथि है, अगर उसी तिथि के अनुसार हुआ तो शायद तब तक हम डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट प्रभावी कर पाएंगे।

मैं एक बार फिर उन सदस्यों का आभारी हूं जो इस बिल के ऊपर बोले हैं और इसका समर्थन किया है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इसे पारित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री के. ए. सांगतम : महोदय, मैंने नागालैंड राज्य के बार में एक अनुरोध किया था *...(व्यवधान)*

श्री अरूण जेटली : महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा। नागालैण्ड से माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या नागालैंड में स्थानों की संख्या एक से बढ़ाकर दो की जा सकती है। मुझे याद है कि उन्होंने यह प्रश्न 84वें संशोधन की चर्चा के दौरान उठाया था। 84वें संशोधन में इसका स्पष्ट उल्लेख है। किसी राज्य की जनगणना बढ़ने मात्र से ही हम स्थानों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। संविधान संशोधन के अनुसार, संपूर्ण देश में स्थिरीकरण की स्थिति है। हर राज्य में स्थिरीकरण है, इसलिए, एक राज्य या दूसरे के लिए एक अपवाद गढ़ना संभव नहीं होगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक सभा में राज्यों को आबंटित स्थानों का, प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का, प्रत्येक राज्य को और ऐसे प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र को जहां विधान सभा है, लोक सभा और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन करने तथा उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड–वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 3 परिसीमन आयोग का गठन

सभापति महोदय : श्री जी.एम. बनातवाला खंड 3 में एक संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, –

पंक्ति 7 से **21 के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

"3(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार, यथाशक्यशीघ्र, परिसीमन आयोग के नाम से एक आयोग का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होंगे:–

(क) एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश होगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नियुक्त किया जायेगा और वह आयोग का अध्यक्ष होगा;

(ख) एक सदस्य, जो ऐसा व्यक्ति होगा, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायधीश है या रहा है। जिसे राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नियुक्त किया जायेगा; और

(ग) मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामनिर्देशित कोई निर्वाचन आयुक्त, पदेन:

परन्तु इस खंड के अधीन किसी सदस्य के रूप में निर्वाचन आयुक्त का नामनिर्देशन करने के पश्चात् इस खंड के अधीन कोई और नामनिर्देशन धारा 6 के अधीन ऐसे सदस्य की आकस्मिक रिक्ति को भरने के सिवाय नहीं किया जाएगा; और

(2) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष या उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त सदस्य को उसके पद से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से कार्य करते हुए राष्ट्रपति के सिवाय नहीं हटाया जाएगा।" (1)

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 8 स्थानों की संख्या का पुनः समायोजन

सभापति महोदय : क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे : मै मंत्री महोदय द्वारा उत्तर देने के लिए उनका आभारी हूं। मुद्दा केवल यह है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुद्दा कोई नहीं, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री सुशील कुमार शिंदे : मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ 4–

पंक्ति 37 **के पश्चात्** निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए–

"परंतु यह और कि उपखंड (क) के अधीन लोक सभा में और उपखंड (ख) के अधीन प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या के ऐसे अवधारणा की प्रक्रिया में नव–बौद्धों,

जिन्हें संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन अधिनियम, 1990 के अधीन अनुसूचित जाति की उनकी प्रास्थिति प्रत्यावर्तित की गई थी, की जनसंख्या को भी स्थानों के ऐसे पुनः समायोजन के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जातियों के रूप में हिसाब में लिया जायेगा।" (7)

सभापति महोदय : इस स्तर पर अब कोई स्पष्टीकरण नहीं। मतदान की प्रक्रिया चल रही है। हम यहां चर्चा नहीं कर सकते। क्या आप संशोधन पर आग्रह कर रहे हैं?

श्री सुशील कुमार शिंदे : मैं न तो मंत्री महोदय को आग्रह कर रहा हूं और न ही अपने संशोधन पर।

सभापति महोदय : क्या सभा श्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा रखे गए संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है?

संशोधन संख्या 7 सभा की अनुमति से, वापिस किया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

सभापति महोदय : श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा **खंड 9** में तीन संशोधन दिए गए हैं,

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 11 –

"अपेक्षाकृत अधिक है" **के पश्चात्**

"और पूरी जनसंख्या में अल्पसंख्यक जनसंख्या का अनुपात अधिक है" अतः स्थापित किया जाए। (2)

पृष्ठ 5,–

पृष्ठ 14 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** किया जाए–

"(ङ) वहां निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन न हो और यह किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष में, इस अधिनियम के आरंभ होने पर यथाविद्यमान, पूरी जनसंख्या में अलपसंख्या का अनुपात कम न किया जाए।" (3)

पृष्ठ 5–

पंक्ति 14 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंतः स्थापित** किया जाए–

"(1क) आयोग निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपने प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व निर्वाचन आयोग के साथ रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों और ऐसे विशेषज्ञों, जिन्हें वह ठीक समझे, से परामर्श करके निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन के लिए उपधारा (1) में उल्लिखित के अतिरिक्त और समुचित मानक तैयार करेगा तथा उन्हें उपधारा (2) के अधीन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के अपने प्रस्तावों के साथ प्रकाशित करेगा जिससे कि संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संपूर्ण प्रचालन में पूरी पारदर्शिता हो।" (4)

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, चूंकि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, इसलिए मैं अपना संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं। मैं उनका आभारी हूं... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं अब श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा रखे गए संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 2, 3 और 4 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 आदेशों का प्रकाशन और उनके प्रवर्तन की तारीख

सभापति महोदय : श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा खंड 10 में दो संशोधन दिए गए है।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5, –

पंक्ति 21 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** किया जाए–

"परंतु यह कि आयोग किसी भी समय और समय–समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख आगे बढ़ा सकेगा। (5)

पृष्ठ 6 –

पंक्ति 8 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंतः स्थापित** किया जाए–

"परंतु यह कि उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित आयोग के प्रत्येक आदेश के अनुसार कई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और प्रकाशित करने का कार्य पूरा हो गया है, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबंधों के अधीन विधिवत प्रकाशित हो गया है।" (6)

सभापति महोदय : अब मैं संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 5 और 6 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 और 12 विधेयक में जोड दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अरूण जेटली : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : सभापति महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है। दो लघु विधेयक हैं। पहला विधेयक है उपराष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2002 और दूसरा है संसद् अधिकारी तथा संसद् में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2002। यदि सभा की सहमति हो तो हम इन दोनों विधेयकों को बिना किसी चर्चा के पारित कर दें।

सभापति महोदय : क्या सभा इन दोनों विधेयकों को बिना किसी चर्चा के पारित करने की अनुमति देती है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सायं 06.11 बजे

[अनुवाद]

(दो) उपराष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2002

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 15 को लेंगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:–

"कि उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, यह विधेयक बहुत सरल और किसी को कोई हानि न पहुंचाने वाला विधेयक है। अतः मैं सभा से इस विधेयक को बिना किसी चर्चा के पारित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 06.12 बजे

[अनुवाद]

(तीन) संसद अधिकारी तथा संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2002

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं। :

"कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 तथा संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, मैं सभा से इस विधेयक को बिना किसी चर्चा के पारित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 तथा संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 ओर 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 06.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 8 मई, 2002/ 18 वैशाख, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

मंगलवार,7 मई, 2002/ 17 वैशाख,1924 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
29	नीचे से 5	दमण व दीप	दमण व दीव
51	17	सरकार पटेल विश्वविद्यालय	सरदार पटेल विश्वविद्यालय
191	10	श्री जी.मल्लिकार्जुन्नपा	श्री जी.मल्लिकार्जुनप्पा

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।